राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 9

गुरुवार,

12 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम साहब, इधर राम-राम, साहब। इधर किससे किया जाए, राम-राम। प्रश्नकाल, श्री संदीप शर्मा।

प्रदेश में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

142. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो इसकी स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी तथा केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में वहन किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा बजट भाषण 2014-15 में राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 4.12.2014 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जायेगी अपितु राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हिकरण की कार्यवाही की जानी थी, किन्तु अब भारत

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सरकार के उक्त पत्र दिनांक 04/12 के क्रम में भारत सरकार द्वारा राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना, डी.पी.आर. कार्य योजना चाही गई है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, एक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्या मापदण्ड हैं? इसकी स्थापना के लिये भूमि के अलावा क्या-क्या संसाधन होना आवश्यक है। क्या सरकार ने इसकी स्थापना के लिये जगह चिन्हित करने के लिये कोई सर्वे किया है, यदि हां तो विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा-दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बजट में जो घोषणा हुई है, उस बजट घोषणा में, मैं आपको पैरा उद्धृत कर निवेदन करना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों तथा तेलगाना और हरियाणा में हार्टिकल्चर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी तथा इस परियोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है, बाकी जो एग्जिस्टेंस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ही एक सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपये देने की बात उन्होंने अपने पत्र, 04/12 को जो प्राप्त हुआ, उसमें की है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि वर्तमान में यदि हम यह देखें कि राजस्थान में अभी जो 04 तारीख को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का हम लोगों ने जब यहां से भी प्रस्ताव भिजवाया था भारत सरकार को, और 04 तारीख को उन्होंने जो लिखा, उसमें यह लिखा कि यह वित्तीय सहायता केवल सम्बन्धित राज्य में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये दी जा रही है। अतः प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, कार्य योजना बनाकर उन्होंने मांगी है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले। लेकिन भारत सरकार ने अभी इसके लिये मना किया है। हमारा यह प्रयास है, लगभग 400 से 500 बीघा जमीन का उन्होंने उल्लेख भी किया है, यह जितना खर्चा होने वाला है, स्टेट और सेण्टर का कितना-कितना खर्चा होगा, इसके बारे में भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में, कल उनका

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि सैण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाने का हम लोग एक नये तरीके से हमारा प्रावधान तैयार कर रहे हैं। अभी कोई भी, किसी प्रकार की, यहां खोलने का उनका विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पर्याप्त संसाधन हैं। यहां कृषि सम्बन्धी नये प्रयोगों के लिये अनुसंधान केन्द्र पहले से ही स्थित हैं। साथ ही फसलों के परीक्षण के लिये नालता एवं उम्मेदगंज फार्म है। कोटा सम्भाग के जिलों में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये पर्याप्त भूमि भी स्थित है। सड़क एवं रेल मार्ग से इन जिलों का सीधा जुड़ाव है। अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती सम्भाग कृषि की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहां खरीफ एवं रबी की फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी एवं राज्य सरकार से निवेदन है कि संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हाड़ौती सम्भाग में ही कराई जावे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जो चाहा है, निश्चित रूप से कोटा सम्भाग कृषि प्रधान जिला है और वहां पर निश्चित रूप से उत्पादन बहुत अधिक होता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के जो नार्म्स दिये हुए हैं, जो प्रावधान दिये गये हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 500 हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि, वहां के रिसर्च के लिये उनके पास उपलब्धता होनी चाहिए, नम्बर-वन। नम्बर-टू, प्रवेश प्रक्रिया आई.सी.ए.आर. के नियमानुसार, इण्डियन एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा उसकी प्रक्रिया उसमें की जाती है। दूसरा मल्टी-फैकल्टीज का भी उसमें होना चाहिए, मोनो-कैम्पस एक ही स्थान पर होगा। आई.सी.ए.आर. माडल एक्ट के अनुसार उसका परिचालन होगा, गवर्नमेंट का, आई.सी.ए.आर. का उसमें पूर्ण नियंत्रण होगा। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि अभी जो बजट घोषणा माननीय वित्त मंत्रीजी ने 2014-15 में की है, पैरा संख्या

(श्री प्रभू लाल सैनी)

76 में, उसमें किसी भी विश्वविद्यालय को सहायता देने के बारे में घोषणा हुई है, नई कोई भी सेण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान को नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान) नहीं, आपके दो हो गये, आप विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जो नार्म्स अभी आपने बताये हैं, उन नार्म्स के आधार पर, जबकि मल्टी-फैकल्टी भी, यूनिवर्सिटी आलरेडी स्थापित होनी चाहिए तो बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय या केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय की जो आज स्थिति है कि आपने जो भी कृषि विश्वविद्यालय बाद में घोषित किये, इसके पहले सारी फैकल्टीज करीब-करीब वहां विद्यमान हैं। 200 करोड़ की राशि किसी भी विश्वविद्यालय को बनाने के लिये काफी नहीं होती है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के पास में 500 एकड़ जमीन भी है और यदि कुछ कम भी है सौ-पचास एकड़, तो वहां खूब उपलब्ध है। आपका रिसर्च सेण्टर भी लूणकरणसर में है, जैतून फार्म, जहां आपने फैक्ट्री लगाई है, वहां पर भी बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपरीमेंट का फार्म है, उसके पास ही सूरतगढ़ में भी फार्म है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान यूनिवर्सिटीज में, क्या आपके ध्यान में है कि इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से डी.पी.आर. बनवाने की बात कही थी और वह डी.पी.आर. बीकानेर विश्वविद्यालय ने बनाकर आई.सी.ए.आर. को भेजी भी है। उसका मतलब भी यह है कि आई.सी.ए.आर. ने बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय को उचित समझा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय या केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय को भी आप कंसीडर फरमा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के लिये मैं भी...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने जिस प्रकार

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, और डी.पी.आर. की बात भी आपके द्वारा की गई है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन यह है कि जब राजस्थान में सैण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई प्रोविजन ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि अब इस पर बहस करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। मेरा इतना निवेदन है कि 200 करोड़ रुपये का, जो कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वह 200 करोड़ नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही राजस्थान को हैं। वहां चार विश्वविद्यालय अलग हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसके एक पैरा को पढ़कर बताऊंगा। ''It is also proposed to establish Agricultural Universities in Andhra Pradesh and Rajasthan and Horticulture Universities in Telangana and Haryana and an initial sum of Rs. 200 crores has been allotted for this purpose." माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मकसद ही सिर्फ 50 करोड़ रुपये उन विश्वविद्यालयों को देना है, एग्रीकल्चर स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्रमोट करने के लिये, उनका एक्सटेंशन करने के लिये। डी.पी.आर. बनाने की जहां तक बात है, अध्यक्ष महोदय, डी.पी.आर. तो प्रत्येक विश्वविद्यालय का हम इसलिये बना रहे हैं कि उसमें फिजिबिलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। यदि फिजिबिलिटी बनती है तो निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में कल भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी और आई.सी.ए.आर. के डिप्टी डाइरेक्टर का जो पत्र प्राप्त हुआ, उसमें उन्होंने यही कहा है कि अभी हम इसकी स्कीम बना रहे हैं, इसका प्रपोजल बना रहे हैं। राजस्थान में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र दो ही केन्द्रीय विद्यालय अभी चले हुए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में झांसी में और दूसरा तैलंगाना में है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है, निश्चित रूप से राजस्थान की एग्रीकल्चर क्लाइमेट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए विविधता में एकता को देखते हुए राजस्थान में सैंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन भारत सरकार का कल जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि नई एग्रीकल्चर सैंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल नहीं है, बाकी एग्जिस्टिंग आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ही प्रमोट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती अनिता।

श्रीमती अनीता (नगर): कृषि मंत्री से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि भरतपुर भी अपने आप में कृषि के लिए जाना जाता है कि वहां सरसों अनुसंधान केन्द्र, बीज प्रशिक्षण केन्द्र काफी हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय जो कृषि के लिए केन्द्र ने जो घोषणा की है विश्वविद्यालय की, वह अभी तो आप बता रहे हैं कि उसके एक्सटेंशन के लिए पैसा दिया है तो क्या आप हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी है उसके एक्सटेंशन के लिए पैसा आप स्वीकृत करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी यदि हम देखें तो 5 कृषि विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, यह 5 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में अभी चल रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या कृषि विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यह प्रयास होगा कि हमारे सभी कृषि विश्वविद्यालयों का एक्सटेंशन हो, उनके बारे में उनको सुविधाएं मिले, यह सरकार, पूरे राजस्थान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री बाबूसिंह। तीन पूरक प्रश्न हो गये। कृषि विभाग की मांगें हों तब रखना अपनी बात।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। क्या सरकार जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के लिए भूमि आबंटन, बजट का प्रावधान, उसको संसाधन दिलाने का विचार रखती है, कब तक, नहीं तो क्यों, स्पष्ट करें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वैसे तो आटोनोमस है और इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है, अपना एक सैटअप होता है। यदि इस प्रकार के विषय सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी, वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल। ...(व्यवधान) मुझे मालूम है। कई माननीय सदस्य कृषि के बारे में पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं लेकिन जब कृषि विभाग की मांग हो तब विस्तार पर इस पर चर्चा हो जाएगी। अभी नहीं, पूरक प्रश्न हो चुके हैं। श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

खण्डार के धार्मिक स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

143. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम चौथ का बरवाड़ा, शिवाड़ एवं भगवतगढ़ को धार्मिक स्थल घोषित कर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त विशेष सुविधाएं दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, राजस्व (**श्री अमराराम**): विधान सभा क्षेत्र खण्डार में ग्राम चौथ का बरवाड़ा में स्थित चौथमाता मंदिर के सर्वांगीण विकास हेतु सुराज संकल्प घोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज) अनुसार किया गया है। इस सम्बन्ध में विकास कार्यों के लिये कंसलटेंसी सर्वे मास्टर प्लान इत्यादि PDCOR LIMITED, JAIPUR से करवाये जाने के लिये दिनांक 3.2.2015 को MOA (MEMORANDUM OF AGREEMENT) किया गया है। मास्टर प्लान एवं बजट स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

धार्मिक स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। अत: चौथ का बरवाड़ा, शिवाड़ एवं भगवतगढ़ को धार्मिक स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। बजट उपलब्धता के आधार पर धार्मिक स्थलों का विकास करवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है और नई-नई घोषणाएं कर रही है दूसरी ओर पिछले सेशन में भी मैंने यह विषय उठाया था, उस समय भी यह आश्वासन दिया था। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तुरन्त प्रभाव से हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर जो पर्यटन की

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

दृष्टि से पूरे देश में जाना जाता है, हमारे यहां रणथम्भौर सेंक्चुअरी, ऐतिहासिक चौथमाता का मन्दिर, शिवाड़ एक ऐसा ऐतिहासिक मन्दिर है जिसको 12वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे स्थानों को सरकार डवलप करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे हमेशा जो धार्मिक स्थल हैं उनका विकास करने में हमेशा पूरा सहयोग दिया है और हाल ही में कई ऐसे मन्दिर आए हैं और उनके विकास के लिए पैसे भी दिए हैं जैसे बीकानेर में दिए हैं दूसरी जगह भी दिए हैं, इस प्रकार 20 करोड़ रुपए जो उनकी घोषणा के अनुसार दिए गए हैं, इनका मास्टर प्लान बना रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है कि इनके जो पर्यटन स्थल के इतने बढ़िया मंदिर हैं हजारों यात्री आते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी मास्टर प्लान बनाने के बाद में इनके विकास के लिए पूरी कोशिश करेंगे, यही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 करोड़ रुपए देवस्थान विभाग को मन्दिरों के रखरखाव और सुधार के लिए दिया है। कितने समय तक सरकार हमारे इस क्षेत्र के अन्दर जो ऐतिहासिक मन्दिर हैं उनको विकास की दृष्टि से पैसा उपलब्ध करवा देगी और क्या पर्यटन और सैलानियों की दृष्टि से जो सवाई माधोपुर, रणथम्भौर की दृष्टि से जाना जाता है उसमें हमारी सरकार का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। जब पर्यटन की दृष्टि से सवाईमाधोपुर के अन्दर पर्यटक आता है जंगल घूमने और भी स्थान घूमने, जैसे घड़ियाल योजना है तो हमारे यहां पर पर्यटन के लिए मन्दिरों की दृष्टि से आना प्रारम्भ होगा तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कितने समय के अन्दर, हमारे इन मन्दिरों को कोई बजट आबंटन कर दिया जाएगा।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इच्छा जाहिर की है, मैं इनके चौथ माता मन्दिर, सिवाड़, भगवतगढ़ के धार्मिक स्थल, देवस्थान विभाग के राजकीय मन्दिर नहीं

(श्री अमराराम)

है। अपितु राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत प्रन्यास है जिनका पंजीयन नम्बर निम्न है- श्री धुश्मेश्वर महादेव, सिवाड़, जिला सवाई माधोपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 3/88 दिनांक 31.8.1993, नम्बर 2, चौथमाता ट्रस्ट, चौथ का बरवाड़ा, रजिस्ट्रेशन नम्बर, 97 यह दिनांक 30.6.1997, अर्णेश्वर महादेव का शिवकुण्ड धाम, भगवतगढ़, रजिस्ट्रेशन नम्बर, 12 दिनांक 25.7.2006 है।

सुराज संकल्प घोषणा पत्र में प्रमुख मन्दिरों के विकास का निम्न संकल्प लिया गया था। मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुन्दरी, रामदेवरा, तनोट, नाथद्वारा, सांवलियाजी, पुष्कर, साहवा, बूढाजोड़, अजमेर दरगाह, श्रीनाकोड़ाजी, श्रीमहावीरजी, कैलादेवी, मेहन्दीपुर बालाजी, डिग्गी कल्याणजी, बेणेश्वर धाम तथा इन जैसे ही जो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के साथ-साथ प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं प्रदेश के तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु विशेष योजना बनाई जाएगी। इसमें सवाई माधोपुर के आपके खण्डार के उनको भी मास्टर प्लान में लिया जाएगा और धन की उपलब्धता के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका विकास कराया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह, खण्डार से सम्बन्धित ही पूछें।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्डार से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं जिस सिवाड़ के मन्दिर का धुश्मेश्वर महादेव मंदिर जो 13वां ज्योर्तिलिंग है, वहां पर अतिक्रमण भी हो रहा है उस मन्दिर पर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उस मन्दिर से अतिक्रमण भी हटे और आपने जो उस प्रन्यास को धार्मिक पर्यटन मन्दिर की श्रेणी में घोषित करने की बात की उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके साथ-साथ निवेदन और करना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के साथ में उसको जोड़ने का काम करें। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि हमारे रणथम्भौर मन्दिर पर रोप-वे के मामले में सरकार विचार करके उसका निर्माण भी करे। धार्मिक पर्यटन पूरा रणथम्भौर, सिवाड़, चौथ का बरवाड़ा और गंगापुर का जो धूंधेश्वर धाम है वह पूरा धार्मिक कोरीडोर है, जो आगे कैला देवी व श्री महावीर जी तक है।

(श्री मान सिंह)

उस मामले में मंत्री महोदय से चाहूंगा कि रोपवे और धार्मिक कोरीडोर घोषित करके विकसित करने का काम करेंगे तो धार्मिक पर्यटन के रूप में हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अतिक्रमण की चिन्ता जाहिर की है, मंदिरों पर जो हमारे पवित्र स्थान होते हैं, मंदिर हमारे पवित्र और हृदय के द्वार होते हैं। इन द्वारों पर यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल जीनगर। खण्डार से सम्बन्धित है? अर्जुनलाल जीनगर। (व्यवधान) खण्डार से सम्बन्धित है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): धर्म के मामले में मातुकुण्डिया, सांवलियाजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। श्री फूलचन्द भिण्डा। खण्डार से सम्बन्धित। दूसरा नहीं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मैं धार्मिक पर्यटन की बात कर रहा हूं। मेरा विराटनगर पौराणिक स्थान है और चार धर्मों की स्थली है।

श्री अध्यक्ष: खण्डार से सम्बन्धित नहीं है। अगला प्रश्न श्रीमती सोना देवी। (व्यवधान) सारे धार्मिक स्थलों के बारे में प्रश्न नहीं किये जा सकते। प्रश्न केवल खण्डार से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): धार्मिक पर्यटन की बात कर रहा हूं मैं। मेरे यहां चार स्थान हैं, बौद्ध स्तुम्भी हैं...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो खण्डार से ही शुरू कर रहे हैं। खण्डार से शुरू करके जो मंदिर खण्डहर हो गये उनकी चर्चा करेंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): विराटनगर में अम्बिका माता, जैन नसिया है, गणेश मंदिर...(व्यवधान) सारे के सारे स्थल वहां मौजूद हैं। वहां पर्यटन सर्किट बनाया जाय, यह मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरे धार्मिक स्थल के लिए मैं मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकता। दूसरा नहीं...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): खण्डार से शुरू करके मेरी बात निवेदन कर रहा हूं कि जो मंदिर खण्ड्हर हो गये हैं, चित्तौड़ इतना महत्वपूर्ण मंदिर है, चित्तौड़ इतना बड़ा दुर्ग है। वहां पर कितने मंदिर हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान) खण्डार के अलावा बाध्य नहीं कर सकता, तैयारी नहीं होती है।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर, खण्डार के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: खण्डार के सम्बन्ध में है।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): खण्डार में आदिनाथ भगवान का 800 वर्ष पुराना मंदिर है, वह जर्जर हालत में है उसको क्या सरकार ठीक कराने की मंशा रखती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां भी हमारे बहुत से पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं उनमें ज्यों-ज्यों धन की उपलब्धता होती है उसी अनुसार उनका रिनोवेशन कराने के लिए प्रयास करते हैं। हमने जैसे लक्ष्मीनाथ का मंदिर बीकानेर है उसके लिए एक करोड़ रुपये दिये हैं। इसी तरह से बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं इनका ध्यान रखा जाएगा और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर उन मंदिरों की मरम्मत करायी जाएगी, धन्यवाद।

प्रश्न संख्या-144

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-145

श्री घनश्याम। नहीं है।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल निवाई।

पीपलू (टोंक) को नवीन पंचायत समिति बनाने की योजना

146. श्री हीरालाल (निवाई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल)

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां कहां-कहां स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2014 से अब तक प्रदेश में कितनी नई पंचायत समितियां कहां-कहां स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू कस्बे में उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय व सीआई आफिस होने के बाद भी नई पंचायत समिति सृजित नहीं की गई है? यदि हां तो क्या सरकार पीपलू को पंचायत समिति बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) प्रदेश में वर्तमान में 295 पंचायत समितियां हैं जिनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट ''क''

(2) 1 जनवरी, 2014 से अब तक प्रदेश में 47 नई पंचायत समितियां स्वीकृत की गई हैं जिनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। परिशिष्ट ''ख''

(3) जी हां। अब राज्य सरकार की पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. एक ।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा जब यह पंचायत पुनर्गठन हुआ उससे पहले मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पीपलू उपखण्ड पर पंचायत समिति बनाने के लिए निवेदन किया। उन्होंने अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा मुझे सूचित किया और बताया कि ''मैं आपका पत्र पंचायती राज के प्रमुख शासन सचिव को परीक्षण एवं नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर रही हूं।''

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के पत्र लिखने के बाद, प्रमुख शासन सचिव को लिखने के बाद, सचिव को लिखने के बाद, पंचायत समिति के पुनर्गठन, नवसृजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कार्यवाही सिर्फ यह की गयी कि एक लैटर कलक्टर, टोंक ने लिखकर सचिव, पंचायती राज को भेज दिया कि पंचायत समिति बनाने

(श्री हीरालाल)

में 2.5 लाख की जनसंख्या है जबकि यहां 2 लाख 40 हजार की जनसंख्या थी। जो पुनर्गठन हुआ, नवसृजित पंचायत समितियां बनीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 और 22 में भी पंचायत समितियां बनी हैं। पीपलू बहुत पिछड़ा हुआ उपखण्ड है। मैंने 28 जनवरी, 2014 को एक प्रश्न लगाया, उस प्रश्न के जवाब में पंचायती राज विभाग ने जवाब दिया, मैंने पूछा था कि कब-कब बनीं, कब-कब गठन हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 28.10.2009 को अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित 10 पंचायत समितियां बनीं, खाजूवाला, दूली, बावड़ी, रावतसर, पीलीबंगा, चितलाना, ऋषभदेव, घड़साना, संगरिया और टिब्बी। इसमें ऋषभदेव हाई कोर्ट में प्रकरण होने के कारण अस्तित्व में नहीं आयी जब कि शेष रही 9 पंचायत समितियां अस्तित्व में आ गयी और वहां कार्यालय स्थापित हो गये।

श्री अध्यक्ष: पीपलू के बारे में पूछिए आप।

श्री हीरालाल (निवाई): पीपलू का ही पूछ रहा हूं। जब 2009 में इस प्रकार का गठन पिछली सरकार में हो गया तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का खुद का विचार था कि पीपलू उपखण्ड पिछड़ा क्षेत्र है, पंचायत समिति बननी चाहिए, उसके बाद माननीय मंत्री महोदय इस तरह की घोषणा नहीं कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि इस स्तर पर जिला प्रशासन के किस अधिकारी ने इसमें लापरवाही बरती, कोताही बरती, उसके लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पीपलू उपखण्ड से टोंक 50 किलोमीटर है और जब बनास आती है तो गहलोद आता है वहां पानी भर जाता है और आना-जाना बंद हो जाता है। अगर पीपलू पंचायत समिति बनाते हैं तो 20-25 किलोमीटर के एरिया में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मांग कीजिए आप।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 20-25 किलोमीटर के एरिया में पंचायत समिति बन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा पीपलू में उपखण्ड अधिकारी, सीआई, तहसील, सीएचसी, एईएन पीएचईडी, एईएन-आरएसईबी, भूमि विकास बैंक, उप कोष कार्यालय स्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीपलू में अब नई पंचायत समिति बनाने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): 2009 में बिना पुनर्गठन...(व्यवधान) मैं तो यह कहूंगा बनाओगे या नहीं? जिन्होंने लापरवाही बरती उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे, वह बताएं।

एक माननीय सदस्य: बना दो।

श्री अध्यक्ष: यों कैसे बना देंगे अब?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने जो 22 साल से अटका हुआ काम था वह काम मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 723 पंचायतों का पुनर्गठन किया और 47 पंचायत समितियों का नया सृजन किया। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पीपलू पंचायत समिति के बारे में कहा, इन्होंने लैटर के बारे में कहा। मैं स्पष्ट इनको बताना चाहता हूं कि नई पंचायत समिति के गठन के लिए नियमों में यह प्रावधान है कि 2.5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या तथा 50 या उससे अधिक ग्राम पंचायत होने की स्थिति में ही वर्तमान पंचायत समिति का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति बनाये जाने का मानदण्ड है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मैंने लैटर लिखे, मुख्य मंत्री जी ने लैटर लिखे, मुख्य मंत्रीजी के पास लैटर गया, मुख्य मंत्रीजी ने लिखा कि नियमानुसार कार्यवाही करें। इन्होंने जो लैटर लिखा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने पंचायती राज विभाग द्वारा इस पत्र एवं प्रस्ताव को जिला कलक्टर, टोंक को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु 8.8.2014 को भिजवाया गया जो इनका लैटर आया था। कलक्टर, टोंक द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.8.2014 द्वारा इस प्रस्ताव पर उप खण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा परीक्षण कर निष्कर्ष सहित रिपोर्ट दिये जाने के निर्देश दिये गये। उसके बाद उप खण्ड अधिकारी, टोंक ने अपने पत्र दिनांक 11.9.2014 द्वारा जिला कलक्टर, टोंक को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पंचायत समिति, टोंक की जनसंख्या ढाई लाख से कम होने के कारण मानदण्ड में नहीं होने के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कारण नवीन पंचायत समिति बनाया जाना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, यह बहुत सीरियस बात है कि दिनांक 14.9.2014 को जिला कलक्टर, टोंक की अध्यक्षता में जिले के समस्त माननीय विधायक और समस्त जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान उप खण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पीपलू पंचायत समिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को विचारार्थ रखा गया था। विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उप खण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि जनसंख्या के मानदण्ड में नहीं होने की वजह से नई पंचायत समिति पीपलू का गठन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार से माननीय विधायक महोदय, निवाई से प्राप्त प्रस्ताव पर विधिवत परीक्षण किया जाकर स्वयं विधायक महोदय की उपस्थिति में इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब रहा सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। कृपया आप बैठिये। (व्यवधान) यह बीच में बोलने की आदत ठीक नहीं है, बैठिये आप। मिस्टर मनोज, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारी भी समस्या है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समस्या है तो मैं बैठ जाऊं उसके बाद बोलना आप। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपलू के गठन के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा तो मैं इनसे निवेदन करूं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 115 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के पश्चात् राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के स्थानों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर अवधारित किये जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम की धारा 101 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इस हेतु प्राप्त निवेदन के आधार पर किसी पंचायत अथवा पंचायत समिति का गठन/सृजन कर सकती है तथा पुरानी संस्था को विघटित किया जाता है। किन्तु इस प्रकार से पुनर्गठित एवं नवसृजित दोनों ही संस्थाओं के चुनाव छह माह की अवधि में कराये जाने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आवश्यक होते हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 5.11.2014 को अधिसूचना के जरिये पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और नवसृजन किया जा चुका है तथा इस प्रकार से पुनर्गठित और नवसृजित संस्थाओं के चुनाव भी सम्पन्न कराये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह व्यावहारिक और विधिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है कि जिस संस्था के चुनाव सम्पन्न हुए एक-दो माह ही हुए हैं उसके संविधान द्वारा निश्चित पांच वर्ष के कार्यकाल से पूर्व ही उसे भंग कर पुन: चुनाव करवाया जावे अत: अब किसी पंचायत समिति को पुनर्गठित कर नवीन पंचायत समिति बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब पर्याप्त आ गया है। (व्यवधान) बैठिये। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): पंचायती राज सचिव का लैटर बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: देखिये, यह अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। उचित नहीं कर रहे हैं आप। (व्यवधान) यह आदत ठीक नहीं है, बैठ जाइये। विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): पंचायती राज सचिव ने 11.7.2014 के पत्र में लिखा है, उन्होंने तीस के बजाय कम पंचायत होने के बावजूद भी पंचायत समिति का गठन होना चाहिए। चौथ का बरवाड़ा में 22 पंचायत होने के बाद भी किया है। मेरा पीपलू उपखण्ड जो पिछड़ा हुआ है उसके साथ जिला प्रशासन और वहां के अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। टोंक का एसडीओ कौन होता है जो पीपलू के लिए कोई बात करे? अगर पूछना था तो कलक्टर या किसी पीपलू उप खण्ड अधिकारी से पूछना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। हो गया, यह भाषण देने का स्थान नहीं है। सब दे दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कब बनायेंगे?

श्री अध्यक्ष: आ गया, पर्याप्त जवाब आ गया, अब नहीं होगा, अगले चुनाव के पहले नहीं होगा। विराजिये आप। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पंचायत समिति का 15 दिन कार्यालय टोंक में और 15 दिन कार्यालय पीपलू में रखें। इस बात में क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय निवाई विधायक, विराजिये।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति टोंक का कार्यालय 15 दिन पीपलू में और 15 दिन टोंक में रखा जाए। दोनों में 25-25 पंचायतें हैं।

श्री अध्यक्ष: यह सब बोलने से अब क्या लाभ होगा? नहीं, अब विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): टोंक में लाने के बाद उपेक्षित है। पीपलू उप खण्ड का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मेरा निवेदन है कि 15 दिन कार्यालय आप पीपलू में रखें और 15 दिन टोंक में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। जवाब देंगे आप? जवाब दे चुके हैं। पर्याप्त जवाब दे चुके। (व्यवधान) मिस्टर, मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं आपका नाम पुकारूंगा। (व्यवधान) बार-बार खड़े होने की आदत छोड़िये आप। बैठिये आप, डिस्टर्ब मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पीपलू पंचायत समिति के सम्बन्ध में विस्तार से माननीय सदस्य को जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां सब तरह की व्यवस्था है, आफिस है, सारे संसाधन मौजूद हैं तो 15 दिन पीपलू में कार्यालय रखने में माननीय मंत्री महोदय को क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन पीपलू में पंचायत समिति का कार्यालय रखा जाए। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात की अभी घोषणा करें, 15 दिन वहां रखें। आप चुनाव नहीं करा सकते, बहुत अच्छी बात है पर 15 दिन कार्यालय पीपलू में तो आप रख सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। यह नहीं हो सकता। (व्यवधान) वह जवाब दे चुके हैं। आप बैठिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

हीरालालजी, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं हो और जवाब देने की जरूरत नहीं है। माननीय नवनीत लालजी। जवाब देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी। आप बैठिये न, बार-बार खड़े हो जाते हैं। क्या स्प्रिंग लग रही है? मनोज का एक भी शब्द नोट नहीं हो। मनोज जब भी बोले, एक शब्द भी अंकित नहीं हो। बैठिये आप। (व्यवधान) यह व्यवहार आप ठीक नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात के लिए कि उन्होंने पंचायत पुनर्गठन करने के लिए सरकार बनने के तुरन्त बाद जो काम 1981 की जनगणना के आधार पर भैरोंसिंहजी के टाइम पर हुआ उसके बाद हमने 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया। उन्होंने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर उसके नियम तय किये थे कि पंचायत पुनर्गठन किस तरह से हो सकता है, कितनी आबादी होगी, कितना क्या होगा। जो पिछड़े जिले हैं, जो रेगिस्तानी जिले हैं उनको छूट दी है। उस नार्म्स में रहते हुए, जन सुनवाई करते हुए, एक बार नहीं 3-3 बार जिसने भी जो भी आब्जक्शन दिया उसको कमेटी ने सुना, उन सारे कागजों को देखा.... (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): आपने जो रूल्स बनाये उनको ही फालो नहीं किया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): देखो, केवल बोलने के लिए बोलना हो तो मैं आपको गारण्टी दे रहा हूं कि एक भी काम ऐसा नहीं है जो नियम को तोड़कर किया है, नियमों की पालना करते हुए किया है। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): 52 पंचायतें हैं मेरे यहां पर। आपने स्वयं ने नियम बनाये थे कि 50 से ज्यादा पंचायतें हैं.... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अरे, कितना ही चिल्लाओ यार तुम, और किसी से बात करना.... (व्यवधान) यह-यह कुछ नहीं होता है। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जान-बूझकर मेरी पंचायत समिति का पुनर्गठन रोका है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह कमेटी के द्वारा हुआ है, कमेटी ने जो नार्म्स तय किये हैं, कमेटी ने उन सब को सुना है, कलक्टर ने सुना है। (व्यवधान)

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): नार्म्स पर ही बोल रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 30 दिन का समय कलक्टर को दिया है और तीस दिन कलक्टर के पास सुनवाई हुई है, आपके हर आब्जक्शन का कलक्टर के लेवल पर 30 दिन का समय सुनवाई के लिए दिया।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया है कि नई पंचायत समितियां नहीं बनेंगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके बाद सम्भागीय आयुक्त के यहां सुनवाई हुई, उसके बाद हमारी सब-कमेटी ने सुनवाई की और उसके बाद जाकर हमने तीन-तीन स्टेज पर सुनवाई के बाद निर्णय किया है, कोई एक जगह बैठकर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: जवाब पर्याप्त आ गया है। माननीय सदस्य, विराजिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): इन्होंने जो कायदे-कानून बनाये हैं उनमें 50 से ज्यादा जिनकी पंचायतें हैं वहां पर पुनर्गठन होना था। मेरे 52 पंचायतें हैं परन्तु इन्होंने जान-बूझकर रोका है मेरा पुनर्गठन।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): पंचायती राज मंत्री जवाब दें न, गृह मंत्री क्यों जवाब दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें। न्यांगली जो कुछ भी बोले उसको अंकित मत करना। इनकी तो आदत पड़ गई है माननीय विधायक की। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी सात पंचायत समितियां हैं जैसे घाटोल में 53 हैं, दूदू में 56 हैं, हिण्डौन में 51 हैं, टोंक में 50 हैं, भिण्डर में 52 हैं, राजगढ़ में 55 हैं, बाड़मेर में 50 हैं। इन सब में नार्म्स के आधार पर जनसंख्या का अनुपात नहीं बैठ रहा था इस कारण से ये पंचायत समितियां नहीं बनीं।

श्री अध्यक्ष: लो नवनीत लालजी जवाब आ गया ना। पूरक प्रश्न श्री नवनीत लालजी। श्री नवनीत लालजी। (व्यवधान)

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मेरा आग्रह है कि जिला बांसवाड़ा में 11 पंचायत समितियां हैं और घाटोल पंचायत समिति में 56 ग्राम पंचायतें हैं और माननीय जिला कलक्टर साहब और एसडीएम साहब ने गनोड़ा को नई पंचायत समिति के नव सृजन की योजना, 25 पंचायतों की संख्या को जोड़-तोड़कर पूरी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और फिर भी इसकी घोषणा रोक दी गई है, इसका क्या कारण है और क्या अब पंचायती राज मंत्री उसको देखकर उसकी घोषणा करने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चूंकि माननीय सदस्य ने कहा है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इस कारण से ये पंचायत समितियां नहीं बनीं।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, रिपोर्ट आ गई है। माननीय कलक्टर साहब के द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई और उसकी प्रतियां सभी आफिसेज में हैं और फिर भी क्या कारण है कि नई पंचायत समिति को रोका गया है?

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया, गृह मंत्री महोदय और माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में, बाड़मेर के बाद डूंगरपुर जिले में सबसे ज्यादा पंचायत समिति बनाई हैं, उसके लिए तो डूंगरपुर जिले की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब आपका आगे क्या है? आगे क्या है?

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आपने ग्राम पंचायतें भी हमारे जिले में खूब बनाईं पर कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो एक मात्र राजस्व गांव है, जिसकी आबादी 10-10 हजार के आसपास है तो अभी तो आप नहीं बनायेंगे पर भविष्य में या चुनाव से पहले कुछ ऐसा आश्वासन दें कि उन बड़े राजस्व गांव, 10-10, 12-12 हजार की आबादी की जो पंचायतें हैं, वहां पर टीएसपी क्षेत्र में जहां 3,500 की आबादी की छूट दे रखी थी, उसके आधार पर दो-दो, तीन-तीन पंचायतें और बढ़ सकती हैं। वहां पहाड़ी क्षेत्र है, बिखरी हुई आबादी है, इसलिए वहां पर...

श्री अध्यक्ष: अगले चुनाव के पहले आ जायेगा यह सारा प्रपोजल आपका। वह सुन लिया। मंत्रीजी ने सुन लिया। मंत्रीजी जवाब दे दो। (व्यवधान) अगले चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): मंत्रीजी से आश्वासन थोड़ा सा... पूरे राजस्थान में हो सकता है। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री न्यांगली का एक शब्द भी रिकार्ड नहीं हो। श्री न्यांगली का एक शब्द भी अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने सबसे पहले यह निवेदन आप लोगों से किया था कि 22 साल बाद में यह पंचायतों के पुनर्गठन का काम हाथ में लेकर त्वरित गति से इसको निपटाया गया है, 723 नई पंचायतें बनाई हैं और 47 पंचायत समितियां बनाई हैं तो धन्यवाद देने की बात तो अलग है। वह दिया ही नहीं है और उलटा यह कह रहे हैं कि हमारे यहां नहीं बनी। तो नहीं बनने के पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण एक है कि पहले इन लोगों को कलक्टर के सामने एप्लीकेशन देनी चाहिये, कलक्टर उसको एसडीएम के थ्रू एग्जामिन करवाता और एग्जामिन करवाकर उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होता। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होकर बाद में कमिशनर के पास जाती, कमिशनर से फिर मंत्रिमण्डल उपसमिति में आती और मंत्रिमण्डल समिति में बहुत पारदर्शिता से इन पंचायतों का और पंचायत समितियों का गठन किया है।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मुख्य मंत्रीजी से बड़ा नहीं होता। हमने तो मुख्य मंत्रीजी को दिया है। (व्यवधान) हमने मुख्य मंत्रीजी को दिया है, उसका नहीं हुआ। कलक्टर तो बहुत छोटी चीज है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है और किसी प्रकार का कोई रागद्वेष नहीं है, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अब चूंकि नया सैन्सस आयेगा 2020 में, जब नया सैन्सस 2020 में आयेगा, उसके बाद में और नई पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में और विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मुख्य मंत्रीजी के सामने

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

प्रस्तुत कर दी गई है। उस पंचायत समिति को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। (व्यवधान) माननीय पंचायती राज मंत्रीजी उसका स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं करें किसी का। किसी का अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री नवनीत लाल (घाटोल): ×××

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। नहीं, अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अब आप बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो किसी का। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, आप बैठिये। यह जनरल डिबेट नहीं अलाउ नहीं कर सकता।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं जनरल डिबेट अलाउ नहीं कर सकता। मैं जनरल डिबेट अलाउ नहीं कर सकता। आप बैठिये। अगला सवाल। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, आप मिल लीजिये। मंत्रीजी से मिल लीजिये, बैठिये। बैठिये। मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं। नवनीत लालजी, आपको निवेदन कर रहा हूं। श्री नारायण सिंह देवल।

जालौर जिले में नर्मदा से पीने के पानी के ई.आर./डी.आर. प्रोजेक्ट

147. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा जालौर जिले में नर्मदा के पीने के पानी के ई.आर./डी.आर. प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो कब एवं कार्य आदेश किस फर्म को दिया गया है? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) क्या उक्त कार्य आदेश में कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा तय की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी हां। जालौर जिले में नर्मदा शहर आधारित ई.आर./डी.आर. वृहत् पेयजल परियोजनाओं की जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ई.आर. परियोजना:- जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की ई.आर. आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2013 में राशि रुपये 455.16 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के निष्पादन, संचालन एवं संधारण हेतु मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड, गुड़गांव को राशि रुपये 372.20 करोड़ का कार्यादेश मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 24.9.2013 को जारी किया गया। स्वीकृति एवं कार्यादेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

2. डी.आर. परियोजना:-

(अ) जालौर जिले के सांचौर शहर एवं 138 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की डी.आर. आधारभूत परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अगस्त, 2012 में राशि रुपये 218.34 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के निष्पादन, संचालन एवं संधारण हेतु मैसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, हैदराबाद को राशि रुपये 135.85 करोड़ का कार्यादेश मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 8.2.2013 को जारी किया गया। स्वीकृति एवं कार्यादेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 3 व 4 पर संलग्न है।

(ब) जालौर जिले के 138 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु डी.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2013 में राशि रुपये 263.50 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के निष्पादन, संचालन एवं संधारण हेतु मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल. लिमिटेड, हैदराबाद को राशि रुपये 255.00 करोड़ का कार्यादेश मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 1.10.2013 को जारी किया गया। स्वीकृति एवं कार्यादेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 5 व 6 पर संलग्न है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(2) जी हां। उक्त कार्यादेशों में ई.आर. आधारभूत परियोजना हेतु समय सीमा 36 माह, डी.आर. आधारभूत परियोजना हेतु 24 माह एवं डी.आर. क्लस्टर परियोजना हेतु 30 माह तय की गई है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 2, 4 एवं 6 में निहित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डी.आर. प्रोजेक्ट पहाड़पुरा हैडवर्क्स पर बन रहे पम्पहाउस, स्टोरेज, फिल्टर हाउस के सिविल कार्य चल रहे हैं। चल रहे कार्यो की गुणवत्ता के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता और थर्ड पार्टी के द्वारा कार्य का इंस्पैक्शन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य पर सवालिया निशान है।

दूसरा, देवनारायण छात्रावास चाड़पुरा, जसवंतपुरा के चारदीवारी एवं सड़क के मध्य में पाइप लाइन डाली गई है। इस सड़क और चारदीवारी के बीच में जो मेन पाइप लाइन है, वह 20 फीट पर डाली गई है। यह सड़क रानीवाड़ा व जसवंतपुरा मुख्यालय को जोड़ने वाली मेन सड़क है जिसके भविष्य में सड़क विस्तार को देखते हुए उक्त पाइप लाइन को हटाया जाकर अन्य स्थान पर बिछाये जाने की मंशा रखते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य द्वारा जो कहा गया है कि रानीवाड़ा के वहां पर सड़क पर पाइप लाइन डाली जा रही है, उसके सन्दर्भ में यह बता दूं कि जो हमें मेन पाइंट से जो 25 फीट दोनों तरफ छोड़कर उसके बाद ही पाइप लाइन डालनी है, वही डाली जा रही है।

उसके अलावा इनका कहना है कि कुछ और भी लाइन को आगे रोड के किनारे तक लिया जाये तो उसके लिए वहां स्कूल है और शायद इनको मौके पर ही हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिखाया गया है और स्कूल और पाइप लाइन के बीच में टेलीकाम डिपार्टमेंट ने उसके अन्दर और लाइन डाल दी है, जिसकी वजह से लाइन को और शिफ्ट नहीं कर सकते। जितना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मैक्सिमम हम रोड के किनारे तक लाइन को शिफ्ट कर सकते हैं, वह शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं और मैक्सीमम उस पर कर रहे हैं।

जहां तक सवाल है क्वालिटी के सन्दर्भ में, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, क्वालिटी के ऊपर विशेष रूप से हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तरीके से क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं स्वयं भी वहां जाकर मौके पर देखकर आई हूं। माननीय सदस्य के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग की है, डिपार्टमेंट की मीटिंग वहां पर हुई है और उसके बाद में कार्य काफी प्रगति पर चला है। उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगी कि डी.आर. के सन्दर्भ में जो आपने कहा है, इस पूरी योजना को, कार्यादेश को पूर्ण करने की तिथि उसकी है, वह 18.2.2015 को थी। क्योंकि इसको कार्यादेश दिया था 8.2.2013 को और इसे पूरा करना था 8.2.2015 को, इसमें एक वर्ष का डिले जरूर हुआ है। लेकिन अब सम्भावित तिथि जो हमने ली है वह सम्भावित तिथि है 31.3.2016 और हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं, इसको 2016 में पूरा कम्प्लीट कर लेंगे और पूरी तरीके से इस कार्य के अन्दर सुपरवाइज हम लोग कर रहे हैं और पूरी इसमें हम आशा रखते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट जालौर के चल रहे हैं चाहे वह डी.आर. के हो, एफ.आर. के हो, ई.आर. के हों ये सारे प्रोजेक्ट के अन्दर बहुत गति हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा इस पाइप लाइन का निरीक्षण कराया गया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, डी.आर. क्लस्टर परियोजना का कार्य आई.वी.आर.सी.एल. लिमिटेड को दिया गया है। क्या इस कम्पनी द्वारा प्रोजेक्ट का काम सबलैट किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत सब-लैट किया है। सब-लैट किए गए कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहेगी या नहीं और डी.आर. प्रोजेक्ट के अन्दर कुछ गांव इसमें वंचित हो रहे हैं तो मंत्री महोदय उन गांवों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि आपने कहा और माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की कि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्या यह सब-लैट किया है क्या? सब-लैट हमारी जानकारी में नहीं है कि आई.वी.आर.सी.एल. ने कोई कार्य को सब-लैट किया है। अगर इनकी जानकारी में है तो निश्चित रूप से हमें बताये ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें। दूसरा, जैसा इन्होंने पूछा कि डी.आर. प्रोजेक्ट में कुछ गांव वंचित रह गए हैं। उन गांवों की सूची हैं हमारे पास में, खाखरिया ग्राम पंचायत धामसिंह का है, अमरापुर ग्राम पंचायत डूंगरी और रामपुरा ग्राम पंचायत डूंगरी का है। वडलू जो है वह ग्राम पंचायत जोडवास का है। आमपुरा है यह ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां का है, देवपुरा यह ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां का है। कोट की ढाणी यह ग्राम पंचायत रानीवाड़ा कलां का है और गोलुआ मनोहरजी का बास यह ग्राम पंचायत राजकीवास का है। ये ऐसे आठ गांव हैं जो वंचित रहे हैं। उन आठ गांवों में से पांच गांव जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, मात्र तीन गांव जो अमरापुरा, आमपुरा और गोलुआ मनोहरजी का वास ये तीन गांव हैं, जो ढाणियां हैं ये और ये जुडी हुई नहीं हैं। इसके लिए भी हम अगली योजना लेकर इनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री हमीरसिंह भायल। यह जालौर के बारे में है। जालौर के बारे में है?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): नर्मदा से है अध्यक्ष महोदय। नर्मदा नहर से पीने का पानी मेरी विधान सभा के 13 गांव आते हैं। इसमें काफी समय हो गया है इसमें अगर पाइप का टेण्डर हुआ है तो पीने का पानी कब तक पहुंचेगा? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि नर्मदा का विस्तार करके विधान सभा क्षेत्र सिवाना के किसानों को खेती के लिए पानी देने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं है तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, हम तो चाहते हैं कि नर्मदा का पानी जो है यह भी देन है माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी की, जिन्होंने नर्मदा का पानी राजस्थान के अन्दर यहां पर पहुंचाया और जिससे काफी हम सब यह योजनाएं बनाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन पूर्ववर्ती जो सरकार रही उसमें पांच साल तक ये सारी योजनाएं ठण्डे बस्ते में रहीं और जिसकी वजह से यह सारी योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। अब जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या हम लोग सिवाना के लिए

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पेयजल, इसमें आलरेडी स्कीम्स बनी हुई हैं, कुछ स्कीम्स सर्वे में चल रही हैं तो जिस तरीके से उपलब्धता होगी नर्मदा के पानी की जितना हम लोग उपलब्ध करवा सकेंगे। सिंचाई विभाग के माननीय मंत्रीजी से भी हमने कल मीटिंग की है और उनसे भी हम लोगों ने गुजारिश की है। लेकिन जल की उपलब्धता पर ही हम लोगों की योजनाएं निर्भर होती हैं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष जी, 13 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के इस पीने के पानी की स्कीम हैं नर्मदा में।

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं लेंगे।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): वह निवेदन कर रहा हूं कि वे पीने के लिए पानी कब तक पाइप लग जाएंगे? टेण्डर हुए हैं या नहीं और यह कब तक पहुंचेगा? नर्मदा से 13 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के जुड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा से सम्बन्धित मामला है। नर्मदा की योजना बनी और दो योजनाएं बनकर के चौहटन विधान सभा क्षेत्र में पानी के लिए हुईं। जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति सब कुछ होने के बाद भी अभी हमें ऐसा पता लगा है कि विभाग ने उस योजना को बंद कर दिया है। जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हमारा विधान सभा क्षेत्र पूर्णत: जिसमें 20-25 तो ऐसी पंचायतें हैं जिनमें बिलकुल खारा पानी है, पीने के योग्य भी नहीं है और वहां बाकी जो गांव है वो फ्लोराइडयुक्त हैं। वहां पर लोग कई तरह की बीमारियों की जकड़ से परेशान हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो योजना स्वीकृत हुई थी जिसकी वित्तीय स्वीकृति के बाद में उसको बंद कर दिया गया। दूसरी, जो शिव विधान सभा क्षेत्र में जा रही है, हमारे सीने पर लाइन बिछकर के वह आगे जा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): वह वहां हो रही है लेकिन यह नर्मदा नहर, नर्मदा अपने आप में मशहूर है कि नर्मदा, हम नर और मादा इस पानी के लिए परेशान हैं। इसलिए हम इस नर्मदा के लिए यह कहेंगे कि नहर का पानी देखने के लिए हमारी आंखों का पानी भी सूख गया है। इसलिए हम कहते हैं हमारे क्षेत्र में नर्मदा के पानी की जिस तरह से योजना स्वीकृत हुई

(श्री तरूण राय कागा)

थी उसको पुनर्जीवित करके उसी नर्मदा नहर से मेरे क्षेत्र को पानी दें। हमारे को पंचायत चुनाव में भी इससे बहुत परेशानी हुई और मेरे को क्षेत्र में जाने का भी मौका नहीं मिलेगा, लोग मेरा कुर्ता फाड़ देंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, मैं पिछली बार भी 13 तारीख को सम्भागीय मीटिंग में यह बात कह चुका हूं। नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए बाद में देखा जाएगा, पहले पीने का पानी हमें चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए माननीय सदस्य। अगर आपके पास जवाब है तो दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वह वास्तव में बहुत ही दर्दनाक है। उनकी पीड़ा उनकी जगह पर बहुत सही है कि वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें पब्लिक को बहुत फेस करना पड़ता है। उनके लिए हमने योजना बनाई है यह बात सही है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही हम उस योजना को स्वीकृत कर पाएंगे। लेकिन मैं भी चाहती हूं कि वह योजना बहुत अच्छी है और बननी चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए निश्चित रूप से हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये योजनाएं बनती हैं पानी की पूरे राजस्थान की बात कर रही हूं मैं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, राजस्थान की नहीं, केवल जालौर से सम्बन्धित है तो बतायें।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे कौन से एस आर हैं जो दूसरे आर्मी एरिया में आये हुए हैं उनके आब्जेक्शन की वजह से एस.आर. अटकी हुई हैं और इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं जो ऐसी जगह चिन्हित करते हैं। वहां पर एस.आर. नहीं बन पाती है तो दूसरी एस.आर. स्वीकृत करने की मंशा सरकार रखती है क्या? गांव वालों को ऐसी सज़ा मिलती है कि वो एस.आर. अधूरी पड़ी रहती हैं वह कैसे पूरी होगी? मंत्रीजी बतायें कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जाजिवाल कलां में जो एस.आर. है आर्मी एरिया के आब्जेक्शन की वजह से अधूरी पड़ी

(श्रीमती कमसा)

हैं और बीस गांव वहां पानी पी नहीं पा रहे हैं इसलिए आप यह बतायें कि वह कैसे और कब पूरी होगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): भोपालगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही है वह वास्तव में सही है कि आर्मी एरिया के तहत उनकी स्वीकृति हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। हम लोग उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं और अगर इस स्थिति के अन्दर नहीं हुआ तो हमें आल्टरनेट जगह जो चाहिए वह भी माननीय सदस्य की मदद से ही हम लोग कोई दूसरी जगह को उपलब्ध कराएंगे। हमारी मंशा है पानी पिलाने की लेकिन जब तक एस.आर. नहीं बनेगी तो वह पानी आपको कैसे मिलेगा और वहां पर जो आब्जेक्शन आए हैं, आप स्वयं भी जानते हैं कि किस तरीके से कलक्टर्स को और सभी को इसमें इनवाल्व किया है। हम लोग उसके लिए बराबर से प्रयासरत हैं कि आर्मी एरिया से वह परमिशन मिल जाए और जब वह परमिशन मिल जाएगी तो ठीक है। अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो अन्य स्थान पर भी हम उसे बनाकर उस योजना को कम्प्लीट करेंगे।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): दो महीने का टाइम दे दीजिए। दो महीने की घोषणा कर दो कि दूसरी एस आर बना देंगे। अगर दस साल से अनुमति नहीं मिलेगी तो हम कितने टाइम तक इंतजार करेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने आपसे कहा कि आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक बार और प्रयास कर लेंगे अगर नहीं हुआ तो दूसरे स्थान पर कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अगला प्रश्न श्री ललित कुमार। एक मिनट में जवाब आ जाएगा।

बारां जिले में ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने की योजना

148. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, शाहबाद जिला बारां को ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक कितने जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने के लिए कितनी-कितनी राशि बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समितियों हेतु आबंटित की गई? आबंटित

(श्री ललिता कुमार)

राशि का किस-किस वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्राप्त हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत पांच वर्षों में किस-किस पंचायत समितियों से ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए व स्वीकृत आवेदकों के कुएं गहरे कराने के लिए किस कार्यकारी एजेंसी को कार्य सौंपा गया? सौंपे गए ब्लास्टिंग के कार्य को कितनी अवधि में पूरा करना था और कितने कुएं आज भी ऐसे हैं जिसमें स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषकों को ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने की स्वीकृति पश्चात् भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है? यदि हां, तो उक्त वर्षों में पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद के किन-किन कृषकों को ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने की स्वीकृति जारी की गई तथा किस-किस कृषक का लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हो सका? अपूर्ण कार्य के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(12.00 बजे)

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी सहरिया विकास शाहबाद जिला बारां को ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने के लिए 12.00 लाख रुपये की राशि सहरिया परियोजना क्षेत्र (शाहबाद एवं किशनगंज तहसील) के लिए आबंटित की गई। आबंटित राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। आबंटित राशि रुपये 12.00 लाख के विरुद्ध राशि 6.88 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त हो चुके हैं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) बारां जिले (सहरिया परियोजना क्षेत्र) में गत पांच वर्षों में सहरिया कृषकों से सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किये जाकर कृषि विभाग के माध्यम से ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराने हेतु पंचायत समिति शाहबाद के 254 सहरिया कृषकों की सूची प्राप्त हुई। कृषि विभाग से प्राप्त सूची अनुसार सभी 254 सहरिया कृषकों के कुएं गहरे कराने हेतु अतिरिक्त कलक्टर एवं

(श्री नन्दलाल मीणा)

परियोजना अधिकारी सहरिया विकास शाहबाद जिला बारां द्वारा दिनांक 7.4.2011 को स्वीकृति जारी की गई।

सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

स्वीकृत किये गये कुएं गहरे कराने के लिए कार्यकारी एजेन्सी भू-जल विभाग कोटा को कार्य सौंपा गया, सौंपे गये ब्लास्टिंग के कार्य को सहरिया कृषकों द्वारा कुएं का पानी/मलबा खाली करने पर किये जाने से अवधि नियत नहीं की जाकर ब्लास्टिंग का कार्य जितनी जल्दी हो सके पूर्ण करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी को निर्देशित किया गया।

ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे कराने हेतु स्वीकृत 254 कुएं में से 35 सहरिया कृषकों के कुओं में आवश्यकतानुसार ब्लास्टिंग का कार्य किया गया है।

पंचायत समिति शाहबाद की सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

शेष 219 सम्बन्धित सहरिया कृषकों द्वारा समय पर ब्लास्टिंग हेतु कुओं से पानी/मलबा खाली नहीं करने से स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है।

(3) हां। यह सही है कि कृषकों को ब्लास्टिंग से कुएं गहरे कराने की स्वीकृति पश्चात् भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है उक्त वर्षों में पंचायत समिति शाहबाद के 254 सहरिया कृषकों के कुएं गहरे कराने की स्वीकृति जारी की गई। (सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।) इनमें से 219 कृषकों के कुओं में कृषकों द्वारा पानी/मलबा खाली नहीं करने से कूप ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया गया है। जिन 35 कृषकों के कुओं पर कूप ब्लास्टिंग का कार्य किया गया है उनमें से 14 कृषकों के कुओं पर ही निर्धारित (अधिकतम 144 छिद्र) ब्लास्टिंग कार्य किया गया है। शेष में पानी/मलबा खाली नहीं करने अथवा आवश्यकता नहीं होने से निर्धारित अधिकतम 144 छिद्रों से कम कार्य किया है, 35 कृषकों के कुओं पर हुए कूप ब्लास्टिंग कार्य की सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। और बाकी रह गया क्या? मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह सहरियाओं से सम्बन्धित है सवाल आपका। पूरा जवाब दे दिया कि नहीं?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): दे दिया।

श्री अध्यक्ष: बस तो। प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री हुकम सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

हुकम सिंह, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा

हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री हुकम सिंह का जन्म 28 फरवरी, 1926 को हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ। आपने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। श्री हुकम सिंह वर्ष 1977, 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप जुलाई, 1990 से मार्च, 1991 तक हरियाणा के मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे। गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री सिंह हरियाणा सरकार में कृषि, शिक्षा, विकास एवं पंचायत, आबकारी एवं कराधान विभागों के मंत्री रहे। श्री हुकम सिंह हरियाणा के उप मुख्य मंत्री भी रहे। श्रमिक संघों से जुड़े रहे श्री सिंह राज्य में कृषि के विकास के लिए समर्पित रहे।

श्री हुकम सिंह का दिनांक 26 फरवरी, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री हुकम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव तो आज कोई आया नहीं क्योंकि जो उत्साहपूर्वक स्थगन प्रस्ताव के जरिये राजस्थान की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए हैं, वे आज बाहर हैं इसलिए प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के कृषि ट्यूबवैलों एवं ढाणियों के विद्युत कनेक्शनों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में राजस्थान आवासन मण्डल की घरोन्दा योजना के अन्तर्गत बने मकानों का आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) डा. मंजू बाघमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर के राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी के सभी रिक्त पदों को भरे जाने एवं महाविद्यालय भवन का भूमि विवाद निपटाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शत्रुघ्न गौतम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में।

(6) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग के न्यू मेडिकल कालेज एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(7) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ वासियों को सीवरेज योजना का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के लिए स्वीकृत 33/11 के.वी.एस. ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में कृषि कनेक्शनों का चार्ज मीटर रीडिंग से न लेकर फ्लेट रेट से लिये जाने से किसानों पर पड़ रहे भार के सम्बन्ध में।

(10) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से अलवर ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से बड़ी सादड़ी मुख्यालय में कैम्प कोर्ट के स्थान पर ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से जिला बारां में वर्षा एवं ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का सर्वे करवा कर मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 36 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नलिखित हैं:-

(1) श्री सुशील कटारा- जिला बांसवाड़ा के आनन्दपुर स्थित मानगढ़धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री खेमाराम- विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पेयजल का भीषण संकट होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित- विधान सभा क्षेत्र आहोर के जवाई नहर से सिंचित 22 गांवों को सुमेरपुर कृषि मंडी से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती अंजु देवी धानका- विधान सभा क्षेत्र बस्सी के वन क्षेत्र में पेड़ों की हो रही अवैध कटाई के सम्बन्ध में।

माननीय श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवदेन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप राजेन्द्र सिंहजी विराजें। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

अनुरोध एवं मांग

कांग्रेस दल द्वारा सदन की कार्यवाही के बहिष्कार को समाप्त करने का अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पश्चिमी गेट पर प्रतिपक्ष के सदस्य और विशेष तौर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने धरना दिया हुआ है। ये सदन की स्वस्थ परम्परा रही है कि जब सदन चल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य धरने पर बैठे, कोई दल के सदस्य धरने पर बैठे तो आसन को सचिव के माध्यम से सूचित करते हैं कि हम इन-इन कारणों से आज सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सूचना आयी है, चूंकि गतिरोध है और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए माननीय गृह मंत्रीजी के स्तर पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर और अध्यक्ष महोदय, आप जैसे उदार मन अध्यक्ष के स्तर पर दो-दो बार आपके वैश्म में बात हुई है। बाहर धरना दें, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है परन्तु अध्यक्ष महोदय, अगर उन्होंने लिखित में आपको सूचना दी है और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अगर आपके कोई निर्देश हैं तो उसकी पालना करने के लिये हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पूरे घटनाचक्र में अंतिम बार जब बात हुई थी तब यह बात हुई थी कि कथित लाठीचार्ज में कांग्रेस पाटी के प्रदेश अध्यक्ष पर लाठी की चोट लगी, उनको पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात आप ही ने निर्देश दिये थे कि गृह मंत्रीजी अपने पास बुलाकर उनसे उनके पास अगर कोई इस तरह का साक्ष्य हो, किसी भी रूप में हो, उसको वह देख लें। कल एक घंटे तक लगातार उन्होंने गृह मंत्रीजी के चैम्बर में बैठकर सारी चीज देखी और उसके पश्चात उनसे बात तो यह हुई थी कि वह हमें सूचित करते और हमें कहते कि अमुक जगह पर कथित पुलिस लाठीचार्ज में लाठी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लगी है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय बनता।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कल माननीय मुख्य मंत्रीजी का आम बहस पर उत्तर होगा, सदन चल रहा है और राजस्थान के लोगों में यह बात नहीं जाये कि सत्ता दल भी हठधर्मिता किये हुए है। सत्ता दल बड़े विनम्र शब्दों से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा है कि आपके पास अगर कोई लिखित सूचना आई है परम्परा के अनुसार धरना देने से पहले, क्योंकि उन्होंने कल अखबारों में कहा कि हम विराट जन समूह के साथ विधान सभा का धरना देंगे, विराट जन समूह के रूप में जो मेरे को जानकारी मिली है उन 19 विधायकों के अलावा जिसमें 3 अभी चले गये, 12 आदमी और बैठे हैं यह तो विराट जन समूह है जो पश्चिमी गेट पर उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आग्रह सिर्फ इतना सा है कि आपके पास अगर कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सूचना आई है, कल गृह मंत्रीजी के स्तर पर भी वार्ता हुई है, अगर आपके माध्यम से उन्होंने कोई सूचित किया है और हमें आपके कुछ निर्देश प्राप्त हों तो इस सदन में ही दे दें, हालांकि परम्परा है कि आप हमें बुलाकर कहें, पर इस सदन में ही दे दें ताकि सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान के आवाम को मालूम पड़ जाये कि उनकी तरफ से क्या प्रार्थना आसन से की गई है और आसन ने हमें क्या निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: न तो हमारे सचिव महोदय को, न मुझे, प्रतिपक्ष के कांग्रेस सदस्यों द्वारा दिये जा रहे धरने के बारे में कोई सूचना हमको नहीं मिली है, मैं यह आपको सूचित करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि कल माननीय गृह मंत्रीजी के कक्ष में, मेरे कक्ष में जैसा तय हुआ था कि सारा फुटेज देख कर यदि कहीं भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षजी के ऊपर किसी तरह का लाठीचार्ज हुआ हो तो वह सारे फुटेज देख कर अपना निर्णय लें। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय गृह मंत्रीजी आपने कल देखा है मैं चाहूंगा कि आप सदन को सूचित करें कि आपने क्या देखा, क्या हुआ और क्या नहीं, कौन-कौन उपस्थित थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपके चैम्बर में तय हुआ था पहले केवल हमने पुलिस की फुटेज देखी थी और उसके आधार पर बात कही तो उनको उसमें संदेह था कि पुलिस फुटेज सही है या नहीं। मैंने उनके कहे अनुसार तीन फुटेज और जो मुझे उपलब्ध हुई, आज तक की हुई, जी न्यूज की और ई टीवी की हुई और एक उनके स्वयं के पास छोटी सी क्लिप थी, वह थी और पुलिस ने जो बनाई, वह सब भी थी। इन चारों फुटेज को पूरे समय तक शुरू से लेकर उन्होंने बैठ कर देखा। देखने के बाद वह स्वयं किसी भी पाइंट पर पाइंट नहीं लगा सके कि यहां पुलिस ने कोई हठधर्मी की। मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शायद जब तक यह फुटेज नहीं देखी थीं, मेरे मन में भी यह संदेह था कि हो सकता है कि पुलिस की फुटेज में कहीं कोई कमी खामी रह गई होगी, तो मैं दूसरों से देखकर भी अगर इस बात पर पहुंचता हूं कि हां कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से मुझे कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि पुलिस संयम की पराकाष्ठा थी। जितना उनके साथ धक्का मुक्की हुई और वह भी जो महिला पुलिस फ्रंट में थी उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसको हमने उस फुटेज में देखा। सच में तो उन लोगों को दंडित करना चाहिये जिन्होंने महिला पुलिस के साथ भी ....

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): साहब, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला पुलिस कर्मियों को लात मारी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मतलब जिस प्रकार का व्यवहार किया उसके बाद भी पुलिस ने बहुत संयमित काम किया और लगभग 25 मिनट तक धक्के खाते रहे। भीड़ से इतना जबरदस्त प्रेशर बना कर उन्होंने उनके झंडे निकाल कर ही डंडे बना लिये और जिस ढंग से वह लहरा रहे थे, मैंने कहा ना कि केवल एक मिनट का आधा भाग जिस समय केनिंग किया गया था, इधर तो उन्होंने पानी छोड़ा और उधर जो यह भगदड़ मची उस समय उन्होंने डंडे जरूर उठाये जो सामने दिख रहे हैं, किसी को लगता हुआ एक डंडा भी नहीं दिखाई दिया, डंडे उठे हुए जरूर थे। इसके आधार पर मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सारे एपीसोड में पुलिस ने जिस संयम का बर्ताव किया वास्तव में पुलिस ने प्रशंसनीय काम किया इतना सब होने के बाद भी किसी प्रकार की ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं की। केवल, केवल और केवल इसको किस तरह से हाई लाइट किया जाये इस बात को बार-बार उठाया है।

मैं सोचता हूं कि इसको यहीं समाप्त किया जाये और यह किसी भी दृष्टि से अब यह उचित नहीं होगा कि बार-बार मनुहार करके बार-बार एक-एक कदम बढते जायें और समय बरबाद करें, कोई मतलब नहीं। अगर वह चाहे और उनके पास कोई फुटेज अच्छा हो तो वह लाकर दिखा दें जिससे यह लगता हो कि पुलिस ने उनके अध्यक्ष को यहां इस तरह से लाठी मारी। स्वयं अध्यक्ष पुलिस के बीच में इस ढंग से आ गये थे जो हमने उस पूरी क्लिप में देखा, उस भीड़ में, मैं यह कह सकता हूं कि स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी उन धक्कों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस भीड़ में वह थे। उन्होंने स्वयं ने अपनी भीड़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश की और जो खाचरियावास थे, उन्होंने भी उस भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास किया लेकिन पीछे से प्रेशर इतना जबरदस्त था और जो कुछ शरारती लोग थे उन्होंने बस यह तय ही कर रखा था कि किसी तरह से बैरीकेट को लांघे। दो बैरीकेट उन्होंने पार कर दिये। यह जो सारा कन्फ्रंटेशन हुआ वह तीसरे बैरीकेट पर हुआ। अगर दो बैरीकेट के बाद पार कर जायें, तीसरे बेरिकेट पर भी अगर मैं नहीं रोकूं तो क्या मैं इन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सब लोगों को इस विधान सभा में घुसने दूं और अगर मान लो एक भी आदमी घुस जाता तो मेरी पुलिस का क्या होता, यह आप स्वयं उस समय निर्णय करते। मैं सोचता हूं कि जो कुछ किया जा सकता था वह उन्होंने करने का प्रयास किया, पूरे संयम के साथ किया, ठीक प्रकार से पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की और हमारे एडिशनल एसपी से लेकर महिला पुलिस जो फ्रंट में खड़ी थी उनके साथ जिस प्रकार का, आप उस फुटेज को देखें तो आपको स्वयं को लगेगा कि वास्तव में पुलिस ने किस तरह से बर्दाश्त करते हुए इस घटनाक्रम को आगे निकाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो पूरी फुटेज में उनके राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष, हमने जो देखा जहां वह नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी भी जिज्ञासा है, इसलिए अगर आप टेबल करने की अनुमति दें तो आप भी देख लें, पूरे वीडियो में जहां वह नजर आए।

श्री अध्यक्ष: अभी कोई अनुमति देने की आवश्यकता मैं समझता, आपने देख लिया। माननीय सदस्यगण हमारे देश में 1952 से लोकतंत्र चल रहा है। लोक सभा भी है, राज्य सभा भी है और सारे देश के राज्यों में विधान सभाएं भी हैं, विधान परिषद भी है। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कन्फ्रंटेशन भी होता है, हंगामा भी होता है, हुड़दंग भी होता है लेकिन धीरे-धीरे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक समझ विकसित करता है और उस समझ विकसित करने के साथ ही सारी कार्य प्रणाली को फिर से सुचारु रूप से चलाने में सफल होता है। मैं केवल अफसोस जाहिर कर सकता हूं कि मेरे चैम्बर में जो बातें तय हुई वह बातें तय होने के बाद भी क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी थे, नारायण सिंहजी, मालवीयजी थे, प्रतिपक्ष के नेता डूडीजी थे और हमारे इधर से भी गुलाब जी थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे, यह तय हो गया था कि फुटेज देखने के बाद अगर किसी तरह का कोई भी लाठीचार्ज का दृश्य सामने आता है तो उस पर कार्यवाही करवा ली जायेगी। यह तय होने के बाद भी मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, क्या नहीं, लेकिन मैं केवल अफसोस जाहिर कर सकता हूं कि प्रतिपक्ष को भी एक समझ विकसित करनी चाहिये थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाने में अपनी मदद करनी चाहिये थी। प्रतिपक्ष कई बार कहता है कि आसन से भी हमको सहयोग

(श्री अध्यक्ष)

चाहिये तो आसन का सहयोग तो मिलेगा लेकिन प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर सहज रूप से एक समझ विकसित कर सकते थे लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इस सारे प्रकरण में जितना मुझको मालूम है प्रतिपक्ष हठधर्मिता पर उतरा हुआ है और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह हठधर्मी छोड़ कर फिर से माननीय गृह मंत्रीजी और संसदीय कार्य मंत्रीजी के साथ बैठकर इस सारे मसले को सुलझाए और उनके पास अगर कोई फुटेज है, बहुत कैमरामैन लिये फिरते हैं, उनके पास अगर कोई ऐसी फुटेज है जिससे उनका पक्ष प्रबल होता हो तो मैं निवेदन करुंगा कि वह वो फुटेज लायें, वह भी माननीय गृह मंत्रीजी और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी देख लीजिए और इस मसले को सुलझाने में मदद कीजिए, मेरा प्रतिपक्ष से यही निवेदन है। इसके साथ ही अगली कार्यवाही चालू करते हैं श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरतगढ़ में विद्युत कनेक्शन समस्या

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा 295 के तहत ट्यूबवैलों के विद्युत कनेक्शन एवं ढाणियों के कनेक्शनों की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ढाणियों के विद्युत कनेक्शन हेतु 5-5 के समूहों में विद्युत वितरण निगम द्वारा डिमांड नोट जमा करवा लिए गए हैं और उनको कनेक्शन देने का काम भी पुरजोर शुरू किया जा चुका है। 5 ढाणियों के कनेक्शन के बाद में 1 या 2 ढाणी वंचित रहती है, तो उनको विद्युत वितरण निगम द्वारा कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। एकल ढाणियों और गांव के बिलकुल नजदीक कृषि भूमि पर कृषि ढाणियों को घरेलू कनेक्शन दिए जाएं। कृषि ट्यूबवैल कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन 31.3.2009 तक के डिमांड नोट जारी हुए हैं। किसानों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द कनेक्शन दिए जाएं।

सूरतगढ़ में 250x6=1500 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन कर रहा है। जबकि 660x2 थर्मल यूनिट निर्माणाधीन है। संभवत: 2016 तक इसमें भी उत्पादन शुरू हो जाएगा इतने बड़े सुपर थर्मल पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण दूषित होने का खतरा बना रहेगा। इस क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सूरतगढ़

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

सुपर थर्मल पावर प्लांट के 15 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि विद्युत कनेक्शन देकर पर्यावरण को संतुलित एवं आने वाले समय में सेम की समस्या से बचाव किया जा सके तथा टयूबवैल कनेक्शनों व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वोल्टेज की कमी रहती है। अत: नये जी.एस.एस. खुलवाएं ताकि कृषि क्षेत्र व गांवों में वोल्टेज पूरा मिल सके, विद्युत पोलों पर पुरानी सड़ी गली विद्युत तारों को भी बदलवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

सूचना

डूंगरपुर जिले के धमाला ग्राम में शेर द्वारा उत्पात

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचना देना चाह रहा हूं, डूंगरपुर जिले में धमाला गांव में आज सुबह शेर आ गया और पास में ही स्कूल है। एक राहगीर और एक पुलिसकर्मी को दबोच लिया। शेर घायल है डूंगरपुर जिले में। पास में ही प्राइमरी स्कूल है, उसमें सारे बच्चे अभी लाकअप में बंद हैं। डूंगरपुर जिले में कहीं पर भी कोई शूटर नहीं है, घायल करके उसको बंदी कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है प्रशासन व्यवस्था करे। वहां पर जो घायल हैं उनकी समुचित व्यवस्था करें। दूसरी और आज की लेटेस्ट घटना है, अभी जुडा के जंगल में 9 महीने की एक लावारिस शिशु मिली है, हास्पिटल पहुंचाने के लिए निवेदन किया लेकिन अभी मौके पर कोई पहुंचा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मुख्य विषय आपका वह है। माननीय गृह मंत्री जी रेस्पोंड करेंगे आप?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है मैं अभी यहां से जाकर पूरी अब तक क्या कार्यवाही की है, क्या उसे पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, उसकी जानकारी सदन को अभी थोड़ी देर में वापिस आकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कंवरलाल।

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): मैं बता दूं, साहब उदयपुर में ट्रेंक्युलाइजर गन है उसको लेकर अधिकारी रवाना हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा-अच्छा, तो चालू है उसको पकड़ने की प्रक्रिया। श्री कंवरलाल। डा. मंजू बाघमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जायल की पेयजल समस्या

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल की पेयजल समस्या के तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु विभिन्न गांवों में सिंगल फेस नलकूप, पाइप लाइन, मय जीएलआर के निर्माण कार्य हेतु जलदाय विभाग के अधिकारियों के मार्फत करीब 40 से अधिक प्रस्ताव मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए हैं जिनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण आने वाली गर्मियों में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमारी सरकार द्वारा इस बजट घोषणा में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार द्वारा प्रदेश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में भूजल स्तर नीचा होने के कारण इस क्षेत्र में हैण्डपम्प बिलकुल भी सफल नहीं है। अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हैण्डपम्प के स्थान पर सिंगल फेज नलकूप बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। जायल क्षेत्र में पेयजल हेतु दो योजनाएं लालगढ़ और मीठा मांजरा स्कीम से कुछ गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इन स्कीम्स में 5-5 टयूबवैलों में से 3-3 टयूबवैल खराब पड़े हैं और 1-2 जो चालू हालत में है उनका भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। जिससे गांवों में पेयजल हेतु भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और गांवों में जबरदस्त आक्रोश है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि लालगढ़ और मीठा मांजरा स्कीमें पेयजल हेतु 3-3 नये टयूबवैल खुदवाने के प्रस्ताव जो विभाग को भेजे जा चुके हैं उन पर शीघ्र स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें, जिससे आने वाली गर्मी में पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

अलवर के राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी के सभी रिक्त पद एवं महाविद्यालय भवन का भूमि विवाद

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी जिला

(श्री रामहेत सिंह यादव)

अलवर को जो कि वर्ष 1995 से लगातार संचालित है तथा शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात है परन्तु उक्त महाविद्यालय के इतने लंबे समय से संचालित होने के उपरांत आज भी अधिकतम पद रिक्त हैं, जिसके कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अन्यत्र दूरदराज जाना पड़ता है। उक्त महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा 21 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्ष 1998 में आबंटित की जा चुकी है। महाविद्यालय का सम्पूर्ण भवन क्षेत्रीय जनता द्वारा विकास कमेटी गठित कर जनसहयोग से बनाया गया है व लगभग 40 लाख रुपये विभिन्न विधायक व सांसद कोटे से प्राप्त हुए हैं, परन्तु आज तक भी ग्राम पालपुर के खसरा नम्बर 962 में 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि देवस्थान के नाम दर्ज है, जिस पर भी महाविद्यालय भवन निर्मित है, जिसका आबंटन सरकार के पास वर्ष 1998 से विचाराधीन है। जिसके कारण महाविद्यालय को यूजीसी केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली अनुदान राशि नहीं मिल पाती है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवदेन करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय बीबीरानी जिला अलवर के सभी रिक्त पद भरे जावें व शीघ्र ही ग्राम पालपुर के खसरा नम्बर 962 में 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि देवस्थान के नाम के स्थान पर उक्त महाविद्यालय के नाम दर्ज की जाए। जिससे महाविद्यालय में अनेकों विकास के कार्य हो सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शत्रुघ्न गौतम, अनुपस्थित। श्री संदीप शर्मा, अनुपस्थित। श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ वासियों को सीवरेज योजना का लाभ

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आर्कषण करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी क्षेत्र मदनगंज-किशनगढ़ में मेरे पूर्व विधायकी काल में माननीया मुख्य मंत्रीजी के सहयोग एवं निर्देश से यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनान्तर्गत सीवरेज योजना स्वीकृत कर मैसर्स एन.के. बिल्डकान प्रा. लिमिटेड जयपुर के द्वारा 15.5.2007 को डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत की गई थी जिसकी लागत 68.75 करोड़ रुपये स्वीकृत कर राज्य स्तरीय एस.एल.एस.सी. की दिनांक 8.8.2007 को आयोज्य पांचवी बैठक में उक्त योजना के प्रथम चरण के लिए 26.01 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा

(श्री भागीरथ चौधरी)

स्वीकृत की गई जिसमें स्थानीय नगर परिषद द्वारा शेयर राशि के रूप में देय 1114.15 लाख रुपये में से 741.44 इसकी कार्यकारी एजेन्सीज आर.यू.आई.डी.पी. अजमेर को भेजी जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त 10 एम.एल.डी. सीवरेज प्लाण्ट योजना किशनगढ़ (अजमेर) के सीवर नैटवर्क का कार्य मैसर्स रामस्वरूप इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता से एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य संवेदक मैसर्स एनविराड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कानपुर के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसका कार्यादेश दिनांक 6.8.2008 को जारी कर इस कार्य को दिनांक 14.8.2014 तक पूर्ण करना तय था लेकिन आज दिनांक तक यह सीवरेज कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। उक्त दोनों संवेदकों एवं कार्यकारी एजेन्सी आर.यू.आई.डी.पी. के विभागीय अधिकारियों की प्रशासनिक शिथिलता एवं उदासीनता के चलते आज भी सीवरेज कार्य कछुआ चाल चल रहा है और नगर की आम जनता का सीवरेज पाइप लाइनों के डाले जाने से क्षतिग्रस्त एवं उबड़-खाबड़ मार्ग पर चलना-फिरना दुश्वार हो गया है। विभिन्न गली-मौहल्लों के मुख्य मार्गों पर, जहां सीवरेज पाइप-लाइन डाले गये, निर्मित बड़े-बड़े ब्लाक आज भी सड़क की सतह से ऊपर-नीचे रहने के कारण उक्त मार्गों पर आये दिन छोटी-बड़ी दुर्घटना घटित हो रही है जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस विधायकी काल के गत एक वर्ष में किशनगढ़ के अधिकांशतः सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक एवं स्वयंसेवी संगठनों आदि ने मुझे ज्ञापन देकर इस सीवरेज योजना को शीघ्र पूर्ण कर सुगम आवागमन में राहत हेतु निवेदन करने पर विभागीय अधिकारियों से ज्ञात हुआ कि संवेदकों की लापरवाही एवं उनकी आर्थिक स्थिति के अभाव में सीवरेज कार्य गत 4-5 वर्षों से धीमी गति से चल रहा है और उक्त कार्य लगभग आज तक 40 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है और गत वर्षों में उक्त सीवरेज कार्य को लगभग बन्द सा कर दिया गया है, जिससे किशनगढ़ की आम जनता को परेशानी हो रही है।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि सीवरेज योजना किशनगढ़ (अजमेर) की उक्त कार्यकारी एजेन्सी एवं संवेदकों द्वारा गत 5-6 वर्षों से की जा रही घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिलता को अविलम्ब समाप्त कर इस योजना के बकाया कार्यों को आगामी छह माह में पूर्ण कराने हेतु निर्देशित

(श्री भागीरथ चौधरी)

करा कर किशनगढ़ वासियों को सीवरेज योजना का लाभ प्रदान करावें। आपकी बड़ी महत्ता कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव। अनुपस्थित।

श्री श्रीराम भींचर।

कृषि कनेक्शनों का चार्ज फ्लेट रेट से लिये जाने से किसानों पर पड़ रहा भार

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मैं विधान सभा क्षेत्र मकराना में किसानों के कुओं एवं नलकूपों पर फ्लेट-रेट लगने के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में जमीन का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुओं एवं ट्यूबवैलों में पानी करीब-करीब खतम हो गया है जिससे किसानों के खेती करने के लिये पानी नहीं रहा है तथा जलदाय विभाग द्वारा आजादी के 67 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक छोटे-छोटे राजस्व ग्राम एवं ढाणियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसान मात्र पीने के पानी के लिये पम्प सैट चलाता है। जहां पम्प सैट मात्र 10-15 मिनट ही चलता है, परन्तु विभाग द्वारा मीटर रीडिंग से चार्ज नहीं लेकर फ्लेट रेट से राशि वसूल की जाती है, जो किसान पर अत्यधिक भार है।

अतः माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में किसानों से फ्लेट रेट से राशि नहीं लेकर मीटर रीडिंग में आने वाली यूनिट से राशि वसूल की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

अलवर ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए जनता जल योजना, सैक्टर रिफार्म, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना, सिंगल फेस, इन चार योजनाओं द्वारा जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन उपरोक्त चारों

(श्री जयराम जाटव)

योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों से संचालन करने हेतु योजनाएं हस्तांतरित कर दी गईं, इन योजनाओं को चलाने हेतु बिजली का बिल ग्राम पंचायतें जमा कराएंगी। ग्राम पंचायतों के पास कोई निजी आय नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतें बिजली का बिल जमा कराने में असमर्थ हैं। कई-कई स्कीमों में बिजली के बिल 15-20 लाख रुपये बकाया हैं। स्कीमों में बिजली के बकाया बिल की वजह से बिजली के कनेक्शन कट रहे हैं या कट जाएंगे। पेयजल योजनाओं में बोरिंग में पानी कम हो गया। सप्लाई लाइन पुरानी होने की वजह से टूट रही हैं या कम पड़ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों को पानी का संकट गहरा गया है। कांग्रेस शासन काल में केन्द्र की योजना जो बनी, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजनाएं देकर स्कीम ग्रामीणों को दे दी गई। परन्तु कांग्रेस पार्टी को पानी पीने के लिये ग्रामीणों की चिंता नहीं थी, क्या इनको यह पता नहीं था कि ग्राम पंचायतों के पास निजी आय नहीं है। बिजली का बिल कहां से जमा होगा, इसलिए मेरी मांग है कि इन चारों स्कीमों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो ग्राम पंचायतों को थोपा गया है। पी.एच.ई.डी. विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपने पजेशन में लें, ताकि ग्रामीणों को पीने का पानी मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह भी मांग है कि उपरोक्त जिन स्कीमों में बिजली के कनेक्शन कट गये हैं या कटने वाले हैं, उनके बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जमा करावे। जो स्कीम लगभग 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक पुरानी है, उनमें पानी के बोरिंग सूख गये हैं। वहां बोरिंग कराये जावें तथा पुरानी पाइप लाइनें चोक हो गई हैं, विभाग द्वारा पाइप लाइनें डाली जावें। ताकि ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। अलवर जिले में पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। भविष्य की चिंता करते हुए चम्बल के पानी की योजना बना कर पानी लाया जावे ताकि पीने के पानी की ग्रामीणों को व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है

(श्री गोतम कुमार)

कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के मुख्यालय बड़ी सादड़ी में ए.डी.जे. की कैम्प कोर्ट संचालित है, जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर सुनवाई कर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। किन्तु यह साल में केवल छह दिनों के लिए लगती है जिसमें बहुत कम संख्या में प्रकरणों की सुनवाई और फैसले हो पाते हैं। इसके अलावा समस्त प्रकरणों के लिए निम्बाहेड़ा स्थित ए.डी.जे. कोर्ट जाना पड़ता है जिसकी कई स्थानों से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में आमजन, निर्धन लोगों और काश्तकारों को बहुत परेशानी होती है। कई बार प्रकरणों में नहीं जा पाने से प्रकरण लम्बे खिंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्रीजी से अनुरोध है कि मुख्यालय बड़ी सादड़ी में कैम्प कोर्ट के स्थान पर ए.डी.जे. की स्थाई कोर्ट की स्थापना की जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

सूचना

ब्यावर के ग्राम रूडियाना के व्यक्ति की डेड बाडी मंगवाना

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइण्ट आफ इंफार्मेशन के तहत एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रूडियाना का रहने वाला प्रताप सिंह, उम्र 42 साल, पुत्र श्री जना सिंह रावत, यह रुडियाना गांव का रहने वाला है और वह सउदी अरब के अन्दर नौकरी कर कमाने गया और 26 फरवरी, 2015 को उसकी मृत्यु हो गई। मारा गया या मरा है, क्या है कारण, अभी तक घर पर कोई पता नहीं है, रोजाना उसके कागज एस.डी.एम. कलक्टर के द्वारा, हम सारे कागज भेज चुके हैं, फिर भी बार-बार, आज और नया कोई कागज मंगाया है। अभी तक उसकी डेड बोडी पहुंची नहीं है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि केन्द्र से सम्पर्क कर डेड बोडी को मंगाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बारां में वर्षा एवं ओलावृष्टि

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री ललित कुमार)

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि 27-28 फरवरी को सम्पूर्ण राज्य व देश में मौसम परिवर्तन हुआ, जिससे राज्य के कई भागों में ओलावृष्टि/बारिश के कारण फसलें खराब हो गईं। धनिया व सरसों की फसल कटी हुई है। खेतों में खलिहान लगे हैं। हाड़ौती सम्भाग में धनिया व सरसों का रकबा सबसे अधिक है। सम्पूर्ण बारां जिले में तो अत्यधिक वर्षा व ओलावृष्टि के कारण जिले में धनिया व सरसों की फसल नष्ट हो गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धनिया व सरसों की फसल के साथ-साथ गेहूं की फसल में भी बहुत अधिक खराबा हुआ है। गेहूं की बालियां तक टूट गई हैं। बारां जिले की नाहरगढ़, पचलावड़ा, बादीपुरा, गीगचा, गीगची, मामली, सिमलोद, भंवरगढ़, किशनगंज, समरानियां पंचायतों में बहुत अधिक नुकसान हुआ है।

पिछले दो वर्षों से फरवरी व मार्च, इन महीनों में Western Disturbances के कारण वर्षा व ओलावृष्टि से दिल्ली व राजस्थान में फसल पकने व कटाई के समय वर्षा व ओलावृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि मैं भी उनके जिले से हूं। वे स्वयं भी जिले की भौगोलिक संरचना से वाकिफ हैं। पहले भी किसानों की खरीफ की फसल, सोयाबीन व तिल्ली की अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं। जिससे प्रदेश में किसान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत कमजोर है। साथ ही रबी की फसल, धनिया, सरसों एवं गेहूं में भी वर्षा व ओलावृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ है जिससे किसान कर्ज में डूबा हुआ है।

अत: जो फसलों का खराबा हुआ है, उसके प्रति संवेदनशीलतापूर्वक मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण जिले में वर्षा/ओलावृष्टि से हुए खराबे का जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर नुकसान के भरण-पोषण व मुआवजे की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मैंने पुकारा था, उस समय जो अनुपस्थित थे अगर वे आ गए हों तो श्री कंवरलाल। आ गए श्री कंवरलाल।

अकलेरा (मनोहरथाना) में राजस्थान आवासन मंडल की घरौंदा योजनान्तर्गत बने मकानों का आबंटन

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के

(श्री कंवर लाल)

तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अकलेरा नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान आवासन मंडल की घरौंदा योजना अन्तर्गत भोपाल रोड स्थित सरकारी जमीन पर मकान बनाकर मंडल की योजनान्तर्गत तय राशि जमा कराकर आबंटित करना था। जबकि, वर्ष 2001 में मकान बनकर तैयार हो चुके गरीब लोगों ने तय राशि भी जमा करवा दी, तब से आज दिनांक तक किसी को मकान आबंटन नहीं हुआ एवं प्रार्थी सम्बन्धित कार्यालय के चक्कर काट-काट कर थक चुके हैं। बने बनाये मकान में असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। उनके खिड़की दरवाजे निकाल कर बेच रहे हैं। घरौंदा योजना में बने मकान खंडहर का रूप लेते जा रहे हैं।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल राजस्थान आवासन मंडल की घरौंदा योजना के अन्तर्गत बने मकानों को गरीब जनता को आबंटित कराया जाए ताकि गरीब लोगों को घर नसीब मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शत्रुघ्न गौतम। (अनुपस्थित)

श्री संदीप शर्मा।

न्यू मेडिकल कालेज, कोटा एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में सुपर स्पेशलिटी सेवा

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत कोटा सम्भाग में न्यू मेडिकल कालेज, कोटा एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी सेवा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं राज्य सरकार का ध्यान कोटा सम्भाग से जुडे एक अत्यन्त गम्भीर एवं जनहित के मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा सम्भाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में अभी तक सुपर स्पेशलिटी सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां हृदय रोग शल्य चिकित्सक, शिशु शल्य चिकित्सक, नैफ्रोलोजी आदि विशेषज्ञों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त होने से कोटा सम्भाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले के रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की सेवाएं नहीं होने के कारण इन रोगियों को उपचार के लिए सम्भाग के

(श्री संदीप शर्मा)

बाहर जाना पड़ता है तथा निर्धन रोगियों को तो मजबूरन निजी चिकित्सालयों में जाना पड़ता है। जहां गरीब तबके के लोगों से उपचार के लिए काफी पैसा वसूल किया जाता है। सम्भागीय चिकित्सालयों पर इस प्रकार की आवश्यक सेवाएं नहीं होना अत्यन्त गम्भीर विषय है।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से उपचार हेतु चिकित्सा के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी मरीजों को जयपुर जाना पड़ रहा है जिससे गम्भीर रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपाचार में काफी विलम्ब हो जाता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार एवं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा सम्भाग के रोगियों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए सम्भाग के सबसे बड़े चिकित्सालय न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल एवं एम.बी.एस. चिकित्सालय में हृदय शल्य चिकित्सक, नैफ्रोलोजी, शिशु शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों की शीघ्र नियुक्ति कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (अनुपस्थित)

पर्ची के माध्यम से। श्री सुशील कटारा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक-संस्कृतियों का त्रिवेणी संगम, बांगड़ लोक परम्पराओं, सांस्कृतिक रसों एवं जन-जीवन के इन्द्रधनुषीय रंगों से भरा-पूरा वहां का आंचल, यहां लोक जागरण, समाज सुधार और स्वतंत्रता चेतना की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से भले ही इस जन-जाति बहुल दक्षिण आंचल को पिछड़ा माना जाता रहा हो मगर आत्म स्वाभिमान की दृष्टि से यह क्षेत्र कभी 19 नहीं रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्म गौरव की रक्षा के निमित्त प्राणोत्सर्ग करने का जज्बा इस क्षेत्र की माटी में हमेशा से रहा है और इसी का ज्वलंत उदाहरण है मानगढ़ धाम। राजस्थान और गुजरात की सरहदीय पर्वतीय मालाओं में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर अवस्थित मानगढ़ धाम सामाजिक, जाग्रति और स्वतंत्रता चेतना के लिए एक लोक क्रांति का

(श्री सुशील कटारा)

बिगुल बजाने वाला महाधाम रहा है। जहां के ज़र्रे-ज़र्रे में क्रांति, चेतना व्यक्तित्व गोविन्द गुरु का पैगाम गूंज रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 20वीं सदी के आरम्भिक दौर में लोक श्रद्धा के महानायक गुरु गोविंद के नेतृत्व में आयोजित संत सभा में जमा हजारों श्रद्धालु आदिवासियों पर रियासती व अंग्रेजी फौजों ने तोप, बंदूकों और मशीनगनों से इस तरह से कहर बरपाया कि देखते ही देखते 1500 आदिवासियों का वहां पर हत्याकांड हुआ था। जलियावाला कांड से भी बड़ा हत्याकांड उस मानगढ़ धाम पर हुआ था। 17 नवम्बर, 1913, पूर्णिमा के दिन इस मानगढ़ धाम पहाड़ी पर लगभग 3 से 5 लाख आदिवासी भक्तों का मेला जमा था। जहां यह सामाजिक सुधार, गतिविधियों व धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त थे, चारों तरफ श्रद्धा और आस्था का ज्वार हिलोरे ले रहा था। रियासती और अंग्रेजी फौजें इस समाज सुधार और आजादी पाने के लिए चलाये जा रहे आंदोलन को कुचलने के लिए लगातार दमनभरे प्रयासों में जुटी हुई थीं। इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों का जमावड़ा देखकर पहले तो तितर-बितर करने की कोशिश की गयी मगर गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अपने मकसद को पाने के लिए पूरे जज्बे के साथ जुटे इन दिवानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच अंग्रेजों के नायक कर्नल सटन के आदेश पर रियासती व अंग्रेजी फौजों ने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और फायरिंग के आदेश दे दिये जिसमें 1500 से लगभग 2000 लोगों का कत्ले-आम हुआ, लोगों को गोलियां लगीं और इतिहास के पन्नों में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी अभी पूरा आकड़ा नहीं है। शायद हो सकता है कि उससे कई गुणा, जहां पर तीन से पांच लाख लोग अगर मानगढ़ धाम पर थे तो इतिहास के पन्नों को खंगालने की आवश्यकता है और भी उसमें कुछ मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु गोविंद यद्यपि, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं मगर उनके उपदेश आज भी लाखों भक्तों के माध्यम से समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा संचालित कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जलियावाला बाग़ से भी बड़ा हत्याकांड मानगढ़ धाम पर हुआ था और वह आस्था का केन्द्र है। मैं हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2007-08 में उन्होंने मानगढ़ धाम का दौरा किया था और वहां पर स्टेच्यू बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपया भी दिया था। हमारे बीच में पूर्व उप राष्ट्रपति, जो कि मुख्य मंत्री थे हमारे राजस्थान के, उन्होंने भी

(श्री सुशील कटारा)

मानगढ़ धाम पर बहुत सारे विकास के कार्य के लिए वहां पर राशि आबंटित की थी।

पर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के सभी वर्गों की आस्था का केन्द्र है मानगढ़ धाम और उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करें क्योंकि पूरे सम्भाग में एक बहुत बड़ा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों के लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है इसलिए इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने के लिए सरकार पहल करे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मांग उचित है आपकी। श्री खेमाराम।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप तो मंत्री महोदय हैं, बोलना चाहेंगे। चलो, मंत्री महोदय भी बोलेंगे।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय मानगढ़ धाम की नाक के नीचे ही रहते हैं तो दो बातें और ज्यादा जानते हैं वह।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैं अलाउ कर रहा हूं।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि वाकई मानगढ़ धाम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तीनों राज्यों की सीमा के बीच में यह पहाड़ है। 17 नवम्बर, 1913, उस जमाने में हमारे पुरखे न तो शिक्षित थे, न सारे के सारे अनपढ़ लोग थे और उसके बावजूद भी गोविन्द गुरु के नेतृत्व में जिस ढंग से वहां पर सम-सभा के माध्यम से, धर्म उपदेश के माध्यम से जनजाति को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए, उस बात को लेकर वहां एक गुरु-उपदेश दिया जा रहा था और उस दरम्यान में जिस ढंग से गोलीकाण्ड हुआ। अंग्रेजों और देशी रियासतों ने जिस तरीके से इनके ऊपर जुल्म ढाया, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने 2007-08 के दरम्यान में स्वयं उस मानगढ़ का निरीक्षण करवाया और स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने तुरन्त वहां पर मानगढ़ क्षेत्र का विकास करने के लिये किस तरह से वहां पानी, बिजली, सड़क और वहां पर गोविन्द गुरु, जो हमारे तीनों राज्यों की सीमाओं में लाखों

(श्री जीतमल खांट)

आदिवासी उनके अनुयायी हैं, आज भी गोविन्द गुरु हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका जो भाव, उनके उपदेश, उनके जीवन जीने का जो तरीका हमें सिखाकर गये, आज हम सबके लिये अनुकरणीय और प्रेरणा का स्रोत है।

मैं कहना चाहूंगा कि शायद उस पीरियड में गोविन्द गुरु जैसी शख्सियत इन तीन राज्यों के आदिवासियों के बीच में अगर वह नहीं आते तो शायद यह हमारा पूरा का पूरा तीनों राज्यों का इलाका, जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यह हमारा पूर्ववर्ती भारत, जिस तरीके से त्रिपुरा और नागालैण्ड का जो इलाका है, हम आदिवासी नहीं रहते। आज हमारी संस्कृति को जिन्दा रखने का काम माननीय गोविन्द गुरुजी, हम सबके श्रद्धेय और आदरणीय हैं, उनके नेतृत्व में इतना बड़ा जलियावाला काण्ड होने के बावजूद भी हमारे आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने उस आस्था को जिन्दा रखा है। वहां पर सब तरीके का विकास हो रहा है। अभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस मानगढ़ धाम के विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए उन्होंने अपनी धनराशि प्रस्तावित की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे यहां साल भर में दो बार बहुत बड़े मेले लगते हैं और यह विषय सिर्फ राजस्थान का नहीं, यह सम्पूर्ण राष्ट्र का गौरव है। मैं चाहता हूं कि सदन के माध्यम से भारत सरकार को भी यह विषय जाये और वहां पर राष्ट्रीय स्मारक वह बने। पूरे देश के लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रिमण्डल के माध्यम से यह विषय देश स्तर पर जाए और राष्ट्रीय स्मारक बने। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री खेमारामजी।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रही हैं? हां बोलिये-बोलिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बांसवाड़ा के आनन्दपुरी स्थित मानगढ़ धाम राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के संरक्षण सूची में नहीं है। केन्द्र सरकार के ए एस आई विभाग द्वारा किसी भी स्थान स्मारक के राष्ट्रीय स्मारक ही घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के अधीन 1961 के अन्तर्गत प्राचीन, ऐतिहासिक एवं कलात्मकता की दृष्टि के महत्वपूर्ण स्थल स्मारक को राज्य का संरक्षक

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) (दीपा)

स्मारक ही घोषित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम की ऐतिहासिकता एवं कलात्मकता को ध्यान में रखते हुए इसका क्षेत्रीय अधिकारियों से सर्वे एवं उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति होने पर नियमानुसार संरक्षक घोषित कराने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बजट भाषण वर्ष 2015-16 में बजट घोषणा संख्या 52 माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में पर्यटन विकास कार्य करवाये जाने की घोषणा की गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक श्री खेमारामजी।

सुजानगढ़ में भीषण पेयजल संकट

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्षजी, सुजानगढ़ में पानी की बहुत भंयकर समस्या है और अभी इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं आयी है। आज के दिन भी वहां 10-10 और 15-15 दिन के अन्तराल से शहर को पानी दिया जा रहा है और हमारे वहां लोकल सोर्सेज हैं नहीं। हमारे वहां दूर से मंगलूना से, लाडनूं से, सेठों की ढाणी से पानी नलकूपों के माध्यम से लाइन से आता है और कई बार लाइनें फट जाती हैं। कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं और आज के दिन तो हालात यह है कि होली के दिन भी पानी की भंयकर समस्या रही और विशेष तौर से गांवों में पानी की बहुत भंयकर समस्या है, क्योंकि वहां लोकल सोर्स है नहीं और दूरदराज से पानी आता है और सरकार द्वारा जो योजनाएं बनी हुई हैं, वह योजनाएं भी सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होने के कारण कभी पाइप फट जाते हैं और विशेष तौर से हमारे सुजानगढ़ में ए.ईएन. के तीन आफिस हैं, जिसमें से दो ए.ईएन. हैं। जे.ईएन एक नहीं है, कर्मचारी बहुत ही कम तादाद में वहां लगे हुए हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस कारण से सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ की पानी की समस्या को देखते हुए वहां विशेष तौर से आपके यहां हमारी लम्बित स्कीमें हैं, उनको शीघ्र स्वीकृति दिलाएं और इसके साथ-साथ आपके उच्चाधिकारी हैं, आपका चूरू जिले में एस.ई. बैठता है, वह कभी भी सुजानगढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। उनको भी आप तहसील में भेजिये और जो समस्या है, उसके समाधान के लिये उच्चाधिकारियों को भी आप निर्देशित करिये ताकि वहां पानी की जो समस्या है, उसका समाधान किया जा सके।

(श्री खेमाराम)

दूसरी, जो आपणी योजना चल रही है, हमारी पिछली सरकार के समय से वह योजना चालू हुई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में अभी पता नहीं वह कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। वह एस.आर. तो बना दिये, लेकिन एस आर को अधूरा छोड़ दिया। कई पाइप लाइनें अधूरी छोड़ दीं। कहीं स्कीमें बंद पड़ी हैं। पूछने पर पता चलता है कि वह कह रहे हैं कि हमारे पास बजट का अभाव है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपणी योजना बहुत बड़ी योजना है। यह योजना सुजानगढ़, रतनगढ़, दोनों को जोड़ती है। इतने सारे गांवों में पानी की जो समस्या है, उसके समाधान का एकमात्र साधन है, वह आपणी योजना सैकिण्ड फेज है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बजट का आबंटन करके वह योजना जो अभी धीमी गति से चल रही है, उसको थोड़ी स्पीड देवें, ताकि 2015 में हमारे को जो आश्वस्त किया था कि 2015 में हम आपकी सिटी को पानी दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2017 तक भी वहां पानी आ पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो जितने भी ट्यूबवैलों में पानी सूख गया है, उसके लिये अलग से नये सोर्स ढूंढकर वहां नये ट्यूबवैल खोदे जाएं और इसके अलावा हमारे मंगलूना की जो स्कीम है, उस स्कीम में जो मोटरें खराब पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं, कई दिनों से, उनको ठीक कराया जाये और जब ठेकेदारों को पूछते हैं तो वह कहते हैं कि हमें समय पर पेमेंट नहीं होता, तो उनको समय पर पेमेंट दिलाकर उसकी व्यवस्था करावें। विशेष तौर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है और आने वाली गर्मी में तो हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान देकर और सुजानगढ़ में शहर के अन्दर और बीदासर में तो इतने सारे लीकेज हो रखे हैं। इसके लिए मैंने बार-बार अधिकारियों को भी कहा है, लेकिन वह पता नहीं किस कारण से नहीं करवा रहे हैं। उन लीकेज को शीघ्र ठीक कराएं और सही ढंग से समुचित व्यवस्था करवाएं ताकि सुजानगढ़, बीदासर और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। आप रेस्पांड करेंगी?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य ने सुजानगढ़ की अपनी समस्या को यहां पर रखा। यह बात सही है कि 72 घंटे में वहां पर पानी मिल रहा है और जो भी इन्होंने यहां पर बात कही

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि ट्यूबवैल ड्राई हो चुके हैं। उसके बारे में आप हमें लिस्ट दे दें, ताकि हम लोग उसमें से कितने ट्यूबवैल वहां पर पूरी योजनाएं हमारी हैं, और ट्यूबवैल ड्राई होने की वजह से अगर योजना को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें से हम कुछ ट्यूबवैल्स को ड्राई ट्यूबवैल्स को हम लोग रि-बोर करवा देंगे, अगर कहीं दूसरी जगह उपलब्ध है तो। दूसरा जहां तक इन्होंने कहा कि पाइप लाइन लीकेजेज हो रही है तो उसके ऊपर भी मोनिटरिंग करवाकर मैं यह समझती हूं, यह कह सकती हूं कि सोमवार के दिन इनको माननीय सदस्यजी को, उनके सारे अधिकारियों को बुलाकर और जो मोनिटरिंग पार्ट है, उसको हम लोग यहीं पर बुलाकर कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वह करने की कोशिश करेंगे। जो स्कीम्स लम्बित हैं, वह और जो फेज टू की बात कही आपणी योजना की, आपणी योजना वास्तव में बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना की क्रियान्विति के अन्दर कहीं प्राब्लम्स आ रही है। उसके अन्दर माननीय सदस्य को, हमारे जो सभी वहां की जनता-जर्नादन है, उन सबका को-आपरेशन उसमें चाहियेगा, क्योंकि मेन राइजिंग पाइप के अन्दर ही उसको पंचर करके और उन्होंने पाइप वहां पर डाल दिये। जो पी एस पी कनेक्शंस हैं, उस पी एस पी कनेक्शंस के अन्दर ही इतना पंचर कर दिया, मेन राइजिंग से, कि वह पानी पहुंच ही नहीं पाता पी एस पी तक।

(13.00 बजे)

इसलिए इसके अन्दर तो आप लोगों की मदद चाहिए। हम लोगों ने उसमें बहुत सी बार कड़े स्टेप उठाने की बात भी कही लेकिन उठा नहीं पाते हैं, अगर सब का सहयोग मिल जाए तो वो ठीक होगा।

आपणी योजना में जो काम पैंडिंग है उसके अन्दर हमें बजट में जो वित्तीय संसाधन मिलेंगे उसके अनुसार हम लोग उसको पूरा करने के लिए करेंगे।

बाकी जो चल रहा है उसमें अगर मानिटरिंग के अभाव में जहां-जहां भी आप लोगों को असुविधा हो रही है उसको ठीक करवायेंगे और आपको बुलायेंगे और अधिकारियों को बुलाकर आपकी सारी प्राब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

जवाई नहर से सिंचित गांवों को सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़ा जाना

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील सरकार है और कृषि मंत्रीजी भी बहुत ही संवेदनशील, अनुभवी किसान हैं। मेरे आहौर विधान सभा में 178 गांव हैं और उन 178 गांवों में से केवल मात्र 22 गांव जो पाली जिले की सरहद पर हैं उन 22 गांवों में जवाई नहर से सिंचाई होती है। जवाई बांध पाली जिले में आया है, सुमेरपुर के पास आया है और लगभग 22 गांवों की 33 हजार एकड़ भूमि जवाई नहर से सिंचित होती है और उस सिंचित हुई जमीन का लगभग-लगभग रबी की फसल का दो लाख क्विंटल माल सुमेरपुर मण्डी में बिकने के लिए जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ का माल जाता है, वो तो अलग यह तो रबी का और इसके अलावा लगभग-लगभग 80 परसेंट गांवों में सिर्फ एक बरसाती फसल होती है इसके अलावा मेरे यहां एग्रीकल्चर लोड बिलकुल नहीं है। यह 22 गांव जो पाली जिले के नजदीक हैं, जवाई नहर से पीते हैं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे इन 22 गांवों के किसानों का माल बिकने के लिए सुमेरपुर मण्डी में जाता है और सुमेरपुर मण्डी के वो अधिकृत किसान नहीं हैं। वो जालौर जिले में, जब कि मेरे आहौर में कृषि मण्डी नहीं है, कोई यार्ड नहीं है। मंत्री महोदय यह कहेंगे कि वहां यार्ड है लेकिन, मंत्री महोदय, मैं आपको साथ में ले जाकर बता सकता हूं, वहां पर खाली चार-दीवारी की हुई और एक मैदान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना निवेदन करूंगा कि मेरे 22 गांव के किसानों की पिछले 10 से 15 वर्षों से एक ही मांग है, वो सुमेरपुर मण्डी में तो जाते हैं लेकिन एक अधिकृत किसान होने के नाते जाएं, मण्डी शुल्क वहां पर देते हैं, मण्डी के द्वारा कोई विकास कार्य मिल नहीं पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी आहौर विधान सभा की बहुत ज्वलंत मांग है।

2005 में भी मैंने यह सवाल उठाया था तब उन्होंने यह कहा था कि जिला ही अलग है। पिछली सरकार के समय शिवगंज में कृषि मण्डी होते हुए भी शिवगंज पंचायत समिति के सारे के सारे गांव सुमेरपुर मण्डी से जोड़ दिये गये तो मेरे इन 22 गांवों को, जो सुमेरपुर मण्डी का अधिकार है, सुमेरपुर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मण्डी के अन्दर माल बिकने के लिए जाता है, आप वहां की मण्डी टैक्स की स्लिप देख लें, मण्डी सचिव से बात कर लें, लगभग दो लाख क्विंटल माल हर साल सुमेरपुर मण्डी में बिकने के लिए जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा, मेरे आहौर विधान सभा के यह 22 गांव आपके बहुत-बहुत उपकारी रहेंगे, आप यह फरमा देवें कि इन 22 गांवों को सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़ने की आप आज्ञा प्रदान करायेंगे।

इसमें कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है, यह मेरे किसानों का अधिकार है। उन किसानों को हर बार सिंचाई अधिकारियों के पास सुमेरपुर जाना पड़ता है। इन 22 गांवों का आना-जाना सुमेरपुर से जुड़ा हुआ है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनम्र, विनम्र प्रार्थना है कि मेरे 22 गांवों के ऊपर उपकार करिये, मेहरबानी करिये और इनको सुमेरपुर कृषि मण्डी से जोड़िए।

श्री अध्यक्ष: पूरी विनम्रता से उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कृषि उपज मण्डी जालौर के सब यार्ड आहौर को और उस क्षेत्र में पड़ने वाले 22 गांवों को जालौर कृषि उपज मण्डी में सम्मिलित करने के बारे में अपने विचार रखे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला जालौर में कृषि उपज मण्डी स्थापित है और राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 और नियम 63 के अन्तर्गत किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि वो कहां जाकर अपने माल को बेचेगा। यानी प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से कोई भी किसान किसी भी नजदीक की मण्डी में सुविधा के अनुसार अपने माल को बेच सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है।

लेकिन जैसा कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है उसके सन्दर्भ में मेरा आपसे यह निवेदन है कि जहां पर खास तौर से रबी के मौसम में सरसों, गेहूं और अरण्डी की फसल होती है और निश्चित रूप से किसान सुविधा की दृष्टि से समीप की मण्डी सुमेरपुर में जाकर अपनी फसल को बेचता है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लेकिन फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ध्यान आकर्षित किया है इन सारे विषयों को देखेंगे और कृषि उत्पादन, विपणन के साथ-साथ वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है, सारे विषयों का अध्ययन करा कर वहां की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, इसका परीक्षण हम लोग शीघ्र करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

बस्सी के वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को वन विभाग के मामले से अवगत कराना चाहती हूं कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र के वन क्षेत्र के पेड़ों की अवैध कटाई जोर शोर से चल रही है और यह आज से नहीं है, कई सालों से मैं खुद देख रही हूं और उस पर अब तक कोई लगाम नहीं लग पायी है जब कि यह तो सभी जानते हैं कि डेली के दो-तीन ट्रक, ट्रालीज वहां से हर शाम को निकलती हैं और बिना किसी अधिकारी, कर्मचारी की मिलीभगत के इतनी बड़ी क्वांटिटी में डेली वन की लकड़ियों की सप्लाई हो नहीं सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि एक तरफ तो आप हरित राजस्थान का नारा दे रहे हैं, पेड़ लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके साथ-साथ मानीटरिंग भी बहुत जरूरी है कि आपके जो अधिकारी, कर्मचारी हैं वो सही प्रकार से आपके बनाये हुए नियमों के अनुसार, या आप जो जनता को देना चाह रहे हैं वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहां डेली इतनी ज्यादा कटाई होती है और वहां का जो प्रशासन है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक का, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। वो क्यों बने हुए हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूं।

दूसरा यह कि वहां पर सारे कर्मचारी आठ-आठ, दस-दस साल पुराने काम कर रहे हैं और वो सारे लोकल हैं, उन्हें मालूम है कि वहां की जनता को किस तरह से हैंडिल करना है, कैसे, कहां पर कौनसी लकड़ी निकालनी है, कहां सप्लाई करनी है, किस से बचना है, किस से सैटिंग करनी है। सारा उनको पता होता है क्योंकि वो वहां पर लोकल हैं और कई-कई सालों से हैं। कई बार अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है, कई बार अखबारों में आ गया है लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

रोजाना इतनी अधिक वृक्षों की कटाई होकर जो सप्लाई होने के लिए जाती है वो आरा मशीनों पर जाती है और बहुत सारी ऐसी आरा मशीने हैं जो वहां पर बिना लाइसेंस के चल रही हैं तो मैं मंत्रीजी से यह गुजारिश करूंगी कि आप उनकी जांच कराएं कि एक तो जो आरा मशीन हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं है और अगर वो अवैध रूप से चल रही हैं और वाकई ही अवैध रूप से चल रही हैं, मैं कुछ के नाम आपको गिना देती हूं, तुंगा रोड पर मण्डी के पास सामरिया रोड पर अखेपुरा ग्राम में बैनाड़ा बस स्टैण्ड पर, कानोता पुलिया के पास बिराजपुरा में खोड़ा की ढाणी, रीको औद्योगिक क्षेत्र बस्सी, मोहनपुरा, और भी ऐसी बहुत सारी है जो अभी इस लिस्ट में नहीं है लेकिन अगर आप जांच करायेंगे तो पता लगेगा, यह मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। बस्सी में ऐसी बहुत सारी आरा मशीन्स हैं जहां पर वो अवैध रूप से चल रही हैं और यह अवैध कटाई के तौर पर चल रही हैं।

यहां जो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूं वो यह है, वहां पर एक नई का नाथ धाम है, शिव जी का धार्मिक स्थल है, वो वन विभाग के अन्तर्गत आता है और बहुत बड़ा क्षेत्र वन विभाग के अन्तर्गत आता है। जो धाम है, वहां पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं और उन धर्मशालाओं के बनने की वजह से, क्योंकि वो जमीन वन विभाग के अण्डर में है और वो अवैध रूप से बनी हुई हैं लेकिन क्योंकि वहां बनी हुई हैं और वो वहां पर आस्था का प्रतीक हैं और वहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन इसी चीज का फायदा आपके अधिकारी, कर्मचारी उठाते हैं।

वहां पर जो लोग आते हैं, जिनकी धर्मशालाएं हैं उनको डराते-धमकाते हैं, कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाता है। एक मैं अभी घटना बताऊंगी जो कि बहुत बड़ी है। लेकिन लोग उसके बारे में बोल नहीं पाए। लेकिन अगर आप फिजिकल विजिट करेंगे या मेरे साथ जाएंगे तो पूरा गांव और पूरा कस्बा इस बात की गवाही देगा कि वह रियलिटी में हुआ था। उसकी एफआईआर भी नहीं हुई है। लेकिन वह इस चीज का ही फायदा उठाते हैं कि वहां पर धर्मशालाएं हैं सभी समाज के लोगों की। अगर कोई बोलता है, अभी गुर्जर समाज के लोगों ने उसके ऊपर बोला था तो आपके अधिकारी रेंजर, गार्ड और सभी जाकर के उनकी पूरी धर्मशाला को तोड़कर आ गए हैं। इस वजह से डर की वजह से कोई बोलता नहीं है।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

कुछ दिन पहले घटना हुई थी कि एक महिला, एक तरफ तो लाखों की कमाई हो रही है अवैध कटाई से आरा मशीनों पर जाकर के पूंजीपति अपनी जेबें भर रहे हैं और एक तरफ लकड़ी बीनने के लिए, शाम को अपना चूल्हा जलाने के लिए वहां पर गई, उसने वहां लकड़ी बीनी तो वहां रेंजर और जो भी कर्मचारी मौजूद थे गार्ड वगैरह उन्होंने उसको काफी प्रताड़ित किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन उसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वह दलित आदिवासी महिला थी। उसको वहां से निकाल दिया। उसकी एफआईआर भी नहीं हुई। लेकिन प्रश्न चूंकि यह गृह विभाग का भी नहीं है आपका है, सिर्फ इसलिए इसको इससे जोड़ते हुए यह बता रही हूं कि एक तरफ तो हरे वृक्षों को काटकर के पूंजीपति जेब भर रहे हैं लाखों रुपयों से और एक तरफ बुजुर्ग महिला का चूल्हा जलना भी भारी हो गया है। ऐसे आपके कर्मचारी और अधिकारी अमानवीयता का व्यवहार वहां पर कर रहे हैं। इसकी जांच आप करें।

अखबारों में लगभग आता रहता है, यह जो महिला थी यह अनपढ़ थी इसको नहीं मालूम था, यह नहीं बता पाई। लेकिन इसकी भी मैंने पुष्टि की यह सत्य है या नहीं है, आपके साथ चलकर के पूरे गांव की गवाही मैं दिलवा सकती हूं, पूरे कस्बे की इसमें मैं गवाही दिलवा सकती हूं। चूंकि इसमें एफआईआर नहीं हुई है इसलिए मैं बार-बार कह रही हूं कि इसका आधार क्या है वह आप पूछ सकते हैं तो मैं पहले ही अपनी तरफ से क्लियरीफाई कर रही हूं कि उसका आधार यह है कि मैं खुद चलकर के इसका ठोस आधार बता सकती हूं।

मैं मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि एक तो आप अवैध कटाई पर क्या कार्यवाही करेंगे यह मुझे बता दीजिए। दूसरा यह कर्मचारी और अधिकारी, चूंकि यह लोकल हैं और 10-10, 20-20 साल से वहां टिके हुए हैं इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी न किसी का हाथ होगा, वह आप देखिएगा। दूसरा यह है कि यह जो आरा मशीनें चल रही हैं, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, यह आप मुझे बता दीजिए और आश्वस्त कर दीजिए कि मेरे इन 3 पाइंट्स पर आप कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय रेस्पोंड करेंगे?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाले सम्माननीय सदस्या ने जो पेड़ों की अवैध कटाई की चिंता

(श्री राज कुमार रिणवां)

की बात कही वह बहुत ही चिंताजनक है। आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पर्यावरण की हो रही है उसमें पेड़ ही हमारे एक योद्धा की तरह से काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने का और वन विभाग का यह लक्ष्य है कि हम इसमें कीर्तिमान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 945 वर्ग किलोमीटर कुल जयपुर जिले में वन हैं और उसका 22 किलोमीटर बस्सी क्षेत्र में पड़ता है। जो जयपुर जिले के वन क्षेत्र का मात्र 2.36 है और उसमें भी 3 वन खंड हैं एक बांसखो का, दूसरा लालगढ़ और एक पहाड़ी भोमिया वाली का है। इनमें 2 में तो 1100 रन मीटर और 1900 रन मीटर की दीवार भी बनाई हुई है। वहां पर कोई बड़ी अवैध कटाई इस तरह की बात तो है नहीं, कुछ जो पेड़ हैं जिन्हें मुक्त रखा गया है कटाई से, उनमें जरूर सुनते-करते हैं देशी बबूल है और हैं, उनमें जो आसपास के पशुपालक हैं वह छांगते हैं, तो जो पत्तियां, डालियां वगैरह हैं पशुओं को खिलाने के लिए, उसके चलते वहां के स्टाफ ने 29 बार उन लोगों को पकड़ा भी है और 23 हजार के करीब, क्योंकि पिछली सरकार में तो, अभी आप बता रही थीं कि एक महिला लकड़ी ला रही थी उस पर जुर्माना किया और उसके साथ में कोई अत्याचार भी हुआ। पिछली सरकार में 25 हजार का जुर्माना था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 500 रुपए कर दिया। गरीब आसपास के लोग ले भी जाते हैं तो उनको कम से कम मिनिमम जुर्माना किया जाए। यह 29 प्रकरण हैं इनमें 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का जुर्माना है, कोई ट्राली पकड़ी गई है उसमें ही 1000 रुपये तक का किया गया है।

बस्सी और जो कानोता है वहां पर औद्योगिक क्षेत्र भी है, जहां पर यह लकड़ी का काम भी होता है। प्लाइवुड का काम भी होता है। वहां पर यह जानकारी मुझे मिली है कि वहां पर जो प्रतिबंधित नहीं है उन पेड़ों की लकड़ी काम में ली जाती है।

अभी सम्माननीय सदस्या ने बताया है, कुछ लिस्ट बताई है और इस तरह की डिटेल अगर कोई है तो मैं उसकी तुरन्त जानकारी करवाकर उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

वार्षिक प्रतिवेदन।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री नवनीत लाल।

याचिका

घाटोल, जिला बांसवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र घाटोल, जिला बांसवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अमृता मेघवाल।

जालौर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज हेतु डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि आबंटन

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जालौर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज हेतु डम्पिंग यार्ड भूमि आबंटित करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर को जिला बनाने बाबत

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ब्यावर को जिला बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई स्थित स्व-वित्त पोषित महिला महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किये जाने बाबत

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बांदीकुई स्थित स्व-वित्त पोषित महिला महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करती हूं कि यह बहुत ज्वलंत समस्या है मेरे यहां की। कल मैंने 295 में भी यह बात उठाई थी। यहां संसदीय कार्य मंत्रीजी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय है, बालिकाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपने लिखकर के सारा दे दिया है, उसका जवाब आ जाएगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

सोजत नगरपालिका शहर में सीवरेज लाइन

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोजत नगरपालिका शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सीवरेज लाइन डालने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

नव सृजित पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) स्थित नव सृजित पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने बाबत एवं

सिवाना (बाड़मेर) में महाविद्यालय

सिवाना (बाड़मेर) में महाविद्यालय खोलने बाबत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में एक राय बनी थी कि सामान्यत: सदन 6 बजे तक चलाया जाए उसके बाद स्थगित कर दिया जाए, 5 बजे नहीं 6 बजे तक का था। यदि अति-आवश्यक हो तो विशेष परिस्थितियों में 7 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है। यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो वक्ता हैं आज बोलने वाले, वह स्वयं अपने पर अनुशासन रखें और अपनी बात पूरी तो कहें लेकिन जरा सूत्रों में कह दें तो ठीक रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बोल सकें। आज जो हम वाद-

(श्री अध्यक्ष)

विवाद प्रारम्भ कर रहे हैं, इस वाद-विवाद का प्रारम्भ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री अशोक परनामीजी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात कहें।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं 2015-16 का बजट जो हमारे राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधराजी ने पेश किया है उसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में आदरणीय वसुंधरा जी राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी थीं। उससे पहले कार्यकाल में कांग्रेस के आदरणीय अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे। 2003 में जिस समय राजस्थान को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जब आदरणीय वसुंधराजी ने उसकी बागडोर सम्भाली थी।

परन्तु उनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन ने 2003 से लेकर 2008 तक राजस्थान प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहलाता था, उस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट के जो सूत्र बिन्दु होते हैं, वह 6 सूत्र बिन्दु होते हैं जिनके माध्यम से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि सरकार ने किस प्रकार से काम किया। मैं कुछ बिन्दु आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सामने सदन में रखना चाहूंगा। राजस्व घाटे को लेकर रखना चाहूंगा कि जब आदरणीय वसुन्धराजी ने 2003 में कार्यभार सम्भाला था तो उस समय कांग्रेस की सरकार 6.5 प्रतिशत राजस्व घाटा इस राजस्थान प्रदेश में छोड़कर गई थी। परन्तु आदरणीय वसुन्धराजी के कुशल नेतृत्व में जब हमने सरकार छोड़ी 2007-2008 में उस समय राजस्व घाटा हमने 6.5 प्रतिशत सम्भाला था और 1.75 प्रतिशत पर हमने छोड़ा था। यह उनका कुशल वित्तीय प्रबन्धन था। मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब 2008 और 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार आई, पुन: गहलोतजी मुख्य मंत्री बने तो यह जो फिस्कल डेफिसिट था वह वापस बढ़ गया।

(श्री अशोक परनामी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस राजस्व घाटे को केवल मात्र हमारी सरकार को सम्भाले हुए एक साल हुआ है। एक साल में आदरणीय वसुन्धराजी के कुशल नेतृत्व में यह जो फिस्कल घाटा था उसको हम वापस 2.99 परसेंट पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं विकास दर के बारे में बताना चाहूंगा। जब पिछली बार 2008 में हमने सरकार छोड़ी थी तो उस समय विकास दर 14.42 परसेंट से हमने छोड़ी थी, परन्तु पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में 2013 में यह घटकर 4.54 परसेंट पर आ गई जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को, उनके कुशल नेतृत्व को, उन्होंने पुन: इस विकास दर को जो 4.54 परसेंट पर हमने स्वीकार की थी उसको 5.74 परसेंट पर हम एक वर्ष में लेकर आए हैं

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 2008 में जब कांग्रेस की सरकार आई और हमारी सरकार थी, 2008 में जो कर्जा था वह 77,138 करोड़ रुपए था। उस वक्त पुन: कांग्रेस की सरकार आई, गहलोतजी मुख्य मंत्री बने, पुन: 2013 में जो राजस्थान प्रदेश पर कर्ज का बोझा छोड़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,30,640 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान प्रदेश की जनता पर छोड़ा और यदि इसमें डिस्काम का घाटा 77 हजार रुपए वह भी इसमें शामिल कर दूं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा 2,07,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है, यह कांग्रेस की कार्य शैली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी और गहलोतजी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जो बजट व्यय किया वह 94,101 करोड़ का उन्होंने किया, परन्तु हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने 2014-2015 में 1,26,112 करोड़ का बजट बनाया, जिसमें 34 परसेंट की वृद्धि की। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने जो बजट पेश किया है 2015-2016 का 1,37,713 करोड़ रुपये का हमने बजट पेश किया है जो करीबन 9.2 प्रतिशत वृद्धि होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सरप्लस, 2013-2014 में जो बजट सरप्लस था वह 39.10 करोड़ रुपए था, 2014-15 में जब हमने सरकार सम्भाली तो हमने एक वर्ष में ही इसको बढ़ाकर 102.75 करोड़ लाकर खड़ा कर दिया। आने वाले वित्तीय वर्ष में 2015-2016 में हम इसे 174.30 करोड़ पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान

(श्री अशोक परनामी)

प्रदेश का विकास व्यय है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। 2011-2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 34,671 करोड़ रुपए था, 2012-13 में भी कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इसे 42,700 करोड़ रुपए किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय वसुन्धराजी ने 2014-2015 में 72,345 करोड़ का विकास व्यय किया और इस बार 2015-16 में इसे 79,505 करोड़ रुपए करने जा रही है, यह पूरा राजस्थान प्रदेश का माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक रोड मैप रखा है जो कांग्रेस की सरकार ने किया और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुन्धराजी ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट को अच्छा बताने के लिए, किसी की बजट का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक बिन्दु होते हैं, इस बजट में विशेष बिन्दु है वह मैं आपके सामने सदन के सामने रखना चाहूंगा। इट्स ए बिग आइडिया बजट विद स्माल बिफोरनैस, छोटे-छोटे सुधारों से बड़े लक्ष्य तक की सोच इस बजट में है। आप स्कूली शिक्षा का ही उदाहरण ले लें, शिक्षा का प्रसार ले लें, उसकी गुणवत्ता ले लें, डिजीटलाइजेशन ले लें, पाठ्यक्रम ले लें, बालिका शिक्षा ले लें, सभी क्षेत्रों में सुधार से शिक्षा के क्षेत्र में काया पलट का विचार का बजट में रखा गया है। इट्स ए रोड मैप बजट, क्योंकि यह केवल लक्ष्य ही नहीं उनकी पूर्ति का पूरा मार्ग भी सशक्त करता है और बता रहा है, नीति से लेकर क्रियान्वयन तक पूरा खाका इसमें मौजूद है। गुड गवर्नेंस फोर ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता से सुशासन का मार्ग रचा गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एन टू एन डिजीटल होने का कदम भी इस बजट के माध्यम से रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बार फिर से फाइनेंशल रेस्पोंसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट एक्ट के पालन में अग्रणी होते हुए राजस्थान डबल डिजिट विकास की दर तक आने के मार्ग पर यानी सुप्रबन्धन और विकास के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में राजस्थान प्रदेश में निवेश गिरा, राजस्थान ऋण में डूब गया, यह तो मैंने आपको जो कांग्रेस ने हमें विरासत में दिया और जो हमने राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए हमने बजट में रखा वह मैंने आपको बताया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने

(श्री अशोक परनामी)

सुराज संकल्प के साथ ही बागडोर सम्भाली और पहले ही बजट में उन्होंने 2020 का वीजन दिया। आज हम 556 करोड़ के राजस्व सरप्लस के बजट पर चर्चा कर रहे हैं साथ ही मैंने पहले भी बताया कि फिस्कल डेफिसिट है उसको हम 2.99 प्रतिशत पर लाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य की ओर बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक निवेश व्यय में विकास लाना हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का उद्देश्य रहा, इसलिए उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ाकर चालीस प्रतिशत कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के अच्छे कार्यों की तुलना इसी बात से की जाती है, ऋण तो हर सरकार लेती है पर उस ऋण का, उस लोन का सही उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, यह सरकार पर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय वसुन्धराजी को कि उन्होंने असेट क्रिएशन पर काम किया, कैपिटल एक्सपेंडीचर में ऋण को लगाने का काम किया, किसी भी सरकार के वित्तीय प्रबन्धन का परिचय का मानक इसी बात पर है जितना लोन लिया जाए उससे अधिक पूंजी में निवेश किया जाए।

जो हमारे राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी ने किया, परन्तु इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने जितना भी राजस्थान प्रदेश पर ऋण का बोझ डाला, उन्होंने असेट क्रिएशन पर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोन लेकर जो खर्चा होता है उस खर्चे में डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, बजट राजस्थान के नवनिर्माण का बजट है। यह सुराज संकल्प में राजस्थान की जनता से जो वायदे किये थे उनके आधार पर नया राजस्थान बनाने का यह रोड मैप प्रस्तुत किया है। हमने सबसे पहले राजस्थान को विकास की राह पर लाते हुए आर्थिक कुचक्र व कुप्रबंधन पर वाच किया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास का जो पौधा मुरझा गया था उसमें फिर से हरी कोपल फूटने लगी है और राजस्थान प्रदेश का विकास आगे बढ़ने लगा है। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार में राजस्थान प्रदेश में निवेश आने बंद हो गये थे। हमारे इस एक वर्ष के कार्यकाल में निवेश का माहौल भी बना है। दिसम्बर, 2014 तक 1863 करोड़ का निवेश हुआ है और लगभग 80 हजार लोगों को सीधा रोजगार हमने मुहैया कराया है, 15221 लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां यहां पर पंजीकृत हुई हैं। यह पिछले एक वर्ष में जो राजस्थान प्रदेश में औद्योगिकीकरण है उसके बारे में मैंने आपको बोला है।

(श्री अशोक परनामी)

यही नहीं, हमारी मुख्य मंत्रीजी इस दिशा में और आगे बढ़ रही हैं और आने वाले नवम्बर में रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से हम बाहर से किस प्रकार से निवेश हमारे राजस्थान प्रदेश में आए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हम व्यवसाय करने में सरलता दे पाए, चाहे वह जमीन हो, चाहे वो बैंक से लोन हो, चाहे वह सहभागिता हो इन सभी विषयों में हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी काम कर रही हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बड़ा स्पष्ट कहा कि बजट राजनीति नहीं, राजधर्म से प्रेरित होना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने जो बजट पेश किया है वह राजधर्म से प्रेरित है। राजधर्म कहता है राजस्थान में इंक्लूजिव विकास हो, राजधर्म कहता है युवाओं को, महिलाओं को स्वाभिमान से जीने का मौका मिले, राजधर्म कहता है किसान को उसके आर्थिक योगदान का पूरा फल मिलना चाहिए। राजधर्म यह भी कहता है कि श्रम व पूंजी दोनों आपस में पूरक तौर पर काम करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यही हमारे पूजनीय पं. दीनदयाल जी उपाध्याय की सोच थी जिस सोच को हमारी राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जन आकांक्षाओं को आंकड़ों में बदलने का राजधर्म बखूबी निभाया है।

अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि बजट में स्कूली शिक्षा में व्यय 16 प्रतिशत तक हमने बढ़ाया है। एचआरडी में 10 प्रतिशत बढ़ाया है, चिकित्सा व शिक्षा में 28 प्रतिशत, पर्यटन में व्यय बढ़ोतरी 78 प्रतिशत की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी में 72 प्रतिशत होती दिखायी दे रही है। पूरे देश में राजस्थान प्रदेश पहला प्रदेश है जहां सूचना प्रौद्योगिक में 72 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है। यह सब सामाजिक पूंजी निवेश का प्रतीक है जिनका लाभ न केवल अभी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के द्वारा जो विकास व्यय किये उनके बारे में मैंने पहले ही बोला। आगामी वर्ष 2015-16 में 49500 करोड़ रुपये का विकास व्यय अनुमानित है। इससे यह स्पष्ट है कि आदरणीय वसुन्धराजी पूरी तरह से राजस्थान प्रदेश की जनता के विकास के प्रति समर्पित हैं और राज्य के चहुंमुखी विकास की कल्पना को साकार कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का जो अच्छा विकास होता है उसमें यदि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा

(श्री अशोक परनामी)

खर्च हो तो अच्छा विकास होता है। मैं आदरणीय वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 2015-16 के बजट में प्राथमिकताएं ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित की हैं। बजट का कुल 40.64 प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर दिया है। ग्रामीण विकास हेतु 15.48 प्रतिशत एवं विद्युत, जो पूरे समाज की अत्यन्त आवश्यकता है उसमें 23.64 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। कांग्रेस सरकार द्वारा 2013-14 में इसे केवल मात्र 37.43 प्रतिशत रखा गया था, जो कांग्रेस सरकार यह वादा करती है कि हम राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 79 प्रतिशत बजट ग्रामीण विकास, विद्युत एवं सामाजिक सेवाओं हेतु व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त 5.57 प्रतिशत कृषि हेतु, 2.41 प्रतिशत सिंचाई हेतु किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा विभाग के लिए कहना चाहूंगा। आज हमारे कांग्रेस के लोग यहां सदन में नहीं हैं, किन्तु कांग्रेस के लोग और आदरणीय गहलोतजी निरन्तर यह कहते रहे कि हमने मुफ्त दवाइयां बंद कर दीं। मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने मुफ्त दवाइयां बंद नहीं कीं, बल्कि जितनी मुफ्त दवाइयां वो सरकार देती थी उससे अधिक हमने मुफ्त दवाइयां दीं और उसको सिस्टेमेटिक वे में दी।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन में 2013-14 में 442.13 करोड़ का उन्होंने मुफ्त दवाओं में प्रावधान किया था। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 2013-14 में 442 करोड़ के स्थान पर कांग्रेस ने केवल मात्र 332 करोड़ का उपयोग किया, पूरा उपयोग भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदया को जिन्होंने 2015-16 में 482 करोड़ का बजट मुफ्त दवाओं में रखा है, नि:शुल्क जांच में रखा है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग हमेशा यह कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैट्रो का विरोध कर रही है, परन्तु हमने कभी मैट्रो का विरोध नहीं किया। पिछली बार भी विधान सभा में हमारे जितने भी सदस्य थे, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यही बात दोहरायी, हम मैट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैट्रो हम भी लाना चाहते थे, परन्तु दिल्ली की एजेंसी जो हमारी जांच एजेंसी थी उन्होंने यह कहा कि 2025 तक जयपुर शहर में मैट्रो की आवश्यकता नहीं है, 2015 के बाद मैट्रो आनी चाहिए। फिर भी कांग्रेस की सरकार मैट्रो लेकर

(श्री अशोक परनामी)

आयी। हमने यही विरोध किया था कि आप मैट्रो लेकर आएं, हमें इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है, परन्तु जो आधारभूत मूल सुविधाएं हैं वे कहीं बंद न हो जाएं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परन्तु आपको इस बात की जानकारी है कि मैट्रो तो लेकर आए, लेकिन जयपुर शहर का पूरा का पूरा विकास ठप्प हो गया, सड़कें समाप्त हो गईं, सीवरेज लाइन समाप्त हो गईं। जो जयपुर शहर में विकास पर पैसा लगना चाहिए था वो पैसा सारा मैट्रो में ट्रांसफर हो गया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा, हम मैट्रो का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भी मैट्रो लाना चाहते हैं और हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार बजट में मैट्रो रेल परियोजना फेज-ए(1) के लिए 229 करोड़ का प्रावधान किया है और फेज 1(बी) के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार मैं कल का अख़बार पढ़ रहा था जिसमें बजट की प्रतिक्रियाएं आयी थीं। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत जी ने एक ही प्रतिक्रिया दी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी मैट्रो को नहीं लाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी रिफाइनरी लेकर नहीं आना चाहती। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं हम मैट्रो का विरोध नहीं कर रहे थे।

रिफाइनरी लाने का काम भी सबसे पहले हमने किया था परन्तु रिफाइनरी हम राजस्थान प्रदेश की जनता के भले के लिए लाना चाहते हैं। जो एम.ओ.यू. कांग्रेस ने साइन किया वो विन-विन सिचुएशन नहीं था। जमीन भी हमारी, तेल भी हमारा, पैसे भी हमारे और भागीदारी केवल मात्र 25 प्रतिशत की थी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने यही बात कही कि हम रिफाइनरी तो लायेंगे परन्तु रिफाइनरी अपनी शर्तों पर लेकर आयेंगे, राजस्थान के भले के लिए लेकर आयेंगे और दुबारा नेगोशियेशन करेंगे। वो नेगोशियेशन दुबारा हो रहा है और निश्चित रूप से उसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे और जितना पैसा रिफाइनरी से कांग्रेस के समय में मिल रहा था उससे कहीं अधिक शेयर हम लेकर आएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने इस 2015-16 में भी 80.10 करोड़ रुपये का रिफाइनरी के लिए प्रावधान किया है इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। गत वर्ष 2013-14 के बजट में ग्रामीण सड़कों हेतु कांग्रेस ने केवल मात्र 133 करोड़ का प्रावधान किया था

(श्री अशोक परनामी)

और हमारी सरकार ने इस 2015-16 में 900 करोड़ का प्रावधान किया है जो इस बात को दर्शाता है कि हम राजस्थान प्रदेश में विकास को पटरी पर लाना चाहते हैं। 2015-16 के बजट में 2119 किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृति 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिए दी गई है जो कांग्रेस ने नहीं दी थी। इसके साथ ही 2 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक रोड का भी निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन पर 900 करोड़ का प्रावधान हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। अध्यक्ष महोदय, गांव तक किस प्रकार से सड़कें पहुंचे, मैं पिछली बार भी सदन में था, गहलोत साहब कहते थे कि हम एक भी गांव नहीं छोड़ेंगे जहां पर सड़क नहीं होगी। यदि उन्होंने सारा काम पूरा कर दिया होता तो हमें इस बजट में नहीं देना पड़ता परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि पिछली सरकार ने तो गांवों के लिए कुछ नहीं किया पर आप गांवों के लिए काफी काम कर रही हैं। मुख्य मंत्रीजी ने 250 से 499 तक की जनसंख्या के 600 गांवों में 1440 किलोमीटर रोड सम्पर्क दिसम्बर, 2015 तक पूरा करने का वादा किया है। इसके साथ ही 250 एवं उससे ऊपर की जनसंख्या की जो करीबन 1100 ढाणियां हैं, उन ढाणियों में भी 960 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है जहां पर सड़कों का निर्माण इस माध्यम से होगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में राजस्थान रोडवेज जिस हालत में आ गई वह किसी से छिपी हुई नहीं है। किस प्रकार से राजस्थान रोडवेज का उत्थान हो उस दिशा में भी आदरणीय वसुन्धरा जी ने रिफोर्म लिंक्ड असिस्टेंस प्रोग्राम में 120 करोड़ रुपये की ग्रांट दिया जाना प्रस्तावित किया है तथा 160 करोड़ रुपये कन्सेशनल फेयर के पेटे ग्रांट उपलब्ध करायी है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक बात और बड़ी स्पष्ट की, उन्होंने आश्वासन दिया क्योंकि जिस प्रकार से रोडवेज घाटे में चल रहा है, वहां के कर्मचारियों में इन-सिक्योरिटी आ गई तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है और मैं उस आश्वासन को उद्धृत करना चाहूंगा कि रोडवेज के कर्मचारियों को रोडवेज के बंद होने के भय का कोई कारण नहीं होना चाहिए, यह खुला उन्होंने बोला है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण यात्रियों को यात्रा की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1500 नये रूटों पर ग्रामीण बस सुविधा चालू करने का भी प्रावधान इस बजट में दिया गया है।

(श्री अशोक परनामी)

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा का विस्तार होगा। अध्यक्ष महोदय, विद्या ही अहंकार से मुक्ति का रास्ता है। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में राजस्थान में शिक्षा की जो दुर्व्यवस्था देखी थी उस समय उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था और संकल्प लिया था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लायेंगे। उन्होंने जो कहा वही इस बजट में करके दिखाया। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यय को 16 प्रतिशत बढ़ाकर 21788 करोड़ 97 लाख कर दिया। यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। यह नींव जब मजबूत होगी तब आगे स्किल राजस्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी तरह माडल स्कूल विकसित करने के लिए अगले तीन वर्षों में 237 करोड़ 90 लाख रुपये उपलब्ध करवाकर एक अभिनव पहल की है। बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर देने से उन्हें निश्चित रूप से सुविधा का लाभ मिलेगा। 657 ग्राम पंचायतों में फेज्ड मैनर में चुने गये स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके साथ ही आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा किस प्रकार से मिले इसके लिए 1650 मेधावी छात्राओं को 1650 स्कूटी दिया जाना भी इस बजट में प्रस्तावित किया है। इस सब गुणवत्ता सुधार में शायद सबसे बड़ा सुधार डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की स्थापना है। यह बोर्ड राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में राज्य में साइंस एण्ड ह्युमिनिटीज रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना व हायर एजुकेशन डवलपमेंट प्लान राजस्थान को एजूकेशन हब बनाने में सबसे बड़ा आगे रास्ता साकार करेगा। कुल मिलाकर शिक्षा में नई क्रान्ति आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पैदा करने का प्रयास किया है।

इसके साथ-साथ राजस्थान प्रदेश में किस प्रकार रोजगार उत्पन्न हो तो स्किल प्रोग्राम भी आदरणीय वसुन्धराजी ने राजस्थान प्रदेश की जनता को दिया है। सुराज रोजगार मुहैया कराने का माध्यम भी बने, यही माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना था। कौशल विकास व रोजगार के क्षेत्र में इस बजट में कई आउट आफ द बाक्स आइडियाज आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं। स्किल व रोजगार को जोड़कर एक पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा जिसमें ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों, सभी को ऐसे कौशल को चिह्नित करके

(श्री अशोक परनामी)

प्रशिक्षण देने की बात है जो उस क्षेत्र के अनुकूल है जिसमें सस्टेन अर्निंग, नियमित आय हो सके, उसमें स्वरोजगार बढ़ सके, इस दिशा में भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है।

आई.टी.आई. के क्षेत्र में तो इस बजट ने एक चमत्कारिक परिणाम देने का काम किया है। ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में जब युवा अन्य युवाओं को प्रेरित करेंगे तो स्किल राजस्थान का सपना निश्चित रूप से हम पूरा कर पाएंगे। मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जो विकास के लिए कहा कि विकास में हाई वे भी चाहिए और आई वे भी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस बजट को आप देखेंगे तो बजट हाई वे पर भी है और आई वे पर भी है। राजस्थान का बजट इसी सर्वांगीण विकास का बजट है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट 10 हजार किलोमीटर हाई वे सड़कें बनाने की बात तो करता ही है परन्तु सूचना प्रौद्योगिकी पर 626 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान करने वाला, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि यह पहला राजस्थान प्रदेश है जिसने इतना बड़ा बजट राजस्थान प्रदेश की जनता के सामने रखा है।

आदरणीय वसुन्धराजी ने अपने पिछले कार्यकाल में भामाशाह योजना को चालू किया था। उस भामाशाह योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो रहा था। परन्तु मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी पूर्व सरकार ने, गहलोत साहब ने इस भामाशाह योजना को बन्द कर दिया।

आज यदि उस भामाशाह योजना को बंद नहीं किया जाता तो राजस्थान की दिशा और दशा बहुत ही सुन्दर होती। हमारे आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने आते ही इस भामाशाह योजना को पुन: चालू किया और आज उससे 1.92 करोड़ निवासी इस भामाशाह स्मार्ट कार्ड से जुड़े हुए हैं। उसे और विकसित कर प्रदेश के 9,990 पंचायतों में अटल सेवा केन्द्र तक माइक्रो एटीएम विकसित करने की बात भी आदरणीया वसुन्धरा जी ने इस बजट में की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कहूंगा, यह सच्चे अर्थों में रोडमैप बजट है और यह रोडमैप वीजन 2020 के लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीया वसुन्धराजी ने सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी इस बजट में प्रावधान किया है। आज हर शहर कचरे से परेशान है। उस

(श्री अशोक परनामी)

परेशानी से किस प्रकार से निजात मिले तो सोलिड वेस्ट जो शहरी क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या है, उस पर भी चयनित शहरों में वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी जो सफाई व्यवस्था है, उसमें भी लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, जयपुरवासियों के लिए तो यह बजट आनन्दमयी बजट है। पहली बार जयपुर शहर को इस बजट में सात फ्लाईओवर्स। खोले के हनुमानजी के मंदिर में, पहले भी जब आदरणीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, तो उन्होंने उस मंदिर का विकास किया था। पिछले पांच वर्षों में एक पैसा उस मंदिर में दुबारा नहीं लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा यहां हमारा तीर्थस्थल है खोले के हनुमानजी मंदिर, आदरणीया वसुन्धराजी ने वहां पर पुन: 10 करोड़ रुपये देकर उसके विकास के काम भी अपने हाथ में लिये हैं।

बिजली के तारों को भूमिगत करना, यह भी आदरणीया वसुन्धराजी की जब पिछली सरकार थी, उस समय सपना था कि किस प्रकार से जयपुर शहर, जो एक ट्यूरिस्ट प्लेस है। वह सुन्दर दिखे और जितने भी यहां पर बिजली के तार हैं, वे भूमिगत हो जायें। उसमें काम भी हुआ था परन्तु हमें बड़ा दु:ख है कि पिछली सरकार ने आते ही उस कार्य योजना को बंद कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने बिजली के तारों को भूमिगत करने का काम पुन: इस बजट में सैंक्शन किया है। निश्चित रूप से जयपुर में इसका बहुत लाभ होगा।

इसके साथ ही बोटनिकल पार्क, सेन्ट्रल पार्क का और विकास करना। एलईडी लाइट की व्यवस्था करना। निश्चित रूप से यह सारे काम इस जयपुर शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी में लाकर खड़ा करेंगे। सपना तो राहुल गांधीजी का था, पूरा कांग्रेस को करना था परन्तु वह सपना हमारी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी पूरा कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहला बजट देखा, जिस बजट की प्रतिक्रियाएं अगर आप अखबारों के माध्यम से देखोगे तो सारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक आईं।

पहली बार वैट में किस प्रकार से सुविधा दी जाये। कर को लेने में किस प्रकार से व्यापारियों को सुविधा मिले। उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। इस बजट में उन्होंने यह करके दिखाया है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री अशोक परनामी)

मैं एक व्यापारी भी हूं। कर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है परन्तु कर देने का जो तरीका है, सरकार का जो तरीका लेने का है, उसमें काफी विसंगतियां थीं। पहली बार उन विसंगतियों को आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने दूर किया है। इससे सारे व्यापार जगत में खुशी का माहौल बना है।

अध्यक्ष महोदय, पानी हमारा जीवन है। मैं एक जन प्रतिनिधि भी हूं, किस प्रकार से जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो पानी की सबसे बड़ी हमारे सामने विकराल समस्या आकर खड़ी होती है। पिछली सरकार ने इस पानी के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जयपुर शहर में बीसलपुर की परियोजना 30 साल से बंद बस्ते में पड़ी थी। 2003 से लेकर 2008 का जो कार्यकाल आदरणीया वसुन्धरा जी का आया तो उन्होंने बीसलपुर परियोजना को जयपुर में लाने का काम किया और जयपुर शहर की 90 प्रतिशत पानी की समस्या उस बीसलपुर परियोजना से पूरी हुई थी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में हमारी विजनरी लीडर ने जल प्रबन्धन के माध्यम से सस्टेनेबल डवलपमेंट का लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा एक ब्ल्यू प्रिंट सदन के सामने रखा है। विकास के लिए सही नीति बनाना जरूरी है। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने ग्राउण्ड वाटर को छोड़कर सरफेस वाटर आधारित पेयजल योजना को डवलप करने का नीतिगत निर्णय लिया। इससे निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में पानी की समस्या का समाधान होगा। यही कारण है कि गिरता हुआ वाटर टेबल और बढ़ते जन घनत्व को एक नीतिगत निर्णय लेकर सस्टेनेबल डवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त किया। 109 वृहद पेयजल योजनाएं स्वीकृत करके 33,495 करोड़ रुपये का खर्च जलापूर्ति पर होकर 100 कस्बे, 16,229 गांव, 12,206 ढाणियों को पीने योग्य पानी मिल सकेगा। इसमें से अब तक 36 वृहद् योजनाएं हम पूर्ण भी कर चुके हैं, 20 कस्बे और 2,372 गांव और 971 ढाणियां इसमें हम कवर कर चुके हैं पिछले एक साल में। इन पर 3,743.76 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। वर्तमान में 69 वृहत् योजनाएं प्रगति पर हैं, जिनकी लागत करीबन 25,976 करोड़ रुपये है। इन्हें तीन साल में पूरा करने का आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय, जल हर नागरिक का अधिकार है। अत: हमने पिछले बजट में पेयजल की 67 लम्बित योजनाएं 2015 में पूरी करने का लक्ष्य

(श्री अशोक परनामी)

रखकर 299 करोड़ रुपये का बजट दिया था। इस बार यह प्रावधान 209 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है यानी हम क्रमबद्ध तरीके से गैप को भरने का काम कर रहे हैं जब कि गहलोत सरकार ने 2006-07 में जो हमारी 12 योजनाएं थीं, उनको बंद कर दिया। हम पुरानी कोई योजना बंद नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, परन्तु कांग्रेस ने इस प्रकार के काम करके राजस्थान प्रदेश को जल से महरूम रखा।

इसके साथ ही जल की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़े, उस पर भी आदरणीया वसुन्धराजी ने पूरा ध्यान दिया, 2,000 आर.ओ. लगाने का एक सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है। इसके साथ-साथ रिपेयर व रखरखाव पर 139.55 करोड़ का प्रावधान व 1,000 सोलर बेस्ड बोरवैल की स्थापना का लक्ष्य और सौर ऊर्जा व जलापूर्ति के एकीकृत लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह भी अध्यक्ष महोदय, आदरणीया वसुन्धरा जी ने काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, जलदाय परियोजना हेतु 2013-14 में 2,556 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना में किया गया था जबकि इस बजट में हमने 4,674 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, जब यह रिपेयर की बात आई तो मुझे और भी बात याद आ गई। आज तक किसी भी सरकार ने रिपेयर के मद में कभी पैसा जारी नहीं किया। हमारे जो असैट्स हैं, जो हमारे केपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उसका रखरखाव किस प्रकार से हो, इस मद में भी आदरणीया वसुन्धरा जी ने विभिन्न-विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस काम को दिया है।

अध्यक्ष महोदय, खेल को भी आदरणीया वसुन्धरा जी ने किस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के हमारे खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, उस पर भी उन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया है। यह पहला बजट है खेलों के लिए की गई, यह राजस्थान को विश्व के खेल मानचित्र पर लाकर निश्चित रूप से खड़ा कर देगी। ऐसे अनेक कदम आदरणीया वसुन्धराजी ने उठाये हैं। चाहे वह भत्तों को बढ़ाना हो, चाहे वह स्वर्ण रजत पथ पर राशि बढ़ाना हो, प्रशिक्षुओं की व्यवस्था करना हो या स्पोर्टस काम्प्लेक्स बनाना हो, यह सारे कदम खेल को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीया वसुन्धराजी को, जब 2003 से 2008 तक वे मुख्य मंत्री थीं, तब भी उन्होंने खेलों को प्रोत्साहन दिया था परन्तु फिर पिछले पांच वर्षों में गति थम गई। उस गति

(श्री अशोक परनामी)

को पुन: खेलों की दिशा में आदरणीया वसुन्धराजी लेकर आ रही हैं। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।

(14.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मत है कि राजस्थान के सभी निवासियों को यह जो बजट आदरणीय वसुंधराजी ने प्रस्तुत किया है। केवल मात्र चार पंक्तियां कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करुंगा। यह जो बजट है जन-जन की आकांक्षा है, यह बजट जन-जन का विकास है, पूरे हों अब स्वप्न सभी, यह हम सबका का प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

शासकीय वक्तव्य (सूचना)

डूंगरपुर के धमाला गांव में पैंथर का हमला

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी इस सदन को दी, उसकी जानकारी मैंने पूरी प्राप्त कर ली है। यह दमाला गांव है, सदर थाना डूंगरपुर के अन्दर आता है। एक प्राइमरी स्कूल है उसके पीछे से पैंथर ने प्रवेश किया और राजू नाम का एक जो राहगीर चल रहा था, उसकी पीठ पर उसने पंजा मारा और उसको गिरा दिया। उसके बाद वह वहां से भागा और भागने के बाद वह जाकर के छुप गया। हमने उसको 108 एम्बुलेंस में तुरन्त डूंगरपुर हास्पिटल भेज दिया। विनोद जो वहां का हमारा एस.एच.ओ. है, वह अपनी टीम लेकर के मौक़े पर पहुंच गया और इसको ढूंढने का प्रयत्न किया। वो किसी एक पुलिया के नीचे किसी पाइप में बैठा हुआ था। वहां से फिर उसने निकलकर के हमारे एस.एच.ओ. पर भी हमला किया और उसको भी उसने घायल किया। लेकिन कोई बहुत अधिक गम्भीर चोट नहीं आई, पर उसे भी हमने एम्बुलेंस में बैठा करके भेजा है। उसके बाद वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। हमारा डी.वाई.एस.पी. अपनी टीम लेकर के वहीं मौजूद है। वो वापस वहां से जाकर के उसी पाइप में बैठ गया। उस पाइप को बंद कर दिया ताकि जो उदयपुर से टीम बुलाई है गन लेकर के, वह जब पहुंचेगी तब उस पाइप का मुंह खोलेंगे और उसके बाद उसको निकालकर के काबू करेंगे। अब तक जनता को भी वहां से हटा दिया, पुलिस भी है और डिपार्टमेंट के लोग हैं, दोनों बिलकुल सुरक्षित हैं,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गम्भीर किस्म की चोट नहीं है लेकिन यह हादसा हुआ है और अभी भी पैंथर वहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बाहर धरने पर बैठे हैं। पहले जब चुनाव हुए थे ना, तो प्रदेश की जनता ने उनमें से अधिकांश को जो यहां पहले सदन में बैठते थे पिछले चुनाव के पहले, उनको सदन से बाहर कर दिया था और अब यह जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है। इनको अभी से अपना भविष्य दिखना चालू हो गया कि जब आगामी चुनाव आएंगे तो हमको सदन से बाहर पहले से ही बैठने की तैयारी करनी है इसलिए आज बाहर बैठे हैं।

(14.03 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 9 मार्च को इस पवित्र सदन में जो बजट पेश किया। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के सदस्य ही उसकी तारीफ कर रहे हैं राजस्थान की अधिकांश आबादी इस बजट की प्रशंसा गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में कर रही है। और लोगों को भी यह उम्मीद जगी है कि हमारे प्रदेश का जैसा विकास होना चाहिए, हमारी समस्याओं का जितनी जल्दी समाधान होना चाहिए, इस बजट के बाद काम भी होगा और समस्याओं का समाधान भी होगा। कैसी हालत में ये छोड़कर गए थे सरकार को? क्या थी खजाने की स्थिति? लेकिन उसके बावजूद भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट में जितना कुछ करना चाहिए था, उससे ज्यादा करके इस प्रदेश की जनता को दिया है। सभापति महोदय, आपको पूरा पता है कि केन्द्र ने भी जो राशि होती है उसमें भारी कटौती की है और खजाने की स्थिति पहले से ही दयनीय है। लेकिन बजट में कहीं पर भी इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पास राशि की कमी है। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम इन योजनाओं में कटौती करेंगे या कमी करेंगे। ऐसा कहीं नहीं किया।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी विशेषता इस बजट की यह है कि जिस गम्भीर समस्या को लेकर हमारा प्रदेश चिंतित है वह है रोजगार की समस्या। इस बजट के बाद में रोजगार के जितने अवसर राजस्थान की धरती पर पैदा होंगे, हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की ओर मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। वर्ना पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि यहां रोजगार की कमी है और हमारा युवा रोजगार ढूंढने चाहे गुजरात जा रहा हो, चाहे महाराष्ट्र जा रहा हो, चाहे कर्नाटक, तमिलनाडु जा रहा हो, यह बजट जब इस राजस्थान की धरती पर लागू होना ना, तो अधिकांश व्यक्तियों को राजस्थान की धरती पर ही उससे भी बेहतर रोजगार मिलना चालू हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी की दूरदर्शिता देखिए। उनको पता है राजस्थान में क्या-क्या सम्भावनाएं हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहरें हैं, राजस्थान में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां दूर-दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। पर्यटन के यहां बहुत ज्यादा आसार हैं। आज पर्यटन भी एक ऐसा उद्योग है जिससे राज्य की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इसको छुआ है। पर्यटन में पिछले वर्ष की तुलना में 68 परसेंट अधिक प्रावधान करके हमारे सारे वो स्थान जहां पर्यटक आता है, उसको और सुन्दर और बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किया है और निश्चित रूप से इससे प्रदेश की आमदनी को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पर्यटक ज्यादा संख्या में यहां आएंगे। माननीय सभापति महोदय, रोजगार को लेकर देख लें आप। श्रम एवं नियोजन विभाग का कुल बजट प्रावधान 2015-16 में 802 करोड़ 47 लाख है जो पिछले वर्ष की तुलना से 22 परसेंट अधिक है। मुख्य मंत्रीजी जानती हैं कि जब तक रोजगार के ज्यादा अवसर इस प्रदेश की धरती पर नहीं पैदा किए गए तब तक प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ नहीं सकती और इस प्रदेश का विकास भी नहीं हो सकता। इसलिए 22 परसेंट ज्यादा प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ समाज का हर वर्ग जो सरकार से कुछ उम्मीद लगाकर बैठा है उसमें भी कितने प्रावधान हैं। मानव संसाधन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे महिला एवं बाल विकास के हों, चाहे जनजाति और अल्पसंख्यक कल्याण के हैं, उसमें भी 7 हजार 854 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 परसेंट अधिक है। हुआ क्या था? हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने यह भ्रम फैलाया जनता में कि तुम्हारी पेंशन बंद हो जाएगी जो योजना तुमको मिल रही है यह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सरकार उसको बंद कर देगी। हमने उनकी कोई योजना बंद नहीं की बल्कि उस योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए, उस दिशा में भी जितना प्रयास करना था वह प्रयास किया और हमने बजट में इस बार 10 परसेंट ज्यादा प्रावधान किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बात करते हैं कि हमने कई स्कूलों को बंद कर दिया। किसी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं या नाममात्र की संख्या है और वहां भारी तनख्वाह के रूप में राज्य सरकार की राशि जा रही हो तो कुछ कदम जरूर उठाने पड़े लेकिन यह बजट इस बात को साबित करता है कि हमने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष शिक्षा में ज्यादा प्रावधान किया। हमने 16 परसेंट अधिक राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा को दी है और 21,788 करोड़ का प्रावधान हमने सबको शिक्षा, सबको बेहतर शिक्षा के लिए किया। एक जो भ्रम लगातार फैला रहे हैं कि ये नि:शुल्क दवा बंद कर देंगे। अभी जो मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया कि हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में नि:शुल्क दवा योजना में या चिकित्सा में ज्यादा खर्चा किया है और इस बजट के बाद हमारी मुख्य मंत्रीजी की मंशा साफ हो जाती है स्पष्ट हो जाती है कि हम नि:शुल्क दवा तो उपलब्ध करायेंगे ही साथ में बेहतर चिकित्सा सुविधा भी हर व्यक्ति को मिल जाए वो भी राजस्थान में करके दिखायेंगे और चिकित्सा में हमने इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत ज्यादा प्रावधान किया है। किसको लाभ मिलेगा इसका? राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। हां, कहीं कटौती करते तो लगता कि हम कुछ योजनाएं बंद करने जा रहे हैं। पर जब हम बजट प्रावधान को बढा रहे हैं तो हमारी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि हम राजस्थान को बहुत कुछ देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली है। पहली बार किसी सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने एवं रोजगार के अधिक से अधिक नये अवसर पैदा करने की दिशा में अनेकों बजट प्रस्ताव लिये हैं, अनेकों प्रावधान लिये हैं। मैंने जैसा पहले कहा था न कि हमारे यहां के युवा को हमारे यहां के व्यक्ति को यहीं पर रोजगार मिल जाए और साथ में इस दिशा में भी प्रयास हमारे प्रधान मंत्रीजी ने नारा दिया मेक इन इंडिया और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने मेक इन इंडिया के साथ में मेक इन राजस्थान का नारा दिया है कि हम राजस्थान में भी जो-जो वस्तुएं बना सकते हैं वो हम बनायेंगे क्योंकि ये पूरा प्रदेश जानता है कि जितने भी देश के बड़े उद्योगपति हैं उनमें से अधिकांश ने राजस्थान की धरती से बाहर जाकर अपना काम किया है और यहां उनको ऐसा वातावरण मिल जाए कि वो अपना उद्योग यहां स्थापित कर सकें तो यहां भी बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं और इस दिशा में अच्छी शुरूआत हमारी सरकार के आने के बाद में हुई है, हमारे औद्योगिक निवेश में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। औद्योगिक वातावरण को इन्वैस्टर फ्रैंडली बनाने के लिए जितने प्रयास होने चाहिए वो हमने किये हैं। आपने बजट में देखा होगा कि हमने प्रवेश करों में भारी कमी की है और कई वस्तुओं पर तो हमने प्रवेश कर लगभग-लगभग समाप्त कर दिया है। यह भारी कमी है और नीयत यह है कि हम यहां अपना खुद का एक औद्योगिक वातावरण तैयार कर लें कि जो बड़े घराने हैं, जो बाहर जा रहे हैं उनका वहां से मोह खतम होकर यहीं राजस्थान की धरती पर अपने उद्योग लगायें इसलिए कई तरह की छूटें दीं। हो सकता है उसमें सरकार को कुछ आर्थिक कमी आ सकती है लेकिन आने वाले कल में जो बढ़ोतरी होगी न उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा। जब उद्योग यहां लगेंगे, रोजगार मिलेगा, कई तरह के टैक्स उनसे मिलेंगे और आय बढ़ेगी सरकार की तो उसका राजस्थान की जनता को आने वाले कल में निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, सम्पत्ति के हस्तांतरण और बेचान में भी मैंने पहली बार देखा है कि इतनी छूटें मिलती हैं। पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति दान में भी जमीन देना चाहता है तो उस पर भी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। कोई सरकार को भी जमीन दे, भवन दे तो सरकार के पीछे चक्कर लगाये कि आप इसकी स्टाम्प ड्यूटी माफ करें। अब सरकार ने एक आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि सरकार या सामाजिक कार्य के लिए या धार्मिक कार्य के लिए कोई जमीन देगा अपनी ओर से तो स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी उसकी। अनेक प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी में हमने कमी की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बजट राजस्थान की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा और राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा और मैं तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पाली का हूं इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी का कि हमारी जो वर्षों की मांग थी जिसको लेकर हम बदनाम भी थे कि पाली देश के गिने हुए जो प्रदूषित शहर हैं उनमें एक है। हमारी जब-जब भी सरकार आयी तो हमने इस प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किया लेकिन जो हमारा प्रमुख प्रयास था कि एक बूंद पानी भी जो प्रदूषित है वो नदी में नहीं जाए और उसके लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत थी और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में पाली को जेड.एल.डी, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की स्वीकृति देकर पाली शहर पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का अपनी ओर से और पाली की जनता की ओर से बहुत-बहुत आभारी हूं उनको धन्यवाद भी देता हूं। यह मामूली काम नहीं था। वर्षों से मांग थी इसकी पर किसी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हुई कि इसके लिए इतनी बड़ी राशि जारी कर दे। माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य देखें आप 9 तारीख को बजट में घोषणा हुई और कल उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी और उस वित्तीय स्वीकृति का पेपर लेकर हमारे अधिकारी दिल्ली उनका अंशदान लेने के लिए पहुंच गये। इतनी त्वरित कार्यवाही। पाली को पहले भी बहुत कुछ दिया, इस बार भी दिया। पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कुछ और भी निवेदन करना चाहूंगा जिसमें हमारा सबसे प्रमुख निवेदन है कि जवाई बांध पुनर्भरण योजना का।

माननीय सभापति महोदय, आपको पता होगा आपने भी इतने बजट देखें हैं, पढ़े हैं। हर बजट में बहुत सारी पेयजल योजनाएं आती हैं। इतने गांवों को जोड़ा जाएगा, इतनी ढाणियों को जोड़ा जाएगा उसमें करोड़ों रुपयों का प्रावधान है। बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं भी आती हैं कि इतनी बीघा भूमि को अधिक सिंचित किया जाएगा, इतने पक्के खालों का निर्माण, पक्की नहरों का निर्माण। करोड़ों रुपये उसमें खर्च होते हैं पर जिस बांध से चाहे सिंचाई के लिए पानी देना है चाहे पेयजल के लिए पानी देना है उसमें भी पानी की आवक बराबर बनी रहे वो काम भी करना होगा वर्ना आपने गांव तो बहुत जोड़ दिये पेयजल में खेत बहुत जोड़ दिये सिंचाई परियोजना में, पर बांध में आवक उतनी ही है तो ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। मेरा सरकार से, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि पाली का जो जवाई बांध है, जिसने वर्षों तक जोधपुर को पानी पिलाया, पाली जिले की जनता को पानी पिलाया और हज़ारों बीघा जमीन में खेती भी उसके माध्यम से हुई है। ये जवाई बांध

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निरन्तर भरा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को पिछली बार उन्होंने जो हमारा सपोर्टेड बांध है सेई, उसको ऊंचा करके इसमें आवक बढ़ाई थी पर वो आवक बहुत ज्यादा नहीं थी। अब जो इसमें वाकल नदी पर बांध बना कर साबर नदी के माध्यम से इस पानी को जवाई बांध में लाया जा सकता है। देवास नदी का वैसे भी बहुत सारा पानी गुजरात जा रहा है। यह हमारा पानी है जिसका उपयोग हम कर नहीं पा रहें हैं, जिसको हम ले नहीं पा रहे हैं वो पानी गुजरात जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस दिशा में पहल कर दी, एक कमेटी भी गठित कर दी पर इस बजट में ही इस बात की घोषणा हो जाए कि इस परियोजना की स्वीकृति दी जाती है तो शायद पाली जिले के लिए इससे बड़ा और कोई शुभ समाचार हो नहीं सकता क्योंकि जवाई बांध यदि भरा रहेगा तो लाखों लोगों को पेयजल का पानी तो निरन्तर मिलेगा, साथ में हजारों बीघा भूमि है ना उसको सिंचाई का अवसर मिलेगा तो पैदावार बढ़ेगी उससे वहां के किसान भी खुशहाल होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पावरलूम उद्योग को बढावा देने की बात भी इस बजट में की है। मैं चूंकि पाली से आता हूं और वहां कपडे का बहुत बड़ा काम है। हमारे यहां कच्चा कपड़ा महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आता है। पर वहां पावर लूम के लिये जो बिजली की दरें हैं, वह राजस्थान की तुलना में बहुत कम है। यहां पावरलूम उद्योग के लगने की बहुत सम्भावना है। महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार या तमिलनाडु सरकार वहां के पावरलूम को छूट दे रही है। जो सहयोग कर रही है उतना सहयोग और छूट यहां की सरकार दे देगी तो निश्चित रूप से पाली या राजस्थान के अन्य शहरों में भी यह उद्योग तेजी से आगे बढ़ सकता हैं क्योंकि यहां बहुत सम्भावना है, यहां वैसे भी कपड़ा चाहिये। मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि आपने वैसे तो बजट में घोषणा कर दी है कि पावरलूम उद्योग के लिये हम कुछ करेंगे लेकिन अगर बिजली की दरों में कमी कर दें तो निश्चित रूप से हो सकता है आज राज्य सरकार को कुछ पैसा उसमें खर्च करना पड़े लेकिन आने वाले कल में जितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जितना टैक्स प्राप्त होगा उससे उस खर्च की भरपाई निश्चित रूप से हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। पूर्व में हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह सुझाव

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दिया था कि घनी आबादी के बीच में ऐसे कई सरकारी कार्यालय या सरकारी भवन हैं जिनकी वहां आज किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं रह गई और उनको अगर बाहर स्थानांतरित कर दिया जाये तो जनता को भी ज्यादा सुविधा होगी और सरकार को भी इससे अरबों रुपये की आमदनी होगी। हमारे पाली में पुराने बस स्टैंड पर पशु चिकित्सालय है जो शहर के बीच में आ गया, अरबों रुपये की जमीन है, वहां आने में भी दिक्कत, भीड़ भी बहुत रहती है और वहां की नगर परिषद ने सरकार को इस बात का प्रस्ताव दिया कि हम बाहर इससे भी अच्छा और सुविधायुक्त अस्पताल देने को तैयार हैं, यह जमीन हमको दे दो। दोनों काम हो जायेंगे पहले से ज्यादा सुविधायुक्त अस्पताल मिल जायेगा और बहुत बेशकीमती जमीन जो आज किसी उपयोग में नहीं आ रही उसकी कीमत भी सरकार या स्थानीय निकाय को मिल जायेगी। उसी प्रकार पाली के तिलक नगर में एफसीआई गोदाम है। शहर की पोश कालोनी में गोदाम और वहां से रोज ट्रक गुजरे इससे जनता भी परेशान। ये गोदाम आराम से बाहर बनाये जा सकते हैं। यह जमीन अगर नगर परिषद को दे दें या राज्य सरकार खुद ले ले तो इससे जो आमदनी होगी उस आमदनी के मात्र 5 परसेंट हिस्से से नये एफसीआई गोदाम कुछ दूरी पर बन सकते हैं, सरकार को इतनी बड़ी राशि मिल जायेगी। यह जनहित के लिये भी बहुत जरूरी है। हमारे दुर्गादास नगर में भी पुराने टूटे फूटे सरकारी क्वार्टर पड़े हैं। हर साल उनकी मरम्मत में लाखों करोडों रुपये खर्च होते हैं। इस बार तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मरम्मत में प्रावधान किया है। कई वर्षों से यह प्रस्ताव चल रहा है कि कहीं अलग स्थान पर बहुमंजिला क्वाटर बनाकर उससे भी ज्यादा संख्या में, उससे भी ज्यादा सुविधा युक्त बनाकर दे दें। ज्यादा क्वार्टर बन जायेंगे, ज्यादा सुविधायुक्त क्वाटर बन जायेंगे और यह जो जमीन बचेगी उससे सरकार को करोडों रुपये मिल जायेंगे। हम वैसे भी आर्थिक स्थिति को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। यह 5-6 काम हो जायेंगे तो निश्चित रूप से एक शहर से अरबों रुपये की राशि इस सरकार को मिल जायेगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह रहेगा कि आप प्रत्येक शहर में ऐसे जो भी सरकारी कार्यालय हैं, और कोई सरकारी सुविधा के भवन हैं जो वहां उपयोगी नहीं है उनको बाहर शिफ्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बजट में एक और चीज देखी कि हम रोजगार के लिये बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

इस बात का आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आईटीआई या पोलीटैक्निक कालेज खोलें ताकि कुछ हुनर सीख कर वह व्यक्ति कभी सरकार के लिये रोजगार की समस्या पैदा न करें, अपने आप खुद अपना रोजगार पैदा कर लें। इसलिए हमें ज्यादा आईटीआई या पोलीटैक्निक कालेज खोलने चाहिये, यह एक जरूरत है और हम वैसे भी कह रहे हैं कि जब तक हम कौशल नहीं देंगे तब तक रोजगार के ज्यादा अवसर हम चाहें तो भी पैदा नहीं कर सकते। मेरा यह आग्रह रहेगा कि अगर सम्भव है, कुछ राशि का प्रावधान है तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में जो सबसे बड़ा घाटा है वह विद्युत विभाग का है। कांग्रेस ने जो उसकी दुर्गति कर दी थी वह हमें संभालनी भारी पड़ रही है। हमको उससे उबरना तो है ही लेकिन छीजत में हम निश्चित रूप से कमी ला सकते हैं। मुझे खुद को पता है कि कई बस्तियों में बहुत सारे परिवार विद्युत चोरी करते हैं। हम वहां लोहे या पीतल के तारों की बजाय केबल लगा दें तो वह चोरी बंद होगी, छीजत कम हो जायेगी, अंडरग्राउंड केबलिंग कर दें तो उससे भी यह छीजत कम होगी। साथ में मेरा एक सुझाव भी रहेगा कि वैसे तो हम प्रदेश की हर रोड लाइट को एलईडी लाइट में बदल रहे हैं ताकि बिजली में कुछ बचत हो जाये। हमको इससे भी आगे बढ़ कर जितने भी हमारे सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय, मकान हैं वहां भी धीरे-धीरे पाबंद करना है कि वहां भी एलईडी लाइट का उपयोग लें ताकि जितनी बचत हो उतनी ही हमारे लिये बढ़िया है, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह यह भी रहेगा जैसा इस बजट में जिक्र भी है कि जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं इसलिए बहुमंजिला इमारतें ज्यादा बननी चाहिये। पर हमारी सोच बहुमंजिला इमारतों को लेकर अभी भी ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुमंजिला इमारत बनाना चाहे तो जितने रोड़े अटकाने हैं वह हम अटकाते हैं और वाकई में अगर जमीनों की कीमतों पर अंकुश लगाना है, काबू करना है तो हमें बहुमंजिला इमारतों के लिये कुछ न कुछ प्रोत्साहन की योजनाएं बनानी होंगी और यदि हमने यह योजनाएं बना दीं तो हमारी स्थानीय निकायों को उससे आमदनी तो होगी ही, साथ में जमीनों की कीमतों में भारी कमी होगी, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन रहेगा हमने इस बार गौशालाओं के लिये जो प्रावधान किया है वह प्रावधान जितना होना चाहिये

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उसकी तुलना में थोड़ा कम है क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम गौशालाओं को ज्यादा अनुदान देंगे। वैसे भी हम गायों के प्रति बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था रखते हैं और आपको पता है कि आज के जमाने में गाय पालना बहुत मुश्किल काम हो गया और इसलिए हर व्यक्ति अपनी पालतू गाय को भी सड़क पर छोड़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जितने भी गौशाला चलाने वाले संचालक या समाजसेवी हैं उनको, कि वह लाखों गायों को बचा रहे हैं। पर उनके ऊपर मुसीबत बहुत है, इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत भारी काम है, वह कर रहे हैं। यदि अनुदान बढ़ जाये, अभी हम तीन महीने का अनुदान दे रहे हैं वह अनुदान अगर 6 महीना कर दें, 8 महीना कर दें तो कोई भी गाय भूख से मरेगी नहीं, यह मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है।

सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक आग्रह और रहेगा कि पाली में 25 साल से विधि महाविद्यालय चल रहा है पर उसकी पाली में अपनी बिल्डिंग नहीं है। राजस्थान के विधि महाविद्यालय के जितने भी भवन है वह भवन ऐसे बचे हैं जो सरकारी बिल्डिंग में नहीं चल रहे। वह कालेज का एक हिस्सा है जो हास्टल में चल रहा है। कोई बहुत बडी राशि नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस विधि महाविद्यालय के भवन हेतु जितनी भी राशि दे सकें, वह दें।

सभापति महोदय, अभी हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 9 तारीख से स्वच्छता अभियान की शुरूआत की है। वैसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं, अपनी ओर से स्वच्छता करते ही हैं, वह रोज सफाई करते हैं। पर मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि यदि आपने अपनी ओर से यह अभियान दिया है तो हर स्थानीय निकाय को कुछ न कुछ सहायता राशि भी उपलब्ध करायें ताकि वह अतिरिक्त संसाधन लगाकर अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर इस अभियान को पूर्णत: सफल कर सकें, तो सरकार से आग्रह रहेगा कि इसमें कुछ योगदान स्थानीय निकाय को दें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा। मुख्य सचेतक महोदय, 23 में से 2 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। 21 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ सदस्य निर्दलीय हैं। आप स्वत: ही इन सदस्यों को कह दीजिए कि अनुशासन

(श्री सभापति)

सीमा में रहकर अपना वक्तव्य दे दें। आसन बोलते हुए किसी सदस्य को बाध्य नहीं करना चाहता कि वह बैठे। इसलिए...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आसन से यह निवेदन करूंगा कि दस मिनट होते ही एक बार उनको चेता दें। दस मिनट से ज्यादा अगर टाइम नहीं लेंगे तो सभी बोल लेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सबके पास...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मैं कह ही रहा हूं, मैं भी सबको सूचित कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप सबके पास में दस-दस मिनट की समय सीमा है। आप आसन से उदारता चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना अभिवादन ढंग से प्रस्तुत करना पड़ेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सर, मेरे बाद में लागू करो, मेरे पर लागू मत करो, माननीय सभापति जी, मेरे बीच में ही किया गया, मुझे पुकारने के बाद किया इसलिए बाद में लागू हो। सम्माननीय सभापति जी, 9 मार्च, 2015 को बजट पेश किया गया है वास्तविक अर्थ में यह बजट विजन 2020 और उसकी तरफ बढ़ने का एक संकेत है। अर्थव्यवस्था में अर्थआयाम की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण आधार होते हैं, एक आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरी सामाजिक आधारभूत संरचना, उस पर निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित प्रयास किया गया है। उसमें भी मानव संसाधन को महत्व देते हुए किया गया है जिसमें स्वज़न उत्थान और स्वज़न विकास, ऐसा दृष्टिकोण प्रकट किया है। आर्थिक आधारभूत ढांचे में सड़क परिवहन, हवाई परिवहन। भारत सरकार ने, राजस्थान में 875 करोड़ रुपये टोंक रेलवे विहीन था, उसके लिए भी राशि दी है। सड़क और दूसरा ऊर्जा, इन औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त बजट दिया गया है, यह अच्छा संकेत है। इसी प्रकार से अगर राजस्थान को बीमारू राज्य से बाहर लाना है तो उसी दृष्टिकोण से, उसी दिशा में यह बजट बढ़ा है।

(14.33 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

निवेश के लिए और आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए लघु उद्योग, निवेश नीति की घोषणा, आयोजन और खनन नीति, ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की गई है, यह निश्चित ही सराहनीय है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मानव संसाधन और सामाजिक विकास को भी आपस में समन्वित करने का प्रयास किया है जो हमेशा कमी रहती है। शिक्षा और चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, कला-संस्कृति और पेयजल, इन सब पर मानव विकास और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर इतना बड़ा प्रावधान किया गया है, इन्वैस्टमेंट बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से युवा भारत हो गया, युवकों को रोजगार की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में हर हाथ को काम, यह संकेत जो उन्होंने दिया था उस पर अमल करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रयास किया। मैं वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर हाथ को काम, ऐसा संकेत हमें विचारधारा में मिला है उसको लागू करने का प्रयास किया। उसके अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार आयोजना, परियोजना मिशन, प्रबंधन शिक्षा और मुख्यमंत्री जनआवास योजना। पिछली कांग्रेस सरकार विज्ञापन निकालती थी, कोर्ट से स्टे करवाती थी और इसी प्रकार से बहुत बड़ा पाप युवाओं के साथ पिछली सरकार ने किया। उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। पिछली सरकार ने 2009 में, राजस्थान में पब्लिक सैक्टर में रोजगार था उसकी मात्रा 9 लाख 62 हजार थी, वह 2013 में घटकर 9 लाख 53 हजार हो गई, अब आप कहेंगे कि उन्होंने कुछ तो नियुक्तियां दी होंगी, लेकिन उससे ज्यादा लोग रिटायर हो गए लेकिन फिर भी नैट 7 हजार की कमी आई। यह रोजगार की तरफ पिछली सरकार की जो उपेक्षापूर्ण नीति थी, युवकों के प्रति जो पाप था, यही कारण बना कि सरकार को आउट होना पड़ा। इसी प्रकार से 15 लाख लोगों को रोजगार देने की केवल घोषणा ही नहीं की हमने इसकी व्यवस्था भी की है। डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन, उसी के अन्तर्गत भामाशाह योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना, उसी प्रकार से औद्योगिक निवेश के लिए कर रियायतें, अन्य रियायतें, ये सब दी गई हैं।

इतना ही नहीं, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से तुलनात्मक रूप से सदन में निवेदन करना चाहता हूं, पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने जो विशेष कदम उठाए हैं, वे निश्चित तौर पर कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। जैसे निवेश का वातावरण बनाने का और प्रोत्साहन देने के लिए काफी प्रावधान बजट में किए गए हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इस कारण से निवेश सब्सिडी से नहीं चलता, निवेश प्रोत्साहन से चलता है। जब इन्सेंटिव मिलते हैं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तो ज्यादा मात्रा में इन्वैस्टर्स आते हैं और उसके लिए राजस्थान सरकार निश्चित तौर पर बधाई की पात्र है कि उसने काफी कदमों का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से निवेश प्रोत्साहन तब आता है जब पारदर्शिता आ जाती है, करों की विसंगतियां दूर होती हैं, औचित्यपूर्ण कर निर्धारण होता है, ये सब बातें की गई हैं जिस कारण से बाहर से आने वाले इन्वैस्टर्स हैं वे अधिक मात्रा में आ सकें। इसी प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा जैसे सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश करने का रास्ता, एक साथ हर पंचायत में, शिक्षा में, राजस्थान में दुर्भाग्य से कांग्रेस के 53 साल के कुशासन के कारण से केवल मात्र 52 परसेंट महिला शिक्षा है। इंडिया में केन्द्र शासित प्रदेशों के बाद लास्ट 35वां नम्बर है, यह कांग्रेस का भयंकर पाप है, जेंडर विकास के नाम पर वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने इसमें काफी प्रावधान किया है। इसको ठीक करने के लिए पांच हजार हायर सैकेण्डरी स्कूलें एक साथ खोली गई हैं। हालांकि मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूंगा, कल सदन में भी बात आई थी कि 899 के लगभग जो पंचायतें रह गई जहां सीनियर हायर सैकण्डरी नहीं हुई, इस कारण से नहीं हुई कि वहां प्राइवेट स्कूलें हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बड़े गांव है, बड़े गांव में भी प्राइवेट सैक्टर आया है इस कारण से उन्हीं गांवों में जहां जनसंख्या ज्यादा है उसमें एसटी, एससी की जनसंख्या भी है, ओबीसी की जनसंख्या भी है, एसबीसी की भी है, इस कारण से उन बच्चों को फीस देनी पड़ेगी इस कारण इसको उदारता दिखाते हुए इसी वर्ष करेंगे तो और लाभ होगा। हालांकि आशा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले बजट में मैं करूंगी। इसी प्रकार से स्वावलम्बन और विक्रेन्द्रीकरण, ये दो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए और दीर्घकालीन विजन की दृष्टि से आवश्यक होते हैं जिनको इसमें समायोजित किया गया है।

इसी प्रकार से स्वदेशी और आधुनीकरण जिसके बारे में आरोप लगे लेकिन विचाराधारा का विषय है, स्वदेशी और आधुनीकरण एक साथ चल सकते हैं, ऐसा दीनदयाल जी कहते थे। उसका प्रयास पहले भी हमने किया, अटल जी के टाइम भी किया और नरेन्द्र मोदी जी के टाइम में हम कर रहे हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने भी इसमें प्रयास किया है कि स्वदेशी और आधुनीकरण, इसी के कारण से जो नारा दिया वह है मेक इन राजस्थान। मेक इन राजस्थान स्वदेशी का पुट लिये हुए है लेकिन उसमें डिजिटल राजस्थान की जब बात करते हैं तो आधुनीकरण अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार से

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मानव संसाधान में गुणवत्ता और उपयोग के अवसर बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, जो पहले कभी नहीं किया गया। कांग्रेस जानती ही नहीं कि मानव निर्माण क्या होता है, अगर मानव निर्माण की बात कांग्रेस को याद होती तो देश इतना बरबाद नहीं होता, 53 साल शासन करने के बाद भी सड़क पर हम हैं, हमारे युवा सड़क पर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की क्या दुर्गति है, यह सब हम जानते हैं और विकास दर कह रही है अपने आप।

इसी प्रकार से जल संसाधन का उपयोग और विस्तार, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में एक ऊँचा क्षेत्र है 15 किलोमीटर का, जिसको गतटकनेत, जयपुर से नीमकाथाना स्टेट हाइवे है उस पर आता है, 70 किलोमीटर दूरी पर नारनौल है वहां तक जमुना का पानी नहर से आया हुआ है। उस पानी को अगर लिफ्ट करके वहां लाया जाता है तो 6 जिलों में पानी जा सकता है, स्वत: बहते हुए। वहां से सांभर झील में पानी जाता है जहां कालख बंधा खाली है। बाणगंगा के माध्यम से, जमवारामगढ़ का बंधा खाली है, धौलपुर तक उसका पानी जाता है इसलिए लेवल बढ़ेगा। इसी प्रकार से बुचारा बांध है, इसी प्रकार जोनपुरा धाभाई बांध है, इन सब बांधों में स्वत: पानी जाएगा और वह मथुरा नाले तक बहता हुआ पानी जाएगा, अलवर जिले को पार करते हुए, जयपुर जिले को पार करते हुए, तो इस प्रकार की प्लानिंग की जाए। एक्सेस जो यमुना का पानी है बरसात का, उसको डायवर्ट किया जाए, ऐसी प्लानिंग की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से यह कदम, बेसिक चीजें हैं जो राजस्थान में होनी चाहिए थीं, उनको हमने इस बजट में अंगीकार किया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विजन 2020 का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। कुछ चीजें सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। पहला है, अगर हमें विकास दर को मेन्टेन करना है राजस्थान में, और बीमारू राज्यों से ऊपर जाना है तो निश्चित तौर पर पशुपालन और कृषि में इन्वैस्टमेंट तेजी से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट हमने देख ली, कभी भी हम 9 प्रतिशत से ऊपर नहीं जा पाये, कभी भी नहीं गये, आज तक। कितनी सब्सिडी हमने दी इंडस्ट्री को, आज तक नहीं गये, 70 प्रतिशत इकाइयां बंद पड़ी हैं। सब्सिडी उठाते हैं, रियायत लेते हैं, टैक्स की रियायत लेते हैं, उसके बाद बंद करके चले जाते हैं। यह राजस्थान में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

है। और करोड़ों की जमीन उनके पास पड़ी है। इस कारण से पहला मेरा निवेदन है कि कृषि और पशुपालन में इन्वैस्टमेंट बढ़ाया जाय। इसी प्रकार से ऊर्जा का जो घाटा है, जिसके बारे में आपने अभी विषय रखा था, 62 हजार करोड़ रुपये पांच साल में, और इसी सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि 300 करोड़ का घाटा मैं बिजली बोर्ड का सहन नहीं कर सकता और जनता का पैसा कम्पनियों को दे नहीं सकता। उसी मुख्य मंत्री के रहते, उनकी आंखों के सामने यह पांच साल में 62 हजार करोड़ चला गया। इसकी केवल चिन्ता ही नहीं, इसकी जांच करने की आवश्यकता है, 35 करोड़ रुपये रोज का घाटा बिजली बोर्ड में, किसान को लूटा जा रहा है, चोरों को छोड़ा जा रहा है, करोड़ों-करोड़ों के केस हैं। मैं कह रहा हूं मूल्यांकन करके सदन में यह रखा जाना चाहिए कि आखिर 62 हजार करोड़ का घाटा पांच साल में कैसे हो गया। उसके बाद, मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार, 18-20 प्रतिशत जो बिजली की वृद्धि हुई है, उस पर भी पुनर्विचार करके गरीबों को, किसानों को राहत देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार से, सामाजिक क्षेत्र में गांव और गरीब की जो शिक्षा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आदर्श विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। लेकिन उसमें संख्या के आधार पर अध्यापक तय किये जा रहे हैं। यह अन्याय है, गांव और गरीब के बच्चों के साथ अन्याय है। कक्षावार अध्यापक होने चाहिए, न कि संख्यावार अध्यापक होने चाहिए। अगर 15 बच्चे हैं और 16 चाहिए, 100 चाहिए, अगर मान लो अध्यापक के लिये तो एक बच्चे के कारण से वह कक्षा खाली रहेगी, अध्यापक एक कम हो जाएगा। यह तो कोई न्यायोचित बात नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कक्षावार, हर कक्षा को अटैण्ड हो, हर बच्चे की छह घण्टे पढ़ाई हो। ऐसा मैं निवेदन करता हूं। इसी प्रकार से अब, यह समय भी आ गया है। आप खुद जानते हैं, इस कारण से इसमें मैं कहना चाहूंगा, अब समय आ गया है कि जो हमारे नीति आयोग बने हैं, जो कमेटियां बनी हैं, उनको यह मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने जो इण्डस्ट्री को एक रुपया दिया, उससे कितना उत्पादन हुआ और एग्रीकल्चर को एक रुपया अनुदान में दिया, उसका कितना रुपया हमें प्राप्त हुआ, कितना उत्पादन हमें प्राप्त हुआ। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर और... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका समय अब समाप्त हो रहा है। (व्यवधान) एक मिनट आप और बोल लें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। मैं बालिका शिक्षा पर आता हूं और एक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत जो जिला आयोजना, क्षेत्रीय आयोजना है, उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए।

इसी प्रकार से मैं विराटनगर के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी नई पंचायत समिति बनी है पावटा। उसमें 29 पंचायतें आती हैं। उप तहसील है, इसलिये उसको तहसील का दर्जा दिया जाए। पावटा क्षेत्र में प्रागपुरा थाने का मुंसिफ कोर्ट कोटपूतली में है, एरिया नहीं है, कोटपूतली में है। उसको पावटा ट्रांसफर किया जाए। इसी प्रकार से विधान सभा क्षेत्र में एक भी आई.टी.आई. नहीं है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी आई.टी.आई. नहीं है। गरीब बच्चों को फीस देनी पड़ती है। इसी प्रकार से विराट नगर चार धर्मों का पवित्र स्थल है। मुगल गेट है, राजस्थान में एक मात्र बौद्ध स्तूप विराटनगर में है, जैन नसियां है, गणेश मन्दिर है। अखण्ड भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ है। इस कारण से इसको पर्यटक स्थलों में जोड़ा जाए। (व्यवधान) दो मिनट और लूंगा। हमारे जो भवन हैं, 35 साल से नगरपालिका का भवन नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि भवन के लिये पैसा दिया जाए। इसी प्रकार से एक भी सरकारी महाविद्यालय विराटनगर तहसील में नहीं है। वहां भी, चाहे संस्कृत का हो, चाहे महिला हो, चाहे सह-शिक्षा का हो, किया जाए। इसी प्रकार से जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार मेड़ और राजनोता में दो सी.एच.सी. खोले जाएं। इसी प्रकार से गौण मण्डी है, पावटा, उसको प्रमुख मण्डी बनाया जाए। पर्याप्त भूमि है, रीको की एक भी यूनिट नहीं है, इसलिये रीको की यूनिट चालू की जाए। इसी प्रकार से 400 के.वी. का नेशनल ग्रिड है, 132 के दो ग्रिड हैं, लेकिन 220 नहीं होने के कारण से कोटपूतली और शाहपुरा पर आश्रित रहना पड़ता है, इसलिये 220 का ग्रिड बनाया जाए। केन्द्रीय कॉलेज, जो पोलीटैक्निक कालेज है, उसके लिये मेरे पास जमीन है। इसी प्रकार से विराटनगर शहर में पानी की समस्या है, उसके निराकरण के लिये शीघ्र ही जो प्रस्ताव आये हैं, उनको मंजूर किया जाए। आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धनसिंह रावत।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश का बजट आम जनता को समर्पित बजट है। अर्थात् प्रदेश का बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित बजट है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया था कि हमको विरासत में जर्जर अर्थव्यवस्था मिली। इसके बावजूद हमारी नेता ने टीम राजस्थान को साथ ले करके ईमानदार और सत्यनिष्ठा की भावना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिये सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किये ताकि आर्थिक हालत सुधर सके और हमारा प्रदेश प्रगति की राह पर चल सके। इसी बुलंद हौसले के साथ सदन की नेता ने यह बजट पेश किया है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के राज में एक से आठवीं कक्षा तक लगातार बिना पढ़ाई करे पास कर दिया जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने इस बजट में प्रदेश के सभी जिलों में, राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी मानिटरिंग के लिये डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। इन एडवाइजरी बोर्ड में अभिभावक, शिक्षक, सिविल सोसायटी, जन-प्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासक के प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक वर्ष जिले में बोर्ड द्वारा शिक्षा के स्तर को ले करके, उसके सुधार के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली जाएगी। यह हमारे गांव, गरीब और किसान के लिये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ठेठ गांव में रहने वाले, चाहे वह किसान हो, आदिवासी हो, दलित हो, सरकारी स्कूलों में जितने भी बच्चे पढ़ें, उनके लिये स्वाभिमान की बात है कि हमारी लोकप्रिय नेता ने उस गांव, गरीब और किसान के बच्चे का ध्यान रखा, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था और कांग्रेस के राज में पहली से डाइरेक्ट आठवीं तक पास करने का सिस्टम था। भले ही वह स्कूल नहीं जाए, फिर भी उसको पास किया जाता था। उस सिस्टम को खत्म करके एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का गठन किया। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुख्य मंत्रीजी ने गांव के गरीब लोगों से महिलाओं से सम्पर्क किया, ग्रामीणों से सम्पर्क किया। गांव के लोगों ने गांवों की खस्ताहाल सड़कों के बारे में

(श्री धनसिंह रावत)

बताया था, गांवों के उबड़-खाबड़ रास्तों के बारे में, कीचड़ भरे रास्तों के बारे में बताया था तो उनकी समस्या के समाधान के लिये गांव, गरीब और किसान का ध्यान रख करके हमारी नेता ने एक ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की प्रत्येक विधान सभा में प्रत्येक विधायक द्वारा इसको कार्य रूप दिया जाएगा, उसकी अनुशंसा पर किया जाएगा। साथ ही मिसिंग लिंक के बारे में, गांवों को जोड़ने का प्रयास किया है, यह बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। जो 20-20 किलोमीटर का चक्कर काट कर आते थे, उनको मिसिंग-लिंक के माध्यम से वह दूरी कम हो जाएगी। इसलिये हमारी सरकार द्वारा किया गया कार्यक्रम अच्छा है।

पेयजल के बारे में, माननीय सभापति महोदय, पेयजल की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, मैं उन योजनाओं के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना, जो नई है, वर्ष 2015-16 में एक हजार सोलर एनर्जी बेस्ड बोरवैल की स्थापना करने का लक्ष्य जो रखा है, यह बोरवैल प्राथमिकता से प्रदेश के उन स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां नियमित विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है अथवा भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्ड-पम्प का संचालन सम्भव नहीं है। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, यह गांव के लिये बहुत अच्छा है, जहां पानी की कमी है, जहां लाइट का अभाव है, वहां पर इस योजना के माध्यम से गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है, लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 816 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ तथा बाड़मेर जिले में 1864 ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 14578 ढाणियों का सघन विद्युतीकरण कर 5 लाख 40 हजार कनेक्शन दिये जाएंगे। इससे एक लाख 60 हजार बी.पी.एल. परिवार लाभन्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं डिमाण्ड में रखूंगा, लेकिन इसमें डूंगरपुर जिले को भी जोड़ा जाता तो इस टी.एस.पी. क्षेत्र के लिये बहुत अच्छा रहता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम ज्योति योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है।

(श्री धनसिंह रावत)

यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम उस परिवार से आए हैं कि जिनके सिद्धांत पर, मानववाद के सिद्धांत पर चलकर सदन में सत्ता पक्ष के सारे माननीय विधायक विराजमान हैं। उनके लिए गर्व की बात है। राजीव गांधी पाठशाला, कांग्रेस के लोगों ने राजीव गांधी के नाम से पचासों स्कीम्स बनायीं तो हम माननीया मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके विचारों के आधार पर, जिस विचारधारा के आधार पर चलकर हम आज सत्ता में हैं तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ग्राम ज्योति योजना का नाम रखा, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और पिछले टाइम हमारी सरकार ने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम बदल कर अटल सेवा केन्द्र रखा है, यह भी हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए सभी माननीय विधायक जो विराजमान हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे गांवों में कार्यकर्ता भी कह सकें कि अटलजी के नाम से हमारा एक भवन है। हमारे पंडित दीनदयालजी उपाध्याय के नाम से एक ग्राम ज्योति योजना है। गांव के लोग भी गर्व से कह सकें कि कांग्रेस के लोगों का ही यह काम नहीं, हमारी नेता ने भी यह काम किया। हम किसी जमाने में नारा लगाते थे कि 'अटल आडवाणी कमल निशान, मांग रहा है हिन्दुस्तान', उस विचारधारा के आधार पर चल कर आज हम सत्ता में हैं। तो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका नाम रखा। उनका हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। बांसवाड़ा की माही परियोजना में विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी तीन वर्षों तक के लिए 110 करोड़ रुपये की लागत से जो काम दिया है, बजट रखा है, मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि माही बांसवाड़ा जिले के लिए वरदान है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ फोर वाटर कंसेप्ट का जो सिस्टम माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने किसानों की समस्या को लेकर रखा है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। यह बांसवाड़ा जिले की माही नदी के सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले की चम्बल की सहायक आहू के बेसिन में 263 माइनर इर्रिगेशन टैंक के कैचमेंट क्षेत्रफल में 1 लाख 33 हजार 491 हेक्टेयर में फोर वाटर कंसेप्ट के तहत, कैचमेंट का जो इलाका लिया गया है सिंचाई के लिए, यह किसानों के लिए अच्छा होगा।

(श्री धनसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा पर्यटन एवं कला के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है लेकिन मेरे बांसवाड़ा जिले में जो माननीया मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे डवलपमैंट की बात की, मानगढ़धाम की, मानगढ़धाम माननीय सभापति महोदय, आजादी के वीरों को समर्पित धाम है। मानगढ़धाम वह धाम है, जहां पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस स्थान को विकसित करने के लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसको इस कार्य योजना में लिया है। बजट में प्रावधान किया है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मानगढ़धाम जलियांवाला हत्याकांड से भी बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था और वहां पर 1500 आदिवासी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इसलिए मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंचायती-राज के चुनाव में शिक्षा की अनिवार्यता करने से हमारे कांग्रेस के लोग जो मैदान में थे, अपने बढ़िया घोड़े लेकर जा रहे थे लेकिन जैसे ही हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने शिक्षा की अनिवार्यता की, ग्राम पंचायतों में सरपंच और डाइरेक्टर के लिए जो योग्यता निर्धारित की, इससे कांग्रेस की आधी हवा ऐसे ही निकल गयी और भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है, हम बधाई देना चाहते हैं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने शिक्षा की अनिवार्यता लागू की, उसके लागू करने से हमारे जन-प्रतिनिधियों को जो मौका मिला, यह एक बहुत ही अच्छा काम है।

चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े-बड़े शहरों में तो लोग कहीं पर इलाज करवा लेते हैं लेकिन यह गुर्दे के मरीजों को डाइलिसिस सुविधा के सम्बन्ध में, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला पिछड़ा इलाका है, लोग बीमार हो जाएं तो इनको डाइलिसिस के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ता था तो अगर प्रत्येक जिले के अन्दर यह डाइलिसिस की सुविधा कर दी जाए तो जो गुर्दे के मरीज हैं, उनको अहमदाबाद या मध्य प्रदेश या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात अब आप सीमित कर दें।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अब अपने क्षेत्र की बात करके मैं जल्दी ही इसको समाप्त करने वाला हूं। मैं आपके

(श्री धनसिंह रावत)

माध्यम से एक योजना का नाम और बता देना चाहता हूं, जो हमारी योजना है - गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, यह गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना भी हमारे लिए गर्व की बात है। यह हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी के नाम से, गुरु गोलवलकर जी के नाम से, अटलजी के नाम से जो नाम रखे हैं, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहता हूं। माही क्षेत्र से चार लिफ्ट स्कीम्स कांकण-सेजा, अवापुरा, अवापुरा फर्स्ट, सैकण्ड, डानपुर की सर्वे एवं प्लानिंग हेतु वर्ष 2015 के बजट में 18 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा जाए। दूसरी, आर.यू.आई.डी.पी. फेज थर्ड में नगर परिषद बांसवाड़ा को सम्मिलित किया जाए। तीसरी, बांसवाड़ा जिले में स्थित समय माता, भापोर एक प्राकृतिक सुरम्य परिक्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से सटे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र तक के लिए माही से अपर हाई लेवल कैनाल का सर्वे कराकर वहां के किसानों को लाभ दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यो से, जो आज बोलने वाले हैं उनसे आग्रह है कि माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी ने प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए 10-10 मिनट बोलने के लिए निर्धारित किया है तो दस मिनट में आपके क्षेत्र की कोई बात हो या आपका कोई सुझाव हो वह रख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो 40 परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी के साथ बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं उनका बहुत हार्दिक आभारी हूं।

वर्तमान में पहले शिक्षा की बात करना चाहूंगा। राजकीय स्कूलों की गुणवत्ता की जो बात हुई है, सरकार ने भी कहा है कि गुणवत्ता ज्यादा ठीक नहीं है और उसमें सुधार के उपाय भी बजट में पेश किए गए हैं, यह बड़ी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही जो पांच हजार क्रमोन्नत स्कूलों की बात है, वह जो क्रमोन्नति की गयी है उसका आधार है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। सभी ग्राम पंचायत हैडक्वार्टरों पर 12वीं स्कूल कर दी गयी है, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में काफी स्कूलें मैं जानता हूं जिनमें दसवीं क्लास में दो या तीन बच्चे ही हैं उनको भी 12वीं में क्रमोन्नत कर दिया गया है और उसी के पास में दूसरा गांव है जहां पर टैंथ में 100 बच्चे हैं, वहां पर क्रमोन्नति की लगातार मांग है, वहां पर नहीं किया गया है। एक गांव है मेरे यहां पर सेनुसर उसमें भवन भी नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, पिछले आठ साल से हैड-मास्टर नहीं है, उस स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया गया है। तो क्रमोन्नत करते समय कम से कम जो नौकरशाही है, उससे सही फीड-बैक लिया जाना चाहिए, उससे सही रिपोर्ट तैयार करवायी जानी चाहिए कि कौनसी स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए? क्रमोन्नति बड़ी जरूरी है लेकिन जहां पर ज्यादा जरूरत है, जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है, वहां पर पहले की जाए। कुछ जगह पर क्रमोन्नत इसलिए नहीं किया गया है कि प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल वहीं पर खुलता है जहां पर छात्रों की संख्या होती है। तो जहां पर छात्रों की संख्या है वहां पर तो जरूर सरकारी स्कूल खोलना चाहिए वर्ना प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा और जो गरीब छात्र है, जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकता, उसको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए जो भी स्कूल्स क्रमोन्नत की जाएं उसमें अच्छी रिपोर्ट मंगवा कर, जन-प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर उसके बाद क्रमोन्नत की जाएं।

अभी 12वीं क्लास की जो स्कूल्स क्रमोन्नत कर रहे हैं उसके अनुपात में जो कालेजों की संख्या है, वह बहुत ही कम है। बजट में भी मात्र दो कालेज क्रमोन्नत, नई बनायी गयी हैं जबकि सुराज संकल्प पत्र में कहा गया है कि हर उप खण्ड क्षेत्र में एक सरकारी कालेज खोली जाएगी। आज भी ऐसे बहुत से उपखण्ड हैं जहां पर न सरकारी कालेज है, न अन्य कोई कालेज है और अन्य कालेज है भी तो वह कोई संस्कृत की, कोई आई.टी.आई. की, आटर्स, कामर्स और साइंस वाली जो कालेजें हैं उनकी मांग अधिक है।

मेरे अकेले फतेहपुर क्षेत्र में लगभग 6 हजार छात्र सरकारी कालेज की कमी से भटक रहे हैं। सरकारी कालेज तो दूर की बात, राजस्थान विश्वविद्यालय की व्यवस्था का यह बुरा हाल है कि 30 किलोमीटर में उन 6 हजार छात्रों के लिए परीक्षा केन्द्र भी नहीं है। उनको 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अभी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

पिछले 11 दिन में 7 बच्चों का मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक्सीडेंट्स हो गया, खतम हो गये। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि 6 हजार छात्रों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एक परीक्षा का केन्द्र भी नहीं दे पाए। जो हमारी नई यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका कार्य क्षेत्र भी अभी निर्धारित किया गया है, सीकर, अलवर, भरतपुर, स्टाफ नाम की उनमें कोई चीज नहीं है। अभी चर्चा थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टाफ उधर शिफ्ट किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो पहले से ही यह हालत है कि वहां पर 60 परसेंट कर्मचारी नहीं है और अगर उनमें से भी शिफ्ट हो गये तो इनकी क्या हालत होगी? तो इन चीजों को आपस में बहुत ताल-मेल करके सुधारने की आवश्यकता है, इस पर एक बार सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है।

(15.00 बजे)

अभी 18 ए.आर. की जगह आज ही अखबार में आया था कि 17 ए.आर. के पद रिक्त पड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। परीक्षा नियन्त्रक ही नहीं है। एक ए.आर. लेवल के आदमी को चार्ज दे रखा है जो किसी भी हालत में उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो जो सीकर-शेखावाटी के विश्वविद्यालय हैं, उसमें कर्मचारियों की पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे कम से कम अब जो कार्य क्षेत्र मिला है, उस क्षेत्र में अच्छी तरह से काम हो सके। इसी तरह अलवर-भरतपुर में भी अच्छी व्यवस्था की जाये और यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, अभी सरकार जब उदयपुर में थी उस समय सरकार ने आदेश दिया था कि पे-प्रोटेक्शन लागू किया जायेगा और जिस दिन यूनिवर्सिटी में नया प्रोफेसर आयेगा, उसको उसी तरह से रखा जायेगा, जिस तरह से पुराने रह रहे हैं। वही सैलेरी उनकी रहेगी लेकिन अब तक नौकरशाही के चलते वह आदेश क्रियान्वित नहीं हुआ है। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

कौशल विकास एवं रोजगार का कार्यक्रम, जो मुख्य मंत्रीजी ने चलाया है, वह वाकई अनूठा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। लेकिन जमीन स्तर पर इसका अभी तक क्रियान्वयन, जैसा होना चाहिये वैसा नहीं हो पाता। हमारे क्षेत्र में अभी कहीं इस पर कोई ज्यादा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोजगार कार्यालयों में लाखों की संख्या में बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है। कम से कम उन सबको कोई रोजगार मेला बुलाकर या वहां बोर्ड लगाकर या पत्राचार से या टेलीफोन से यह सूचित किया जाये कि हमारे यहां इस तरह के रोजगार

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

गारण्टी के कार्यक्रम हैं और इस तरह से स्किल डवलपमेंट करके आपको रोजगार मिल सकता है। उनका प्राइवेट क्षेत्र के साथ टाई-अप कराया जाये।

ऊर्जा एवं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, खास तौर से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो एम.ओ.यूज. हुए हैं और जिस तरह से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। आने वाले समय में जो ऊर्जा की मारामारी है उससे निपटारा होगा, जो बिजली की दरें हैं, उनमें भी हो सकता है उसकी वजह से कुछ राहत मिले।

मैं मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अभी जो बिजली की दरें बढ़ी हैं, उन पर रिव्यू की आवश्यकता है। गांव-गांव में इस बात की बड़ी चर्चा है कि एक साथ इतनी दरें नहीं बढ़नी चाहिये थीं। इसके अलावा जो गांव में रहने वाला, खेत में रहने वाला आदमी है, जो किसान परिवार है, उसके जो बिजली के कनेक्शन के पैसे हैं, चाहे वह घरेलू कनेक्शन भी लेता है तो उससे दो-दो, तीन-तीन, चार-चार खम्भों के पैसे लिये जा रहे हैं, जो बिलकुल गलत है। एक शहर में रहने वाले व्यक्ति को, परिवार को तुरन्त कनेक्शन भी मिल जाता है और खर्चा भी नहीं आता और गांव, ढाणी में रहने वाले को बरसों से कनेक्शन नहीं मिल रहा। आज आजादी को 70 साल होने को आये और वह बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन के लिए तरस रहा है। यह अपने सबके लिये बड़ी गम्भीर बात है। मीटर्स की कमी के चलते उपभोक्ता बहुत ज्यादा परेशान है तो बिजली मंत्रीजी इस बात पर गौर करें और मीटर्स की कमी को तुरन्त दूर करवाएं।

कृषि के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में बड़ी अच्छी बातें कही हैं और यूरिया, डी ए पी का भी स्टाक रखने की बात भी कही है, क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने की बात कही है, जो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन खाद, बीज की कालाबाजारी पर अपने को रोक लगानी पड़ेगी और समर्थन मूल्य पर जो खरीद है, सरकार की तरफ से किसान जो फसल बेचे उसको उसका कम से कम समर्थन मूल्य मिल जाये, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पिछले साल मात्र मूंगफली, बाजरा और मक्का, तीन फसलों का अपन उदाहरण लें तो समर्थन मूल्य जो था और बाजार मूल्य जो था, और जिस पर किसान को बेचनी पड़ी, उसका अगर पूरा घाटा कैलकुलेट किया जाये तो लगभग साढ़े 11 अरब का घाटा किसानों को हुआ है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाये, इसकी

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके विज्ञापन दिये जाने चाहिये। हर जी एस एस पर, राजस्थान में पूरे जी एस एस का नैटवर्क फैला हुआ है। ऐसी कोई व्यवस्था हो कि वहां हर फसल के समर्थन मूल्य लगे हों और उनको वहां खरीद के रूप में विकसित किया जाये, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

एक ओर सरकार दलहन का आयात कर रही है, जबर्दस्त आयात कर रही है। दूसरी ओर प्रदेश में दलहन का समर्थन मूल्य भी निर्धारित नहीं है और देश भर में सबसे ज्यादा दलहन, सरसों वगैरह अपने यहां होती है। तो उसका समर्थन मूल्य भी सबका निर्धारित किया जाये और उसकी खरीद की भी पुख्ता व्यवस्था की जाये तो किसानों के लिये बड़ा अच्छा होगा।

सोलर पम्प्स, जो बिजली भी बचा रहे हैं और दिन में काम भी दे देते हैं। उन पर पिछले साल सब्सिडी कम कर दी गयी थी। उस सब्सिडी को वापस पहले की तरह 85 प्रतिशत किया जायेगा तो बड़ा अच्छा होगा।

सहकारिता के क्षेत्र में जो हमारी नींव है जी एस एस, उसमें 6 प्रतिशत हिस्सा राशि ली जाती है, उसमें से अब तक आधी हिस्सा राशि जी एस एस के पास रहती थी, आधी बैंकों में जाती थी। उस जी एस एस का एक प्रतिशत कम कर दिया गया है। इससे जी एस एस हमारे घाटे में आने की स्थिति में हो गयी है, तो वह जो आर्डर है, वह वापस लिया जायेगा तो किसान के लिये और सहकारिता के लिये बड़ा अच्छा होगा।

सड़कों के मामले में बड़ा अच्छा काम चल रहा है। काफी बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई हैं और काम भी हो रहा है। गौरव पथ भी बन रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे प्रदेश में सड़कों का जो एवरेज है, सड़कों का जो स्तर है, वह राष्ट्रीय एवरेज से वन थर्ड है। अगर राष्ट्र में 100 स्क्वायर किलोमीटर में डेढ़ सौ किलोमीटर सड़क है तो अपने यहां 50 किलोमीटर ही है। कोई न कोई ऐसी योजना बननी चाहिये कि आज नहीं तो आगामी 10 साल में, 5 साल में कभी तो हम राष्ट्रीय एवरेज पर पहुंचे। हमारी मुख्य मंत्रीजी भी सड़कों पर विशेष ध्यान देती हैं और उन्होंने कहा भी था कि जैसे अमेरिका सड़कों से पहचाना जाता है, वैसे ही राजस्थान भी एक दिन पहचाना जायेगा तो निश्चित रूप से इसमें अगर बजट की बढ़ोतरी की जाये और थोड़ी सड़कें और बनवाई जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

एक जो सड़क सुरक्षा की बात चल रही है और इस साल मनाया भी जा रहा है उसमें यह जो आवारा पशु हैं, इनकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। आज सड़क पर जो आवारा पशु हैं, उनके लिये कोई डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। न सड़क विभाग है, न वन विभाग है, न पशुपालन विभाग है। अगर सड़क पर किसी जानवर की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है या जो आवारा जानवर घूम रहे हैं उनकी वजह से किसानों को नुकसान होता है तो उसका कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। उस नुकसान की कोई भरपाई करने वाला नहीं है, तो इन आवारा जानवरों का यह विभाग वाले अपने-अपने वन क्षेत्र की पाबन्दी करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो गया आपका।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): दो मिनट। वन विभाग वाले अपने पशुओं का इलाज करें।

श्री सभापति: आज कई माननीय सदस्यों को बोलना है, इसलिए आपकी सारी बातें आ गयीं। डा. मंजू बाघमार।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): दो-तीन बातें मेरे क्षेत्र की कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: नहीं, काफी आ गयीं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): हमारे यहां मैंने पहले भी बताया 6 हजार के करीब छात्र हैं, वहां सरकारी कालेज अगर खोला जाए, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, पड़ौस में ही, इनको पता है, तो इसी बजट में इस मांग को पूरा किया जाये। दूसरा, एक एडीजे कोर्ट की आवश्यकता है, सभी को सीकर जाना पड़ता है लगभग 50-60 किलोमीटर। एक से दो से बीच की जो संख्या है, दो एडीजे कोर्ट के लगभग केस फतेहपुर के अकेले के सीकर में लड़े जा रहे हैं। लोगों को 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है तो वह तुरन्त शुरू किया जाये।

पर्यटन के मामले में संरक्षण की जो बात कही है, वह बहुत प्रशंसनीय है। उनको जितना संरक्षित किया जायेगा, अपनी कला-संस्कृति बढ़ेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे वर्ष 2015-16 के बजट

(डा. मंजू बाघमार)

पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि एक राज्य की सम्पन्नता के लिये राजा आने वाले संकट को पूर्व में पहचान लेता है और जो सम्भावित आकांक्षाएं होती हैं, उनको घटित होने से पहले ही टाल देता है और राज्य के राजस्व के नुकसान को कम करके आर्थिक अवरोधों को समाप्त करता है। हमारी सरकार की नजरों में बजट मात्र आंकड़ों का संग्रहण नहीं है। यह हमारे मूल्यों, संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है और यह आने वाले राजस्थान के भविष्य की तस्वीर है, जो आने वाले कल के राजस्थान के लिये सशक्त और सुनहरे राजस्थान की इबारत लिखेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमें विरासत में जो राजस्थान मिला है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद लड़खड़ाई हुई है और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद भी सर्वजन उत्थान और सर्वजन विकास के नारे के साथ हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा आम आदमी के उत्थान और हर क्षेत्र के बुनियादी विकास के लिये कृत-संकल्पित राजस्थान सरकार प्रदेश भर में दीर्घकालीन विकास के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में जुटी हुई है। इस तरह से इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विकास के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा राजस्थान सरकार की जो योजना है उसे लाभ दिलाने के लिये एक सार्थक कदम उठा रही है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट राजस्थान के विकास को एक तीव्र गति प्रदान करेगा और इस बजट में ढांचागत तथा आधारभूत योजनागत विकास को बढ़ाया गया है जिससे सम्पूर्ण राजस्थान में विकास की एक धारा बहेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हुए बालिकाओं के लिये सैल्फ डिफेंस योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की गयी। महिलाओं को लर्निंग लाइसेंस और चालक लाइसेंस बनवाने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी और 400 प्रसूति केन्द्रों का आधुनिकरण करने की घोषणा की गयी है, 75 प्रतिशत अंकों के साथ महाविद्यालय में प्रवेश करने वाली 1650 मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया है। निश्चित रूप से यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।

(डा. मंजू बाघमार)

स्वयं सहायता समूहों में दो लाख गरीब महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो निश्चित रूप से इस बजट के अन्दर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाये गये हैं। स्टेट हायर एजुकेशन डवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना जिससे एक योजनाबद्ध तरीके से हायर एजुकेशन का विकास किया जा सके। पहली बार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्राण्ट दिया गया क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के महाविद्यालय हैं वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है इसी वजह से विद्यार्थी प्राइवेट महाविद्यालयों में जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिसर्च इनोवेशन फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए करिकुलम एडवांसमेंट और मैनेजमेंट, इन्फोर्मेशन सिस्टम क्रिएशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। निश्चित रूप से यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राजस्थान के अन्दर, ताकि हमारे यहां पर युवाओं को रोजगार राजस्थान में ही मिल सके, इसके लिए राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति 2014 और सौर ऊर्जा नीति 2014 की घोषणा की गयी है, इससे निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा।

उद्योगों के क्षेत्र में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 लागू की गयी है। इस योजना से राज्य में जो पिछड़े हुए भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका विकास करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं, निश्चित रूप से इस स्कीम द्वारा मध्यम और लघु क्षेत्र में फाइनेंशल क्राइसिस से जो जूझ रहे हैं उन उद्योगों को वापस अपने आपको विकसित करने का एक मौका मिलेगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा, कृषि के क्षेत्र में एक सोइल हैल्थ कार्ड की राष्ट्र-व्यापी योजना जो 19 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राज्य के सूरतगढ़ में चालू की गयी थी, इसका उद्देश्य भूमि के स्वास्थ्य की जांच और तकनीकी जांच कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, इस योजना से कृषि के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व विकास होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

(डा. मंजू बाघमार)

जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य स्तरीय अवार्ड की घोषणा की गयी है क्योंकि उसमें कम से कम कैमिकल का यूज हो। माननीय सभापति महोदय, आज हम जो फ्रूट और सब्जियां यूज में ले रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा कैमिकल यूज होता है और उससे कई नई तरह की डिजीज फैलती जा रही हैं इसलिए जैविक कृषि को जो बढ़ावा दिया है उसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं।

किसानों को नयी तकनीक की जानकारी के लिए देश-विदेश में भी भ्रमण कराया जा रहा है।

साथ ही साथ मैं इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नागौर जिले में नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जो घोषणा की है उसके लिए मैं नागौर की पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

साथ ही पेयजल योजना, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सेकिण्ड फेज नागौर जिले के गांव और ढ़ाणी में पेयजल, पानी पहुंचाने की योजना का सैकिण्ड फेज चालू करने के लिए 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, उसके लिए भी मैं पूरे नागौर जिले की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछला एक वर्ष विभिन्न प्रकार के चुनाव के दौर से गुजरा है और इसकी अन्तिम कड़ी के रूप में हमारे पंचायत राज चुनाव सम्पन्न हुए हैं। प्रत्याशियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता के निर्णय के साथ ही सम्पन्न हुए चुनाव के परिणामों से बदलाव की बहार का जो हमें सुखद अहसास हुआ है, निःसंदेह इस साहसिक पहल से प्रदेश के विकास में एक दूरगामी परिणाम मिलेंगे। जब पढ़े-लिखे युवा राजनीति में आयेंगे, जब पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो विकास का निचला पायदान है वो भी मजबूत होगा और विशेष रूप से इसमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा और युवाओं के विकास से राजस्थान को भी एक नया विजन मिलेगा। यह प्रयोग केवल राजस्थान में प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया था, पूरे देश के अन्दर राजस्थान में पहली बार इस तरह का प्रयोग शुरू किया गया था और यह सफल रहा। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में यह एक नयी बुलंदियों को छुएगा।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय सभापति महोदय, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान के लिए गोल्ड कैटेगिरी ट्राफी प्रदान की गयी। कौशल एवं रोजगार विकास का गठन किया गया।

बिजली कम्पनियों की स्थिति को सुधारने के लिए राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन मैनेजमेंट बिल लाये जाने की घोषणा की गयी है। पायलट बेसिस पर वन धन योजना लागू करने की घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, यह उपलब्धियां न-केवल राजस्थान के विकास को ऊंचाइयों पर ले जायेंगी, न-केवल राजस्थान का गौरव बढ़ायेंगी बल्कि विकास के बहुत ही अच्छे संकेत दे रही हैं और निश्चित रूप से राजस्थान विकास की श्रेणी में आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में राजस्थान जल्द ही बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल कर प्रतिस्पर्धा के इस युग में अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: सुश्री सिद्धी कुमारी जी।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगी कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट राजस्थान की जनता के लिए प्रस्तुत किया है इसमें प्रदेश का चहुंमुखी विकास दिखाई देता है। राजस्थान की धर्मनिरपेक्ष मुख्य मंत्रीजी का बजट वित्तीय अनुशासन पर आधारित है।

सभापति महोदय, 19वीं सदी में कहते थे कि बंगाल आज जो सोचता है बाकी भारत वह कल सोचता है। राजनीतिक शिखर से निकलते हुए निर्णय व नीतिगत दर्शाते हुए राजस्थान एक बार फिर इस चीज का गवाह है और बनने को तैयार है कि राजस्थान जो आज सोचता है बाकी भारत वह कल सोचता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में बीकानेर जिले में बायोलोजिकल पार्क बनवाने, पी.बी.एम. हास्पिटल के

(सुश्री सिद्धी कुमारी)

अधूरे पड़े नवीन भवन के कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये विश्व प्रसिद्ध करणी माता जी मंदिर का पैनोरमा कार्य बीकानेर सम्भाग की पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु 90 करोड़ रुपये, बीकानेर रायसिंह नगर-गंगानगर का 227 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण आदि कार्य की घोषणा की है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

जहां पर अस्पताल की बात आती है तो पी.बी.एम. हास्पिटल के अन्दर पूरे जिले के पेशेंट्स आते हैं और वहां पर जो कैजुअल्टी वार्ड है और एक अलग से जो इमरजेंसी फैसेलिटी है लगभग तैयार है तो मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द उसकी ओपनिंग हो और वहां जल्द से जल्द बढ़िया टैक्निकल डाक्टर्स और नर्सेज की भर्ती हो ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज लाभ लें।

माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत बजट में मिसिंग लिंक के लिए 900 करोड़ का प्रावधान रखा है तथा 10 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र शहर का पूर्वी क्षेत्र है, केवल उदरामसर और रिडमलसर दो ही गांव लगते हैं, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली योजनाओं के साथ-साथ शहरी क्षेत्र की सड़कों को भी इसमें शामिल किया जाए तो इस क्षेत्र के अन्दर प्रदेश में कई ऐसे और भी शहरी विधान सभा क्षेत्र हो सकते हैं जिनको कि मिसिंग लिंक, गौरव पथ, धार्मिक स्थल की सड़कें आदि योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, कला और संस्कृति के विकास हेतु 244 करोड़ 40 लाख रुपये, प्रदेश की अमूल्य धरोहर संरक्षण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान, विभिन्न मंदिरों के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके अन्दर मेरे क्षेत्र में आया हुआ बहुत ही पुराना रतन बिहारी मंदिर है। इस मंदिर के अन्दर अच्छा विकास और अच्छा प्रोफेशनल सैटअप करके उसका रेस्टोरेशन हो तो बीकानेर के ट्यूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होगा। ट्यूरिज्म के अन्दर एक बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है टैम्पल ट्यूरिजम, टैम्पल ट्यूरिजम का इसके अन्दर बढ़ावा होगा।

(सुश्री सिद्धी कुमारी)

बीकानेर को कल्चरल कैपिटल आफ मारवाड़ा बोलते हैं और यहां पर सबसे सख्त जरूरत है एक एयरपोर्ट की। वहां पर एयरपोर्ट खुल गया है और यदि वो चालू हो जाए तो यह टु नाइट डेस्टीनेशन बीकानेर हर हाल में बन सकता है। इससे एम्प्लायमेंट भी बढ़ेगा। बीकानेर को लोग किताबों में जो दो वर्डस में डिस्क्राइब करते हैं उसमें लिखते हैं कि बीकानेर अन-डिस्कवर्ड इंडिया का हिस्सा है। तो मैं चाहूंगी कि बीकानेर में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आएं और यह एक डिस्कवर्ड इंडिया का हिस्सा बने।

मेरे क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि अन-डिस्कवर्ड इंडिया, बीकानेर के बारे में बहुत कम जानकारी लेते हैं। स्कूल्स के अन्दर मेन्डेटरी या एक तरह का हैरिटेज वीक या कोई भी तरह का ऐसा प्रोग्राम हो जो कि हफ्ते भर चले, वहां पर कला और संस्कृति की जागरूकता आये। इसके अन्दर म्यूजियोलाजी, स्कूल और कालेजेज, स्पेशली कालेजेज के अन्दर पढ़ाया जाय। यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जैक्ट है और इसके अन्दर आगे फील्ड में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जायेंगे और म्यूजियोलाजी को जो पढ़ेंगे वो अपनी जीविका के अन्दर म्यूजियम क्यूरेटर्स बन सकते हैं।

वोकेशनल ट्रेनिंग और कालेज में म्यूजियोलाजी सिखाना एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम होगा क्योंकि टूरिजम जहां होता है वहां पर म्यूजियम होते हैं, जो भी रीजनल म्यूजियम हैं वो ही नेशनल म्यूजियम को कनेक्ट करते हैं इसलिए यह म्यूजियोलाजी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जैक्ट बन सकता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की लोक कल्याणकारी और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने नव वर्ष 2015-16 का बजट प्रस्तुत किया है जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों सौगातें मिली हैं। जिससे आने वाले समय में प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, बजट 2015-16 के समर्थन के लिए आज आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट हालांकि एक साल के लिए प्रस्तुत किया गया है लेकिन यह हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय का 5 साल का जो विजन है उसको दर्शाता है। यह बजट आर्थिक और

(श्रीमती अलका सिंह)

सामाजिक अर्थात् राजस्थान के समग्र विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है।

राज्य के आर्थिक ढांचे का योजनाबद्ध तरीके से सुदृढ़ीकरण किस तरह से किया जाए, यह विजन इस बजट में है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया गया है। चिकित्सा, पानी, बिजली, शिक्षा, पर्यटन आदि जो मुख्य हैड हैं उन सबको कवर किया गया है। कौशल विकास विशेषकर युवाओं को रोजगार देने के लिए इसके अन्दर बहुत जोर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में निवेश का वातावरण बनाने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान निवेश नीति, 2014 को आरम्भ करने की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत नवम्बर, 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री का और हमारी सरकार का मानना है कि निवेश होगा तो रोजगार होगा। क्योंकि राजस्थान में सम्भावनाओं की कमी नहीं है। निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लैंड बैंक की स्थापना की गई है। इस तरह की और भी सुविधाओं का निर्माण करने का प्रयास किया गया है ताकि निवेशक यहां ज्यादा से ज्यादा आएं। इस तरह का वातावरण मिले। वन स्टाप पोर्टल आनलाइन होगा जिसमें जो भी सुविधाएं निवेशक लेना चाहे वह उनको उपलब्ध होगी। एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने की है कि 750 करोड़ रुपए से ज्यादा जो निवेशक यहां देगा उसको एंट्री टैक्स में छूट दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां पर कांग्रेस के लोग नहीं हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि उनके समय में भी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, उसमें क्या हुआ था? तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय उद्घाटन करके चले गए थे और उस समय 3-3 मंत्री उस रिसर्जेंट राजस्थान में उपस्थित थे। जो निवेशक आए थे वह उनके भाषणों से बोर हो गए थे। अव्यवस्था का माहौल यह था कि निवेशक यह बोलने लगे थे कि हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, आप हमें क्या योजनाएं दे रहे हैं वह जवाब दीजिए। मंत्री कुछ भी जवाब नहीं दे पाए थे और परिणाम यह हुआ था कि उस समय के तत्कालीन गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र भाई जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, वह यहां उपस्थित हुए और राजस्थान ने जितना भी निवेश के लिए आयोजन किया था, वह निवेशक सारे

(श्रीमती अलका सिंह)

के सारे गुजरात चले गए। लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया का विजन बहुत अच्छा है और निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा इस तरह का माहौल दिया जाए कि यहां निवेश आए। निवेश आएगा तो रोजगार भी आएगा।

एक नई शुरूआत हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने की है आजीविका मिशन, जो कि कांग्रेस के समय में बंद कर दिया गया था। आजीविका मिशन की पुन: स्थापना की है और इसको मिशन लाइवलीहुड से जोड़ा है ताकि दक्ष कामकारों की एक फौज तैयार हो जाए। आपको जैसा कि ज्ञात है कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने 5 साल के लिए घोषणा की है 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की। आजीविका मिशन के जिले हैडक्वार्टर पर जो ट्रेनिंग कैम्प और जो इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे वहां पर युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। निवेशकों को भी इससे फायदा होगा कि स्किल्ड युवा उनको मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की आर्थिक सेहत खराब करने में पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं यह कहना चाहूंगी कि आर्थिक सेहत की तो यह हालत थी कि हमारा जो राजस्थान है उसकी आर्थिक स्थिति वैंटीलेटर पर थी। हालत यह थी कि यह कर्ज लेते गए, कर्जा बढ़ता गया, राजकोषीय घाटा बढ़ता गया और जो हमारी विकास दर है वह कम होती गई। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वह कम होती गई।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि 2008-09 में 84022.80 करोड़ कर्जा लिया गया। 2011-12 में 106562 करोड़ का कर्जा लिया गया और उस समय विकास दर थी 6.11 परसेंट, 2012-13 में 117806.28 करोड़ का कर्जा लिया गया और विकास दर हो गई 5.31 परसेंट। यह इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कर्जा तो लिया लेकिन असैट्स क्रिएट नहीं किए। असैट्स क्रिएट नहीं होने की वजह से जो विकास की गति है वह कम होती गई। जब इनका अंतिम वर्ष आया था 2013 में जब इन्होंने बजट दिया तो वोट बटोरू घोषणाएं इन्होंने की, पैसे की बंदरबांट की। जितना कर्जा यह लेते गए उससे ज्यादा भुगतान इन्होंने ब्याज में कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 2011-12 में 7749.82 करोड़ इन्होंने कर्जा लिया और ब्याज के लिए चुकाया 7890.46 करोड़, मतलब कर्जे से ज्यादा ब्याज देने के कारण जो जीएसडीपी का है वह 26 परसेंट कर्जा ही हो गया।

(श्रीमती अलका सिंह)

माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं की और बजटीय प्रावधान उनमें कुछ भी नहीं किया। आखिरी साल में इन्होंने 166 घोषणाएं कीं और टाइम बचा था इनके लिए 7 माह। जबकि इनकी घोषणाओं का जो रिकार्ड था वह यह था कि 4 साल में सिर्फ यह 40 परसेंट घोषणाएं ही पूरी कर पाए थे। घोषणाओं की बानगी मैं देना चाहूंगी कि कुल घोषणाएं इन्होंने की थी 6500 करोड़ की, पेंशन में ढील 1500 करोड़, मुफ्त कम्बल और साड़ियों में 300 करोड़ और बजटीय प्रावधान नहीं था इसके लिए उन्होंने प्लानिंग का जो फंड था उसको भी काम में ले लिया। जिसमें सब्सिडी और लोन दोनों इनक्लूड हैं। इस वजह से जाते-जाते राजकोषीय घाटे को यह बहुत ज्यादा बढ़ा गए।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया इवन इस विधान सभा के साथ धोखा किया। माननीय शाहपुरा से आने वाले विधायक इसी मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पिछले सत्र में लाए थे। यह घोषणाएं ही घोषणाएं करते गए और क्रियान्वित नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रही हूं, तत्कालीन जो राज्यपाल थीं मारग्रेट अल्वा जी, उन्होंने कहा था कि घोषणाएं और योजनाएं बहुत हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं हैं। सीआईआई की जो कांफ्रेंस थी उसके अन्दर 10 मई, 2013 को तत्कालीन राज्यपाल ने तत्कालीन सरकार पर यह टिप्पणी की थी। स्वच्छता का भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया था और स्वच्छता के बारे में भी मारग्रेट अल्वा जी ने कहा था कि स्वच्छता की हालत यह है कि मैं झीलों को देखने जाना चाहती हूं लेकिन कर्मचारी मना कर देते हैं कि वहां गंदगी बहुत है, बदबू बहुत है। स्वच्छता जो हमारे राष्ट्रपिता का मेन उद्देश्य था वह उस गांधी को भूल गए हैं और जो आजकल लापता गांधी हैं उनके बारे में ही यह लोग सोच रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह लापता गांधी कौन हैं?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यह जांच का विषय है माननीय सदस्य।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा में पहली बार आयुष नीति की घोषणा हमारी सरकार ने की है। जिसमें यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी और जो पुरानी प्राकृतिक विधाएं हैं, उन सबको पुनर्जीवित कर, उनके योजनाबद्ध विकास

(श्रीमती अलका सिंह)

की योजना सरकार ने बनाई है। ताकि यह पुरानी विधाएं पुनर्जीवित हो जाएं और जनता को सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जो गांव के लोग हैं, जो बहुत गुणी हैं उनको रोजगार भी प्राप्त हो।

मैं बधाई देना चाहूंगी चिकित्सा मंत्रीजी को कि उन्होंने आर्गन ट्रांसप्लांट का एक बहुत ही बड़ा कदम चिकित्सा के क्षेत्र में उठाया है। इस बजट में चिकित्सा का बजट 28 परसेंट बढ़ा है। एसएमएस हास्पिटल के बारे में निवेदन करना चाहूंगी सरकार से, सुझाव देना चाहूंगी कि उस हास्पिटल को सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल बना दिया जाए, क्योंकि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। जुकाम का मरीज भी वहीं आता है तो कैंसर का पेशेंट भी वहीं जाता है। पांव में मोच आ जाती है तो भी वहीं जाता है और हड्डी का बहुत जटिल आपरेशन हो तो भी वहीं जाता है। इसी वजह से डाक्टर्स की हालत यह हो जाती है कि वह टेंशन में आ जाते हैं और आये दिन हड़ताल होती है, मारपीट होती है। मैं सुझाव देना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय को कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैम्प भी हास्पिटल में समय-समय पर लगाया जाए। मेडिटेशन के लिए वहां जरूर एक रूम बनवा दिया जाए ताकि स्ट्रेस कम हो डाक्टर्स पर, जितनी भीड़ है उस हिसाब से।

माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहूंगी कि पर्यटन का बजट अब की बार 68 परसेंट बढ़ा है क्योंकि हमारे राजस्थान की भावना है, 'पधारो म्हारे देश', पावणों को बुलाने की परम्परा है और यह राजस्थान को रेवेन्यू देने का एक बहुत बड़ा साधन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय...

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अब मैं मेरी कांस्टीट्यूएंसी पर आ रही हूं इसलिए दो मिनट दे दीजिए।

श्री सभापति: पहले आ जाते आप।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): पहले नहीं आई थी, पहले मैं राजस्थान पर ही थी।

श्री सभापति: तो भी एक मिनट में आप अपनी बात कहें।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आभानेरी एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है और वह यूनेस्को की साइट पर भी है। हमारे जब माननीय शेखावतजी की सरकार थी उस समय रूरल ट्यूरिज्म में आभानेरी को सम्मिलित किया गया

(श्रीमती अलका सिंह)

था वहां विश्व प्रसिद्ध बावड़ियां हैं। जो ट्यूरिस्ट आगरा जाता है वह आभानेरी जरूर आता है। अभी हमारी केन्द्र सरकार ने वहां पर 58 लाख रुपए के कामों की मंजूरी दी थी लेकिन अभी भी वह पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि रोजाना वहां करीब पांच से दस हजार तक पर्यटक आते हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि ट्यूरिज्म का जो बजट है उसका कुछ परसेंट हमारे आभानेरी को भी दिया जाए।

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि हमारा यह बजट है वह डिजीटल राजस्थान, स्किल राजस्थान और क्लीन राजस्थान पर बेस्ड है। हमारी पंचायतों को अटल सेवा केन्द्रों से जोड़कर, माइक्रो ए टी एम्स लगे हैं, वीडियो कांफ्रेंसिंग होगी और स्वच्छता के लिए 7.70 लाख जल प्रवाही शौचालय बनाने की घोषणा हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। इस प्रकार कुल मिलाकर देखें तो बजट में विजन है, भविष्य की सोच है, तात्कालिक लाभ नहीं, एक सुदृढ़ राजस्थान को बनाने का जो विजन है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं, आपको भी धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद आपको। श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2015-16 पर बोलने का आपने अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता ने अभूतपूर्व समर्थन देकर आज इस स्थिति में हमें यहां भेजा है, और इसका पूर्वाभास पूर्ववर्ती सरकार को हो चुका था। उनको पता था कि जनता हमको नकार चुकी है, इसलिए उन्होंने जाते-जाते पूरी अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया और उसी का परिणाम है कि आज अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरे प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह है। माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रतिपक्ष के 21 साथी आए हैं या 24 आए हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है, ये यह सोच कर यह खुश हैं कि मरणासन्न अर्थव्यवस्था को हम छोड़कर जा रहे हैं इससे आने वाली सरकार के लिए बहुत कठिनाई होगी परन्तु माननीय सभापति महोदय, जो इनका वितीय कुप्रबन्धन रहा उनकी सरकार का जो आज इस विषम स्थिति में भी जो हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज यह जो बजट है इस अभूतपूर्व बजट

(श्री भागीरथ चौधरी)

के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस ने जो अर्थवयवस्था को चौपट किया था और उसके बावजूद भी मैंने देखा है हमेशा बजट प्रस्तुत करते हैं तो कोई न कोई चुनाव को या कोई न कोई और बात को रखकर बजट प्रस्तुत किया जाता है पर खुशी है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया उसका दूरगामी परिणाम निकलेगा और यह जो बजट है वह हर वर्ग के लिए खुशहाली लाएगा और अर्थव्यवस्था जो चौपट हो गई है उसको पटरी पर लाने की यह पूरी कोशिश होगी। मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और सरकार की इन पंक्तियों के साथ दाद देना चाहूंगा,

हे जन महान्, हे शक्ति स्रोत संकल्प कहां से पाया है?

बल दिव्य कहां से आया है, यह दीप न बुझने देंगे हम, यह दीप न बुझने देंगे।

इसके साथ ही आज यदि हम इस बजट के बारे में सोचें, ऐसी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, इस विषम परिस्थिति में भी चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, पानी हो, बिजली हो, उद्योग हो, महिला उत्थान का मामला हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे पर्यटन हो, हर क्षेत्र में इस बजट में सबका प्रावधान रखा है।

माननीय सभापति महोदय, जो यह बजट दिया है उसका जो हर क्षेत्र के अन्दर आज पूरे प्रदेश के अन्दर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उद्योग चौपट हो गए थे। सारे उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गए थे, इस बजट के अन्दर चाहे उद्योग हो, हर क्षेत्र को रियायत मिली है। मैं चाहे मार्बल की बात करूं, चाहे ग्रेनाइट की बात करूं, चाहे सैण्ड स्टोन हो, सब उद्योग चौपट हो गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि सारे उद्योग बन्द हो गए थे, उद्योग बन्द होने से सिर्फ व्यापारी को नुकसान नहीं होता माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं मजदूर, उन मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई थी परन्तु वापस इस बजट से आशाएं जगी हैं और सारे राजस्थान में ऐसा वातावरण बना है कि वापस राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रणी स्थान लेगा। आज बात चल रही है, प्रतिपक्ष तो यहां है ही नहीं, उनको तो इसकी चिन्ता ही नहीं है और उनको पता था, यह भी उनकी सोची समझी साजिश है, उनको पता है कि हम बोल ही कुछ नहीं सकते हैं,

(श्री भागीरथ चौधरी)

बजट इतना अच्छा दिया गया है, हर वर्ग हर जिले को, यह पहला बजट है जिसने हर वर्ग नहीं, हर जिले को छुआ, हर क्षेत्र को छुआ है। पूरे 200 विधान सभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ बजट में देने की कोशिश की है, इसलिए प्रतिपक्ष ने सोचा कि हम कुछ इसके बारे में बोल तो सकते ही नहीं हैं इसलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से यहां से पलायन किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज यह हालत है कि किसान तबाह हो रखा है। मैंने तो पहले भी कहा था, इस देश को आजाद हुए 68 वर्ष हो गए, उसमें अधिकांश समय तक, 55 साल तक इन्होंने राज किया और इन्होंने हर वर्ग को तहस-नहस कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, हमारे पूरे प्रदेश को तहस-नहस कर दिया। 2008 से 2013 तक कृषि कनेक्शन एक भी नहीं दिया और आज उसका दंश वह सारे किसान भोग रहे हैं। मेरा तो यही निवेदन है ऊर्जा मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से कि आज कोई हिन्दुस्तान में दु:खी है तो सबसे ज्यादा किसान है। किसान को जितनी मदद दें उतनी कम है। किसान हमारा अन्नदाता है। वह धरती पुत्र है। मेरा यही कहना है कि ऐसी योजना बनाएं, चाहे बिजली के दाम बढे, मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घी पीओ पर पगड़ी रखकर पीओ परन्तु कांग्रेस ने ऐसा सोचा? उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं पगड़ी की, पगड़ी यानी मान सम्मान रखकर घी पीना चाहिए, उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि घी पीए जाओ, होगा जो दिखी जाएगी। उन्होंने पूरा तहस-नहस कर दिया और विशेष तौर से किसानों को बर्बाद कर दिया। 2008 से 2013 तक इन्होंने अपने कार्यकाल में यही किया कि कृषि कनेक्शन नहीं दिया। आज किसान मैं तो यह कह रहा हूं कि ऐसी नीति बननी चाहिए, जो किसान आवेदन करे उसके सामने फसल है और फसल का उसको पता है कि मैंने कुआं खोद लिया है और यदि बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा तो मैं मेरी फसल को पिलाई करूंगा। तो उसको तुरन्त यदि नहीं दें, छह महीने में, दो साल, पांच साल में दें तो वह कैसे पार पड़ेगी? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है समय हो रहा है, मैं किसान का बेटा होने के नाते यह कहूंगा कि वास्तव में किसान को जितनी मदद दी जाए वह कम है। कृषि कनेक्शन तुरन्त आवेदन करे और उसको दो महीने, छह महीने में कृषि कनेक्शन मिलना चाहिए। चाहे बिजली के दाम कुछ भी लगे पर उसे कृषि कनेक्शन मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज कृषि की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी

(श्री भागीरथ चौधरी)

बात है कि यह जो नदियों को जोड़ने की बात आती है क्योंकि अटल बिहारीजी वाजपेयीजी ने जो नदियां जोड़ने की योजना बनाई थी। यदि वो नदियां जुड़ जाएंगी तो हर खेत को पानी मिल जाएगा, हर हाथ को काम मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, गांवों में सम्पन्नता आ जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य धन्यवाद आपको।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में बता रहा हूं, मेरे यहां अराई पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय भी है, मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा में जब पधारी थीं उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी कि अराई के अन्दर महाविद्यालय खोला जाएगा। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां अराई के अन्दर महाविद्यालय खोला जाय।

दूसरा, सड़कों की बात है। आज यह हालत है 5 साल के अन्दर सारी सड़कें टूट गई थीं। कोई भी कहीं पेचवर्क नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी सड़कें हैं जिनकी आज भी खस्ता हालत है। मिसिंग लिंक सड़कें भी हैं। यदि वे सड़कें हो जाएंगी तो जो आज पूरी स्थिति खराब हो रखी है...

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री मनोज कुमार।

(15.42 बजे)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सभापति महोदय से एक अनुमति चाहूंगा कि पूरे विपक्ष के नाम से और हमारी पार्टी की ओर से अकेला बोलने वाला हूं इसलिए मुझे कुछ ज्यादा समय दिया जाय ताकि मैं विपक्ष के बारे में कुछ बखान कर सकूं।

माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च को राजस्थान का बजट प्रस्तुत हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के नाम से एक कल्पना प्रस्तुत की, लेकिन 2014-15 और 2015-16 के बजट में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह कल्पना कोरी कल्पना रह जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसमें नया तो

(श्री मनोज कुमार)

सिर्फ मुट्ठी भर है और पुरानी योजनाओं पर नजर और आंकड़ों में विकास दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले इस बजट में सड़क पर विचार किया गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने 2014-15 का जो बजट पेश किया, उस बजट में आपने 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की, उसमें 7 हजार किलोमीटर सड़क के लिए कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 7 हजार किलोमीटर सड़कों की डीपीआर बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है इन सड़कों के विकास कार्य इसी वर्ष शुरू किए जाएंगे। मैं राज्य सरकार को पूछना चाहता हूं कि आपने उन 7 हजार किलोमीटर सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया जो आज वर्तमान में चल रही हैं। आज फिर सरकार ने इसी बजट में सड़कों के लिए घोषणा की है कि हम 10 हजार किलोमीटर सड़क बनाने जा रहे हैं और इसी वर्ष में बना देंगे। इस माध्यम से अगर सरकार को आंकड़ों में ही घुसे रहना है, आंकड़ों की ही पूर्ति करनी है तो फिर ये पुलिन्दे क्यों बनाये जा रहे हैं? जनता को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2017 तक पूरी 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की योजना बनायी, लेकिन आंकड़ों में 7 हजार किलोमीटर 2014-15 में और 10 हजार किलोमीटर 2015-16 के बजट में दिखायी है। इसलिए मात्र 3 हजार किलोमीटर सड़क बची है, इस 3 हजार को और शामिल कर देते तो आपके आंकड़े पूरे हो जाते। इसी के साथ-साथ आपने 2014-15 के बजट में 250 की आबादी से लेकर 499 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ने की बात की। उसमें 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 509 करोड़ रुपये का बजट 1294 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की थी। आज फिर इसी बजट में 250 से लेकर 499 तक के 600 गांवों को जोड़ने का बताया और 1440 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि इन आंकड़ों में अगर आपने एक भी गांव को जोड़ने का काम किया हो, अगर आपने पिछले बजट में 530 गांव जोड़ने की बात की है, आज आपने 600 गांव जोड़ने की बात की है, लेकिन जोड़ा एक भी गांव नहीं गया है। एक भी गांव में एक किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई में नहीं बनायी गयी है। तो आप इस तरीके से इस राजस्थान की जनता को +++ असत्य बात के अलावा राजस्थान की सरकार कुछ नहीं करना चाह रही। इसी माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

श्री सभापति: ये धोखा, कपट शब्द आप अंकित नहीं करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजगढ़ शहर को, डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़ को जोड़ने के लिए 159 किलोमीटर की इस बजट में घोषणा की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बड़ी गम्भीर है, ग्रामीण जितनी भी सड़कें हैं उनकी दयनीय स्थिति है। उनके लिए बजट में किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गयी। मेरे राजगढ़ तहसील में कुछ गांव ऐसे हैं जो अण्डरब्रिज के नाम गांवों की सड़क मुख्य सड़क है, जाने का रास्ता अवरुद्ध है, उसके अलावा जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी बजट में उनकी घोषणा की जाय। रणवा से कांदराण को जोड़ने वाली सड़क पर सादुलपुर-दिल्ली लाइन पर अण्डरब्रिज की घोषणा की जाय। एनएच 65 राजगढ़ से हिसार रोड पर लुटाणा सदासुख जाने वाली रोड पर अण्डरब्रिज की घोषणा की जाय। एनएच 65 से लसेड़ी रेलवे स्टेशन के पास अण्डरब्रिज की घोषणा की जाय। मुख्य रूप से मिसिंग लिंक रोड्स की बात की गयी है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र से झुंझुनूं, चूरू जिले को जोड़ने वाले तीन ऐसे स्थान हैं जिनका मात्र 4-5 किलोमीटर का दायरा है। उनको इस मिसिंग लिंक रोड में जोड़ा जाय। उसमें राऊ टीबा से टमकोर, मामराजबास से पिलानी, नया बास से मण्ड्रेला जाने वाली रोड है उसमें इनको जोड़ा जाय। विशेषकर एक धार्मिक स्थल भोजाण धाम से वीराण तक का 4 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है उसको भी शामिल किया जाय।

इसके साथ-साथ माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान की जनता को वैट के माध्यम से भ्रमित किया है, 14 परसेंट वैट को बढ़ाकर 14.5 परसेंट वैट किया गया। 14.5 परसेंट वैट करके जनता के ऊपर भार डाला गया। जो इनका असत्य मुखौटा है और आपकी सरकार का जो मुखौटा दिख रहा है उससे आप असत्य बात कर रहे हैं वह है पैट्रोल डीजल पर रोड सैस एक रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये कर दिया गया, जो आपके घोषणा-पत्र में शामिल नहीं है, लेकिन आपके बजट के दस्तावेज में शामिल है। यह राजस्थान की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसको आप कम करने का प्रयास करें जिससे राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिल सके, क्योंकि यह जनता के सामने पेश नहीं किया गया, जनता पर धीरे-धीरे चुपचाप बोझ डाला गया है।

(श्री मनोज कुमार)

मैं पेयजल के बारे में बात करना चाहूंगा। बंगी राजगढ़ परियोजना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन बताना चाहूंगा कि वह योजना 2006-07 से चल रही है, लेकिन उस योजना में एक गम्भीर समस्या आने वाली है वह समस्या मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इस बजट में दुबारा घोषणा करें कि उस आपणी योजना को, इस राजगढ़ तहसील में जनता को पानी पिलाने की मंशा है तो आप घर-घर कनेक्शन करने का प्रावधान करें जिससे राजगढ़ की जनता को उसका लाभ मिल सके।

माननीय चिकित्सा मंत्री विराजमान हैं, उन्होंने सरकार से नेचुरल पार्क चूरू के लिए लिया है, लेकिन नेचुरल पार्क से काम चलने वाला नहीं है। चूरू जिले की जनता प्यासी मर रही है। आप इसके लिए प्रयास करें कि आप घर-घर कनेक्शन कराने के लिए बजट का प्रावधान करें ताकि चूरू जिले की जनता आपके गुणगान करे। इसलिए आपसे विशेष गुजारिश करता हूं कि आप इस योजना को आगे बढ़ाएं।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आप योजनाएं बनाने का काम करते हैं। आप जनता को कहते हैं हमारी पानी पिलाने की मंशा है, लेकिन किससे? आपका विजन तो है और विजन भी 2010 तक नहीं कर रहे हो, विजन भी 2020 में ले जा रहे हो। लेकिन सुपरविजन की कमी है। सुपरविजन के बिना इस विजन को सफल नहीं कर सकते। राजगढ़ तहसील में 9 पोस्ट में से, मैं लगातार इस सदन में 14 महीने में जितनी बार बोलने का मौका आया, मैंने कहा है एक एईएन की पोस्ट है, मात्र एक एईएन लगा हुआ है, 8 पोस्ट खाली है। आप किससे व्यवस्था कराएंगे। लीकेज ठीक करने वाला नहीं है, लाइन डालने वाला नहीं है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप राजस्थान की जनता को विजन की बात करते हैं तो सुपरविजन के बिना आपकी बात पूर्णत: धरातल पर लागू नहीं होगी। इसलिए सुपरविजन की सख्त आवश्यकता है।

अब मैं बिजली के लिए कहना चाहता हूं। हमारे राजस्थान की जनता को बिजली का जो भार जनता को दिया है वह बहुत गम्भीर है क्योंकि राजस्थान की जनता को आप लोगों ने आज तक यह कहा है कि बिजली का घाटा हो गया, इस घाटे की पूर्ति, हम ईमानदार लोग हैं, समय पर बिल भुगतान कर रहे हैं, राज्य में विद्युत चोरी करने वालों का दण्ड ईमानदार उपभोक्ताओं

(श्री मनोज कुमार)

को नहीं दे सकते। विद्युत कम्पनियों द्वारा किये गये कार्यकलापों का ईमानदार उपभोक्ताओं का बिल बढ़ाकर वसूली नहीं की जा सकती।

विद्युत कम्पनियों के कुप्रबन्धन और अपव्यय का भार आप ईमानदार उपभोक्ताओं से बढ़ाकर वसूल नहीं कर सकते। बेलगाम विद्युत छीजत की लागत, विवेकहीन ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान ईमानदार राष्ट्रवादी उपभोक्ताओं से वसूला जाना उचित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत विभाग के हजारों ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, इस राज्य में उन विद्युत चोरों को संरक्षण प्राप्त हो रखा है, सैकड़ों-करोड़ों रुपये के उपकरण प्रतिवर्ष केवल कमीशनखोरी के लिए खरीदे जा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ के विद्युत खम्बे, तार, फिटिंग आदि मूल्यवान सामान प्रतिवर्ष उचंती पर बेचे जा रहे हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि सरकार तंत्र और नियंत्रण की असफलता, विद्युत कम्पनियों के अपव्यय, कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार, विद्युत चोरों द्वारा खुली विद्युत चोरी का भार, विवेकहीन ऋण राशि, बढ़ते ब्याज का भार प्रदेश की विद्युत दर बढ़ाकर ईमानदार उपभोक्ताओं पर डाला जाना गलत है और इसको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जो ये बिजली की बात करना चाहते हैं तो एक घर में 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले व्यक्ति के प्रति दो माह में 515 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है और आपने प्रति घर में 300 यूनिट वाले पर 515 रुपये का भार डाला है और 400 यूनिट वाले पर 695 रुपये का भार आपने डालने का काम किया है। इसलिए सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की गरीब जनता को राहत देकर बढ़ायी हुई दर को वापस लिया जाए।

जहां तक घोषणाओं की बात है तो आप लोग तुरन्त घोषणाएं तो करते जाते हैं पर मैं आपकी सरकार की घोषणाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि जो आप हवाओं में घोषणा करते हैं वो आपकी कब से पैण्डिंग पड़ी हैं। इसी तरह से बजट में आपने 2004 में घोषणा की कि दुर्गम क्षेत्रों में 200 उप केन्द्रों का, प्रसव गृहों का निर्माण करेंगे पर आज तक नहीं हुआ। कामकाजी महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में 13 छात्रावास आज तक नहीं हुए। ग्रामीण महिला कामगारों के लिए 500 शिशुपालन गृह आज तक नहीं हुए। नि:शक्तजनों को रोजगार देने के लिए स्वरोजगार सहायता योजना में 40 हजार तक के ऋण दिये जाएंगे परन्तु आज तक नहीं दिये गये। बी.पी.एल. के लिए राशन टिकिट आज तक नहीं दिये गये। एसएमएस में एथलैटिक्स के

(श्री मनोज कुमार)

लिए सिंथेटिक ट्रेक, हाकी एस्ट्रोटर्फ, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट आज तक आपकी सरकार ने नहीं दिये जबकि घोषणा की थी। राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विकसित करने के लिए खेल प्रतिभा खोजना, परवन नदी पर वृहत सिंचाई परियोजना, राज्य सरकार बाल रसोईघर योजना लागू करेगी, जवाहर कला केन्द्र में क्राफ्ट म्यूजियम, अलबर्ट हाल म्यूजियम को अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप, जयपुर में महिला बास्केटबाल अकादमी, जयपुर शहर को चरणबद्ध तरीके से वाई-फाई सिटी बनाया जाएगा, यह 2008 में भी आपकी घोषणाएं थीं जो आज भी चल रही हैं। 2014 में भी की हैं और 2015 में भी आप लोगों ने की हैं। जलमहल के सामने दिल्ली हाट, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता, राज्य के सभी 34 हजार गांवों को जुलाई, 2008 में शहरों के समान बिजली का कहा था जो आज तक आपकी सरकार ने नहीं किया है। आप सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं और सिर्फ जनता से असत्य बोलने के अलावा कोई काम नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, नहरी सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सीमित क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने बजट की घोषणा जरूर की है लेकिन हमारे चौधरी कुम्भाराम नहर के सिंचित क्षेत्र का जो रकबा साढ़े सात हजार हैक्टर के लगभग था उसको घटाकर 37 हजार करीब कर दिया। उस रकबे को बढ़ाकर चौधरी कुम्भाराम नहर के नीचे जितना सिंचित क्षेत्र था उसको वापस बढ़ाया जाए और उन किसानों को भी उसका लाभ दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत जो पिछले 20 साल से लगातार कह रहे हैं, राजगढ़ की जनता मांग कर रही है, 14 गांव हैं उस नहर के नीचे जिनकी आज तक बजट की घोषणा इस सत्र में नहीं की गई है। उनके अभी तक खाले, नाले और मोरी तक नहीं बने हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी राजगढ़ तहसील की उप तहसील सिद्धमुख के उन 14 गांवों को नहर से जोड़कर उनको भी लाभ दिया जाए, उनके लिए भी इसी सत्र में बजट की घोषणा की जाए।

शिक्षा के सम्बन्ध में अभी चर्चा चल रही थी कि हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिये, हम प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनायेंगे। आपने सिर्फ नाम लिखने के अलावा, उच्च माध्यमिक के नाम से कुछ नहीं किया है। सरासर असत्य बात है। आप यह बतायें कि 5 हजार विद्यालय खोलने की आप लोगों ने बात की पर वहां पर एक भी व्याख्याता नहीं, उनके

(श्री मनोज कुमार)

लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था, उनके लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था, उनके बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था, उनके कमरों की व्यवस्था अगर करने की सरकार की मन्शा साथ ही होती तो शिक्षा को आप उच्च स्तर पर ले जाने का काम करते। लेकिन शिक्षा देना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य सिर्फ वाह-वाही लूटने का है, आप चाहते हो कि हम घोषणा कर दें उससे लोग शिक्षित हो जाएंगे पर इससे शिक्षा नहीं मिलेगी।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि 2014-15 का जब बजट घोषित किया, माननीय मुख्य मंत्री ने जब घोषणा की तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि हम प्राइवेट विद्यालय जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलेंगे लेकिन आप जहां प्राइवेट उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर आपने विद्यालय नहीं खोला, वहां पर आपने क्रमोन्नत नहीं किया। इसका क्या कारण है? आप सोचिये कि जहां प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं इसका मतलब वहां छात्र संख्या ज्यादा है और वहां पढ़ने वाले भी ज्यादा हैं इसलिए वहां पर सबसे पहले करने की आवश्यकता थी। परन्तु आपने यह जनता के साथ घोर अन्याय किया है और आपने असत्य बात कही है। आप कह रहे हैं कि हम प्रत्येक पंचायत पर उच्च माध्यमिक बनायेंगे लेकिन नहीं बनाये। इस कारण से शिक्षा का स्तर गम्भीर है। अब मैं मेरी राजगढ़ तहसील के लिए कहना चाहता हूं कि राजगढ़ में शिक्षा के लिए एक सरकारी आई.टी.आई. खोलने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसी बजट में एक सरकारी आई.टी.आई. खोलकर राजगढ़ की जनता को राहत दें।

चिकित्सा के मामले में कहना चाहता हूं कि हमारे चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं और चिकित्सा मंत्री महोदय बार-बार सदन में कहते भी हैं कि हमारी व्यवस्था के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हम उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, हम पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर रहे हैं पर ऐसे क्रमोन्नत करने की जरूरत नहीं है, इनके सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, जो आपकी व्यवस्था वर्तमान में चल रही है उस व्यवस्था का आप सुदृढ़ीकरण करिये, उनमें डाक्टर लगाइये, उनमें कम्पाउण्डर लगाइये, उनमें आप तकनीकी मशीनें लगायें ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके और ऐसा कार्य करने की जरूरत है।

(श्री मनोज कुमार)

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आर.ओ. प्लांट के लिए भी इस सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि हम 1000 आर.ओ. प्लांट लगाने जा रहे हैं लेकिन आज तक एक भी आर.ओ. प्लांट पिछली बजट घोषणा का नहीं लगा और इस बजट घोषणा में फिर आपने कह दिया कि हम 2000 आर.ओ. प्लांट और लगायेंगे लेकिन ये आर.ओ. प्लांट आज तक भी नहीं लगे। इसलिए सिर्फ घोषणा करने से कुछ काम नहीं चलेगा, इनको आप लगाने का काम करें, सरकार जनता को इनका लाभ देने का काम करे।

बिजली में जी.एस.एस. की बात करें तो 2014-15 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि हम जी.एस.एस. 400 के.वी. के 3, 220 के.वी. के 9 तथा 132 के.वी. के 11 का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा तथा इसके साथ-साथ 33 के.वी. के 220 सब स्टेशन स्थापित किये जाएंगे लेकिन आज दिन तक इस बिजली विभाग और इस सरकार के द्वारा नहीं किये गये और आज फिर घोषणा कर दी गई कि हम जी.एस.एस. फिर बनायेंगे। 400 के.वी. का 1 ग्रिड सब स्टेशन, 220 के.वी. के 6, 132 के.वी. के 16 और 33 के.वी. के 200 नये सब स्टेशन स्थापित किये जाने की अब फिर घोषणा की गई है। आपने 200-200 की संख्या में गिना रखे हैं और अभी भी यही घोषणा है, पिछली बार की भी यही घोषणा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में आपकी जो स्थिति है इस स्थिति में आप अभी भी पूर्ववर्ती या आपकी सरकार की बात नहीं करें। इस राजस्थान की जनता को आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, इस राजस्थान की जनता को आप दोनों का जो मुखौटा है वो जनता के सामने धरातल पर रखने की जरूरत है और आप धरातल पर जाकर जनता के हित में काम करें। अगर आप पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो आप बार-बार उसकी गणना न करें क्योंकि डेढ़ साल का समय बीत गया है और अब आपका समय आ गया है, आप जनता को बताइये कि हमने यह-यह कर दिया है। आपकी करने की मन्शा नहीं है इसलिए आप सिर्फ थोथी घोषणाएं, असत्य बात करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको पूरा वक्त दिया है। आपकी पार्टी को जो समय आबंटित है उससे भी ज्यादा वक्त आपको दे दिया है। आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। खाद्य विभाग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात की और उसके लिए मैं बार-बार सुनता आ रहा हूं कि जब भी माननीय खाद्य सुरक्षा मंत्री महोदय से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि पुराने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हम अभियान चलाकर संशोधन कराना चाह रहे हैं और हमने टास्क फोर्स गठित कर दी। क्या हुआ डेढ़ साल में उस टास्क फोर्स का? आज तक आप उसमें संशोधन नहीं कर सके। इसलिए कहना चाहता हूं कि यह टास्क फोर्स का बहाना नहीं करें और धरातल पर जाकर लोगों के काम करके बतायें। राशनकार्ड के वितरण में पिछले तीन साल से राजस्थान की जनता राशनकार्ड के लिए प्रताड़ित हो रही है। पहली बात तो राशनकार्ड वितरित नहीं हुए और अगर कहीं वितरित हो गये तो उन वितरित राशनकार्डों में गम्भीर त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों के संशोधन के लिए आज भी राशनकार्ड पैण्डिंग हैं। लेकिन सरकार फिर भी डेढ़ साल से अनदेखी कर रही है। मैं राजस्थान सरकार को कहना चाहता हूं और एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि एक गुजरात की कम्पनी हमारे गांवों की जनता के नाम के बारे में नहीं जान सकती इसलिए ग्राम सेवक और सरपंच बहुत हैं जिनसे आप अगर राशनकार्ड में शुद्धिकरण कराना चाहते हैं....

(16.00 बजे)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, सरकार ने बीडीओ को पावर दे दिये हैं राशनकार्ड में त्रुटि सही कर लो। माननीय एमएलए साहब को मालूम नहीं है जो बोल रहे हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं बता देना चाहता हूं कि आपने अब भी यह 15 दिन की बात कही है, आदेश दे दिये तो ठीक बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात अब समाप्त करें। आपको ज्यादा समय दे दिया है हमने।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। पंचायत पुनर्गठन पर भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आपका जो पुनर्गठन हुआ है, जिसमें विसंगति रह गई या जान-बूझकर दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर पंचायत समितियों का गठन नहीं किया गया तो मेरे राजगढ़ तहसील में एक पंचायत समिति बनने वाली थी, पूरे गाइडलाइन के अनुसार थी, उनका पुनर्गठन किया जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारी सेंसिटिव, एक्सीलेंट मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने बजट 2015-16 प्रस्तुत किया, उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, प्रदेश की जनता द्वारा दिये गये ऐतिहासिक जनादेश की वजह से, इसी अनुरूप हमारी सरकार ने बजट पेश किया और बजट वह पेश किया कि राजस्थान को एक आइना दिखाया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पांच साल राज किया और प्रदेश को गर्त में डाल दिया। यह हालत कर दी। विकास के नाम पर केवल थोथी घोषणाएं करते रहे और पांच साल गुजार दिये और उन पांच सालों में केवल घोषणाएं-घोषणाएं करके उनकी इतिश्री की जिसकी वजह से उनकी यह इतिश्री हुई। लेकिन जैसे ही हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पदभार सम्भाला और एक कहावत है ना कि समृद्ध या विकासशील या विकसित कोई राज्य की कल्पना करें तो इसमें सर्वप्रथम हमें गांवों की तरफ देखना पड़ेगा और गांवों की तरफ ध्यान रखते ही वही हमारी विजिलेंट मुख्य मंत्रीजी ने योजना बनाई कि अगर हम विकसित राज्य की कल्पना करें तो पांच चीजें अहम होती हैं जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य है और इसी के अनुरूप हमारी सरकार ने नीति बनाई और उस नीति का जीता-जागता उदाहरण है कि सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व देते हुए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में स्कूल खोले हैं। आपको ध्यान होना चाहिये कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राइट टू एजुकेशन लगाया और राइट टू एजुकेशन में बोला कि सबको पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसको ऐसे ही आठवीं पास कर दो ताकि उस बच्चे का भविष्य बिगड़ जाये। लेकिन भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी बने और हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी बनीं और उन्होंने तत्काल उस पर बैन लगाया और आठवीं तक के बोर्ड को वापस लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हर पंचायत हैडक्वार्टर पर शिक्षा को महत्व देते हुए उन्होंने हर गांव-ढाणी में स्कूलों को क्रमोन्नत किया और क्रमोन्नत करने के साथ-साथ ही हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने कल एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि हमारी सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि आने वाले नये सत्र में जितने भी हमारे प्राचार्य

(श्री हरिसिंह रावत)

हैं, जितने व्याख्याता हैं, उन सबकी पोस्ट हम भर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उनकी पहल से हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा।

सभापति महोदय, इसी दृष्टि से मेरे क्षेत्र में भी कालेज खोला। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि कालेज की महती आवश्यकता होती है। उसके साथ-साथ ही मैं मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कालेज तो खोल दिये लेकिन आने वाले समय में तत्काल हमारे व्याख्याता होने चाहिये, उनके जो पद सृजित हुए हैं, उन्हें तत्काल भरें ताकि हमारे बच्चों का शैक्षणिक विकास हो सके।

सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी लेकिन उसको प्रारम्भ करने से पहले, सुचारु रूप से चालू करने से पहले-पहले हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और वह हम चालू नहीं कर सके और कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया लेकिन आज भामाशाह योजना को पुन: प्रारम्भ करके एक बहुत ही उचित कदम उठाया है। यह हमारी जनता के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, पंचायती राज की बात करूं। नरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार ने योजना बनाई कि गांवों में जो जनता रहती है, उनको आर्थिक सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने सुदृढ़ करने का खाली सपना देखा, जनता का नहीं देखा। नरेगा कार्य की क्रियान्विति की और केवल मिट्टी खोदने का काम कराया और मिट्टी खोदकर इसमें से उसमें डालो, इधर से उधर डालो और इतिश्री कर दो। जनता को केवल एक खुरचन जैसा काम दिया। उसको केवल खुरचन दी, क्रीम कांग्रेस सरकार खा गई। लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी ने आते ही नरेगा के कार्यक्रम में चेंज किया और नरेगा के अन्तर्गत पक्के काम, पक्के निर्माण की योजना बनाई है। यह वास्तव में सराहनीय योजना है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि इस योजना को डवटेल करके, नरेगा के अन्तर्गत हमारी योजना जो लघु कृषक लोग हैं यहां पर और लघु कृषक कैसे ज्यादा उपज ले सकें, कैसी अपनी उपजाऊ फसल ले सकें, उसके लिए योजना बनाई और इस नरेगा के अन्तर्गत ही फव्वारा, बूंद -बूंद सिंचाई की योजना को भी इससे जोड़ने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ-साथ ही जो बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को कैसे

(श्री हरिसिंह रावत)

उपजाऊ करें। उसके लिए भी तालाब की मिट्टी खोदकर अपने खेतों में डालने की जो योजना बनाई है, वह भी वास्तव में एक सराहनीय योजना है।

दूसरे, हमारी जो बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि हमें अभी तक 2009 के कनेक्शन नहीं मिले लेकिन इसमें भी सही ढंग से सरकार ने काम किया है और सोलर ऊर्जा के माध्यम से कुओं पर मोटर लगाने की योजना बनाई है। यह भी एक सराहनीय योजना है। इसके लिए मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस प्रकार की योजना अगर लागू हो जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारे कृषक वह कृषक नहीं रहेंगे जो कहते हैं कि कभी महाराष्ट्र में कृषक मर गये या कंगाल हो गये। वह स्थिति नहीं रहेगी अगर यह योजना लागू हो गई तो मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारे कृषकों का विकास होगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना है। इस इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 70,000 रुपये एक बीपीएल परिवार को दिया जाता है। मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि व्यक्ति को पैसे ना देकर सामूहिक रूप से पंचायत मुख्यालय पर अगर जमीन अलाट करके सरकार ही उसको सामूहिक रूप से अगर मकान बनाकर दे और सरकार उसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। अगर इस योजना को इस ढंग से क्रियान्वित की जाये तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा कदम होगा। आज होता क्या है कि 70,000 रुपये हम देते है लेकिन उस 70,000 रुपये में से बंदरबांट हो जाती है। उसमें पटवारी कोई सर्टिफिकेट देता है तो वह अपना कमीशन खा जाता है। कोई सरपंच खा लेता है और भी कोई विभाग के कर्मचारी खा लेते हैं। एक्चुअल में 70,000 रुपये में से मैं समझता हूं, 40,000 रुपये से ज्यादा पैसा नहीं पहुंचता है। अगर इस योजना को सरकार के माध्यम से लागू करेंगे तो मैं समझता हूं कि वास्तव में बीपीएल परिवार को इसका फायदा मिलेगा।

दूसरा, विधायक मद की बात करूं मैं। विधायक मद में हमें दो करोड़ रुपये मिलते हैं तो पहले तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि दो करोड़

(श्री हरिसिंह रावत)

की जगह पांच करोड़ रुपये अगर दे दिया जाये एक एमएलए को तो मैं समझता हूं कि बहुत ही लाभदायक योजना लागू होगी क्योंकि आज के इस काल में इतनी महंगाई हो गई है। अगर दो करोड़ रुपया हम चाहें और एक पंचायत को अगर पांच लाख रुपया भी दें तो मैं समझता हूं कि मिनिमम 50 तो पंचायतें होती हैं और 30-40 में ही हमारे पैसों की इतिश्री हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पांच करोड़ रुपये तो वह दें।

दूसरा, इसमें एक राइडर लगाया गया है सभापति महोदय, राइडर यह है कि किसी रेवेन्यू विलेज में अगर एक बार किसी सांसद या किसी विधायक ने कोई सामुदायिक भवन के लिए पैसा दिया है तो दूसरी बार उस पर नहीं दे सकते। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस राइडर को खतम किया जाये।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम लोगों के जो क्षेत्र हैं, मेवाड़ जहां से हम आते हैं, हमारे यहां बिखरी आबादी में सब गांव-ढाणी बसे हुए हैं। चार-चार ग्रामों को मिलाकर हमारे एक रेवेन्यू विलेज बनता है और अगर हम एक किसी को सार्वजनिक भवन देते हैं तो चार गांव हमारे वंचित रह जाते हैं। अगर यह राइडर खतम हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि इसका पूरी जनता को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की बात करूं। जेजेवाई योजना, पनघट योजना। ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, ये योजनाएं पंचायती राज को हम देते हैं और पंचायती राज इनकी सही ढंग से मानिटरिंग नहीं करने की वजह से ना तो बिल भर पाते हैं और ना ही पानी उनको मिल पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन सब योजनाओं को पी.एच.ई.डी. में वापस दिया जाए ताकि सही ढंग से पेयजल की व्यवस्था हो सकेगी, इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। सभापति महोदय, दूसरा मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और मगरा क्षेत्र के अन्तर्गत मगरा विकास बोर्ड लागू किया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 50 करोड़ की जगह अगर इसमें 75 करोड़ दें तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र को उसका लाभ मिलेगा। हमारी एक योजना है देवनारायण विकास बोर्ड योजना, मेरे जिलें में भी 30 परसेंट हमारे गुर्जर रहते हैं, इन गुर्जरों को आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से

(श्री हरिसिंह रावत)

अगर देखा जाए तो यह बहुत ही कमजोर पिछड़ा वर्ग है। अगर इस योजना का लाभ हमारे जिलें में भी दिया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे गुर्जर समाज को काफी इसका फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पानी वहां पर्याप्त नहीं होता है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र होने से या तो हमारा पानी मेवाड़ चला जाता है और हमारा मगरा क्षेत्र पानी से वंचित रह जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बीसलपुर योजना और चम्बल योजना है, बीसलपुर योजना जो है मेरे एरिया से गुज़रती हुई टोडगढ़ जा रही है यह 100 करोड़ की योजना अण्डर कंसीडरेशन है अगर इस योजना के अन्तर्गत मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र को जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र की पेयजल समस्या का सही समाधान हो जाएगा। दूसरी, चम्बल योजना जो मेरे क्षेत्र से मुश्किल से आधा फर्लांग दूर है जो थाना गांव है जो हमारे कालूलाल गुर्जरजी के क्षेत्र से गुजर रही है, वह योजना मेरे क्षेत्र से गुजर रही है अगर कुछ नीचे वाले गांवों को मेरे क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे यहां की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा। इस सरकार की योजना जो माही डैम की योजना है यह तीन चार फेज में बनेगी, यह मैं समझता हूं कि न तो नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। पता नहीं कब पानी वहां से आएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिलेगा। डी.पी.आर. बन रहा है और डी.पी.आर. बनते-बनते मैं समझता हूं कि हमारा कार्यकाल गुजर जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को तो चलने दें लेकिन चंबल और बीसलपुर से जोड़ने से कम से कम हमारे एरिया को इसका फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सब बढ़िया बोलते हैं यहां, कौन खराब बोलता है अपने यहां?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, जो गौरव पथ दिया है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन हम सब विधायक विराजमान हैं और सबकी हार्दिक इच्छा है कि इन्होंने जो 200 किलोमीटर की घोषणा की है, इसको अगर 25 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को दें तो मैं समझता हूं कि हमारा सर्वांगीण विकास होगा और मिसिंग लिंक अगर

(श्री हरिसिंह रावत)

25-25 किलोमीटर की प्रत्येक को देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे पांच साल में हमें वापस जीत कर आने में कहीं दुविधा नहीं होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य, अब विराजिए। बहुत सारी बातें आ गई हैं आपकी तो। आपकी बहुत बातें आ गई हैं माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो मिनट सर।

श्री सभापति: नहीं दो मिनट नहीं, केवल एक मिनट।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, अब मैं चिकित्सा के बारे में बात करना चाहता हूं। सभापति महोदय, चिकित्सा के मामले में भी पूर्ववर्ती सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और चिकित्सा के मामले में इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया। लेकिन जैसे ही हमारी मुख्य मंत्रीजी आईं और उन्होंने इस पर ध्यान दिया। सात हमारे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खुलवाये इसके लिए मैं उनकी बहुत ही भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं पूरे राजस्थान में आज शायद सभी विधायक मेरी तरफ टुकर-टुकर देख रहे हैं। इसीलिए देख रहे हैं कि वास्तव में सही कह रहे हैं और आज सब जगह चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की कमी से इतनी हालत खराब है एक-एक सी.एच.सी. में हम जाते हैं वहां 400-500 की आउट-डोर होती है और आउट-डोर में दो-दो डाक्टर रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मेरे यहां पर दो सी.एच.सी. हैं भीम और देवगढ़ में। 14-14 डाक्टर जिनमें सात कनिष्ठ विशेषज्ञ और आज 2008 से सभापति महोदय, एक भी डाक्टर नहीं है। मेरे भीम में तीन डाक्टर थे जिसमें अभी एक हार्ट-अटैक आकर मर गया और दो डाक्टर केवल देवगढ़ में हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी परसों मेरे यहां एक्सीडेंट होकर तीन आदमी मर गए और उनके मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम करने के लिए डाक्टर मुझे बाहर से बुलाना पड़ा इससे बड़ी हमारी और क्या स्थिति हो सकती है? सभापति महोदय, मेरे जिले में 40 डाक्टरों के लिए उन्होंने बोला है लेकिन एक भी डाक्टर नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि तत्काल हमारे जो डाक्टर्स की कमी है उसकी व्यवस्था करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, अब आपका काफी हो गया है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): खनिज उद्योग के बारे में मेरा एक प्रस्ताव है कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मावली मारवाड़ लाइन का अमान परिवर्तन का इस बजट में लिया है। अगर ये मावली मारवाड़ लाइन ब्राडगेज हो जाती है तो हमारे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। हमारे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी से कि मावली मारवाड़ लाइन को अगर कामली घाट से भीम जवाजा ब्यावर जोड़ दें तो हमारे मार्बल मण्डी, ग्रेनाइट मण्डी को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ाया मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में रेलवे लाइन को इस क्षेत्र से जोड़ने का प्रस्ताव अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी दूरगामी विकास होंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद आपको। श्री धर्मपाल चौधरी (अनुपस्थित)। श्री प्रतापसिंह सिंघवी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा सहकारिता विभाग का है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अगला नाम पुकार लिया है, आप विराजें। बहुत बात हो गई हैं आपकी, अब आप विराजें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: अब आप विराजें, श्री प्रतापसिंह सिंघवी। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): ×××

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, 2015-2016 के बजट भाषण पर मुझे भी अपने विचार रखने का आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी शानदार और जानदार बजट पेश करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह बजट नए राजस्थान के सपने को जो मुख्य मंत्रीजी ने देखा है उसको साकार करने वाला बजट है। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी

(श्री प्रताप सिंह)

मेक इन इंडिया के नाम से हमारे देश को सशक्त और विश्व में एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारी मुख्य मंत्रीजी भी मेक इन राजस्थान के नाम से हमारे प्रदेश को सशक्त और हमारे नौजवानों को रोजगार देने के अवसर पैदा करना चाहती हैं। इस बजट के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2003-04 में जब वसुंधराजी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री पद का भार सम्भाला उस समय हमको 3 हजार 424 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हमको राजस्थान को खजाने में मिला था। हमने प्रयत्न करके और वर्ष 2007-08 तक इस घाटे को 1 हजार 653 करोड़ रुपये में सर-प्लस कर दिया। लेकिन मुझे बताते हुए दुःख है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अनाप-शनाप खर्चा किया, बेइंतहा घोषणाएं कीं जिनका राजस्थान की जनता से, राजस्थान के विकास से किसी प्रकार का सरोकार नहीं था। कई कम्बल बांटे गए, कहीं साड़ी बांटी गई और हमारे राजस्थान की जनता की गाढ़े कमाई का पैसा फिजूलखर्ची में उठाया। उसी का नतीजा है कि राजस्थान में आज आर्थिक दृष्टि से हम काफी पिछड़ गए हैं। हमारे सामने किस प्रकार की स्थिति है, जब हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान का फिर से मुख्य मंत्री पद का भार सम्भाला और वित्त मंत्री के नाते जब राजस्थान का खजाना देखा तो लगता है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने जो अनाप-शनाप खर्चा किया, अंधा-धुंध घोषणाएं कीं उनका जनता के विकास से राजस्थान के विकास से कोई लेना-देना नहीं था। उसी का नतीजा है कि लगातार कोशिश करने के बाद राजस्थान में फिर विकास का माहौल बनने लगा है अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जीडीपी का आंकड़ा देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष जो जीडीपी की ग्रोथ हुई है करीब 11 परसेंट हुई है। यह हमारे वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। यही नहीं मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम राजस्थान में बहुत ही सफल साबित हुई है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि दिसम्बर, 2014 तक इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत 31 हजार करोड़ रुपये से

(श्री प्रताप सिंह)

ज्यादा 485 निवेश प्रस्ताव यहां पर आये और सिंगल विंडो के जरिये इनमें से लगभग 10500 करोड़ रुपये के 194 प्रस्ताव स्वीकार हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, इनका काम भी चालू हो चुका है।

(16.21 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जिस प्रकार का अभी निवेश का माहौल राजस्थान में बन रहा है आने वाले समय में जब नवम्बर माह में रिसर्जेंट राजस्थान का यहां पर आयोजन होगा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान में निवेश का वातावरण जिस प्रकार से बन रहा है और रिसर्जेंट राजस्थान के बाद बनेगा वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, यही नहीं आधारभूत ढांचे के ऊपर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी विकसित प्रदेश की पहचान वहां के आधारभूत ढांचे से होती है। मुख्य मंत्रीजी ने इस बार इस बजट में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है और उन पर फोकस किया है और उन सब पर बजट भी बढ़ाया है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार 20 हजार किलोमीटर सड़कों का यहां पर जिक्र किया। इस बार भी दस हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी। जब ये कुल तीस हजार किलोमीटर सड़क बन कर तैयार हो जाएंगी तो मैं यह नहीं कह सकता कि हम रेशो के हिसाब से, औसत के हिसाब से हिन्दुस्तान के स्तर पर आ जाएंगे, जो हमारे देश का स्तर है कनैक्टिविटी के मामले में वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे पर फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे।

आप, सभापति महोदय, जानते हो कि राजस्थान का पिछड़ा होने का सबसे बड़ा कारण यहां की आपस में कनैक्टिविटी का नहीं होना है। जहां देश में सौ वर्ग किलोमीटर में 148 किलोमीटर सड़कें हैं, वहीं राजस्थान में साठ किलोमीटर का औसत है। मुझे उम्मीद है कि यह तीस किलोमीटर सड़कें बनने के बाद निश्चित रूप से औसत सुधरेगा और प्रदेश में कनैक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के साथ-साथ हमारे यहां पर उद्योग भी खुलेंगे और उद्योग खुलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों को

(श्री प्रताप सिंह)

रोजगार भी मिलेगा और जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम पांच साल में पन्द्रह लाख लोगों को यहां पर रोजगार देंगे। निश्चित रूप से इसी प्रकार से हमारे यह काम चलता रहा और इस प्रकार से बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले समय में हम उद्योगों के माध्यम से स्किल डवलपमेंट के माध्यम से पन्द्रह लाख लोगों को रोजगार दे सकेंगे।

सभापति महोदय, इस बार स्वास्थ्य में भी 28 परसेंट का बजट में इजाफा किया है निश्चित रूप से हैल्थ के मामले में भी, चिकित्सा के मामले में भी हमारा राजस्थान वैसे भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे है, यहां पर दूसरे प्रदेशों के लोग इलाज कराने आते हैं और ये 28 परसेंट एडिशनल बजट देने के बाद निश्चित रूप से चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा। मैं आपको यह भी और निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी जो स्वाइन फ्लू के नाम से राजस्थान में महामारी आई उसका चिकित्सा मंत्रीजी ने डट कर मुकाबला किया और जिस प्रकार की स्थिति दूसरे प्रदेशों में बनी उस प्रकार की स्थिति यहां पर नहीं बनी। यह उनकी जागरूकता की निशानी थी इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ-साथ मैं बारां जिले से आता हूं सभापति महोदय, बारां में सीटी स्कैन मशीन तो पहुंच चुकी है पर रेडियोलोजिस्ट की वजह से वहां पर सीटी स्कैन मशीन का प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सीटी स्कैन मशीन जो बारां के होस्पिटल में पहुंच गयी है उसको वहां पर शुरू करवायी जाए। उसको शुरू करवाने की व्यवस्था करवायी जाए।

यही नहीं सभापति महोदय, बजट में आरोग्य राजस्थान अभियान की भी घोषणा की गयी है निश्चित रूप से यह भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। पंचायत हैडक्वार्टर पर डाक्टर जाएंगे, लोगों का मेडिकल चैक अप होगा और मेडिकल चैक अप होने के बाद उनके हैल्थ कार्ड बनाये जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका भी हमारे गांव और गरीब को फायदा मिलेगा। इतना मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इस वर्ष खाद के मामले में किस प्रकार की स्थिति रही। जगह-जगह आंदोलन हुए, यूरिया और डीएपी के लिए किसान इधर-उधर भटकता रहा। हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान की पीड़ा को समझा और पीड़ा को समझकर इस बार उन्होंने इस बजट में तीन लाख मैट्रिक

(श्री प्रताप सिंह)

टन यूरिया और एक लाख मैट्रिक टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की। निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारी मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता की निशानी है और किसानों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज का युग आईटी का युग है। कम्प्यूटर और मोबाइल का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इस बदलाव को अच्छी तरह समझने लगी हैं और राजस्थान सम्पर्क पोर्टल ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जहां पर भी गांव के लोग या कोई भी व्यक्ति सीधा सुगम पोर्टल पर जाता है, उस पर शिकायत दर्ज कराता है और शिकायत दर्ज कराने के बाद वो सरकार तक पहुंचती है और सरकार तुरन्त उस पर कार्यवाही करती है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ये आईटी का दायरा बढ़ रहा है और आईटी का दायरा बढ़ने की वजह से इसको भी काफी गम्भीरता से लिया है और 72 प्रतिशत आईटी विभाग में बजट की बढ़ोतरी की है इससे भी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे गांव और गरीब लोगों को फायदा होगा। जिस चीज के लिए हमको दफ्तरों में जाना पड़ता है, जिस चीज के लिए हमको बार-बार शासन सचिवालय में जाना पड़ता है उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी और जिस प्रकार की भी आदमी को किसी भी प्रकार के डाकूमेंट की जरूरत है किसी और चीज की जरूरत है तो आन-लाइन उसको घर बैठे ही मिल सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी मुख्य मंत्रीजी करने जा रही हैं। निश्चित रूप से बजट में 72 प्रतिशत की आईटी के क्षेत्र में बढ़ोतरी मील का पत्थर साबित होगी। यही नहीं सभापति महोदय, महिला, दलित, अल्पसंख्यक इस बजट में सबका ध्यान रखा है और निश्चित रूप से ये राजनीतिक लाभ लेने वाला बजट नहीं है, यह राजस्थान को मजबूत और वैभवशाली बनाने वाला बजट है इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की एक-दो बातों का आपको निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में दो एसएफएस के कालेज चल रहे हैं एक छबड़ा में और एक छीपाबड़ौद में। छबड़ा में अमरचंद राजकुमारी बरडिया जैन विश्व भारती स्नातकोत्तर महाविद्यालय 2004 से एसएफएस स्कीम के तहत चल रहा है। इसमें 630 लड़के रैगुलर स्टूडेंट हैं और करीब 3600 लड़के प्राइवेट स्टूडेंट हैं और ये जिले का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम सेन्टर है

(श्री प्रताप सिंह)

और प्राइवेट कालेज में, गरीब हमारा इलाका है लैंड होल्डिंग कम है, 6-7 हजार रुपये जो प्राइवेट कालेज में फीस लगती है वह हमारे बच्चे नहीं दे सकते।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि छबड़ा को और इसी प्रकार से छीपाबड़ौद कालेज को, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का दूसरा कालेज श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय 2006 से एसएफएस के आधार पर संचालित है, इस कालेज को 22 मई, 2013 को राज्य सरकार ने गवर्नमेंट कालेज घोषित कर दिया उसके बाद इसको वापस एसएफएस कालेज घोषित कर दिया गया, इससे वहां के लोगों में काफी नाराजगी भी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि यह जो आलरेडी सरकारी कालेज हो गया था उसको बाद में एसएफएस कालेज कर दिया गया, पुन: इसको सरकारी कालेज करवाने की घोषणा कल जब मुख्य मंत्री अपना उद्‌बोधन करेगी उसमें हमारे बारां जिले को यह तोहफा देगी। वैसे भी यह उनका क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं इन दोनों कालेजों में लाखों रुपये की एफ डी है, जमीनें हैं, फिक्स डिपोजिट है, यह सब तरह से फुलफिल है, बिल्डिंग का भी अभाव नहीं है, बिल्डिंग पर्याप्त रूप से बन चुकी है। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों कालेजों को सरकारी कालेज बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से करेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे छबड़ा के तीन तरफ रेणुका नदी बहती है जिसको हमारी भाषा में रेतली नदी बोलते हैं, उसमें एडियान मंदिर से नीमथूर तक एक रास्ता जाता है, नदी के बीच में से जाना पड़ता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी जब केन्द्र में मंत्री थीं तो उन्होंने उसका भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन करने के बाद वह पुलिया आज तक नहीं बनी है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह पुलिया जिसका भूमि पूजन आपके द्वारा ही किया गया था, इस पुलिया की घोषणा भी निश्चित रूप आप अपने श्रीमुख से कल अपने भाषण में करेंगी। यही नहीं पिछले वर्ष लगातार बरसात और अतिवृष्टि होने से, बाढ़ आने की वजह से हमारे क्षेत्र की 61 पुलियाएं टूटी हुई हैं उनमें से एक भी पुलिया की आज तक रिपेयर नहीं हुई है। बरसात फिर सामने खड़ी है, महीने दो महीने सैंक्शन में लग जायेंगे, अगर इन पुलियाओं की

(श्री प्रताप सिंह)

सेंक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग से नहीं निकली या इस पर बजट अलाट नहीं किया गया तो यह पुलियाएं अधूरी रह जायेंगी। यह पुलिया नहीं बनने से लोगों का आवागमन रुक जायेगा और हमारे छबड़ा-छीपाबड़ौद के किसान, गांव के लोग छबडा-छीपाबड़ौद आने से वंचित रह जायेंगे, जिले में और कहीं आने से वंचित रह जायेंगे इसलिए इन पुलियाओं का भी शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, में आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बारां जिले में बहुत सी सडकें इस प्रकार की हैं जो वन विभाग की आपत्ति की वजह से रुकी पड़ी हैं। सभापति महोदय, आप खुद बारां जिले में कई बार आये हैं, मेरे साथ भी आप गये हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाइवे नंबर 90 जो बारां से अकलेरा जाता है जिसकी कुल लम्बाई 93.5 किलो मीटर है उसमें पूरी सड़क तो बन गई, मात्र 400 मीटर पैच का काम फोरेस्ट की आपत्ति की वजह से रोक दिया गया है। इसी प्रकार से और सडकें जिनका भी काम रोक दिया है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जो सड़क स्टेट टाइम पर बनी, जो राजा महाराजाओं के टाइम पर बनी उस समय से वहां पुलियाएं हैं, वहां पर डामर की सड़क है वह आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक दी तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बारां जिले की जितनी भी इस प्रकार की सडकें या पुलियाएं हैं उनका आप एक नोडल आफिसर लगा कर जहां से भी इसका नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ सकता है, चाहे वह लखनऊ हो या दिल्ली हो या जयपुर हो, जहां से भी इसका नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट आये वह जल्दी से जल्दी दिलवायें और इन सड़कों का काम भी शुरू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जयपुर में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, और सब शहरों से भी माननीय सदस्य आते हैं। शहरों के आसपास काफी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। इन शहरों के आसपास जो नाले हैं उन नालों में पानी के माध्यम से वह कैमिकल बहता है और उसी नाले से किसान यहां सब्जियां उगा रहे हैं और उन सब्जियों से कई प्रकार की गम्भीर बीमारियां यहां के लोगों को हो रही हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नालों में यह जो पोल्यूटेड वाटर बह रहा है इस पर निश्चित रूप से सिंचाई के लिये रोक लगनी चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था आपके माध्यम से होनी चाहिये।

(श्री प्रताप सिंह)

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा सम्भाग कोटा है और कोटा में आप जानते हो पूरे देश के एक लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी वहां अध्ययन करते हैं इसलिए कोटा को एयर की कनैक्टिविटी से जोड़ा जाये, वहां पर हवाई जहाज का आवागमन शुरू हो इस प्रकार की भी हमारी सरकार केन्द्र सरकार से बात करके कोटा को हवाई सेवाओं से जोड़ने का निवेदन करे।

इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा एनएचएआई हमारी सड़क बना रही है। एनएचएआई कोटा से जयपुर सड़क बना रही है। सभापति महोदय, पर कोटा से बूंदी की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि फोर लेन बनने के बाद भी वहां पर जाम लगता है। इसलिए चाहे बूंदी से जयपुर फोर लेन रह सकता है पर कोटा से बूंदी को सिक्स लेन में बनाया जाये, इस प्रकार का भी मेरा आपसे निवेदन है। इतना कहते हुए ही आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोतम कुमारजी।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें राज्य के विकास और आमजन पर महंगाई का भार न पड़े इसका पूरा ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश के विकास के लिये काफी घोषणाएं की हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है। केवल हमारी विधान सभा क्षेत्र में ही कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य वंचित रह गये हैं जिसकी ओर माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से भी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण, नव निर्माण, गौरव पथ जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही है किन्तु मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से, पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से अनुरोध है कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण सड़क है जो मंगलवार से बड़ी सादड़ी होकर नीमच की ओर जाती है, यह इस घोषणा में वंचित रह गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने 2013-14 के बजट में इस सड़क को फोर लेन करने की घोषणा की थी। उसके लिये 135 करोड़ की

(श्री गोतम कुमार)

उन्होंने स्वीकृति भी दी। पूर्ववर्ती सरकार तो घोषणा और स्वीकृति देकर चली गई लेकिन अभी तक उसका कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध है कि यह सड़क हमारे विधान सभा क्षेत्र की जीवन रेखा है। लाखों लोग प्रतिमाह इस रोड का उपयोग करते हैं किन्तु वर्तमान में इस सड़क की स्थिति बहुत खराब और दयनीय है जिससे इस क्षेत्र की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से नम्र अनुरोध है कि इस सड़क को वह फोर लेन करना चाह रहे थे जबकि फोर लेन का उपयोग नहीं है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से और पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस रोड को इस बजट में टू लेन बनाने की घोषणा करने की कृपा करें। इस बार बजट में पर्यटन को विशेष महत्व देकर इसके लाभ को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के विकास को हाथ में लेने की घोषणा की है, मैं इसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सीता माता एक वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इस वन क्षेत्र में 12 महीने नदियां बहती हैं, हरियाली रहती है तथा यह क्षेत्र, राजस्थान में और कहीं इस तरह का वन अभयारण्य अपने देखने को नहीं मिलेगा। दुर्लभ प्रजातियों के वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। इसमें एक प्रजाति है उडनगिलहरी, वह तो पूरी दुनियां में एक मात्र ही यह अभयारण्य है जिसमें यह उड़न गिलहरी पाई जाती है। ऐसे में इस अभयारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहां प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है जिसमें लाखों लोग मध्य प्रदेश से, गुजरात से भी आते हैं। निश्चित रूप से सीता माता का मेला महत्वपूर्ण मेला है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं पर्यटन मंत्री महोदया से विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रणथम्भौर और भरतपुर घना के अनुसार इसको भी विकसित कराने का प्रयास करें। हमारे क्षेत्र में ज्वाला मानसिंहजी द्वारा, हमारी इस ज्वालामान नगरी में बड़ी सादडी में एक सूरीसागर तालाब भी स्थित है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व बना है, जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत है, जिसमें पूरे वर्ष पानी भी भरा रहता है। यह एक पुरातत्व धरोहर है। मेरा आपके माध्यम से, मंत्री महोदया खुद राज परिवार से आती हैं। चूंकि उनकी रुचि भी इसमें है, अगर

(श्री गोतम कुमार)

तालाब का पुनरुद्धार करके इसको संरक्षित कर दिया जाएगा तो इसके लिए क्षेत्र की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार कई सारे काम कर रही है। निश्चित रूप से इसके सुधार के लिए, छीजत कम करने के लिए बहुत सारे काम सरकार इस साल कर रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से, मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि हमारे यहां मंगलवाड में एक 132 केवी का जीएसएस है जिसमें 17-17 33 केवी के जीएसएस लगे हुए हैं। चूंकि अत्याधिक भार होने की वजह से सीजन में जब लोड पूरा रहता है तो वे सारे तार गिर जाते हैं, बहुत बार, इससे जनहानि होने की आशंका भी रहती है। उपखण्ड मुख्यालय डूंगला में अगर एक 132 और स्वीकृत कर दिया जाएगा तो सरकार को इससे छीजत में और भी तरह के लाभ होंगे। जनता को भी विद्युत आपूर्ति आप 6-6 घण्टे देना चाहते हैं, अगर आप 17 जीएसएस पर 6 घण्टे एक साथ बिजली दे भी दें तो इतना लोड 132 सहन ही नहीं कर सकता, इसलिए सीजन में हमें बहुत परेशानी आती है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय इस पर ध्यान देकर डूंगला उपखण्ड मुख्यालय पर अगर 132 की स्वीकृति करा देंगे तो इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा।

हमारी सरकार सरफेस वाटर के लिए बहुत काम कर रही है। नये-नये बहुत सारे बांध बनाने का, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्रीजी का भी सपना है कि सरफेस वाटर बढ़ाया जाए। चूंकि हमारे राजस्थान में 01 परसेंट ही पूरे देश का पानी है। निश्चित रूप से हमारे प्रतापगढ़ जिले में बहुत सारे बांधों की सम्भावना है, ऐसे में अगर हमारे प्रतापगढ़ जिले में, जातला बांध है, खैराड्यो बांध है जिसमें कुछ काम भी हो चुका है, अगर इस बजट में उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए तो उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार होगा। चित्तौड़ जिले में भी हमारी विधान सभा में दो डैम आते हैं। हमारे चित्तौड़ जिले में सारा एरिया कैचमेंट एरिया में आता है इसलिए उसमें बहुत गुंजाइश ऐसी रहती है जिसमें बांध बन सकें। ऐसे में दो बांधों के लिए हमारा सुझाव है भंवरबेडा बांध और मामादेव बांध, यह अगर बना दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता इससे पूरा लाभ पा सकेगी।

पेयजल के लिए भी हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है, इसके लिए सरकार को हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारा जलदाय मंत्री

(श्री गोतम कुमार)

महोदया से भी निवेदन है कि जाखम हमारे क्षेत्र में, सरकार ने अभी उसमे डीपीआर के लिए ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है, उस पर काम भी चल रहा है लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि उसमें पानी दस प्रतिशत स्टोरेज भी रहता है, अगर बडियाथना, रठंरना, देवगढ़, चिकलाड यह पांच-सात पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कुछ पैसा खर्च करके ही उन योजनाओं को स्वीकृति मिल सकती है। आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है कि उनको अगर अभी इसी बजट में जुड़वाकर सैंक्शन कर दिया जाएगा तो वहां की जनता जो फरवरी में पीने के पानी को मोहताज हो जाती है, उनको लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारी डूंगला तहसील और बड़ी सादड़ी तहसील में कुछ गांवों के प्रपोजल्स आपके पास हैं, अगर उनको भी स्वीकृत कराएंगे तो उसके लिए भी आपका बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद होगा।

सरकार स्किल डवलपमेंट में बहुत सारे काम कर रही है। युवाओं को रोजगार देने के बहुत सारे काम कर रही है, इसके लिए तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद है। तरह-तरह की तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार देने का प्रयास कर रही है इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। अगर हमारे डूंगला उपखण्ड, मैं तो वैसे ही ज्यादा बोल सकता नहीं, नया हूं, थोड़ा सा समय मिल जाए। अगर हमारे क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट के माध्यम से एक आईटीआई केन्द्र डूंगला मुख्यालय पर खुल जाएगा तो इसके लिए हम जितना भी धन्यवाद देंगे उतना कम होगा। वर्तमान में हमारी बड़ी सादड़ी विधान सभा में चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, चूंकि हमारा कुछ आदिवासी बैल्ट भी पड़ता है और ग्रामीण बैल्ट भी पड़ता है। हमारे यहां कोई नौकरी लग जाती है तो वहां कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता है। मैंने जब शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन लगाया था तो माध्यमिक शिक्षा में 73 परसेंट पोस्टें खाली थीं। माननीय मंत्रीजी जब नई पोस्टिंग कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं तो इस बड़ी सादड़ी विधान सभा की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, आपने काफी बार आर्डर भी किए चिकित्सकों के लिए, उसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब जो नये डाक्टर्स आप लें, हमारे ट्राइबल बैल्ट में आप चिकित्सक लगाने की कृपा करें। इतना ही बोलते हुए इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2015-16 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, बजट केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह एक प्रकार का विजन है जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। सरकार की सोच का डाक्यूमेंट है और विकास का रोड मैप है। जनता की आशाओं, अपेक्षाओं तथा विकास के स्वप्न का एक डाक्यूमेंट है। यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने उन्होने स्वराज संकल्प के दौरान हालात का जायजा लिया, तीन-तीन सम्भागों का दौरा किया, सम्भाग और जिला स्तर पर अपने मंत्रियों को भेजकर वहां के जन प्रतिनिधियों से उनका विजन मंगवाया। सभी संगठनों से विचार विमर्श किया। किसानों और व्यापारी संगठनों से विचार विमर्श किया। मजदूर संघों से, उद्योगपतियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, आय-व्ययक अनुमान को प्रस्तुत किया। निश्चित तौर से यह राज्य को बहुत आगे विकास की तरफ ले जाएगा। सरकार ने जितने भी पुनर्गठन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, पंचायती राज का हो चाहे जिलों का पुनर्गठन हो। 1956 में सम्पूर्ण राजस्थान के विलय के बाद जो स्थिति बनी उसमें 26 जिले थे, सात जिलों का दुबारा पुनर्गठन हुआ, 6 जिले माननीय भैरोंसिंहजी ने बनवाए और एक प्रतापगढ़ यशस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धराजी ने बनाया। आज 33 जिले हैं। पंचायती राज का भी पुनर्गठन किया, एक बार माननीय भैंरोसिंहजी ने और एक बार आपके द्वारा और वह भी रिकार्ड, तीन माह के अल्पसमय में, यह सरकार की कार्यक्षमता का उत्तम उदाहरण है। मैं मेरे क्षेत्र की मांग पर आता हूं, लम्बे समय से यह मांग रही है कि फलौदी तहसील, फलौदी उपखण्ड, जो तीन-चार जिले हैं चाहे नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है इनसे 145 से लेकर 165 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और वहां पर जिले की लम्बे समय से मांग रही है।

अभी इनके पुनर्गठन के लिये एक समिति भी बन रखी है। मेरा आग्रह रहेगा कि जैसा अपना पूर्व का इतिहास रहा है पुनर्गठन के बारे में, उसी को देखते हुए सम्माननीय वसुन्धराजी राजे जल्द ही फलौदी को जिला घोषित करने की महत्ती कृपा करेंगी। ऐसा मेरा निवेदन है। पूर्ववर्ती सरकार से जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन के फलस्वरूप राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देने वाली जो स्थिति है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पब्बाराम (फलौदी): प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में सरकार के द्वारा एक वर्ष में आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में जो प्रयास किये गये हैं, उससे राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा और शीघ्र ही उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अर्थव्यवस्था के सुधारात्मक कदम एक सतत प्रक्रिया है और एक या दो दिन में यह सुधार सम्भव नहीं है। हमें विश्वास है, राज्य की जनता को यह विश्वास है कि जो वादा यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे करती हैं, उनको निभाती हैं। जिन-जिन लोगों ने, जिस सरकार ने इस वायदे को नहीं निभाया, उनकी क्या हालत हुई है, वह अभी आप सभी के सामने है। मैं उन दो वाक्यों के साथ अपनी बात की शुरूआत करता हूं। 'वादा निभाया न जाए तो वादा किया न कर, इस खेल में वादे नहीं, दिल टूटा करते हैं'। जिन्होंने जनता के दिलों को तोड़ा, खिलौना समझ करके, आज वे सड़क पर विराजमान हैं। यहां पर, सदन में भी मौजूद नहीं हैं।

2015-16 का बजट सशक्त और सम्पन्न राजस्थान के निर्माण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इन्वेस्टमेंट की धरातल पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस राजस्थान के अन्दर वह भी अभूतपूर्व है। पिछले दिनों अखबारों में भी आया कि राज्य के एक वर्ष के बजट के बराबर तीन उद्योगपतियों द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये बड़े शुभ-लक्षण हैं राज्य को विकास की तरफ ले जाने के। मैं शिक्षक रहा हूं और शिक्षा की जो स्थिति, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, सुधरी है। वसुन्धराजी के पिछले

(श्री पब्बाराम)

शासनकाल में लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों को ले करके रिक्त पदों को भरा गया और शिक्षा के स्तर को सुधारा गया। पांच साल में पुन: उसी जर्जर स्थिति में पहुंच गया और नये क्रमोन्नयन होते गये और राज्य की जनता के साथ में छलावा हुआ। इस बार 16 प्रतिशत अधिक धन दे करके वसुंधराजी ने इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, पांच हजार, सभी पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलना, जो पुनर्गठित पंचायतें हैं, उनके अन्दर भी अभी जो इस बजट के अन्दर घोषणा की है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। माडल स्कूलों के अन्दर 237 करोड़ 90 लाख रुपये अतिरिक्त बजट दिया है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रिक्ट मिडिल स्कूल बोर्ड बना है, इससे जो लगातार आठवीं तक पास करना और उसके बाद में आगे भेज देना, इस परिस्थिति से हट करके राज्य की जनता की जो अपेक्षा थी कि यहां के छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें।

मैं इस क्षेत्र में एक मांग करता हूं अपने क्षेत्र की कि हमारा बाप क्षेत्र, जो पुराना उप-खण्ड है, उसमें कालेज नहीं है, तो इतने स्कूल हो गये, परन्तु कालेज अगर हो जाए तो वहां के लोगों को, क्योंकि फलौदी उपखण्ड में जो कालेज है, उसमें ढाई हजार स्टूडेंट्स हैं। ढाई हजार स्टूडेंट एक ही कालेज में हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक कालेज की महती आवश्यकता है। क्योंकि जिले के सभी कार्यालय वहां पर हैं, एडिशनल एस.पी. का है, ए.डी.एम. कलक्टर का है। कलक्टर और जिला एस.पी. का नहीं है। तो वहां पर एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जो द्वितीय के नाम से है, डी.ई.ओ. सैकिण्ड कार्यालय, वह वहां पर कर दिया जाए। ऐसा मेरा मानना है और मेरा निवेदन है। बाप में मुंसिफ कोर्ट भी खोला जाए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

ऊर्जा के क्षेत्र में जो स्थिति है, वह बड़ी भयावह रही है पिछले पांच सालों में। मैं आग्रह करुंगा, सभापति महोदय, मैं थ्री-इन-वन हूं। थ्री-इन-वन इसलिये हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। नम्बर-दो, मैं 1971 का योद्धा रहा हूं और भारत-पाक युद्ध में भी भाग लिया है। वहां के योद्धाओं की और सशस्त्र सेनाओं की भी पैरवी करना चाहता हूं और उसके बाद में मैं 30 साल तक शिक्षक भी रहा हूं। मैं थ्री-इन-वन हूं, इसलिये पांच मिनट की रियायत दी जाए।

(श्री पब्बाराम)

ऊर्जा विभाग की हालत बहुत पतली है। इस पतली हालत से ऊर्जा विभाग को निकालने का जो कार्य माननीय वसुन्धराजी ने किया है कि 77 हजार करोड़ के घाटे, 15 हजार करोड़ से 77 हजार करोड़ के घाटे तक लाकर रख दिया। पांच साल तक बैठे-बैठे खाया। वह भी विपक्ष के लोग सुनने के लिये यहां पर मौजूद नहीं हैं, परन्तु टी.वी. में जरुर देख रहे होंगे। 'यूं ही शौक है हमारा तो शैर-ओ-शायरी करना, किसी की दुखती रग छू लूं तो यारों माफ करना'। एक विभाग का यह हाल है, 77 हजार करोड़ रुपये, यानी एक-तिहाई जो घाटा है, इसी विभाग ने दिया है। इस विभाग के अन्दर यह हालत है, हर-एक विभाग के अन्दर यही हालत है। एक कवि की पंक्ति है, 'बस एक ही उल्लू बाकी है, बर्बाद गुलिस्तां करने को, तो हाल ए गुलिस्तां क्या होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा है'। माननीय सभापति महोदय, यहां पर आने के बाद में, यानी सभी विभागों के अन्दर यही स्थिति है। कोई भी बाग़ की डाल देख लीजिये, वहां पर यही हालत है। यह मेरा कहने का आशय था, 2013-14 में 34 हजार कनेक्शन देकर किसानों को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से 40 हजार कृषि कनेक्शंस की अभी घोषणा हुई और इस प्रकार से हरित राजस्थान का यह स्वप्न पूरा होने वाला है। ऐसा मेरा मानना है। घरेलू बिजली के तहत, जो तरस गये, सिर्फ फाइलें जमा करते रहे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो बनी, उसमें 5 लाख 40 हजार कनेक्शन दिया जाना निश्चित तौर से ग्रामीण जनता की ढाणी में, ठेठ टीब्बों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर झोंपड़ी में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उसके बाल-बच्चों को पढ़ने के लिये ज्योति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे क्षेत्र में ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 14 हजार मेगावाट का एक और 26 हजार मेगावाट का सोलर प्लाण्ट, यह दो बड़े एम.ओ.यू. हुए हैं, 40 हजार मेगावाट का जो एम.ओ.यू. हुआ है, वह लगभग मेरे क्षेत्र में ही हुआ है। जब इतना बड़ा वहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, पहले हम लोग कोटा से बिजली लिया करते थे, अब हम कोटा को वापस बिजली सप्लाई करेंगे। तभी यह कहा गया है कि यहां से 400 के.वी. की लाइन उदयपुर के लिये जाने वाली है। इसके लिये मैं निवेदन करुंगा कि यहां पर जो जी.एस.एस. बनाए जा रहे हैं, अभी कोई मेरे साथी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष में 10 जी.एस.एस. 33 के मेरे क्षेत्र में हुए और एक 32 का अभी चल रहा है।

(श्री पब्बाराम)

(17.00 बजे)

मैं यह निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष में 10 जी.एस.एस. मेरे क्षेत्र में लगे 33 के और एक 32 का अभी चल रहा है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 22 जी.एस.एस. और हो रहे हैं।

इसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र के बारे में मेरी एक मांग है कि 150 बैड का जो हमारा फलौदी का है, उसको क्रमोन्नत किया जाए। जाते-जाते उन्होंने एक कागज लिख दिया था कि क्रमोन्नयन किया जाता है परन्तु उसके लिए बजट नहीं दिया। मैं अब राज्य की मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह भी आप करवाएं।

इसी प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर भी जो काम हुआ है, सभी ने बताया है। मेरा यह निवेदन है कि कांग्रेस की सरकार जाते-जाते तीन रोड्स सैंक्शन करके गयी थी। सैंक्शन क्या? एक सिर्फ कागज निकाल कर गयी थी। लोगों के अन्दर एक इच्छा जाग्रत करके गयी थी। जब कभी भी हम जाते हैं तो लोग वहां पर यह बात करते हैं ढढ्ढू से उगरास, टेकरा से धोलिया और फलौदी से कुंडल हवाई-अड्डा, यह जो हवाई-अड्डा है, जो रक्षा के लिहाज से बहुत ही बड़ा है तो इन तीनों रोड्स की सैंक्शन की जाएं। इन्होंने पानी पर भी राजनीति की और पानी पर यह हुआ कि हमारे वहां की 12 जो कुल मिलाकर स्कीम्स हैं, उनमें से माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की 6 योजनाएं इन्होंने ठप कर दीं और उन छहों को अभी माननीया वसुन्धराजी ने अभी स्वीकृति दी है। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं माननीया वसुन्धराजी का और सैकड़ों गांव अब भी फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं कृपया इसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं।

मैं अपनी बात को चार लाइनों के साथ में समाप्त करता हूं और हमारी इन मांगों के ऊपर भी विशेष ध्यान दें माननीया वसुन्धराजी।

उलझनों और कशमकश में उम्मीद की ढाल लिये बैठा हूं, नज़राने में जो मिला उजड़ा चमन, उस उजड़े चमन में अब बहार कैसे ले आऊं? मांगता हूं खुदा से दुआ, जरा सा सब्र दे दे मुझे, मिलेगी कामयाबी, हौसला कमाल का लिए बैठा हूं।

एक और अर्ज कर दूं-

(श्री पब्बाराम)

मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता और दम नहीं किसी में जो मिटा सकें हमारी हस्ती को, जंग तलवारों को लगती है, नेक इरादों को नहीं।

इसी बात को लेकर, इसी भाव को लेकर माननीया वसुन्धराजी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2015-16 पर बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान का वर्ष 2015-16 का बजट पेश किया गया। यह बजट रोजगारोन्मुखी एवं विकास का बजट है और जैसी हालात थी, जिस हालात में कांग्रेस जो आर्थिक ढांचा छोड़कर गयी, जो राजस्थान एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, ऐसे हालात में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट प्रस्तुत किया।

(17.04 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

इस बजट के अन्दर उनकी प्रशासनिक क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण, दूरगामी सोच के कारण आज हमारा प्रदेश अग्रणी स्थान की ओर बढ़ रहा है। आज इस बजट के तहत चारों तरफ चहुंमुखी विकास की योजनाएं इस बजट में देखी गयी हैं। इस बजट में गांव, ढाणी, किसान, युवा, छात्र, नारी-शक्ति, उद्योगपति, सभी का सम्पूर्ण ध्यान इसमें रखा गया है।

पेयजल योजना, राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो पानी की है और पानी की भी ऐसी हालत हो गयी है कि चारों तरफ ही पीने के लिए पानी नहीं है। इस योजना के तहत हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस समस्या को दूर करने के लिए जो पुरानी योजनाएं लागू की थीं उनको चालू किया। इन योजनाओं के लिए 783 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी

(श्री शंकर लाल शर्मा)

और पिछली सरकार ने जो योजनाएं बंद कर दीं उनको पुन: चालू करने का कार्य हाथ में लिया।

आज हालात यह हैं कि 23257 ऐसे गांव हैं जहां पर पानी फ्लोराइडयुक्त है और पानी जन-जीवन की हालत खराब कर रहा है। ऐसे में इस फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए 2000 आर.ओ. प्लांट्स की भी स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही हैंडपम्पों का जल स्तर जो नीचे गिर रहा है उनको विद्युत आपूर्ति द्वारा, सोलर एनर्जी प्लांट के द्वारा नलकूप लगाने के लिए भी 40 करोड़ रुपये का जरूर प्रावधान रखा है। हैंडपम्पों की मरम्मत के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, और जनता जल योजना जो बंद कर दी गयी थी, उसको पुन: चालू करने के लिए भी 140 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आदरणीया मुख्य मंत्रीजी और हमारे जलदाय मंत्रीजी को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि मैं दौसा क्षेत्र से हूं और हमारे क्षेत्र की हालत आज से नहीं, शुरू से ही पानी के लिए बहुत जबरदस्त ग्रसित एरिया है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर, चाहे वह नाइट्रोजनयुक्त हो, फ्लोराइडयुक्त हो, हमारे आम जन-जीवन का जो स्वास्थ्य है उसकी हालात यह है कि हमारे बचपन के अन्दर ही उनकी उम्र 55-56 दिखाई जाने लगी है, यह सबसे बड़ी बात है।

लेकिन, पहली बार दौसा को पानी उपलब्ध करवाने के लिए ईसरदा बांध के अन्दर 531 करोड़ रुपये की योजना लागू करके और 186 लाख के द्वारा सर्वे करवाकर पानी देने का प्रावधान रखा है। लेकिन, ईसरदा बांध का हमारे, यहां पर सिंचाई मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं क्योंकि बांध का निर्माण आपके अधीन आता है और इसको चालू किए हुए यह 9वें महीने में लागू किया था, आपको बजट दिया था लेकिन अभी तक उस 531 करोड़ में से शायद 10 लाख रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है। आपसे निवेदन एक ही है कि अगर इस ईसरदा बांध को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाएगा तो दौसा की जो सबसे बड़ी किल्लत है, उससे छुटकारा मिल सकता है और जीवन के लिए सबसे उपयोगी पानी की हमारी किल्लत दूर हो सकेगी।

महोदय, पानी के साथ में हमारे एरिये के अन्दर हैंडपम्पों की हालत भी बहुत ही बुरी है। चारों तरफ पानी फ्लोराइडयुक्त है और उसमें जो वाटर

(श्री शंकर लाल शर्मा)

हार्वेस्टिंग, हमारे जो आर.ओ. का रखा गया है अगर वह भी हमारे एरिये में मिलेगा तो उससे भी हमारे को निजात मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पानी के ऊपर एक बात और कहना चाहूंगा कि हैंडपम्प, जितने भी हैंडपम्प हमारे एरिये में या राजस्थान में कहीं पर भी लगे हैं वह सारे सड़क के किनारे लगते हैं। गांव के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहां हैंडपम्प अलग साइट पर लगाया जाए। इसका सारा पानी या तो सड़क के ऊपर आएगा और पूरे गांव में गदंगी इसी के कारण होगी। उसी के कारण जीवाणु पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ता है और पानी भी बेकार जाता है। इसके साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग के तहत छोटी कुई बनाकर या कोई भी ऐसे साधन के साथ-साथ पैसा और लगाया जाए कि हैंडपम्प के पास में छोटी कुई बना दी जाए तो गांव साफ-सुथरा तो रहेगा ही, स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा और हमारी जो सड़कें आये दिन इस पानी के कारण से टूटती हैं, उससे भी निजात मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सड़क परिवहन मंत्री महोदय और आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि राज्य में लगभग 35 हजार गांव हैं जिनमें 70 प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है।

इनको सड़कों से जोड़ने का 250 की आबादी से ऊपर के हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना के लिये 10 हजार किलोमीटर सड़कों का नव-निर्माण और नवीनीकरण करने का भी जो प्रस्ताव रखा है और गांवों के अन्दर खास तौर से 2 हजार किलोमीटर की सी.सी. रोड, नाली एवं 2 हजार किलोमीटर की मिसिंग लिंक का जो प्रावधान रखा है, उसके कारण हमारी ग्रामीण जनता को, जो कि शहरों में चारों तरफ से जाने के लिये सड़कों की योजना जरूरी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमें मिलेगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दौसा क्षेत्र के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा शहर में सबसे बड़ी जो रोड लाइन है, लालसोट हाइवे 11 ए से आगरा रोड हाइवे 11, और इसके अन्दर पहले यह हालात थे कि दौसा को जिला बना दिया गया लेकिन जिला स्तर के ऊपर नाममात्र की एक टूटी-फूटी सड़क थी। अभी उसके ऊपर फोर लेन का काम चल रहा है, लेकिन वह फोर लेन भी पूरे एरिया में नहीं है। इसके अन्दर बहुत कुछ एरिया जैसे सोमनाथ चौराहे से आगरा रोड तक, हमारे हास्पिटल से लालसोट रोड तक, गुप्तेश्वर रोड से

(श्री शंकर लाल शर्मा)

लालसोट हाइवे रोड तक, यह रोडें अभी भी बाकी हैं और खास तौर से इन सड़कों का रख-रखाव भी जब ही होगा, जब वहां पर नालों का निर्माण हो। उन नालों के लिये भी हम यह चाहते हैं कि अगर हमारे दौसा में जिला स्तर का जब फोर लेन का काम चल रहा है, तो साथ में नालों के लिये भी पैसा आबंटित करवाने की कृपा करें।

जहां तक परिवहन का सवाल है, एक ऐसी राजस्थान रोडवेज, जिसकी हालत बिलकुल दयनीय हो गयी थी। कर्मचारी भी यह सोचने लग गये थे कि हम नौकरी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे हालात में भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इसको घाटे से उबारते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत 580 करोड़ रुपये का अनुदान दिलाया और साथ में 6 हजार अतिरिक्त बसें संचालित करने का जो प्रावधान रखा है, इसके अन्दर यातायात ही नहीं, आमजन को सुविधा ही नहीं, सबसे बड़ी बात हजारों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। मैं इसके लिये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से बस्सी-बांसखोह तक लो फ्लोर बसें चलती हैं, जो कि हमारे दौसा से केवल मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यह लो-फ्लोर बसें अगर दौसा तक चल जाती हैं, क्योंकि दौसा के अन्दर आज चारों तरफ से 20 हजार लड़के तो पढ़ाई के लिए ही वहां रहते हैं और निरन्तर जयपुर आना-जाना होता है। अगर इस लो-फ्लोर बस को आप हमारे दौसा तक बढ़वा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो हुकुम, अभी आप आये तभी खड़ा ही हुआ था।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, मैं देख रहा हूं घड़ी।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मैं हुकुम, दो मिनट ही बस।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, दो मिनट लीजिये। केवल दो मिनट।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मैं सबसे बड़ी बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, जो दो काम स्वीकृत हुए, उनके लिये धन्यवाद तो दे दूं।

श्री अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय का और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को मैं दौसा की जनता की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हम दौसा जिले की तरफ से बधाई देते हैं कि आपने दौसा अस्पताल को 150 शैय्याओं की जगह 250 शय्याओं का किया। क्योंकि दौसा

(श्री शंकर लाल शर्मा)

शहर एक ऐसा शहर है, चारों तरफ चार हाइवे पड़ते हैं, आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उनको जयपुर रैफर करते थे। आज आपके कारण अब हमें जयपुर रैफर करने से बचत होगी। साथ ही जयपुर तक आने-जाने के अन्दर जो कठिनाई होती थी, वह दूर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्दी ही इसमें विशेषज्ञ डाक्टर्स और साधन उपलब्ध करवायेंगे तो हम वहां पर सारी सुविधाएं आपरेशन से लेकर, खास तौर से जो अभी सबसे बड़ी हमारे यहां डाक्टर्स की कमी है और उसमें भी एनेस्थिसिया का डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण आपरेशनों में बड़ी दिक्कत आती है। अगर वह जल्दी उपलब्ध करवा देंगे तो इसके लिये भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक एक हमारा काम दौसा को और दिया है। वह दिया है राजकीय संग्रहालय, जो कि अमूल्य धरोहरों के तहत, दौसा की जनता को हमारे...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद दे दीजिये आप।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): महोदय, हमारे संत सुंदरदासजी, जो कि दादू दयालजी महाराज के शिष्य थे और तुलसीदास जी के समकालीन थे। कई वर्षों से दौसा की जनता की मांग थी कि संत सुंदरदासजी के नाम पर कुछ किया जाये। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने गर्ल्स कालेज को संत सुंदरदास कालेज बनाने के लिये आश्वासन दिया है। साथ ही अब धरोहर बचाने के साथ संत सुंदरदासजी का पैनोरमा बनाने का जो बजट में प्रावधान किया है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल। विराजिए आप।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आखिर में अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है हम उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल। दस मिनट।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2015 जो मुख्य मंत्री साहिबा ने पेश किया, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इन सब आंकड़ों से हटकर बोलूंगी, क्योंकि यह सब बातें तो इस किताब में लिखी हुई हैं, इस बजट में लिखा हुआ है, वह सबने बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: यही भाषण होगा सबसे बढ़िया आपका, बाकी रिपीट हो रहा है सब।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं, जब तक शीर्ष प्रशासन गांवों तक नहीं पहुंचेगा तब तक योजनाएं लागू नहीं होंगी, न योजनाएं पूरी होंगी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि गांवों की अहम कड़ी होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद में होती है पंचायत समिति, तो हमारी पंचायत समितियों के अन्दर मीटिंग होती है हर महीने में और हर तीन महीने में। वहां उस मीटिंग के अन्दर हर गांव का सरपंच आता है, मंडल सदस्य आता है, जिला परिषद का मैम्बर आता है और वहां के कर्मचारी आते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि जिला लेवल का कोई भी अधिकारी उस मीटिंग में, उस बैठक में नहीं आता है और नहीं आने के कारण से वहां की समस्या कभी हल नहीं हो पाती है और उस क्षेत्र की वह समस्या रह जाती है। मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि कोई भी ऐसी पंचायत समिति वंचित न रहे, जिसमें जिला लेवल का अधिकारी उपस्थित रहना चाहिये और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वसुन्धरा राजे सिंधिया जब गांवों में सुराज संकल्प यात्रा पर निकली थीं जब हमारे बिलाड़ा से भोपालगढ़ होते हुए भोलारामजी की देवरी का स्थान है, जो हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और उसके अन्दर एक गौशाला भी चलती है। मैडम ने वहां दर्शन भी किये और वहां संतों से आशीर्वाद भी लिया और संतों ने आशीर्वाद भी दिया और वह आशीर्वाद पार भी हुआ। वहां पर एक घोषणा की थी, वहां के लोगों ने मांग की थी कि भोलारामजी की देवरी तक तीन किलोमीटर सड़क है डामर की, जो स्वीकृत की जाये। लेकिन इस बजट में है नहीं, तो मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करती हूं कि जब कल रिप्लाई हो तो उस सड़क की भी घोषणा मुख्य मंत्रीजी करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में एक विधान सभा क्षेत्र में एक महिला डाक्टर होनी चाहिये। देखा है कि कई बार महिलाएं, विशेष तौर से ग्रामीण महिलाएं जब हास्पिटल के अन्दर जाती हैं तो अपनी जो बीमारी होती है, समस्या होती है वह पूर्ण रूप से नहीं बता पाती हैं और वह बीमारियों से ग्रसित रहती है। मेरा आपसे निवेदन है, हम चाहते हैं गांवों का विकास हो, महिलाओं का विकास हो। एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक महिला डाक्टर जरूर होनी चाहिये, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

(श्रीमती कमसा)

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों और ढाणियों के अन्दर अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं, गांव की ढाणियां बिजली से वंचित हैं। मैडम ने एक घोषणा की है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके अन्दर चार जिले ही ले रखे हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें जोधपुर जिला भी शामिल किया जाए। उससे हमारे गांव वालों और ढाणी वालों को बिजली मिल सके। आज का युग ऐसा है कि कोई भी बच्चा बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, लाइट भी नहीं है वह बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसकी आगे पढ़ाई होगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके अन्दर जोधपुर जिले को भी शामिल किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक यह भी निवेदन है, माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि एम एल ए का जो फण्ड होता है, उसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जाए। बहुत अच्छी बात है किया जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि गांवों के अन्दर जब हमारे पास बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं और वह कहते हैं कि आपके फण्ड से कुछ मिलता हो तो हमें दो। हम उनके सामने इतने लाचार हो जाते हैं कि उनको क्या दे सकते हैं? एक मुख्य मंत्री सहायता कोष है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां से चिट्ठियां आती हैं तब तक 15-20 दिन बीत जाते हैं और तब तक उस मरीज की मौत भी हो जाती है।

तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधायकों के लिए भी एक ऐसा नियम किया जाए, बीमारी के अन्दर कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होगा, न कोई झूठी बीमारी बतायेगा और न कोई भ्रष्टाचार होगा, यह बिलकुल गरीब के पास सीधा ही पैसा पहुंच जायेगा उस चिकित्सा के मार्फत। तो, मेरा निवेदन है कि एम.एल.ए. के भी आप 5 परसेंट, 10 परसेंट, 20 परसेंट एक घोषणा करें कि जो बीमार लोग हैं उनको हम दे सकें। कभी भी विकास कार्य पूरा नहीं, चाहे आप 10 करोड़ करो, चाहे 20 करोड़ करो लेकिन आप बीमारी के लिए घोषणा करें। मेरा यह निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पुराने गांवों की जो बसावट है यह अपन ने नहीं बसायी, अपन जब जन्मे थे उससे पहले की बसावट है, कुछ घर ऊपर बसे हुए हैं कुछ घर नीचे हैं, नीचे वो घर बसे हुए हैं जो कच्ची बस्तियों के घर हैं, जो पिछड़ी कोम के घर हैं वो हमेशा नीचे बसे हुए हैं। पूरे गांव का पानी, पूरे गांव का कीचड़ है वो उन बस्तियों में आकर

(श्रीमती कमसा)

इकट्ठा हो जाता है। अपन देखते हैं कि कभी स्वाइन फ्लू हो गया, कभी कैंसर हो गया और अच्छे-अच्छे घरों में रहने वाले सोचते हैं कि यह कहां से आया। यह वहीं से आता है जहां कीचड़ पैदा होता है। तो मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत भी विकास कराती है, सरपंच चुनाव लड़ता है तो उसके भी मन में रहता है कि कौन से मौहल्ले ने हमें वोट नहीं दिया, उस मौहल्ले की नाली बनवायेगा, अध्यक्ष महोदय, यह एक परिपाटी पड़ी है और ऐसे सब करते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि मण्डोर पंचायत में एक ग्राम पंचायत है, वहां का जो अण्डर ग्राउण्ड पानी है, आप गांव के अन्दर जाकर देखेंगे तो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि इस गांव का पानी कहां जा रहा है। तो पंचायती राज मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि आप पंचायतों को बजट दें, पंचायतों की योजना बनाएं तो इस प्रकार से बनाएं कि जो गांव का पानी है वो एक जगह जाए और अण्डर ग्राउण्ड पानी की निकासी होनी चाहिए जिससे गांव के अन्दर गंदगी नहीं रहे और उससे सभी वर्ग लाभान्वित हो सकें। ऐसी एक योजना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायती राज में घोषणा की कि जिसके घर में शौचालय होगा वो ही वार्ड पंच का चुनाव लड़ेगा लेकिन अभी तक अपन ने देखा है कि गांव में पानी पीने की भी समस्या है, उसने शौचालय का प्रमाण पत्र तो दे दिया लेकिन वो यूज में ले रहा है कि नहीं ले रहा, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो शौचालय के प्रमाण पत्र मिले हैं उनके साथ में उसके घर के अन्दर पानी का होद है या नहीं है, टांका है या नहीं है, उसको वो यूज कर रहा है या नहीं, ऐसा भी होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पानी की समस्या कभी हल नहीं होगी क्योंकि गांव के अन्दर जो ढाणियां हैं उन ढाणियों में पाइप लाइन जाने में, अगर दो-चार घर हैं तो वहां करोड़ों का बजट लगता है और इतना बजट दे नहीं सकते हैं तो ऐसी जगह में, पंचायती राज मंत्रीजी विराजमान है, मैं इनसे निवेदन करूंगी कि ग्राम पंचायत के मार्फत, नरेगा के मार्फत घरों के अन्दर पक्के होद या पक्के टांके बनवाये जाएं जिससे उन गांवों को लाभ मिल सके और वो अपना पानी काम ले सकें, पानी पी सकें और शौचालय में भी काम ले सकें।

(श्रीमती कमसा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसियां तीनों ही क्षेत्र जुड़े हुए क्षेत्र हैं और गांव के अन्दर जब बीमारी होती है और वहां से रैफर करते हैं कि आप जोधपुर जाओ तो हम भोपालगढ़ से निकल कर जोधपुर जाते हैं तो जो बनाड़ रेलवे क्रासिंग आती है वहां हमें घंटों तक खड़े रहना पड़ता है और मृत्यु किसी का इन्तजार नहीं कर सकती तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बनाड़ आर.ओ.बी. घोषित की जाए, कल जब मैडम अपना भाषण दें, रिप्लाई दें उसमें बनाड़ वाला आर.ओ.बी. है उसको स्वीकृत किया जाए। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, गांवों के अन्दर देखा गया है कि बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे लाओ लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। अलग-अलग नाम से अलग-अलग योजनाएं बनी हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से भी बिजली की योजना बनी है और अटल बिहारी वाजपेयीजी ने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के अन्दर जो सड़क ढाणियों के अन्दर जाती है वो योजना भी बनी है लेकिन मैं चाहती हूं कि विजयराजे सिंधिया के नाम से एक ऐसी योजना बने हर आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रशिक्षण हो उन बालिकाओं का जो स्कूल में जाती हों, नहीं जाती हों, 20-25 साल की जो लड़कियां हैं उनको वहां प्रशिक्षण दिया जाए, वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें।

मेरा एक यह भी निवेदन है कि गांवों के अन्दर पुलिस थाने बने हुए हैं। जोधपुर में जो महिला पुलिस थाना बना हुआ है वो सरकार के भवन में नहीं चल रहा, है ही नहीं, वह एक प्राइवेट भवन के अन्दर चल रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि आज तक महिला थाना बना है गवर्नमेंट भवन नहीं है तो महिलाएं सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। गांवों में जो थाने बने हुए हैं, जब महिलाओं के साथ अपराध होता है, वो थाने के अन्दर जाती है तो उनके अलग बैठने के लिए कोई रूम नहीं है न अलग व्यवस्था है, वो बाहर खड़ी रहती है और सबके सामने वो अपनी बात भी नहीं कर सकती। तो मेरा निवेदन है कि हर पुलिस थानों के अन्दर महिलाओं के लिए एक अलग से भवन बनाया जाए। जो महिलाएं पुलिसकर्मी लगी हैं उनके लिए भी अलग से कोई रहवास नहीं है तो मेरा निवेदन है कि हर थानों के अन्दर एक भवन बनाया जाए।

(श्रीमती कमसा)

वसुन्धराजी की पिछली सरकार ने भोपालगढ़ में एक कालेज खोला था और अब मेरा निवेदन है कि वहां छात्रावास भी खोला जाए तो बच्चियों को वहां रहने में सुविधा होगी क्योंकि बच्चियां 20 किलोमीटर दूर से आती हैं, रात को लेट हो जाती हैं तो घर नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वहां रहने की कोई सुविधा नहीं है तो उन बच्चियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि भोपालगढ़ में छात्रावास खोला जाए।

कस्तूरबा गांधी स्कूल है तो मैं यह भी चाहूंगी हमारी बावड़ी पंचायत समिति में एक कस्तूरबा गांधी स्कूल भी खोला जाए, वहां बच्चियां पढ़ सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सोयला है वो एन.एच. 65 पर है और वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बड़ी पंचायत है, 10 हजार की आबादी की पंचायत है लेकिन अभी तक उस जगह हास्पिटल नहीं है तो चिकित्सा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे सोयला ग्राम पंचायत में एक हास्पिटल की स्वीकृति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर बिजली की बात कह दी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुखिया और यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा 2015-16 का जो बजट भाषण पेश किया गया यह बजट प्रदेश के लिए दिशा देने वाला, सभी व्यापारियों, सभी मध्यम वर्गियों, सभी आमजन, सड़क से चलते हुए आदमी को ध्यान में रख कर बजट पेश किया गया है। यह बजट जानदार और शानदार बजट है, प्रदेश को परख कर बनाया गया है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि पूर्ववर्ती सरकार हजारों करोड़ों का कर्ज इस सरकार को दे गयी फिर भी हमारी अति सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बड़ी कुशलता से प्रबन्धन करते हुए कई फैसले लिए जो दूरगामी, अच्छे साबित होंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 17, 18 और 19 तक नवीनीकरण, गौरव पथ, मिसिंग लिंक और शुद्धिकरण की जो नवीन सड़कों का प्रावधान लिया हुआ है वो भी इस बजट के अन्दर बहुत-बहुत स्वागत योग्य है।

(श्री छोटू सिंह)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पैरा नम्बर 34 में भी पूर्व अधूरे कार्य, जो बी.जे.पी. की सरकार के समय के थे और कांग्रेस सरकार ने नहीं किये वो बारह कार्य भी वापस लेकर जो निर्णय लिया वो भी एक सराहनीय और स्वागत योग्य निर्णय है।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेषकर सोलर से और पवन से जो ऊर्जा पैदा करने का बड़ा हब लिया है वो भी स्वागत योग्य है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी 68 प्रतिशत जो वृद्धि ली है वो भी स्वागत योग्य है। इससे आमजन देसी और परदेसी, सब लोग यहां आयेंगे और इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलेगी और हमेशा अपने प्रदेश की तरक्की होगी।

इसी आशा के साथ जैसलमेर का कुलधरा गांव है जो तेरहवीं शताब्दी के अवशेष के साथ है उनके विकास के लिए और सोनार किले का पुनरुत्थान करने के लिए जो दो करोड़ रुपये का प्रावधान है उसके लिए जैसलमेर की जनता यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देती है।

इसके साथ ही देवस्थान का हो, चाहे कृषि पालन का हो, वन विभाग का हो सभी क्षेत्र में आम बजट में बहुत सारे प्रावधान लिये हैं, वो सभी सराहनीय हैं।

इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारा, विशेषकर मेरे जैसलमेर के लिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां न ए.एन.एम. रहना चाहती है न डाक्टर रहना चाहते हैं, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने जो कल की घोषणा की थी उसको एक्स्ट्रा भत्ता दिया जायेगा, वह भी स्वागत योग्य है, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस बजट भाषण में बहुत घोषणाएं की हैं, विशेषकर मैं जैसलमेर की मेरी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके समक्ष यह पेश करके सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.ए.डी.पी. की सड़कें जो पूर्ववर्ती सरकार के समय, अपने बी.जे.पी. की सरकार के समय जो बी.ए.डी.पी. की सड़कें थीं एक गांव से दूसरे गांव लाने के लिए वो आज तक अधूरी पड़ी है, उसका कारण कि जो गाइड लाइन थी, पहले पूरा जैसलमेर बार्डर में लिया था लेकिन बाद में जैसलमेर को पूरे जिले का न लेकर केवल बार्डर लाइन से 10 और 20

(श्री छोटू सिंह)

किलोमीटर के क्षेत्र में लिया हुआ है, उस गाइड लाइन को चेंज कर के वापस बी.ए.डी.पी. की गाइड लाइन, जैसलमेर पूरा जो हमारा सीमावर्ती जिला है उसका लिया जाए।

इसके साथ में सोलर के लिए आपने जैसलमेर जिले को विशेष रूप से चुना है। हमारा जैसलमेर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इस प्रदेश के लिए दूसरी मां है। हम आपको ऊर्जा के लिए जमीन देते हैं, डिफेंस के लिए जमीन देते हैं। हम आपको लाइम स्टोन माइंस के लिए जमीन देते हैं। आल ओवर जो भी काम पड़ता है उसके लिए हमेशा जैसलमेर, रेगिस्तान चुना जाता है कि जैसलमेर की जमीन आमजन के लिए प्रदेश के लिए काम आएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि सड़क हो, चाहे पानी हो उसमें जैसलमेर को सीमावर्ती और लास्ट कार्नर कहते हैं। उसको भी उतना ही हिस्सा दिया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सड़क का काम हो, एक दौसा जिले को भी आप 10-15 किलोमीटर देते हो और जैसलमेर को भी सिर्फ 15 किलोमीटर देते हो, तो जैसलमेर क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 गांव ही नहीं जोड़ पाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि जिस हिसाब से क्षेत्र है, जिस हिसाब से आबादी का कम घनत्व है, उस क्षेत्र को देखते हुए हर योजना में चाहे वह पेयजल की योजना हो, चाहे सड़क की योजना हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ऊर्जा की हो क्षेत्रफल के हिसाब से करना चाहिए।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा एक गांव दूसरे से 20-20 किलोमीटर दूर है, उसका बजट दुनिया भर का हो जाता है कि आपके बजट के हिस्से में तो एक ही गांव आएगा। जब एक तरफ तो 2500 मेगावाट बिजली जैसलमेर पैदा करता है और जैसलमेर केवल 210 मेगावाट ही बिजली खर्च करता है, बाकी 2300 मेगावाट हम पूरे राजस्थान को दे रहे हैं तो क्यों हमारे साथ में भेदभाव होता है। हम यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में बिजली पैदा होती है, हमारे क्षेत्र में खनिज पैदा होता है, हमारे क्षेत्र से हम डिफेंस, मिलिट्री को एरिया देते हैं, हम पूरे चरागाह आपको दे रहे हैं तो क्यों नहीं जैसलमेर को विशेष पैकेज की एक योजना बनाई जाए। जिससे कि जैसलमेर के आम जन को इसका फायदा मिले।

(श्री छोटू सिंह)

इसी आशा के साथ जहां तक पेयजल का मामला है, जहां तक शिक्षा का मामला है मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की जनता का ध्यान रखते हुए, जैसलमेर के लोगों का ध्यान रखते हुए आमजन को इसका फायदा दें।

इसके साथ में नरेगा का काम है, वह आदरणीय सभापति महोदय बहुत ही जटिल काम है हमारे लिए।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): सारी, माफ करना अध्यक्ष महोदय, उसका कारण यही है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे खेत और खलिहान में हमारे किसान काम करें। लेकिन गांव से उनकी दूरी 20 किलोमीटर, ढाणी 20 किलोमीटर और एमआर जो नरेगा के दिए जाते हैं, वह उस ढाणी तक नहीं पहुंचते हैं। वह वहां से पैदल चलकर जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। हमारे लोग खोड़ में विराजें हैं, हमारे लोग मुरब्बों में बैठे हैं तो यह नरेगा का जो एमआर है, वह उस ग्राम पंचायत के किसानों के सुपुर्द किया जाये। ताकि उससे एक स्थायी सम्पत्ति बने। उसके अलावा हमारा जो एमएलए का बजट है, सामग्री के रूप में उसको लिया जाये चाहे डिग्गी निर्माण हो, चाहे खाले का निर्माण हो, चाहे धोरा-पाली का निर्माण हो वह एक स्थायी बने। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का एक विशेष पैकेज दिया जाये ताकि जैसलमेर की जनता को राहत मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर में पशुपालन का विशेष धंधा है, लोगों का व्यापार भी यही है। बिफोर लास्ट ईयर भी अकाल था, इस साल भी अकाल है, 90 दिन यह पशु शिविर चले और हमारी 1 लाख 70 हजार गायें बच गई। लेकिन आज 15 दिन से वह शिविर बिलकुल बंद कर दिए गए हैं। जो बची हुई गायें थीं वह भी आज मरने की हालत में हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में पशुओं, जिसमें भी विशेषकर गायों का ध्यान रखा जाए। गायें मरने की हालत में हैं। हम गांवों में जा नहीं सकते हैं, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं। लोग यह कह रहे हैं कि आपने पशु शिविर चालू करके फिर यह गाय के मुंह बंद कर दिए, यह क्या काम किया। आपदा मंत्रीजी यहां विराजे नहीं हैं लेकिन सरकार के कई माननीय मंत्री यहां विराजे हुए हैं। मैं आप सबको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर के पशुपालन को देखते हुए जैसलमेर के गौधन को बचाने के लिए पशु शिविर जल्दी चालू करवाये जाएं।

(श्री छोटू सिंह)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं हुईं। लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के बारे में हमारा जैसलमेर बहुत ही पीछे है। चिकित्सा के बारे में नाममात्र के 25 परसेंट डाक्टर जैसलमेर जिले के मुख्यालय में हैं। हड्डी का डाक्टर नहीं, आंखों का डाक्टर नहीं, नाक-कान का डाक्टर नहीं, पर्ची लिखने वाला डाक्टर नहीं, यहां तक की इंस्ट्रूमेंट सभी हैं फिर भी मैकेनिकल, उसको चलाने वाला कोई नहीं। एएनएम गांव में रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वह गांव जाएगी तो पैदल रास्ता है। लकड़ी लानी पड़ेगी, पानी लाना पड़ेगा, सड़क से पैदल जाना पड़ेगा, कोई नहीं चाहता है कि हम वहां रहें।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आखिरी छोर का एमएलए हूं और जनता जाकर के पूछेगी कि हमने चुनकर भेजा था विधान सभा के अन्दर क्या बोला, क्या कहा, क्या-क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी?

श्री अध्यक्ष: बोलिये, 2 मिनट और बोलिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 2 मिनट दोगे तो आपकी कृपा से 5 मिनट और भी मिल जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी महिला अध्यापक हैं, वह भी जैसलमेर से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। बाहर के जितने भी अध्यापक थे, बाहर की जितनी भी एएनएम थीं, सभी पूर्ववर्ती सरकार ने वापिस अपने-अपने जिले में भेज दिए। मेरा निवेदन है कि हमारे यहां भी बेरोजगारी है। कुछ वरीयता से, कुछ विशेष अंक दिए जाएं जैसलमेर के बेरोजगार युवकों को ताकि वह अध्यापक बनें, वह एएनएम बनें और वह वहां के वहां रह सकें। ऐसी व्यवस्था इस आने वाले बजट में होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषकर राजस्व का मामला है और हमारा नहरी क्षेत्र भी है। नहरी क्षेत्र से दूसरे जिलों को भी पानी मिलता है और हमको भी पीने को मिलता है। पानी की विकट समस्या है। नहर होते हुए भी दूसरे जिले तो यह सोचते होंगे कि जैसलमेर मीठा पानी पीता होगा, लेकिन हकीकत

(श्री छोटू सिंह)

यह है कि जैसलमेर में केवल 25 परसेंट ही नहर का पानी पी पाते हैं, 75 परसेंट लोग खारा और फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल की विशेषकर समस्या रहती है, हम यह चाहते हैं कि हमें पानी मिल गया तो अन्न मिल गया, हमें सब सुविधा मिल गई। लेकिन पानी की समस्या है। नहर है, दूसरे जिलों को पानी जा रहा है और हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया पूर्ववर्ती सरकार ने। जीरो से हमेशा फेज चालू होता है, फर्स्ट फेज जीरो से शुरू होता है और सैकण्ड फेज आखिरी टेल पर होता है। बाड़मेर के लिए पेयजल पाइप लाइन गई, पेयजल के लिए पानी गया और सैकण्ड प्रायोरिटी में जैसलमेर को रखा। पानी जैसलमेर से जा रहा है और सैकण्ड जैसलमेर को रख रहे हैं। वह भी 171 गांव, 5 साल से घोषणाएं करते-करते आज तक टेंडर नहीं लगे। मीठे पानी का इंतजार करते-करते 5 साल निकाल दिये और डेढ़ साल अब और निकलने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से वह जो 171 गांव हैं उनका टेंडर तीव्र गति से लगाया जाये जिससे कि आम जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में नहरी क्षेत्र की बहुत बड़ी प्रोब्लम हैं, नहर हमारे यहां आती है लेकिन टेल तक पानी हमें मिलता नहीं है। पहले तो यह कहा जाता है कि हम आपको 7 बीघे का पानी देंगे और 7-8 बीघे से ज्यादा बुआई नहीं करनी है। लेकिन फिर ऊपर से मैसेज आता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने पानी बंद कर दिया है तो बोया हुआ बीज, बोया हुआ खाद वह मिट्टी में मिल जाता है। हमें नहीं मिलता है, टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। किसान का इंतजार करते-करते यह पूरा साल इस प्रकार से निकला कि अकाल हो गया।

माननीय सूरतगढ़ एमएलए ने, हनुमानगढ़ एमएलए ने तो यह कहा था कि हमारी धरती दलदल हो गई है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी धरती सूखी है, पानी सैकण्ड और फर्स्ट फेज का हमारे को भेजो ना, दलदल क्यों रखना चाहते हो। उसको 1-2 साल सूखा रखो तो आटोमैटिक तैयार हो जाएगी।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हिस्से का खरीफ का पानी, रबी का पानी, हम चाहते हैं कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिले और वह व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए।

खरीफ का पानी या झीलों में रखा जाए या किसी प्रकार की डिग्गियों का निर्माण कराया जाए और जिस प्रकार से हमारे जैसलमेर में सोलर और पवन ऊर्जा का जो पूरा हब बन रहा है उस हिसाब से हमारे आम किसान के मुरब्बे पर डिग्गी निर्माण और तीन-तीन हार्स पावर के करीब सोलर प्लेटें लगाई जाएं।

श्री अध्यक्ष: आपने जोरदार पैरवी कर दी, बहुत जोरदार पैरवी कर दी। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मैंने बहुत तैयारी की है।

श्री अध्यक्ष: फिर बोल लेना आप।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): फिर नहीं मिलेगा मौका।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मांगों पर मौका मिलेगा आपको, जैसलमेर बहुत दूर है और आपको ज्यादा मौका देंगे। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान के बजट 2015-16 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया, आदरणीय वसुन्धराजी को मैं यह बजट जो राजस्थान में पेश किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे हर वर्ग को ध्यान्न में रखते हुए हर जाति, समाज को, हर क्षेत्र को जोड़ते हुए जो बजट पेश किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, जितनी उसकी तारीफ की जाए वह कम है। मैं बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर उसको सुधारने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी का ध्यान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत मत कीजिए, माननीय विधायक का ध्यान इधर-उधर मत भटकाइए। आप बोलिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हमारी शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पहली से आठवीं तक बिना पढ़े उनको पास करने की योजना थी, उसको हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने खतम किया और आठवीं का बोर्ड बनाया इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार अब शिक्षा के क्षेत्र में आपको सुधार करना है, प्राइमरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र के खाली पड़े हैं और शहरी क्षेत्र के अन्दर जो स्वीकृत पद हैं उनमें भी सरप्लस भरे पड़े हैं। इसमें आपको मेहनत की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र से आपको पहले उन विद्यालयों को भरना चाहिए, उसमें जो पद खाली पड़े हुए हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, दिल और गुर्दों को बहुत मजबूत रखते हुए हमें यह कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलें जो खाली नहीं हैं, उनमें एडमीशन के लिए किसी की सिफारिश करनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकारी स्कूलें इतनी ज्यादा हैं लेकिन वे स्कूल खाली पड़ी हुई हैं उनमें सुधार कौन करेगा? अभी प्राइवेट स्कूल में एक टीचर को पांच हजार, और ज्यादा से ज्यादा दस हजार, दस हजार से ज्यादा कोई नहीं देता है, इतनी तनख्वाह उनको महीने की मिलती है। सरकारी स्कूल के अन्दर तीस से चालीस हजार रुपए एक टीचर को तनख्वाह मिलती है फिर भी बच्चों के पढ़ाई का स्तर प्राइवेट स्कूलों के बनिस्पत बहुत कम है। इसको सुधारा जाए, यह हमारी मांग है।

जिस प्रकार अभी पहली क्लास से आपको सीबीएसई का कोर्स और इंग्लिश मीडियम से कम्प्यूटर के साथ में पहली क्लास के बच्चे का पढ़ाई का स्तर शुरू करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको कभी भूलेगी नहीं और प्राइवेट स्कूलों के भवन खाली हो जाएंगे और सरकारी स्कूलों के अन्दर जगह नहीं मिलेगी, यह मेरा आपसे निवेदन है।

...(व्यवधान) बिजली के स्तर में आप तो सुधार कर देना, ब्यावर से शुरू कर देना। बिजली के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और उनकी सरकार थी वह भी हमेशा कह रहे थे कि हम किसानों की सेवा कर

(श्री शंकर सिंह)

रहे हैं और अभी जो भाई जीतकर आए हैं वह भी कह रहे हैं किसानों के लिए, अगर वह किसानों की चिंता करते तो उनका यह हाल नहीं होता। आज किसानों के नाम पर वह रोटियां सेक रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से कि जनता जल योजना के अन्दर सिंगल फेस का कनेक्शन जलदाय विभाग को तुरन्त मिल जाता है, थ्री फेस का कनेक्शन भी उनको तुरन्त मिल जाता है, गांव का गरीब जो गांव में रहने वाला काश्तकार है वह अपने पीने के लिए और पानी और जानवरों के लिए वह अपनी ट्यूबवैल से सिंगल फेस के कनेक्शन का भी उनकी चोरी मानी जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह सिंगल फेस के कनेक्शन से अपनी बोरिंग से सिंगल फेस की मोटर से अपना पानी पी रहा है और अपने जानवरों को पिला रहा है तो उसको चोरी नहीं माना जाना चाहिए। उसके ऊपर जिस प्रकार आपका जेईन, एईएन यह फ्लाइंग वाली गाड़ी आकर के कोई डकैती, लूट कर रहे हो उस प्रकार से मोटर और सारा सामान भरकर ले जाते हैं और जुर्माना भी उससे वसूल करते हैं कुछ उनकी जेबें भी भर लेते हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि इससे उन काश्तकारों को मुक्ति दिलाई जाए। वह बिजली का बिल भी भरेगा और इस प्रकार ध्यान रखता है जैसे कोई बिजली की गाड़ी आ नहीं गई हो, कोई लाइनमैन आ नहीं गया हो इसलिए निश्चित तौर पर सिंगल फेस के कनेक्शन के ऊपर छूट मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए हर एक पूर्व में सदन हमेशा होती है कि हमारी इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदय ने जिस प्रकार आज स्वच्छ भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना संजोया है, मेरा भी आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार सुधार आप करवाना चाहते हैं तो जैसे आज आप चुनाव जीतकर आते हैं माननीय सदस्य और उसके बाद में आप तहसीलदार की बदली करवा दो, एसडीएम कलक्टर को बदली कर दो, और फिर आप खुश हो जाते हैं कि यह पूर्ववर्ती सरकार ने लगाए हैं इसलिए हमारे को हटाना बहुत जरूरी हो गया। आप हटाकर खुश हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तहसीलदार, एसडीएम और कलक्टर को हटा दिया लेकिन वह बाबू बीस साल से वहां जमा हुआ है, कोई भी एसडीएम या कोई

(श्री शंकर सिंह)

भी कलक्टर वहां आएगा वह बाबू फाइल वही राजस्व विभाग की फाइल हो या चाहे किसी और विभाग की हो, वह तब निकालेगा जब काश्तकार उसके सामने घुटने टेकेगा, तब जाकर उसकी फाइल निकलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अन्दर सफाया होना चाहिए, अगर एक अधिकारी का ट्रांसफर होता है तो उसके साथ में सभी बाबू, यूडीसी हो चाहे एलडीसी हो, तुरन्त वहां से उनका ट्रांसफर होना चाहिए ताकि कम से कम उस काश्तकार को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, ऐसा मेरा सुझाव है। (व्यवधान) गलत है क्या? (व्यवधान) तो आप टेबल नहीं बजाते हो इस बात पर।

सम्माननीय कृषि मंत्री महोदय विराजमान हैं, आज जो रासायनिक सब्जियां, बीज के द्वारा जो बाजार में आ रही हैं उससे नाना प्रकार की भयंकर बीमारियां हो रही हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। काश्तकार को समय के ऊपर खाद-बीज मिल जाए, मण्डियों के अन्दर सुधार हो, पुराने भवन जो पड़े हुए हैं, अनावश्यक कई लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार ब्यावर की मण्डी के अन्दर भी ऊन का जो लगा रखा है उससे पूरे रोड पर इस प्रकार का गन्दा पानी निकल रहा है, उसमें भी हमने दो-दो, तीन-तीन बार आपसे भी निवेदन किया है, उस पर भी रोक लगाई जाए।

बिजली के लिए विपक्ष के सभी सदस्य माननीय कहते हैं कि बिजली की दरें बहुत बढ़ा दी हैं राजस्थान में। मैं उनको कहना चाहता हूं कि राजस्व घाटा 2008-09 में 6774 करोड़ रुपए का था उसका 0.31 पैसा ब्याज प्रति यूनिट उस काश्तकार को चुकाना पड़ता था और 2009 से 2013 तक इस घाटे को 15645 करोड़ का कर दिया पूर्ववर्ती सरकार ने। इसलिए अब प्रति यूनिट 1.81 पैसे से 2.00 प्रति यूनिट तक काश्तकार को भरना पड़ता है, यह कांग्रेस के लिए हुए कारनामों की सज़ा हमारा काश्तकार भुगत रहा है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने जितना जो सुधार किया है उसकी तारीफ की जाए वह कम है और विपक्ष के भाई जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं कि कुछ भी नहीं किया है उनका भी दिमाग दुरुस्त होना चाहिए, ऐसी बातों को सुनकर कि वास्तव में हकीकत को सामने लाना ही चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो शुरू ही हुआ हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट हो गये आपको। एक मिनट और बोल लीजिए आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जानवरों की जो घटना हो रही है, मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पास में जंगल का एरिया है। वहां पर हमेशा महीने, दो महीने में शेर, चीता, बघेरा आदमी या औरतों को मारने की घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी काश्तकार किसी शेर के ऊपर कोई गोली चलाकर उसको खतम करने की कोशिश की तो वह जेल में जाएगा। वे जानवर सिर्फ पानी की कमी की वजह से जंगल से गांव में आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मागड़ जी महाराज, जो दाता है उसके ऊपर जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी का एक होद बना देना चाहिए और बीसलपुर लाइन का जो टैंक बन रहा है वह टैंक भी ऊपर बनना चाहिए। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

दूसरा, मोटे रूप से ब्यावर को जिला बनाने के लिए मेरी मांग है... (व्यवधान) पूरा सदन इसके पक्ष में है, हमारे माननीय मंत्री महोदय सब कर रहे हैं। राजस्थान का सबसे पुराना शहर, जब राजस्थान में तीन नगरपालिकाएं थीं उसमें भी एक ब्यावर की नगरपालिका थी। सबसे पुराना आयकर कार्यालय ब्यावर में था, 50 साल से ज्यादा समय से मांग उठती रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में हमने बहुत संघर्ष किया था और ब्यावर से 11 दिन का धरना, आमरण अनशन और महापदयात्रा, 7 हजार आदमियों के साथ जयपुर में पहुंचे थे तब भी उस +++ मुख्यमंत्री महोदय को, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे उनको दया नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष: पापी शब्द को अपलोपित कर दें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): न कभी उन्होंने सोचा। हमने सपना संजोया था। अब हमारी सरकार आ गयी है। हमारी मुख्य मंत्री महोदय सुराज संकल्प यात्रा में जब वे ब्यावर पधारे थे, मसूदा भी पधारे थे उस समय निश्चित रूप से यह कदम उठाया है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि ब्यावर को, ब्यावर वासियों को, उस क्षेत्र के वासियों को, जैतारण भी मिलेगा, मसूदा भी मिलेगा, आपके माध्यम से यह जिला बने, ऐसी शुभकामना है। मैं जो बजट पेश किया है उसकी बहुत-बहुत तारीफ करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन प्रधान।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय वसुन्धराजी ने जो बजट 2015-16 के लिए रखा है उसके लिए मैं माननीय सदन की नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विषम परिस्थितियों में ऐसा शानदार और जानदार बजट राज्य की जनता को राहत पहुंचाने और राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इस बजट में पूरा प्रयास किया गया है। वैसे बजट में सभी वर्गों, क्षेत्र व पूरे प्रदेश का इसमें ध्यान रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय वसुन्धराजी ने जब सुराज संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में की थी और उस सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जो भी जनता से वादे किये थे उस समय जनता की जो समस्याएं देखी थीं, मैं सोचता हूं कि कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, सही नेता वही होता है जो जनता से जो वादे करके आता है उन वादों को पूरा करे। माननीय वसुन्धराजी ने इस बजट में क्योंकि जब सुराज संकल्प यात्रा में ऐसी कई उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए जनता को कहा था तो उन सब बातों को इस बजट में शामिल किया है। सब बातों का एक साथ पूरा होना सम्भव नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा इसमें ध्यान रखा है इसलिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से 5 सालों में पिछली गहलोत सरकार ने इस राजस्थान में राज किया था और उसी राज से पीड़ित होकर पूरे राजस्थान की जनता ने इस कांग्रेस को वो सब कुछ सिखा दिया, लेकिन कांग्रेसी आज भी वह बात नहीं समझते हैं। मैं सोचता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय बजट है, कहां हमने अच्छा किया है, कहां हमने इसमें योजनाएं शामिल नहीं की, उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन वे सड़कों पर वहां भजन कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वे जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, यह तो उनकी मर्जी है।

मैं माननीय वसुन्धराजी की पूरी टीम को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय वसुन्धराजी ने जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानियों को और देश-विदेश के उद्यमियों को यहां पर निवेश करने के लिए हाथ बढ़ाया है और काफी उद्यमी यहां पर उद्योग-धंधे लगाने के लिए आतुर हैं और कई लोगों ने एमओयू किया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इससे रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

(श्री गोरधन)

बजट के द्वारा वैसे सभी हमारे विभाग हैं, चाहे गृह हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, सड़क हो, परिवहन हो, शिक्षा हो, ऊर्जा, खनन, पंचायत राज, पर्यटन, देवस्थान, गोपालन सभी विभागों में राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी की गयी हैं जिससे इस राजस्थान की जनता को यह लगने लगा है कि वास्तव में जिस प्रकार से 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं सोचता हूं कि वहां 2009 से वापस स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बजट में सबजन उत्थान और सबजन विकास का नारा देते हुए इसको सबके लिए रखा है। जिस प्रकार से इस बजट में सड़क के लिए 10 हजार किलोमीटर एक वर्ष में रखा है।

हमारे सीकर जिले को सीकर-लाडनूं-नोखा 200 किलोमीटर का एक हाइवे मार्ग दिया है इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उसी प्रकार से गौरव पथ में नाली निर्माण, जिस प्रकार से हम गांवों में देखते हैं कि वहां पर कीचड़ भरा रहता है तो उसमें नाली निर्माण का माननीय वसुंधराजी ने जोड़ा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं सड़क और परिवहन मार्ग के लिए बजट में लगभग 1500 नये मार्ग खोलने की इसमें स्वीकृति दी गई है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं जिससे 6000 के लगभग साधन और लगभग 26 हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा में लगेंगे।

उसी प्रकार से ऊर्जा में 2013 से आज तक का मैं सोचता हूं कि लगभग 34 हजार कनेक्शन जो दिये गये हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए 2015-16 में लगभग 40 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार देने के लिए रखा है। इस जैविक खेती के कारण से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके लिए माननीय वसुंधराजी ने राज्य स्तरीय अवार्ड और किसानों को देश-विदेश भ्रमण के लिए भी इसमें प्रावधान किया है जिससे इस खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसी प्रकार से किसानों को सहकारिता ऋण में जीरो प्रतिशत का वापस लागू किया है उससे काश्तकार को बहुत अच्छा फायदा इसमें मिलेगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिला स्तर पर गुर्दे की डायलिसिस करने तथा जिस जिला हैडक्वार्टर पर सीटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई की मशीन नहीं हो

(श्री गोरधन)

उन सब में व्यवस्था करके माननीय वसुंधराजी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके अलावा मार्च में आरोग्य राजस्थान अभियान चलाकर व्यक्तियों का परीक्षण किये जाने की स्कीम है इसके लिए भी मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिये। आपका भाषण अधूरा रहा, कल बहस आपके भाषण से चालू होगी। माननीय सचेतक महोदय, ये कुछ नाम रह गये हैं, 3-4 नाम रह गये हैं तो प्राथमिकता से कल इनको आपकी सूची में ले लीजियेगा ।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर जिले में किन्नु प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की योजना

144. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार श्रीगंगानगर जिले में ग्वार गम फैक्ट्री व किन्नु प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

उद्योग विभाग द्वारा उद्योग स्थापित नहीं किये जाते हैं बल्कि किसी कम्पनी/फर्म अथवा उद्यमी को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। श्रीगंगानगर जिले में रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। उद्यमी द्वारा उद्योग स्थापित करने पर उसे नियमानुसार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्वार गम एवं किन्नू प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने पर नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन के तहत पात्र पूंजी लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत तथा विद्युत कर मण्डी शुल्क, प्रवेश शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट एवं 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि कोई उद्यमी श्रीगंगानगर जिले में ग्वार गम व किन्नू प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करता है तो उसे नियमानुसार सहायता व सुविधाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।

टोडाभीम की तालचिड़ा घाटी से गंगापुर सड़क की मरम्मत

145. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम की घाटी तालचिडा से गंगापुर तक एवं ग्राम शहर से नादौती तक की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो कब से?

(श्री घनश्याम)

(2) उक्त स्टेट हाइवे की सड़क के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अब उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगापुर-नादोती-सिकन्दरा सड़क (स्टेट हाइवे-25) में टोडाभीम की घाटी तालचिड़ा से गंगापुर तक की कुल लम्बाई 49.00 कि.मी. (कि.मी. 176/0 से 225/0) है। उक्त सड़क के 37.00 कि.मी. (कि.मी. 176/0 से 213/0) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम (जिला करौली) में एवं 12.00 कि.मी. (कि.मी. 213/0 से 225/0) विधान सभा क्षेत्र गंगापुर (सवाई माधोपुर) में आते हैं।

इस सड़क के कि.मी. 176/0 से 197/0 व 209/0 से 211/600, (23.600 कि.मी.) में वर्ष 2012 में नवीनीकरण का कार्य करवाया गया था, जो संवेदक की गारण्टी अवधि में है। वर्षा के कारण बने पेच/पाट होल्स की संवेदक द्वारा मरम्मत करके गारण्टी अवधि में सड़क का रख-रखाव किया जा रहा है एवं सड़क की स्थिति संतोषजनक है। कि.मी. 197/0 से 198/0 (नादोती कस्बा) एवं 208/500 से 209/0 (ग्राम शहर) में सी.सी. सड़क निर्मित है, जो संतोषजनक स्थिति में है। कि.मी. 211/600 से 213/0 (1.400 कि.मी.) में सड़क पर आवश्यकतानुसार पेच मरम्मत करवाकर रखरखाव किया जा रहा है।

इसी सड़क के नादोती से ग्राम शहर तक के भाग (कि.मी. 198/0 से 208/500) कुल लम्बाई 10.500 कि.मी. में सड़क विगत दो वर्षों से क्षतिग्रस्त है। उक्त भाग पर वर्ष में दो बार डब्ल्यू.बी.एम. पेच मरम्मत करवाकर सड़क को मोटरेबल बनाया जाता है।

उक्त सड़क के कि.मी. 213/0 से 225/0 का भाग विधान सभा क्षेत्र गंगापुर (जिला सवाई माधोपुर) में आता है, जो संतोषजनक स्थिति में है।

(2) स्टेट हाइवे-25 की उक्त सड़क लम्बाई में, खेतों की जमीन से सड़क के नीची होने के कारण वर्षा के दिनों में वर्षा का पानी विभिन्न स्थानों पर सड़क पर बहता है जिससे सड़क क्षतिग्रस्त होती है। इसके अलावा जमीन लेवल पर ही सड़क के सहारे किसानों द्वारा फार्म पौण्ड बनाये हुये हैं व काली मिट्टी होने के कारण अधिकतर सड़क मार्ग में सैटलमेन्ट होते रहते हैं। बनास

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बजरी से भरे हुए ओवर लोडेड वाहनों के आवागमन के कारण यह सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है।

शहर से नादोती सड़क (कि.मी. 198/0 से 208/500 तक) कुल लम्बाई 10.50 कि.मी. में सड़क के पुन: निर्माण हेतु राशि रुपये 1700.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

उक्त सड़क के पी.पी.पी. योजना में उन्नयन हेतु फिजिबिलिटी अध्ययन के लिये निविदायें प्रक्रियाधीन हैं। अध्ययन रिपोर्ट में फिजिबिल पाये जाने पर ही पी.पी.पी. योजना में कार्य करवाया जा सकेगा।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किये जाने वाले कार्य

149. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश में कौशल एवं आजीविका विकास निगम को राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र का दर्जा दिया गया है? यदि हां, तो निगम के कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त निगम के कार्यों में और बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित शाषी समिति (Empowered Committee) की बैठक दिनांक 17 फरवरी 2014 में अतिरिक्त एजेन्डा सं. 3 में यह निर्णय लिया गया था कि, ''राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम'' को सैद्धान्तिक रूप से ''राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र'' का दर्जा दिया जाये। शाषी समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि इस हेतु फण्ड पृथक से चिन्हित किये जायेंगे। (संलग्न: शाषी समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2014 कार्यवाही विवरण-परिशिष्ट-1)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई भी फण्ड राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को हस्तान्तरित नहीं किया गया है एवं इस हेतु कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी हां। राज्य सरकार निगम के कार्यों में और बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों द्वारा संचालित लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना (ELSTP) के माध्यम से ही संचालित किये जाने हेतु अभिसरण (Convergence) का आदेश दिनांक 7.11.2014 को जारी किया गया है। कन्वर्जन्स के तहत बीएडीपी, एसीएसटी निगम, आरआरएलपी, एनयूएलएम, बीओसीडब्ल्यू तथा टीएडी विभाग द्वारा अपनी लघु अवधि प्रशिक्षण योजनाओं को निगम को स्थानान्तरित कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में शेष विभागों द्वारा भी इस आदेश के अनुरूप कार्य किया जायेगा। (संलग्न आदेश, परिशिष्ट संख्या-2)

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

एस.डी.आई. योजना - योजनान्तर्गत सरकारी आईटीआई एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। योजनान्तर्गत राज्य के 4000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

स्पेशल प्रोजेक्ट - आरएसएलडीसी द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत एटीडीसी तथा निफ्ट के साथ प्रशिक्षण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। इनके द्वारा 6512 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लक्ष्य - आरएसएलडीसी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत वर्ष 2015-16 में 1.50 लाख, वर्ष 2016-17 में 2.00 लाख वर्ष 2017-18 में 2.50 लाख युवाओं, इस प्रकार आगामी 3 वितीय वर्षों में लगभग 6 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी आबादी का नियमन

150. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पूर्व में 90-बी एवं वर्तमान में 90-ए के तहत अनियमित रूप से बसी हुई कालोनियों का नियमन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी तर्ज पर अनियमित या कृषि भूमि पर बसी आबादियों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा विराटनगर में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2015 तक कितनी भूमि का भू-रूपान्तरण किया गया? गांव, खसरा, रकबा एवं नाम का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में नगरीय विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमन हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। पूर्व में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के अन्तर्गत कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का नियमन किया गया था। उक्त धारा 90-बी वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक भूमि पर बसी आबादियों/बाड़े को नियमन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिपत्र दिनांक

(राजस्व राज्य मंत्री)

30/1/2006, दिनांक 11/1/2008 व दिनांक 10/1/2013 को जारी किये गये है। परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा अतिक्रमण शुदा कब्जे की सिवायचक भूमि के आबादी आरक्षण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा परिपत्र परिशिष्ट 'ब' दिनांक 23/10/2001 से आबादी हेतु जिस सिवायचक भूमि का उपयोग कर लिया है उसे आबादी में ग्राम पंचायत को आरक्षित एवं आबंटित कर, ग्राम पंचायत के नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर आबादी भूमि के पट्टे व्यक्तियों को जारी करने के निर्देश दिये गये है।

यदि किसी खातेदार ने अपनी कृषि भूमि का बिना पूर्व अनुज्ञा अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है तो उसका नियमन ग्रामीण क्षेत्र में संपरिवर्तन नियम, 2007 के नियम 13 के अन्तर्गत संपरिवर्तन प्रभारों का चार गुणा शास्ति राशि लेकर किया जा सकता है।

(2) विधान सभा विराटनगर में जनवरी 2010 से जनवरी 2015 तक किये गये भू-रूपान्तरण की सूची परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना

151. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में गत 15 वर्षों से नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पाली रोड पर व बोरानाडा में सेक्शन 4 की कार्यवाही हुए 3 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यवाही के बाद आगे की कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार जोधपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा बढ़ाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। नये औद्योगिक क्षेत्र हेतु चिन्हित की गई जोधपुर पाली रोड पर ग्राम काकाणी, खाराबेरा पुरोहितान और निम्बला की 576.01 हैक्टर निजी भूमि एवं ग्राम बोरानाडा, हीरखेडा, सालावास तहसील-लूणी की 510.72 निजी खातेदारी भूमि की भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की अधिसूचना को जारी हुए तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है।

(3) जी हां। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कांकाणी हेतु अवाप्त 576.01 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि की भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 की उद्‌घोषणा दिनांक 29.9.2011 को जारी हो चुकी थी तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला-जोधपुर ने ड्राफ्ट अवार्ड बनाकर अधिनियम के प्रावधान के तहत अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया था लेकिन ड्राफ्ट अवार्ड का अनुमोदन नहीं होने के कारण अवार्ड जारी नहीं हो सका। परिणामस्वरूप प्रथम चरण हेतु अवाप्त की जा रही उपरोक्त वर्णित 576.01 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया व्यपगत (lapse) हो गई है।

औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा विस्तार हेतु अवाप्त की गई 510.72 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि का अंतिम अवार्ड दिनांक 24.9.2013 को राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा चुका है लेकिन कुछ खातेदारों द्वारा अवाप्ति प्रक्रिया को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दिये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 24.1.2014 को पारित किये गये हैं जो वर्तमान में प्रभावी है यद्यपि उक्त एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त करने हेतु आवेदन माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

इसी औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त की जा रही द्वितीय चरण हेतु 347.18 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना दिनांक 5.6.2012 को जारी की जा चुकी है तथा धारा 6 के तहत उद्घोषणा दिनांक 4.6.2013 को जारी की जा चुकी है व शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) रीको औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा (जोधपुर) में दो फायर टेण्डर की सुविधा रीको द्वारा संचालित/उपलब्ध है।

(उद्योग मंत्री)

वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा (जोधपुर) में फायर बिग्रेड की सुविधा बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण (जोधपुर) में स्थापित अग्निमान केन्द्र का संचालन नगर निगम जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम की अग्निमान सेवा के साथ ही रीको कार्यालय जोधपुर द्वारा एक अगिनमान वाहन मय चालक दल उपलब्ध करवाया गया है। जो कि नगर निगम जोधपुर के मुख्य अग्निमान अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करती है।

वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र बासनी द्वितीय चरण (जोधपुर) में फायर बिग्रेड सुविधा बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर ग्राम जाड़न के पास अण्डर पास का निर्माण

152. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एन.एच. 14 फोर लेन सड़क ग्राम जाडण को दो भागों में बांटती हुई निकल रही है? यदि हां, तो उक्त सड़क पर विगत 5 वर्षों में ग्रामवासियों द्वारा सड़क पार करते हुए कितने व्यक्तियों की दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समस्या के समाधान के लिए ग्रामवासियों द्वारा रोड जाम/आंदोलन किया गया है? यदि हां, तो समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार ग्रामवासियों एवं स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु स्कूल के आगे से अण्डरपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एन.एच. 14 चार लेन सड़क का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) के द्वारा करवाया जा रहा है। तदनुसार माननीय विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तार भा.रा.रा.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्रांक भाराराप्रा/21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

03635 दिनांक 3.3.2015 द्वारा प्राप्त किया गया है (परिशिष्ट-1 के अनुसार) भा.रा.रा.प्रा. द्वारा भिजवाये गये उत्तर के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

हां। यह सही है कि ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा खण्ड एन.एच.-14 की चारलेन के दोनों तरफ ग्राम जाडन स्थित है। प्रगतिरत चार लेन परियोजना का निर्माण ग्राम जाड़न से गुजर रहे एन.एच.-14 के पुराने संरेखण पर ही किया जा रहा है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई पाली को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा खण्ड का हस्तानान्तरण दिनांक 11.4.2011 को सार्वजनिक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय उच्च मार्ग) पाली द्वारा किया गया। परियोजना कार्यान्वयन इकाई पाली में विगत 5 वर्षो में ग्रामवासियों द्वारा सड़क पार करते हुए हुई दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) 'ग्राम जाड़न के निवासियों द्वारा अतिरिक्त अण्डरपास की मांग के लिये दिनांक 7.7.2014 को रोड जाम किया गया एवं कुछ स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा माह दिसम्बर 2014 में जिला कलक्टर कार्यालय, पाली के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जाड़न ग्रामवासियों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग एवं जिला प्रशासन की अनुशंसा के अनुरूप एक अतिरिक्त अण्डरपास निर्माण के प्रस्ताव का परीक्षण भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किया जा रहा है।

(3) ग्राम जाड़न में अतिरिक्त अण्डरपास के निर्माण के प्रस्ताव का सक्षम स्वीकृति हेतु परीक्षण भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किया जा रहा है, जो कि चार लेन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पादित अनुबन्ध के अनुसार चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत है। नियमानुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त ही अतिरिक्त अण्डरपास का निर्माण किया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाप/फलौदी पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार का निर्धारण

153. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2014 में नई पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति बाप एवं फलौदी में किन-किन पंचायतों का पुनर्गठन किया गया? सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पब्बाराम)

(2) उक्त में से ऐसी कौन-कौनसी पंचायतें हैं जो कि उपखण्ड/तहसील क्षेत्र बाप के क्षेत्राधिकार में आती हैं तथा उसका पंचायत समिति क्षेत्र फलौदी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पुनर्गठित पंचायतों को आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों के लिए उपखण्ड/तहसील के अनुसार एक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में रखे जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पंचायत समिति बाप एवं फलौदी में जिन-जिन पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, उनके सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट-क)

(2) जिन ग्राम पंचायतों का उपखण्ड/तहसील क्षेत्र बाप के क्षेत्राधिकार में आती है तथा उसका पंचायत समिति क्षेत्र फलौदी है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. बावडीकलां 2. जागरिया 3. मलार 4. ननेउ 5. विजयनगर 6. मोटाई 7. सजणानियों की ढाणी 8. नोखडा भाटियान।

(3) राज्य सरकार द्वारा डा. परमेश चन्द्र, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में नये जिलों, उपखण्डों, पुलिस उपखण्डों के पुनर्गठन/सृजन के लिए राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया है । आदेश की प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट-ख)

इस समिति के द्वारा पंचायत समिति एवं तहसीलों को सह-सीमान्त किये जाने पर भी विचार कर सुझाव दिये जाएंगे । समिति द्वारा अभी तक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गयी है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार के स्तर पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के डार्क जोन एरिया में पशुपालन के लिए 5 एच.पी. कनेक्शन देने की योजना

154. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) प्रदेश में किन-किन जिलों को डार्क जोन घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी डार्क जोन क्षेत्रों में ट्यूबवैल खोदने व कृषि कनेक्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध है? यदि हां, तो क्या सरकार दूर-दराज क्षेत्रों व ढाणियों में बसे हुए व्यक्तियों व पशुपालन के लिए 5 एच.पी. तक कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त 33 जिलों के 243 ब्लाक्स (पंचायत समितियों) में से 172 अतिदोहित एवं 24 विषम (डार्क जोन) श्रेणी में वर्गीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) डार्क जोन में नलकूप खोदने सम्बन्धित आदेश परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। राज्य सरकार ने बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2014-15 के बिन्दु संख्या 28 पर घोषणा की है कि जल स्तर तेजी से गिरने के कारण डार्क जोन में कृषि कनेक्शन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जा रही है। परन्तु किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए डार्क जोन में कृषि कनेक्शन दिए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के स्थान पर राज्य सरकार ने किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उन्हें पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर भुगतान करने पर ON DEMAND कनेक्शन देने का प्रावधान किया है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही उर्जा विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र के निवासियों को आवासीय पट्टे देने की योजना

155. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवासीय पट्टे देने के लिए क्या नियम बनाये गए हैं? नियमों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों द्वारा आवासीय

(श्री जगदीश नारायण)

पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया है तथा उन आवेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? ग्राम पंचायतवार व व्यक्तियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की प्रति परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के 73 व्यक्तियों द्वारा वनाधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समस्त 73 प्रकरण, सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ग्राम पंचायतवार मय व्यक्तियों के नाम का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिनियम के तहत दावे प्रस्तुत करने पर अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानो के अनुरूप नियमानुसार वन अधिकार पत्र दिये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

156. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली में बाल श्रमिकों का अंतिम बार सर्वे कब करवाया गया था? तहसीलवार बाल श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं एवं गत तीन वर्षों में किस-किस योजना में किस स्थान पर किस-किस बाल श्रमिक को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) पाली जिले में पूर्व में बाल श्रमिकों की शिक्षा हेतु किस-किस संस्था द्वारा कब-कब विद्यालय संचालित किये गये थे?

(4) उक्त संस्थाओं द्वारा चलाये गये विद्यालयों एवं बाल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि का भुगतान कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से कितनी-कितनी राशि का किया जाना शेष है?

(5) क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से?

(6) क्या वर्तमान में बाल श्रमिक कल्याण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कितने बाल श्रमिकों के लिए व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में बाल श्रमिकों का पिछला सर्वे वर्ष 2012 में कराया गया था। सर्वे में चिन्हित बाल श्रमिकों के सत्यापन के पश्चात् 13 बाल श्रमिक पाए गए जिनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित मात्र राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 50 बाल श्रमिकों के समूह के लिए विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित किए जाने थे परन्तु उक्त वर्ष 2012 के सर्वे के सत्यापन के पश्चात् निर्धारित संख्या से कम बाल श्रमिक होने के कारण पाली जिले में पिछले 3 वर्ष में कोई विशेष बाल श्रमिक विद्यालय प्रारम्भ नहीं किए जा सके। फलस्वरूप उक्त परियोजना के तहत पिछले 3 वर्षों में पाली जिले में किसी भी बाल श्रमिक को लाभान्वित नहीं किया जा सका।

(3) पाली जिले में पूर्व में बाल श्रमिकों हेतु विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन करने वाली संस्थाओं का नाम एवं संचालन अवधि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(4) परिशिष्ट-2 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा चलाये गये विद्यालय एवं बाल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि का भुगतान कितनी-कितनी अवधि से कितनी-कितनी राशि का किया जाना शेष है, का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होते हैं, को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियमानुसार बकाया भुगतान के आबंटन में विलम्ब किए जाने के कारण राशि की उपलब्धता के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

(5) जी हां। नियमानुसार। बकाया भुगतान के आबंटन/स्वीकृति भिजवाने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के स्तर से तथा राज्य सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर निवेदन किया गया है। अत: श्रम मंत्रालय, भारत सरकार से भुगतान की बकाया राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(6) जी नहीं। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक जी-20013/1/2012-सीएल दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय बाल परियोजनाओं के तहत चल रहे विशेष विद्यालयों का संचालन 31 मार्च, 2015 तक विस्तारित किया गया है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में स्वीकृत सड़क मरम्मत के कार्य

157. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2014 तक सड़कों के निर्माण/मरम्मत के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि एवं कितनी लम्बाई के स्वीकृत किये गये? स्वीकृत आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हुये एवं उन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2014 तक नवीन सम्पर्क सडकों के निर्माण/विशेष मरम्मत

(कृषि विपणन मंत्री)

सम्बन्धी कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। वर्ष 2009-10 में कृषि उपज मण्डी समिति नागौर के क्षेत्र में निर्मित सड़कों की वार्षिक मरम्मत हेतु जारी स्वीकृति के अन्तर्गत जायल विधान सभा क्षेत्र की 4 सडकों की वार्षिक मरम्मत कराई गई जिसकी लम्बाई 28.04 कि.मी. तथा व्यय राशि 9.90 लाख रुपये थी। स्वीकृति आदेश दिनांक 26.8.2009 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य दिनांक 30.3.2010 को पूर्ण हुए । जिन पर 9.90 लाख रुपये व्यय हुए । विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाजा (ब्यावर) को नयी तहसील बनाने की कार्य योजना

158. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की जवाजा पंचायत समिति को तहसील बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर तहसील में कार्य अधिक हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता का काम समय पर नहीं हो पा रहा है जिससे कि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार जवाजा पंचायत समिति के आसपास की ग्राम पंचायतों को मिलाकर जवाजा को तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) टाटगढ़ तहसील गठन के पश्चात ब्यावर तहसील का क्षेत्राधिकार एवं कार्यभार पूर्व की अपेक्षा कम होने से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का कार्य नियमानुसार समय पर संपादित किया जा रहा है।

(3) जवाजा को तहसील बनाये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन/लम्बित नहीं है। निर्धारित मापदण्ड (प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है) के अनुरूप जिला कलक्टर अजमेर का प्रस्ताव राजस्व मण्डल राज. अजमेर के माध्यम से प्राप्त होने पर जनहित/प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झुन्झुनूं जिले में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

159. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय का कार्यालय प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय की व्यवस्था हेतु स्टाफ व अन्य क्या-क्या व्यवस्थाएं की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के तहत झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोला गया है।

(2) विश्वविद्यालय हेतु कुलपति एवं विशेषाधिकारी के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति जारी कर दी है। विश्वविद्यालय हेतु टेलीफोन, किराए के वाहन एवं किराए पर कार्यालय भवन लिए जाने की स्वीकृति भी जारी कर दी है । विश्वविद्यालय के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कुलपति के पद पर श्री एल.एस. राणावत की नियुक्ति हो चुकी है तथा विशेषाधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं को दिया हुआ है एवं सहायक लेखाधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार डाइट, झुंझुनूं के सहायक लेखाधिकारी को दिया हुआ है ।

(3) विश्वविद्यालय को प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

प्रश्न संख्या-160

(स्थगित)

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों के रिक्त पद

161. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने वार्ड पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों व जिला परिषदों के सदस्यों के पद हैं एवं कितनी ग्राम

(श्री जोगाराम पटेल)

पंचायतों, पंचायत समितियां एवं कितनी जिला परिषद हैं और उनमें से गत पंचायत राज चुनाव में कितनी ग्राम पंचायतों, कितनी पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव हुए हैं और चुनाव के उपरान्त भी किस-किस पंचायतों में, पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में कितने-कितने पद किन-किन कारणों से रिक्त हैं?

(2) गत पंचायत राज चुनाव में शिक्षा सम्बन्धी योग्यता अनिवार्य करने के उपरान्त, कितने सरपंच, कितने पंचायत समिति के सदस्य एवं कितने जिला परिषद सदस्य किस-किस शैक्षणिक योग्यता के निर्वाचित हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में 107927 वार्ड पंच, 9894 सरपंच, 6236 पंचायत समिति सदस्य व 1014 जिला परिषद सदस्यों के पद हैं एवं 9894 ग्राम पंचायतें, 295 पंचायत समितियां एवं 33 जिला परिषद हैं । उनमें से गत पंचायती राज चुनाव में 9875 ग्राम पंचायतों, 295 पंचायत समितियों एवं 33 जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव हुए हैं। उपरोक्त चुनावों में से 13 सरपंच एवं 706 वार्ड पंचों के चुनाव सम्पन्न नहीं हो पाए हैं जिनका कारण सहित जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) गत पंचायत राज चुनाव में शिक्षा सम्बन्धी योग्यता अनिवार्य करने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य जिस-जिस शैक्षणिक योग्यता से निर्वाचित हुए हैं उनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में कनिष्ठ अभियन्ताओं/कार्मिकों के रिक्त पद

162. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के उप-खण्ड भादरा एवं उप खण्ड II में कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के अनेक पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के कौन-कौन से पद रिक्त हैं एवं उक्त दोनों उप-खण्डों में किस-किस पद पर कौन-कौन कार्मिक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार)

(2) क्या सरकार जनता की परेशानियों एवं आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुये कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, भादरा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपखण्ड, भादरा (भादरा शहर व भादरा तहसील के 136 ग्राम सम्मिलित) एवं उपखण्ड-द्वितीय (भादरा तहसील के 67 ग्राम सम्मिलित) कार्यालयों में तथा नोहर तहसील की ग्रामीण जल योजनाओं (44 ग्राम सम्मिलित) में कनिष्ठ अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत 7 पदों में से 6 पद एवं अन्य कार्मिकों के कुल स्वीकृत 196 पदों में से 7 पद वर्तमान में रिक्त हैं । उपखण्डवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों के सम्बन्ध में वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त 824 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया माह मई, 2015 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है ।

विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही नियमों में संशोधन की प्रक्रिया उपरान्त प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ।

सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के अन्तर्गत अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों से भरने की कार्यवाही की जायेगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध करवाने की कार्य योजना

163. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में कहां-कहां मत्स्य सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध करवाये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कहां-कहां मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों को या छोटे मछुआरों को क्या-क्या साधन उपलब्ध करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के बिन्दु संख्या 104 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले की 11 पंचायत समितियों की 38 सहकारी समितियों को राजससंघ द्वारा मत्स्याखेट हेतु नावें एवं जाल उपलब्ध कराये गये। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा चौरासी के कडाना बेक वाटर के तीन मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के 458 सदस्यों को राजससंघ द्वारा नाव एवं जाल उपलब्ध कराये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

छोटे मछुआरों को समेकित मत्स्य विकास परियोजना एवं बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के बिन्दु संख्या 104 अन्तर्गत मत्स्याखेट नाव, जाल, साइकिल मय क्रेट एवं मत्स्य बीज उपलब्ध कराये गये। जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कामगार क्षतिपूर्ति के दर्ज प्रकरण

164. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रदेश में गत 5 वर्षों में कामगार क्षतिपूर्ति अधिकार के अन्तर्गत कितने प्रकरण दर्ज हुये व कितनों का निस्तारण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जिसे अब कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 कहा जाता है, के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में दर्ज व निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त	निस्तारित
2009-10	2476	1570
2010-11	2563	1392
2011-12	2490	1417
2012-13	2536	1787
2013-14	1389	1150

अतारांकित प्रश्नोत्तर

एकलव्य आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र

200. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर में नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अलवर में उक्त आवासीय विद्यालय को खोला गया है? यदि हां, तो कब व कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय विद्यालय में वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त आवासीय विद्यालय को खोलने का क्या उद्देश्य था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अलवर में दो नवीन एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय हेतु ग्राम मल्लाना तहसील राजगढ़ तथा ग्राम पाटन तहसील राजगढ़ में खोले जाने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए थे। विवरण परिशिष्ट- अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 12.10.2010 को ग्राम मल्लाना तहसील राजगढ़ में एवं दिनांक 22.3.2012 को ग्राम पाटन तहसील राजगढ़ में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में उक्त दोनों एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का कार्य निर्माणाधीन है, अध्ययन कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(4) एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिडल एवं उच्च शिक्षा स्तर की गुणात्मक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे इस वर्ग के विद्यार्थियो को व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश के अवसर उपलब्ध हो

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

सकें। साथ ही अध्ययन के पश्चात राजकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ भी प्राप्त कर सकें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी मण्डावरी एवं लालसोट की स्वीकृत सड़कें

201. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी मण्डावरी एवं लालसोट जिला दौसा में ग्रामीण सडकें निर्माण किये जाने हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी मण्डावरी एवं लालसोट में क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर कुछ सडकें स्वीकृत की हैं? यदि हां, तो विधायक के अनुशंसा पत्र मय स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष रहे गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु अन्य अतिरिक्त स्वीकृतियां जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी एवं लालसोट में वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। क्षेत्रीय विधायक का अनुशंसा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य अतिरिक्त स्वीकृतियां जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि कार्य करते समय हुई मृत्यु पर देय मुआवजा

202. श्री जय नारायण पूनिया (तारानगर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा कृषि कार्य करते समय किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री जय नारायण पूनिया)

(2) क्या सरकार द्वारा बढ़ाई हुई मुआवजा राशि के अनुसार भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) चूरू जिला में उक्त घोषणा से 31 जनवरी, 2015 तक कितने प्रकरण दर्ज हुये व वित्तीय वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों के निस्तारण में किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी अनुक्रम में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.12.2014 के द्वारा कृषक/खेतीहर मजदूर की मृत्यु दिनांक 18.11.2014 या इसके बाद होने की स्थिति में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत देय सहायता राशि को 1.00 लाख से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपये किया गया है। आदेश दिनांक 3.12.2014 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। दिनांक 18.11.2014 को एवं उसके बाद घटित हुई दुर्घटना के प्रकरणों में बढ़ायी गई राशि अनुसार राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत सहायता राशि दी जा रही है।

(3) चूरू जिले में उक्त घोषणा के बाद 6 प्रकरण दर्ज हुए। उक्त प्रकरणों में से श्रीमती लोडकी देवी पत्नी चतराराम निवासी भाषीणा, सुजानगढ़ को राशि 2 लाख की सहायता दी गई तथा शेष 5 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

परिशिष्ट-अ

क्रमांक : प.4(78) कृषि-2/2002 जयपुर, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.11.2014 द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कृषक/खेतीहार मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि रुपये 1.00 लाख के स्थान पर रुपये 2.00 लाख की गई है। उक्त आदेश, जो सभी लम्बित प्रकरणों पर लागू किया गया था, आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश उन्हीं प्रकरणों पर

लागू होगा जिनमें मृत्यु, आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात 18.11.2014 अथवा उसके उपरान्त हुई हो।

हरि शंकर शर्मा

शासन उप सचिव

कृषि विश्वविद्यालयों में निदेशकों/अधिष्ठाताओं के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें

203. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के निदेशकों एवं अधिष्ठाताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो नवम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा विभागीय जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। नवम्बर, 2013 से अब तक राज्य के पांच कृषि विश्वविद्यालयों में से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में कार्यरत एक निदेशक व एक अधिष्ठाता के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। डा. स्वरूप सिंह, तात्कालीन निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर व डा. जी.एल. केशवा तात्कालीन अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी प्रति परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। डा. स्वरूप सिंह, तात्कालीन निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर व डा. जी.एल. केशवा तात्कालीन अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की विश्वविद्यालय द्वारा समिति का गठन कर तथ्यों की जांच करवाई गई । जांच समिति ने डा. स्वरूप सिंह को दोषी पाया व डा. जी.एल. केशवा के खिलाफ शिकायत को आधारहीन पाया। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

प्रति परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर के लिये भवन निर्माण

204. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय शिक्षा प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय का भवन निर्माण स्वीकृत है? यदि नहीं, तो भूमि व भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन सुमेरपुर में कृषि महाविद्यालय दिनांक 4 अगस्त, 2012 से कार्यरत हैं।

(2) जी हां। महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य स्वीक़त है एवं प्रथम तल का भवन निर्माण इस सत्र के अन्त तक पूरा हो जाएगा ।

प्रदेश में बीज वितरण में अनियमितता की शिकायतें

205. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश के किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किन-किन फसलों के बीज, कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार को गत चार वर्षों में प्रदेश के किसानों को कम गुणवत्ता एवं वज़न में कम बीज उपलब्ध करवाने सम्बन्धी अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर किन-किन बीजों के वितरण में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार को बारां जिले में सोयाबीन के बीजों के वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो

(श्री ललित कुमार)

किन-किन स्थानों की और सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को फसलों की उपज बढ़ाने के लिए मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में वर्ष 2014-15 में सामान्य बीज वितरण में वितरित किये गये बीजों का विवरण एवं विक्रय दर परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में राज्य के किसानों को कम गुणवत्ता एवं वजन में कम मात्रा में बीज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-3 एवं राजस्थान राज्य बीज निगम को सीधी प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) बारां जिले में सोयाबीन बीजों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सोयाबीन बीज के वितरण में अनियमितता के संदर्भ में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बारां जिले में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में बीज गुणवत्ता से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-3 एवं खरीफ-2014 में सोयाबीन बीज की गुणवत्ता से सम्बन्धित शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा एकमुश्त समझौता योजना के तहत निपटाए गये प्रकरण

206. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान वित्त निगम द्वारा एक मुश्त समझौते की योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में कोटा, दौसा, जोधपुर, सीकर, अलवर जिलों में (वर्ष 2001 से 31 दिसम्बर, 2014) तक पांच लाख से उपर के किन-किन ऋणियों/उद्यमियों को इस योजना में

(श्री पूरणमल सैनी)

शामिल किया गया व योजना में भाग लेने के लिए क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन ऋणियों/उद्यमियों को शामिल किया, उन्होंने सम्पूर्ण योजना की शर्तें पूरी कीं? यदि नहीं, तो किस-किस ने शर्तें पूरी नहीं कीं और योजना में (एक मुश्त) शामिल कर लिया? क्या इसके लिए सरकार से आदेश लिये गये थे? यदि हां, तो कब विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त एक मुश्त योजना में पांच लाख से ऊपर का निपटारा वर्ष 2001 से 31 दिसम्बर, 2014 तक केवल मूल राशि के लिए किया है? यदि हां, तो कोटा, दौसा, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, अलवर में किन-किन उद्यमियों का निपटारा किया गया? क्या इसके लिये सरकार से अनुमति ली गई थी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कोटा, दौसा, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, अलवर के उद्यमियों से एक मुश्त समझौते में मूलधन लिया गया था? यदि हां, तो क्या उनका निपटारा कर दिया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उनका निपटारा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त निगम द्वारा वर्तमान में केवल एक ही एक मुश्त निपटारा योजना जो डीम्ड सेटलमेन्ट स्कीम के नाम से है, प्रचलन में है। जिसमें ऋणियों/उद्यमियों के द्वारा योजना में भाग लेने के नियम एवं शर्तें आदि का उल्लेख किया गया है। योजना के विस्तृत विवरण एवं संदर्भ हेतु परिपत्र संख्या 692 दिनांक 23.5.2012 परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

यद्यपि योजना में रुपये 5.00 लाख से नीचे के ऋण भी शामिल है, परन्तु निगम द्वारा 2.00 लाख रुपये तक के स्वीकृत एवं वितरित ऋणों को, जो इस योजना में पात्रता रखते थे, पूर्ण रूप से माफ कर दिया गया है। योजना में कोटा, दौसा, जोधपुर, सीकर, अलवर एवं उदयपुर में 5.00 लाख रुपये से अधिक के पात्र 329 ऋणियों की सूची मय भुगतान योग्य राशि निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसकी प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) उक्त सूची में केवल योजनान्तर्गत पात्र इकाइयों को ही शामिल किया गया है। योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलों में कुल 16 इकाइयों द्वारा खातों का निपटारा करवाया गया है, जो उक्त सूची में शामिल है। उक्त योजना राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत राशि का निर्धारण इकाई द्वारा पूर्व में जमा कराई गयी राशि एवं निगम के पास बंधक परिसम्पत्तियों का बाजार मूल्य आदि को मद्देनजर रखते हुए किया गया था जो प्रत्येक प्रकरण में पूर्व में जमा कराई गई राशि को शामिल करते हुए मूलधन से अधिक था। अत: किसी भी प्रकरण में खाते का निपटारा केवल मूलधन राशि पर नहीं किया गया है।

उक्त योजना राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित है।

(4) उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण में ऋणी द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि को शामिल करते हुए मूलधन राशि से कम पर निपटारा नहीं किया गया है।

चूंकि निगम द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि दिनांक 31.3.2012 को निर्धारित कर दी गयी थी एवं पात्र इकाइयों को उक्त निर्धारित राशि पर दिनांक 1.4.2012 से 13 प्रतिशत ब्याज जो समझौते राशि के जमा कराने तक देय था। अत: निगम के पास उक्त खातों के निपटारे के लिए पृथक से कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बेरोजगारों को ऋण दिये जाने की योजना

207. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा व्यापार प्रोत्साहन के लिए बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(2) जिला चूरू में जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक कितने पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया एवं किन-किन उद्योगों के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना एवं रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना में प्रार्थी द्वारा दो प्रतियों में आवेदन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से निवासी होने का प्रमाण पत्र, उम्र का साक्ष्य, भूमि व भवन सम्बन्धी दस्तावेज, शिक्षा सम्बन्धी, जाति सम्बन्धी व प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित आवेदन किया जाता है। आवेदन के पश्चात् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्रार्थी का साक्षात्कार लिया जाता है। यदि प्रार्थी का चयन किया जाता है तो ऋण आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाता है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पश्चात् प्रार्थी को ईडीपी प्रशिक्षण करना होता है। उसके पश्चात् प्रार्थी को ऋण वितरण किया जाता है। ऋण वितरण के पश्चात् बैंक द्वारा सम्बन्धित नोडल शाखा से मार्जिन मनी क्लेम प्राप्त किया जाता है, जो कि 3 वर्ष पश्चात् तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण के पश्चात् प्रार्थी के खाते में समायोजित किया जाता है। योजना में सामान्य जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान देय है। विशेष श्रेणी (अनूसुचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/अन्य पिछडा वर्ग) के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान (मार्जिन मनी) देय है।

(2) चूरु जिले के जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से-

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 2013 से जनवरी, 2015 तक कुल 48 इकाइयों को 373.62 लाख रु. का ऋण वितरण किया गया है। जिनकी उद्यमी वाइज सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

2. मुख्य मंत्री स्वालंबन योजना 2013 वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवधि में ही संचालित थी। इस अवधि के दौरान कुल 263 व्यक्तियों को

(उद्योग मंत्री)

608.83 लाख रू का ऋण वितरण किया गया है। जिनकी उद्यमी वाइज सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहपुरा (जयपुर) में खेल स्टेडियम का निर्माण

208. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा शाहपुरा में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बा शाहपुरा में खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा शाहपुरा में स्टेडियम के निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु वर्ष 2011-12 में स्वीकृत राशि 40.00 लाख के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रुपये 39.00 लाख का व्यय कर 400 मीटर एथलेटिक ट्रेक एवं 30 मीटर दर्शक दीर्घा का निर्माण करवाया गया है ।

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाया जाना सम्भव हो सकेगा।

बगरु वालों का रास्ता (जयपुर) में नजूल सम्पत्ति का बेचान

209. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पी.डब्ल्यू.डी. उपखण्ड प्रथम ने नजूल नोहरा, पी-39, बगरु वालों के रास्ते जयपुर को अपने कब्जे में लिया था? यदि हां, तो

(श्री खेमाराम)

किस दिनांक को, कब्जे में लेते समय उक्त नोहरे की पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण की नाप सहित नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा उक्त नोहरे की बिक्री नियमानुसार न करके, श्री काले खां पुत्र श्री मीरबक्स से सांठगांठ करके नियम विरुद्ध बेचान किया है? यदि हां, तो बेचान करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त नोहरे को किस दिनांक को कितने रुपये में बेचा गया? बेचान करते समय उक्त नोहरे की पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण की नाप सहित नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त नोहरे के दक्षिण दिशा में पड़त की जमीन थी जो नगर निगम के पुराने नक्शों में दर्शायी हुई थी, जिसे भी सरकार ने श्री काले खां को बेचान कर दी? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नोहरे का सरकार द्वारा कब्जा लेने से बेचान तक की कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नजूल नोहरा पी-39, बगरू वालों का रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण में ही? उक्त सम्पत्ति का पूर्व-पश्चिम एवं उत्तार दक्षिण नाप सहित नक्शा परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा उक्त नोहरे का विक्रय नियमानुसार श्री कालेखां को किया गया है।

(3) विभाग द्वारा उक्त नोहरा श्री कालेखां को दिनांक 26.9.1988 को राशि रुपये 53100/- में विक्रय किया गया था। विक्रय किये जाने के समय सम्पत्ति का जारी किया गया नक्शा परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। विभागीय रिकार्ड के अनुसार उक्त नोहरे के दक्षिण दिशा में सरकारी गली दर्शायी हुई है। विभाग द्वारा राजकीय नजूल सम्पत्ति का विक्रय नियमानुसार ही किया गया है।

(5) उक्त सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित कार्यवाही की पत्रावली की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली की क्षतिग्रस्त सड़कें

210. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मावली के पावर-हाउस खेमली से घासा, घासा से मावली, देलवाड़ा से खेमली तथा मावली से वल्लभनगर की सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति-मावली के यू.आई.टी. क्षेत्र में सड़क व पुलों के मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत ईन्टाली से खडोदा (वाया बरोडिया-वाना हाइवे रोड) तथा ईन्टाली से ढुंढिया (वाया अगोरिया-कल्याणपुरा) तक ग्रेवल सड़क का निर्माण अभी तक भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा ग्राम पंचायत ईन्टाली से रेंटेड मार्ग जो कच्चा है, को कब तक पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मावली की **पावर हाउस-खेमली-घासा-मावली सड़क** मुख्य जिला सड़क (एम.डी.आर.) संख्या-36 है, जिसकी कुल लम्बाई 39 कि.मी. है।

इस सड़क के 19 कि.मी. पेचेबल श्रेणी में हैं, जो पेच मरम्मत करवाकर वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में है। 20 कि.मी. नान पेचेबल श्रेणी में हैं, जिसमें से 3 किमी. आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। शेष 17 कि.मी. के सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण के लिये राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

देलवाड़ा से खेमली सड़क (वी.आर.-174) की लम्बाई 8 कि.मी. है। इस सड़क का 1.5 कि.मी. भाग नान पेचेबल श्रेणी में है जो आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। शेष 6.50 किमी लम्बाई के भाग में आवश्यतानुसार पेच मरम्मत कार्य करवाकर रखरखाव किया जाता है एवं वर्तमान में सड़क संतोषजनक स्थिति में है।

वल्लभनगर से मावली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-162 ई का भाग है, जिसकी कुल लम्बाई 15 कि.मी. है, फरवरी, 2015 में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड पाली द्वारा इस सड़क पर नवीनीकरण कार्य करवा दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विभाग द्वारा पंचायत समिति मावली के यू.आई.टी. क्षेत्र की सड़क व पुलों की मरम्मत का कोई कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

(3) वर्तमान में विभाग के पास इन सड़कों की कोई स्वीकृति नहीं है।

(4) ईन्टाली (तहसील मावली) व रेन्टेड (तहसील वल्लभनगर), दोनों गांव पृथक्-पृथक् डामर सड़क से जुडे हुए हैं। दोनों के बीच कच्चा रास्ता है, जो कि मिसिंग लिंक की श्रेणी में आता है। उक्त मिसिंग लिंक की कुल लम्बाई 5.00 कि.मी. है। वर्तमान में उक्त सड़क मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

इस डामर सड़क के निर्माण हेतु राशि रुपये 175.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

परिवहन निगम की जयपुर से मेई बन्द बसों का पुनः संचालन

211. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर डिपो द्वारा जयपुर से मेई (वाया जोबनेर, रेनवाल, करड़, कांकरा) बस का संचालन कब से प्रारम्भ किया गया था? उक्त बस पूर्व में कब कहां तक संचालित की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) उक्त बस के संचालन से मार्च, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक कितनी-कितनी आय हुई एवं कितना व्यय हुआ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बस में मासिक पास वाले यात्रियों से कितनी-कितनी आय उपरोक्त समयावधि में हुई है? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मासिक पास वाले यात्रियों से होने वाली आय को उक्त बस सेवा के संचालन से प्राप्त होने वाली आय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है?

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त बस सेवा को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुन: प्रारम्भ कर जनता को सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर आगार द्वारा जयपुर से मेई (वाया जोबनेर, रेनवाल, करड, कांकरा) बस दिनांक 29.5.1997 से संचालित की गई थी । उक्त सेवा पूर्व में जयपुर से मेई (वाया जोबनेर, रेनवाल, करड, कांकरा) तक संचालित थी ।

(2) उक्त बस के संचालन से मार्च, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक की आय एवं खर्चों का माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(3) उक्त बस में यात्रा करने वाले मासिक पास वाले यात्रियों की आय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(4) मासिक पास से प्राप्त आय को परिचालक आय में जोड़े जाने का सोफ्टवेयर ई.टी.आई.एम. मशीन में उपलब्ध नहीं है । इसलिये वाहन में यात्रा करने वाले मासिक पास यात्रियों की आय को माह के अन्त में आगार की एमआईएस में जोड़ा जाता है ।

(5) उक्त सेवा को दिनांक 11.12.2014 से कम आय आने पर बन्द किया गया है ।

(परिवहन मंत्री)

(6) जी हां । निगम द्वारा उक्त बस सेवा को दिनांक 4.3.2015 से पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है । परिशिष्ट "ब"

(विवरण पुस्तकालय में रख गया)

फलौदी एवं बाप उपखण्ड में भवन रहित सरकारी भवनों का निर्माण

212. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों हेतु कितने भवनों का निर्माण कराया गया व उन पर कितनी राशि व्यय की गई? भवनों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त निर्मित भवनों में से कितने भवनों को सम्बन्धित विभागों को सुपुर्द कर दिया गया व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में ऐसे कितने सरकारी कार्यालय है, जो वर्तमान में अन्य विभाग के भवनों या किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त सरकारी कार्यालयों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक सरकार द्वारा 3 सरकारी कार्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया। निर्मित भवनों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त निर्मित 3 भवनों में से 1 भवन सम्बन्धित विभाग को सुपुर्द कर किया गया व 2 भवनों को सुपुर्द करना शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में ऐसे 6 सरकारी कार्यालय जो वर्तमान में अन्य विभाग के भवनों एवं एक कार्यालय किराये के भवन में संचालित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) परिशिष्ट-2 में वर्णित सरकारी कार्यालयों के भवनों में से 2 कार्यालयों के भवनों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष 5 सरकारी कार्यालयों के भवनों का निर्माण राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

213. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में अब तक कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है?

(2) सरकार 250 तक की आबादी के गांवों को कब तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक, अप्रोच रोड एवं धार्मिक सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2000 से 2010 तक जनगणना 2001 के अनुसार राजस्व गांवों को इकाई मानकर पात्रता रखने वाले सामान्य क्षेत्रों में 500 व उससे अधिक तथा मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 व उससे अधिक के कुल 10863 राजस्व गांवों की स्वीकृति प्राप्त की गई। जिसमें से वर्तमान में 10724 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

इसके उपरान्त वर्ष 2011 से 2014 तक पेयजल आपूर्ति विभाग के सर्वे 2003 के अनुसार पात्रता रखने वाले सामान्य क्षेत्रों में 500 व उससे अधिक तथा मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 व उससे अधिक के कुल 5749 बसावटों में से 3759 की स्वीकृति प्राप्त कर 2122 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों के 250 से 349 जनसंख्या वाले 1445 बसावटों के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाये गये हैं। जिसकी स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार मैदानी क्षेत्रों के 500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले पात्र बसावट तथा मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों में 250 व उससे अधिक जनसंख्या वाले पात्र बसावटों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कें

214. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सड़कें ओवर लोडिंग वाहनों के कारण पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गयी हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कुछ सड़कें ओवर लोडिंग वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इन सड़कों में से तीन सड़कें 7.50 कि.मी. लम्बाई की राशि रुपये 85.50 लाख के लिये टी.एफ.सी. योजनान्तर्गत स्वीकृत है एवं इनका नवीनीकरण मार्च, 2015 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

तीन सड़कें 9.72 कि.मी. लम्बाई की, राशि रुपये 243.50 लाख के लिये आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। इन सड़कों का नवीनीकरण माह नवम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को परिवहन बस सेवा में किराये की छूट

215. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किसी प्रकार की छूट देय है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु निगम की बसों में नि:शुल्क यात्रा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य में वर्तमान में बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किसी प्रकार की छूट देय नहीं है ।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर सभी वर्गों के बेरोजगार अभ्यर्थियों को, बस-रेल किराए की राशि के पुर्नभरण के लिए बुलाने वाली संस्था द्वारा करने की व्यवस्था है ।

बस्सी में विधायक कोष से स्वीकृत अपूर्ण कार्य

216. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2011 से 31 जनवरी, 2015 तक विधायक कोष से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य कितने समय से किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्यों के लम्बे समय से अपूर्ण रहने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 2011 से अब तक विधायक कोष से स्वीकृत 4 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्णता के कारण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अन्तिम कालम में अवलोकनीय है ।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त कार्य भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके हैं इस कारण कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**स्वीकृत वर्ष**	**कारण**
1	सामुदायिक भवन निर्माण उगरियावास ग्राम पंचायत हरिपुरा	हरिपुरा	2011-12	भूमि वन विभाग में होने के कारण कार्य नहीं हुआ है।
2	प्रभात माली की ढाणी से ढीकला की ढाणी तक ग्रेवल सड़क सपाहेडी कला	रूपाहेडी कला	2013-14	भूमि वन विभाग में होने के कारण कार्य नहीं हुआ है।
3	गढ़ में सार्वजनिक पार्क की चार दीवारी निर्माण कार्य	गढ़	2011-12	कार्य निर्माणाधीन है
4	श्री नईनाथ धाम प्रजापती धर्मशाला के सामने सिंगल फेज मय टंकी	बांसखोह	2012-13	भूमि वन विभाग में होने के कारण कार्य नहीं हुआ है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सिकराय में स्वीकृत इन्दिरा आवास

217. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? सरकार द्वारा एक इन्दिरा आवास पर कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2010 से 2014 तक कितने इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए उनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(3) क्या सरकार वर्तमान मंहगाई दर को ध्यान रखते हुये उक्त आवासों के लिये राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बी.पी.एल. सैन्सस 2002 के चयनित बी.पी.एल. परिवारों को पात्रता सूची अनुसार वरीयता के आधार पर चयन कर आवास स्वीकृत किये जाते हैं। सरकार द्वारा प्रति इन्दिरा आवास 70,000/- रु. अनुदान स्वरूप स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2010 से 2014 तक कुल 2912 आवास स्वीकृत किये गये थे। उनमें से 1862 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

(3) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से राशि रु. 70,000/- का अनुदान देय है। इस राशि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2014-15 से महानरेगा अन्तर्गत आवास निर्माण गतिविधि को अनुमत किया गया है। जिससे आवास निर्माण स्वीकृति उपरान्त 90 अकुशल मानव श्रम दिवस अनुमत के आधार पर अधिकतम 14,670/- रु. की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होती है।

प्रदेश में मनरेगा में भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरण

218. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि प्रदेश में गत पांच वर्ष में मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में, किस-किस प्रकार के कितने-कितने भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत कार्य

219. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या स्वीकृत किये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो स्वीकृत किये गये सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ में गत पांच वर्षो में स्वीकृत, व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) कुल स्वीकृत एवं अधूरे रहे तथा बंद कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है ।

(3) जी हां। शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जा रहा है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले की जलग्रहण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

220. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2015 तक जैसलमेर जिले में विभिन्न जलग्रहण योजनाओं यथा आई.डब्ल्यू.एम.पी. व अन्य में सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) द्वारा करवाये गये कार्यों की कार्यवार वर्षवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 2008 से 31 जनवरी, 2015 तक जैसलमेर जिले में मरु विकास कार्यक्रम (DDP) एवं एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अन्तर्गत सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (पी.आई.ए.) द्वारा वर्षवार करवाये गये कार्यों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 (पृष्ठ 1 से 6) पर

(पंचायती राज मंत्री)

तथा परियोजनावार पी.आई.ए. वार वर्षवार कार्यवार, व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 (पृष्ठ 7 से 262) पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजीव गांधी सूचना केन्द्रों पर नियुक्त गार्डों को नियमित करने की योजना

221. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में स्थित राजीव गांधी सूचना केन्द्रों की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं? यदि हां, तो कब से तथा सुरक्षा गार्ड भर्ती के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सेवा केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों को कितना मासिक वेतन किसके द्वारा दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में उक्त सेवा केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों का वेतन पंचायतों द्वारा वहन किया जा रहा है तथा कई ग्राम पंचायतों में उक्त गार्ड को ठेकेदार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर कर नई गाइड लाइन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सेवा केन्द्रों में नियुक्त सुरक्षा गार्ड/चौकीदार को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सेवा केन्द्रों की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु सेवा केन्द्र पर जाब आउट सोर्सिंग बेसिस पर एक पूर्ण कालीक सुरक्षा कार्मिक रखे जाने की विभागीय परिपत्र क्रमांक 3408 दि. 12.11.12 द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। सुरक्षा हेतु निर्धारित प्रक्रिया/प्रावधान/मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट-अ में वर्णित है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) सेवा केन्द्रों पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों को विभागीय परिपत्र क्रमांक 3408 दि. 12.11.12 के अनुसार 3822 रुपये प्रति सुरक्षा गार्ड प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। पारिश्रमिक का भुगतान पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

(3) पूर्व में पारिश्रमिक भुगतान विभागीय बजट मद 2515 में उपलब्ध प्रावधानों से किया जा रहा था।

विभागीय आदेश क्रमांक 1574 दि. 21.10.14 के द्वारा वित्त विभाग की अभिशंसा अनुसार पंचायतों को निर्बन्ध कोष में प्राप्त ग्रान्ट में से पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मानदेय भुगतान सम्बन्धित अनुबंधित रजिस्टर्ड सुरक्षा सेवा प्रदाता एजेन्सी को देय है एवं जहां ग्राम पंचायतों द्वारा सीधे ही सेवाएं ली हुई है वहां भुगतान जाब आउट सोसिंग बेसिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सम्बन्धित को किया जा रहा है।

(4) किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति नहीं है।

(5) जी नहीं। सुरक्षा गार्ड पूर्ण रूप से जाब आउट सोर्सिंग बेसिस पर लिये गये हैं, जिन्हें नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली में स्वच्छ भारत योजनान्तर्गत शौचालयों का निर्माण

222. श्री दर्शन सिंह (करौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों में स्वच्छ भारत योजनान्तर्गत शौचालयों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत बनाये गये शौचालयों के भुगतान में काफी अनियमिततायें पाई गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र करौली में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण करवाया गया है जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) शौचालयों के भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत 24 A.S. (C) घड़साना के भगतसिंह नगर के निवासियों को पट्टे जारी करने की योजना

223. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत 24 A.S. (C) घड़साना में कच्ची बस्ती (भगतसिंह नगर) में निवास कर रहे लोगों को आवासीय पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की वनभूमि पर स्थापित ग्रामों का नियमन कर आवासीय पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्र में ग्राम पंचायत 24 A.S. (C) घड़साना में कच्ची बस्ती (भगतसिंह नगर) में निवास कर रहे लोगों को आवासीय पट्टे जारी करने के लिये ग्राम पंचायत के आबादी भूमि में रूपान्तरण के प्रस्ताव को एस.डी.एम. मण्डी, बीकानेर को प्रेषित कर दिये जाने के बाद उनके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए अनुमोदन हेतु उप शासन सचिव, उप निवेशन राजस्व, जयपुर को भिजवाया गया है।

वर्तमान उक्त एरिया को मण्डी क्षेत्र से मुक्त करने हेतु उप निवेशन विभाग के यहां परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षण उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आबादी भूमि के पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) ऐसी आवासीय बस्तियां जो कि वन भूमि पर बसी हुई हैं, यह अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। वन भूमि पर बसी हुई आवासीय बस्तियों के अतिक्रमण को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के मार्गनिर्देशिका के एनेक्चर-IV (परिशिष्ट क) में दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के अतिक्रमणों के ऐसे प्रकरणों को नियमन किये जाने का उल्लेख है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के पूर्व ही कोई नीति बनाकर घोषणा की हो, किन्तु किन्हीं कारणोंवश इनका पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से नियमितिकरण प्रक्रिया पूरी नही हो सकी तथा ऐसे अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के नियमन के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तत्समय प्रचलित वन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध रिपोर्ट दर्ज की गई हो। इस सम्बन्ध में एनेक्चर-IV के बिन्दु संख्या 3.1 के अनुसार दिनांक 24.10.1980 के पश्चात किसी भी अतिक्रमण के प्रकरण को नियमित नहीं किए जाने के निर्देश हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की योजना

224. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया दो वर्ष से लम्बित है? यदि हां, तो भर्ती प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में कई अभ्यर्थियों द्वारा 35 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें आयु सीमा में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तकनीकी कर्मचारियों के 1294 पदों के लिये विभाग द्वारा दिनांक 13.8.2013 को विज्ञप्ति जारी की गई थी । तत्पश्चात् राज. अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (जन स्वा. शाखा), नियम 1967 के नियम 19 में दिनांक 1.10.2013 को आवश्यक संशोधन (सीधे साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा) प्रतिस्थापित हो जाने के फलस्वरूप, तकनीकी पदों सम्बन्धी नियमों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य) में संशोधन आवश्यक हो गया है । इस संशोधन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है तथा वांछित संशोधन के उपरान्त भर्ती प्रक्रिया पुन: प्रारम्भ की जायेगी ।

(2) जी हां । नई भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.9.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जावेगा । अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रामगढ़ के फ्लोराइड युक्त गांव व कस्बे

225. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले के कौन-कौन से ग्राम अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से ग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गावों में फ्लोराइड युक्त पेयजल के निस्तारण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़, बड़ौदामेव, नौगांवा, रामगढ़ आदि कस्बों तथा ग्रामों में पेयजल में फ्लोराइड की कितनी-कितनी मात्रा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार जिला अलवर के कुल आबाद 2021 राजस्व ग्रामों में से 167 ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के उक्त 167 ग्रामों में से 79 ग्रामों को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

18 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले शेष 70 ग्रामों हेतु तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना स्वीकृति पर विचार किया जावेगा । विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है ।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सम्मिलित कस्बा गोविन्दगढ़ एवं कुल 252 ग्रामों में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है ।

समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार उक्त क्षेत्र के 32 ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है । विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है ।

उक्त 32 ग्रामों में से 10 ग्रामों को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है । 7 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । 1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले शेष 15 ग्रामों हेतु तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में स्वीकृत हैण्डपम्प व नलकूप

226. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 तक एवं 13 दिसम्बर, 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने हैण्ड पम्प एवं नलकूप कहां-कहां स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत किये गये हैण्डपम्प एवं नलकूप में कौन-कौन से हैण्डपम्प एवं नलकूप स्थापित किये जाकर चालू किये जा चुके हैं और कौन-कौन से हैण्डपम्प एवं नलकूप के निर्माण का कार्य चालू नहीं हुआ है या अपूर्ण है? स्वीकृति के पश्चात् हैण्डपम्प एवं नलकूप के निर्माण के कार्य चालू नहीं करने या अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वीकृत किये गये

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभी हैण्डपम्प एवं नलकूपों के निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें चालू कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में चलाये जा रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के बावजूद उक्त क्षेत्र में अनेक हैण्डपम्प खराब हैं या नाकारा घोषित होने योग्य हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां कितने हैण्डपम्प खराब हैं और उन्हें अब कब तक ठीक कराया जाकर चालू कर दिया जायेगा या नकारा घोषित होने योग्य हैण्डपम्पों को नकारा घोषित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में चालू एवं आगामी वर्ष में कहां-कहां व कितने हैण्डपम्प/नलकूप स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2009 से 13 दिसम्बर, 2013 की अवधि में कुल 260 नलकूप एवं 262 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी की गई । वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'क' व 'ख' पर संलग्न है ।

13 दिसम्बर, 2013 के पश्चात् उक्त क्षेत्र में अब तक कोई हैण्डपम्प व नलकूप स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(2) उक्त स्वीकृत किये गये नलकूप एवं हैण्डपम्पों में से 257 नलकूप एवं 256 हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है । शेष 3 नलकूपों में से 1 नलकूप का कार्य प्रगति पर है जिसे माह अप्रैल, 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 2 नलकूपों में स्थल विवाद होने के कारण इनका कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ।

शेष रहे 6 हैण्डपम्प वेधन के समय पानी नहीं मिलने के कारण असफल हो गये हैं । वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'क' व 'ख' में निहित है।

(3) दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से राज्य में चलाये जा रहे 38वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ में स्थापित 1394 हैण्डपम्पों में से 294 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों की शिकायत प्राप्त हुई थी तथा इन सभी को मरम्मत कर चालू कर दिया गया है । स्थानवार विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है । अभियान के दौरान 131

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हैण्डपम्पों को परित्यक्त घोषित कर 65 को मौके से हटा दिया गया है । वांछित विवरण परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है ।

(4) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में आवश्यकता, तकनीकी सम्भावयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार हैण्डपम्पों/नलकूपों की स्वीकृतियों पर विचार किया जायेगा ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में खारे एवं फ्लोराइड युक्त पानी से समस्याग्रस्त गांव

227. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर .जिले के किस-किस क्षेत्र के ग्रामों में खारे व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या है? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं पर अब तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार जिला अलवर के कुल आबाद 2021 राजस्व ग्रामों में से 167 ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है तथा 55 ग्रामों में टी.डी.एस. की मात्रा निर्धारित मानक 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने के कारण पानी खारा है । विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ व अ-(1) पर संलग्न है ।

(2) अलवर जिले के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित उक्त कुल 222 ग्रामों में से 96 ग्रामों (79 ग्राम फ्लोराइड प्रभावित एवं 17 खारे पानी के ग्राम) को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब व ब (1) पर संलग्न है ।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

26 ग्रामों (18 ग्राम फ्लोराइड प्रभावित एवं 8 खारे पानी के ग्राम) को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं । विवरण परिशिष्ट-स व स (1) पर संलग्न है ।

शेष पेयजल गुणवत्ता प्रभावित 100 ग्रामों (70 ग्राम फ्लोराइड प्रभावित एवं 30 खारे पानी के ग्राम) हेतु तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना स्वीकृति पर विचार किया जावेगा । विवरण परिशिष्ट-द व द (1) पर संलग्न है ।

(3) जी हां । विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खारे पानी की समस्या से प्रभावित कुल 13 ग्रामों में से 8 ग्रामों को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के स्रोत निर्मित कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष 5 ग्रामों में से 3 ग्रामों हेतु स्वीकृत योजनाओं को माह जुलाई, 2015 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है । शेष 2 ग्रामों हेतु तकनीकी सम्भाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार योजना स्वीकृति पर विचार किया जावेगा । विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की योजना

228. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम जंजीला की नाडी के आसपास गौचर भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने कितनी-कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम जंजीला नाडी के आस पास गोचर भूमि पर निम्न 4 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है:-

(राजस्व राज्य मंत्री)

1. लालाराम पुत्र पुसाराम जाट रकबा 0.03 हैक्टेयर

2. मेवाराम पुत्र हरदीनराम जाट रकबा 0.03 हैक्टेयर

3. लालाराम पुत्र पुसाराम जाट रकबा 0.04 हैक्टेयर

4. रामाराम पुत्र मंगलाराम जाट रकबा 0.03 हैक्टेयर

(2) अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रकरण न्यायालय तहसीलदार परबतसर में दिनांक 23.2.2015 को दर्ज हुए एवं प्रकरण न्यायालय में जैरकार है।

ईसरीखेड़ा ग्राम पंचायत रींदली (महवा) को राजस्व गांव बनाने की योजना

229. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत रींदली तहसील महवा (दौसा) में कितने गांव व ढाणियां सम्मिलित हैं तथा उनकी आबादी कितनी-कितनी है?

(2) राजस्व गांव घोषित किये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार ग्राम पंचायत रींदली की ढाणी ईसरीखेडा को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रींदली तहसील महवा (दौसा) में दो राजस्व ग्राम क्रमशः रींदली व भण्डपुरा सम्मिलित हैं। ग्राम रींदली में ईसरीखेडा नाम की ढाणी सम्मिलित है। सन 2011 की जनगणना अनुसार ग्राम रींदली की जनसंख्या 1701 व ग्राम भण्डपुरा की जनसंख्या 1870 है। ग्राम रींदली में सम्मिलित ईसरीखेडा ढाणी की अनुमानित जनसंख्या 800 है।

(2) नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने बाबत क्रमांक प. 9(16) राज./ग्रुप-1/07, दिनांक 20.08.2009 को जारी परिपत्र के अनुसार नवीन राजस्व गांव घोषित किये जाने वाली ढाणी की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 250 से कम न हो तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जन-जाति उपयोजना क्षेत्रों में 200 से कम न हो तथा प्रस्तावित नवीन राजस्व गांव घोषित होने के बाद मूल राजस्व गांव की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 250 से कम न हो तथा रेगिस्तानी व अनुसूचित जन-जाति उपयोजना क्षेत्रों में 200 से कम न हो एवं नवीन

(राजस्व राज्य मंत्री)

राजस्व गांव घोषित की जानी वाली ढाणियां/आबादी मूल राजस्व गांव की ढाणियों/आबादी से कम-से-कम 1 कि.मी. की दूरी पर हो।

ग्राम पंचायत रींदली की ढाणी ईसरीखेडा को नवीन राजस्व गांव घोषित करने हेतु जिला कलक्टर, दौसा का प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो प्रक्रियाधीन है।

झालामण्ड तहसील रायपुर (पाली) की खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

230. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम झालामण्ड तहसील रायपुर जिला पाली स्थित खसरा नम्बर 319 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वर्तमान में किसके नाम दर्ज है? नाम पते सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की पैमाइश/सीमाज्ञान हेतु गत तीन वर्ष में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण माना गया है? यदि हां, तो किस-किस का एवं अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम झालामण्ड तहसील रायपुर जिला पाली स्थित खसरा नम्बर 319 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार श्री घीसूसिंह, धनसिंह पि. सुगनसिंह कौम राजपूत सा. देह के नाम रिकार्ड में दर्ज है।

(2) जी हां। उक्त भूमि की पैमाइश/सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी श्री घीसूसिंह पुत्र श्री सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरा द्वारा दिनांक 22.10.2013 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिस पर पटवारी हल्का बाबरा के नाम सीमाज्ञान हेतु आदेश दिनांक 28.12.2013 को उक्त भूमि का प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान

(राजस्व राज्य मंत्री)

करवाया। उसके पश्चात् थानाधिकारी पुलिस थाना रास चौकी बाबरा द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 20.5.2014 को भू-अभिलेख निरीक्षक बाबरा के निर्देशन में तीन पटवारियान का सर्वे दल गठित कर दिनांक 30.6.2014 को पुनः प्रार्थी एवं प्रभारी पुलिस चौकी बाबरा की उपस्थिति में सीमाज्ञान हेतु मौके पर उपस्थित हुए लेकिन उक्त भूमि पर पड़ौसी खातेदार श्री भौमा गुर्जर द्वारा आपत्ति करने से सीमाज्ञान नहीं किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 28.12.2013 को किये गये सीमाज्ञान की रिपोर्ट में मौजा झालामण्ड के खसरा नं. 319 की भूमि पर श्री भौमा गुर्जर का अतिक्रमण होना सीमाज्ञान की रिपोर्ट में अंकित किया हुआ है। खातेदारी भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183, 188 के तहत स्वयं खातेदार को सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में खातेदार श्री घीसूसिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय में वाद संख्या 7/2014 अनवान घीसूसिंह वगैरह बनाम भौमा वगैरह अन्तर्गत धारा 183, 188 तथा मुकदमा नम्बर 4/14 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जो न्यायालय में जैरकार है एवं आगामी पेशी दिनांक 28.4.2015 नियत है।

(4) उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु उपखण्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय में वाद जैरकार है, जिसके निर्णय उपरान्त माफिक निर्णय आगामी कार्यवाही की जाना सम्भव है।

सांगोद में स्थित गोचर व सिवाय चक भूमि

231. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्तमान में कितनी-कितनी गोचर एवं सिवाय चक भूमि स्थित है? नगरपालिकावार, ग्रामवार, खसरा नम्बर एवं क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी सरकारी भूमि कहां-कहां पर स्थित है तथा उक्त भूमि किस उपयोग में ली जा रही है व उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में वर्तमान में तहसीलदारन से प्राप्त सूचना के अनुसार 6144.50 है. गोचर भूमि एवं 15842.72 है, सिवायचक भूमि है। नगरपालिका, ग्रामवार खसरा नम्बरान की सूचियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वर्तमान में 21987.22 है. भूमि सरकारी है जिसमें से चरागाह भूमि पंचायतों को हस्तान्तरित हो चुकी है जिस पर आंशिक अतिक्रमण है शेष भूमि चरागाह के लिए उपयोग में आ रही है। उपलब्ध सिवायचक भूमि कुछ पड़त है, कुछ पर अतिक्रमी द्वारा काश्त की जा रही है। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार सूचियां परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को देय बेरोजगारी भत्ता

232. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु 'राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना' संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कब से? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला रोजगार कार्यालय, जोधपुर में वर्तमान में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं तथा कितने बेरोजगारों को कितना-कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? वर्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त बेरोजगारी भत्ते में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 दिनांक 1-7-2012 से संचालित की जा रही है। योजना की प्रति परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है ।

(2) जिला रोजगार कार्यालय, जोधपुर में 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 22325 बेरोजगार पंजीकृत हैं। उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से आवेदन करने वाले पात्र पुरुष एवं महिला आशार्थी को 500/- रुपये तथा विशेष योग्यजन आशार्थी को 600/- रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

जा रहा है। योजना के प्रारम्भ की तिथि से 31 दिसम्बर, 2014 तक लाभांवितों का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार है -

विवरण	**सामान्य वर्ग**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**कुल**
लाभांवितों की संख्या	3032	710	20	3762
वितरित की गई राशि (लाखों में)	85.52	21.07	0.54	107.13

(3) जी नहीं । प्रदेश में देय बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 में दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव रोजगार विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)